सप्तम माला खंड 1 अंक 1

शनिवार 27 मार्च 1982

6 चैत्र 1903 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

आठवां सत्र

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक 27, शनिवार, 27 मार्च, 1982/6 चैत्र, 1904 (शक)

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गए पत्र	1—3
विधेयकों पर अनुमति	3
नियम 377 के अधीन मामले	3—5
(एक) उड़ीसा में मलेरिया के व्यापक रूप से फैलने को रोकने के लिए उपाय श्री चिन्तामणि जेना	3
(दो) भुवनेश्वर में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन फैक्टरी स्थापित करने की आवश्यकता श्रीमती जयन्ती पटनायक	4
(तीन) झरिया नगर के एक हिस्से के एकाएक धंसने से प्रभावित लोगों को राहत देना श्री ए०के० राय	5
(चार) दिल्ली में बवाना गांव के हरिजनों को आबंटित भूमि का कब्जा दिलाने की आवश्यकता श्री अटलबिहारी वाजपेयी	6
(पांच) भीलवाड़ा, राजस्थान में अकाल राहत कार्यों में लगे हुए मजदूरों की कथित छंटनी श्री गिरधारी लाल व्यास	6
(छः) उत्तर प्रदेश के कतिपय पूर्वी जिलों में बाढ़ रोकने के लिए स्थायी उपाय करने की आवश्यकता श्री महावीर प्रसाद	7
केरल और असम राज्यों के सम्बन्ध में उद्घोषणा सम्बन्धी सांविधिक संकल्पों के बारे में	8—18
लेखानुदानों की मांगें (केरल), 1982-83 के संबन्ध में नियम 206 के उप-नियम (2) के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव	18—30
केरल राज्य के सम्बन्ध में उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प, और केरल बजट, 1982-83 सामान्य चर्चा	31—1 8
लेखानुदानों की मांगे (केरल) 1982-83 तथा अनुदानों की अनुपूरक मांगें (केरल) 1981-82	
श्री ई० बालानन्दन	31
श्री जेवियर अराकल	42
श्री के० अर्जुनन	47
श्री जगन्नाथ राव	49
श्री राम जेठमलानी	51

विषय	सूची
श्री बी०एस० विजयराघवन	57
श्री के०ए० राजन	62
श्री के०पी० उन्नीकृष्णन	65
श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार	72
श्री जी०एम० वनातबाला	77
प्रो० अजित कुमार मेहता	81
श्री रतन सिंह राजदा	85
श्री के० कुन्हम्बु	89
श्री चन्द्रजीत यादव	91
प्रो० पी०जे० कुरियन	95
श्री जैल सिंह	106
श्री प्रणब मुखर्जी	112
केरल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक 1982—पुरःस्थापित विचार करन का प्रस्ताव	128—139
श्री प्रणब मुखर्जी	128
खंड 2, 3 और 1 पारित करने का प्रस्ताव	
श्री प्रणब मुखर्जी	129
केरल विनियोग विधेयक 1982—पुरःस्थापित विचार करने का प्रस्ताव	129—130
श्री प्रणब मुखर्जी	129
खंड 2, 3 और 1 पारित करने का प्रस्ताव	
श्री प्रणब मुखर्जी	130
लेखानुदानों की मांगें (असम) 1982-83 के सम्बन्ध में नियम 206 के उप-नियम (2) के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव	131
असम राज्य के सम्बन्ध में उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प, असम बजट, 1982-83 सामान्य चर्चा और लेखानुदानों की मांगें (असम), 1982-83 और अनुदानों की अनुपूरक मांगें (असम), 1981-82	131—190
श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती	132
श्री राम जेठमलानी	140
प्रो० नारायण चन्त पराशर	146
श्री राजेश पाइलट	150
श्री रवीन्द्र वर्मा	156

विषय	पृष्ठ
श्री सन्तोष मोहन देव	166
श्री बी०डी० सिंह	171
श्री रामसिंह यादव	174
श्री हरिकेश बहादुर	177
श्री जैल सिंह	179
श्री प्रणब मुखर्जी	181
असम विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1982—पुरःस्थापित विचार करने का प्रस्ताव	190—191
श्री प्रणब मुखर्जी	190
खंड 2, 3 और 1 पारित करने का प्रस्ताव	
श्री प्रणब मुखर्जी	191
असम विनियोग विधेयक, 1982—पुरःस्थापित विचार करने का प्रस्ताव	191—192
श्री प्रणब मुखर्जी	191
खंड 2, 3 और 1 पारित करने का प्रस्ताव	
श्री प्रणब मुखर्जी	192

लोक सभा

शनिवार, 27 मार्च, 1982/6 चैत्र 1904 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सभा–पटल पर रखे गए पत्र

आय-कर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कतिपय संस्थानों को आय-कर से छूट देने वाली अधिसूचनाएं।

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2;6 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(1) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत, का० आ० 935, जो दिनांक 6 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो "मराठा मन्दिर" को निर्धारण वर्ष 1978-79 से 1981-82 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए आय-कर से छूट देने के बारे में है।

(2) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत का०आ० 936, जो दिनाँक 6 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो 'दि०सी०पी० रामास्वामी अय्यर फाउन्डेशन' को निर्धारण वर्ष 1979-80 से 1982-83 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए आय-कर से छूट देने के बारे में है।

(3) आय-कर अधिनियय, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत का०आ० 937, जो दिनांक 6 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो 'जमनालाल बजाज फाउन्डेशन' को निर्धारण वर्ष 1978-79

से 1981-82 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए आय-कर से छूट देने के बारे में है।

(4) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत का०आ० 938, जो दिनांक 6 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो "दि लोटस न्यास" को निर्धारण वर्ष 1982-83 से 1984-85 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए आय-कर से छूट देने के बारे में है।

(5) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अंतर्गत का०आ० 940, जो दिनांक 6 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो "दि मिल ओनर्स एसोसिएशन रिलीफ फण्ड सोसाइटी" को निर्धारण वर्ष 1982-83 से 1984-85 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए आय-कर से छूट देने के बारे में है।

(6) आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत का० आ० 941 जो दिनांक 6 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो "एसोसिएशन फार हिन्दु धर्म (रजिस्टर्ड)" को निर्धारण वर्ष 1979-80 से 1982-83 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए आय-कर से छूट देने के बारे में है।

(7) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत का० आ० 942 जो दिनांक 6 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो "खेलवर शिशु निवास और शिक्षा केन्द्र" को निर्धारण वर्ष 1979-80 से 1982-83 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए आय-कर से छूट देने के बारे में है।

(8) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत का०आ० 943 जो दिनांक 6 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो "स्टाक एक्सचेंज बम्बई" को निर्धारण वर्ष 1979-80 से 198 - 82 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए आय-कर से छूट देने के बारे में है।

(9) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत का०आ० 944 जो दिनांक 6 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो "स्टाक एक्सचेंज फाउन्डेशन" को निर्धारण वर्ष 1977-78 से 1981-82 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए आय-कर से छूट देने के बारे में है।

(10) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23 ग) के अन्तर्गत का० आ० 945 जो दिनांक 6 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो "बंगाल सर्विस सोसाइटी" को निर्धारण वर्ष 1979-80 से 1981-82 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए आय-कर से छूट देने के बारे में है।

(11) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत का० आ० 946 जो दिनांक 6 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो "राजस्थान राज्य सिटिजन्स कौंसिल फण्ड" को निर्धारण वर्ष 1965-66 से 1979-80 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए आय-कर से छूट देने के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 3746/82]

विधेयकों की अनुमति

सचिव : महोदय, 12 मार्च, 1982 को पिछली रिपोर्ट सभा को देने के बाद, मैं चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किए गए और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित तीन विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :

(1) चीनी उपकर विधेयक, 1982

(2) विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1982

(3) विनियोग विधेयक, 1982

नियम ३७७ के अधीन मामले

(एक) उड़ीसा में मलेरिया के व्यापक रूप से फैलने को रोकने के लिए उपाय

***श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर)** : महोदय, मैं निम्नलिखित मामला नियम 377 के अधीन उठाना चाहता हूं।

देश के अनेक भागों में फैले मलेरिया से गम्भीर चिन्ता पैदा हो गई है। इस ज्वर से जिन राज्यों में बड़ी संख्या में लोग पीड़ित हैं वे हैं : असम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, मेघालय और नागालैंड। यह अधिकतर इन राज्यों के समुद्रतटीय और जंगल के क्षेत्रों में फैला हुआ है। उड़ीसा में यह बालासोर, पुरी, गंजम, कटक और फूलबनी जिलों में फैल रहा है।

*उड़ीया में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

पिछली विज्ञान कांग्रेस में एक वैज्ञानिक ने अपना भाषण पढ़ते हुए देश में फैलते हुए मलेरिया पर अपनी चिन्ता व्यक्त की थी। उसने कहा था कि उड़ीसा, असम और उपरोक्त अन्य राज्यों में मलेरिया के रोगियों को क्लोरोक्विन और अन्य दवाएं दी गईं, परन्तु उनका कोई असर नहीं हो रहा है क्योंकि मलेरिया के कीटाणु इसके इसके आदी हो गए हैं और शक्तिशाली हो गए हैं।

जब तक किसी नई दवा की खोज नहीं की जाती है और अस्वच्छता की स्थिति में सुधार नहीं किया जाता है, यह रोग कुछ और राज्यों में भी फैल जाएगा। इसलिए, मैं भारत सरकार से इस मामले पर गम्भीर रूप से विचार करने का अनुरोध करता हूं और वैज्ञानिकों को कुछ नई मलेरिया-रोधक दवाएं खोजने का परामर्श देता हूं। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को पूरे देश में और जोरदारी से क्रियान्वित किया जाना चाहिए। ग्राम स्वास्थ्य सेवकों और मलेरिया निगरानी कर्मचारियों को मलेरिया पीड़ित राज्यों में मलेरिया-विरोधी अभियान चलाने की सलाह दी जानी चाहिए। निचली भूमि और जंगल के क्षेत्रों में उचित स्वच्छ स्थितियों के निर्माण के लिए कारगर कदम उठाए जाने चाहिएं। इन राज्यों को मलेरिया उन्मूलन के लिए अतिरिक्त धनराशि दी जानी चाहिए।

(दो) भुवनेश्वर में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन फैक्टरी स्थापित करने की आवश्यकता

श्रीमती जयंती पटनायक (कटक) : पूर्वी क्षेत्र में, विशेषकर उड़ीसा में इलेक्ट्रानिक उद्योग बिलकुल नहीं है। भारत सरकार ने देश में इलेक्ट्रानिक उद्योग स्थापित करने के सम्बन्ध में क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने का निर्णय लिया है। भुवनेश्वर में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन फैक्टरी की स्थापना करने से इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय असन्तुलन काफी हद तक दूर होगा।

टेलीफोन उद्योग की स्थापना के लिए भुवनेश्वर आदर्श रूप से उपयुक्त स्थान है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रानिक उद्योग की स्थापना के लिए न केवल बुनियादी सुविधाएं ही हैं बल्कि इसके लिए यहाँ का वातावरण भी अधिक उपयुक्त है। उड़ीसा राज्य सामान्य तौर पर औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र है, विशेष तौर पर इलेक्ट्रानिक उद्योग की दृष्टि से, अतः भुवनेश्वर में इस उद्योग की स्थापना से इसके आस-पास अनेक सहायक उद्योगों और अनुप्रवाही इलेक्ट्रानिक एककों की स्थापना में सहायता मिलेगी, और इससे चण्डका क्षेत्र में केन्द्रीय औद्योगिक परिसर में औद्योगिकीकरण के विकास में भी सहायता मिलेगी।

उड़ीसा सरकार काफी लम्बे समय से राज्य में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन उद्योग की एक इकाई की स्थापना पर जोर देती रही है। इसे ध्यान में रखते हुए, मैं भारत सरकार

से आग्रह करता हूं कि वह भुवनेश्वर में तत्काल इलेक्ट्रानिक टेलीफोन उद्योग स्थापित करने का शीघ्र निर्णय करे और उसे शीघ्र ही स्थापित करे।

(तीन) झारिया नगर के एक हिस्से के एकाएक धंसने से प्रभावित लोगों को राहत देना

श्री ए० के० राय (धनबाद) : कोयला खान में किए गए धमाकों और भूमिगत आग के कारण 22 मार्च, 1982 की अल सुबह झरिया नगर के एक भाग के अचानक धंस जाने के फलस्वरूप इस बड़े प्राचीन कोयला नगर के धस जाने का खतरा मंडरा रहा है। कम से कम 40 मकानों को क्षति पहुंची है और 14 तो ध्वस्त हो गए हैं। क्योंकि यह घटना सुबह हुई थी इसलिए लोग जल्दी से बाहर निकल आए थे, अन्यथा अनेकों हताहत होते और एक गम्भीर दुर्घटना हो जाती। सैकड़ों की संख्या में लोग जिनमें से अधिकांश अल्पसंख्यक वर्ग के और हरिजन हैं बेघर हो गए हैं और अब वे लोग किसी पुनर्वास व्यवस्था और देखभाल के अभाव में सड़कों पर पड़े हैं, जिससे एक गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, जो इन कोयला खानों की मालिक है, और खान सुरक्षा के महानिदेशक, जो इनकी सुरक्षा के पहलुओं की देख-रेख करते हैं, दोनों ने इस दुर्घटना पर अपना आश्चर्य प्रकट किया है। जबकि उनकी आधिकारिक रिपोर्ट में कोयला संस्तर में भूमिगत आग के झरिया नगर के बीचोंबीच पहुंच जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

सोमवार की सुबह हुई इस दुर्घटना से नगर में आतंक और दहशत फैल गई है। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड पहले ही इसके नीचे से बढ़िया कोकिंग कोयला निकालने के उद्देश्य से झरिया नगर को खाली कराने की बात कर रही थी, और कुछ क्षेत्र के धंस जाने की इस घटना के कारण यह संदेह पैदा हो गया है कि क्या भा० को० को० लि० ने झरिया नगर को खाली कराने के लिए जानबूझ कर यह तरीका अपनाया है क्योंकि ऐसा समाचार मिला है कि यह धंसन गलत तरीके से कोयला निकालने के कारण हुई है, जिससे भूमिगत आग नियंत्रण में आने की बजाय और फैल गई। सरकार को धंसने की इस दुर्घटना की अवश्य ही जांच करानी चाहिए और जिनके मकान ढह गए हैं उनकी क्षतिपूर्ति करनी चाहिए और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि इस भूमिगत आग के कारण सम्पूर्ण झरिया नगर असुरक्षित हो गया है, तो पुनर्वास की पूर्ण व्यवस्था सहित नगर को स्थानान्तरित किए जाने की सुव्यवस्थित रूप से व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे किसी भी समय आ सकने वाली महाविपत्ति को, जिससे हजारों लोगों की जान जाने का खतरा है, टाला जा सके।

(चार) दिल्ली में बवाना गांव के हरिजनों को आबंटित भूमि का कब्जा दिलाने की आवश्यकता

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : दिल्ली के देहाती क्षेत्र में बवाना नाम का एक छोटा-सा ग्राम है जहाँ काफी सख्या में भूमिहीन जाटव भाई रहते हैं। 8 फरवरी, 1981 को दिल्ली के उपराज्यपाल ने बनाना के भूमिहीन हरिजनों को मकान बनाने के लिए 120 वर्ग गज के प्लाटों का आवंटन किया था। इस आवंटन के बदले में भूमिहीनों से 5 पैसे प्रति वर्ग गज वार्षिक पट्टे के आधार पर 55 रुपया भी वसूल किया गया और लोगों को उसकी रसीदें भी दी गई।

यह बहुत आश्चर्य तथा खेद का विषय है कि जिन हरिजनों को भूमि के पट्टे दिये गये थे उन्हें अभी तक कब्जा नहीं मिला है। एक पंचायत मेम्बर ने अवश्य ही अपने परिवार के सदस्यों के नाम काफी जमीन कर ली है और उन्हें जमीन का कब्जा भी मिल चुका है। इस पंचायत सदस्य के प्रभाव से गांव की फालतू जमीन एक ही परिवार के सदस्यों के उपयोग में आ रही है। यहाँ तक कि हरिजन भाइयों के श्मशान को भी साजिश करके बेच दिया गया है। गांव की फालतू जमीन पर नाजायज कब्जा करके उस पर ईंटों के भट्टे लगा दिये गये हैं।

मेरी मांग है कि बवाना गांव में भूमि वितरण के नाम पर हरिजन भाइयों के साथ जो मखौल किया गया है उसकी उच्च स्तरीय जांच की जाय। जिन हरिजनों को भूमि का आवंटन किया गया और जिनसे रुपये भी वसूल किये गये उन्हें अविलम्ब भूमि का कब्जा दिया जाय। गांव में इस अन्याय के विरुद्ध बड़ा रोष व्याप्त है। यदि शीघ्र कार्यवाही नहीं की गई तो स्थिति और भी बिगड़ सकती हैं।

(पांच) भीलवाड़ा, राजस्थान में अकाल राहत कार्यों में लगे हुए मजदूरों की कथित छंटनी

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा (राजस्थान) जिले की आबादी 12·50 लाख है और 3-4 साल से भयंकर अकाल से ग्रस्त है। पिछले साल भी इस जिले में अकाल था तब एक लाख से ज्यादा लोग अकाल राहत पर लगे हुए थे। इस वर्ष भी करीब 70 हजार लोग तारीख 14·3·82 तक अकाल राहत पर लगे हुए थे।

अकाल राहत प्रोग्राम के अधीन लोगों को काम दिया जाता है। लेकिन हाल ही में 15 हजार लोगों को काम से छुट्टी दे दी गई है, जिससे कि भूख से पीड़ित लोगों की पीड़ा में और भी अधिक वृद्धि हो गई है। वह काम की तलाश में इधर से उधर मारे-मारे फिर रहे हैं। इस भयंकर महंगाई के समय काम से अलग करना गरीब के साथ भयंकर अन्याय है। गरीबी की सतह से नीचे तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित

जन जाति के लोगों को ऐसे भयंकर अकाल के समय में काम से अलग करना गरीब के प्रति अन्याय के सिवाय कुछ नहीं कहा जा सकता।

सस्ते अनाज की भी उचित व्यवस्था नहीं, न पीने के पानी की व्यवस्था है कुछ क्षेत्रों में जहां प्रभावशाली लोग हैं वहाँ जरूरत से ज्यादा सामान जुटा दिए गए और बकाया सारे क्षेत्र में पीने के पानी का भारी अभाव है और ज्यों-ज्यों गर्मी का मौसम आएगा त्यों-त्यों पीने के पानी की भयंकर समस्या उत्पन्न हो ज'एगी। समय रहते पीने के पानी की व्यवस्था न की गई तो भयंकर स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।

अंत में मैं भारत सरकार के कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करता हूं कि राजस्थान की सरकार व जिलाधीश भीलवाड़ा ने जिन 15 हजार मजदूरों को कम किया है, उनको तुरंत काम पर वापस लगाया जाए व अनाज व पीने के पानी की व्यवस्था की जाए। जिन सरकारी अधिकारियों ने यह अन्याय किया है उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए।

(छह) उत्तर प्रदेश के कतिपय पूर्वी जिलों में बाढ़ रोकने के लिए स्थायी उपाय करने की आवश्यकता

श्री महाबीर प्रसाद (बांसगांव) : अध्यक्ष महोदय,

मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सिंचाई मंत्री का ध्यान एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी करनाली (मालूबाग) योजना की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमन् पूर्वी उत्तरप्रदेश के वे 16 जिले जो घाघरा एव राप्ती नदियों की चपेट में प्रत्येक वर्ष आते रहते हैं और प्रत्येक वर्ष प्रांतीय एवं केन्द्रीय सरकार करोड़ों रुपए धन-जन की रक्षा एवं भवनों की मरम्मत हेतु व्यय करती है। किन्तु इससे अस्थायी रूप से कुछ क्षणिक मदद मिल जाती है। ये सारी आपदाएं नेपाल से बहने वाली विशेषकर घाघरा एवं राप्ती नदियों द्वारा आती रहती हैं। वैसे मेरा निर्वाचन क्षेत्र बांसगांव जो सदियों से पिछड़ा हुआ बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है, जिसके मध्य से राप्ती एवं घाघरा नदी अपनी तीव्र गति से बहती हुई प्रत्येक वर्ष बाढ़ से धन-जन को नुकसान पहुंचाती है।

मान्यवर, यदि इस पर केन्द्रीय सरकार अविलंब स्थायी रूप से विचार-विमर्श करके आवश्यक कार्यवाही नहीं करती है तो उत्तरप्रदेश के वे सभी 16 जिले सदैव बर्बाद होते रहेंगे और करोड़ों रुपए नदियों के प्रवाह में बहते रहेंगे। इस सम्बन्ध में जनवरी सन् 1977 में तत्कालीन विदेश मंत्री श्री यशवंत राव चव्हाण ने नेपाल की यात्रा से वापस आने पर नई दिल्ली में अपने बयान में निम्न वाक्यों को प्रदर्शित किया था "मैं इस बात का खास तौर पर उल्लेख करना चाहूंगा कि दोनों पक्षों ने वर्तमान प्रबंध व्यवस्था के अंतर्गत करनाली परियोजना पर कार्य जारी रखना स्वीकार कर लिया है और पंचेश्वर बांध परियोजना

और राप्ती बाढ़ नियंत्रण परियोजना की संयुक्त जांच-पड़ताल का काम जितनी जल्दी हो सकेगा, शुरू किया जाएगा।"

मान्यवर, इसी संदर्भ में 5 मार्च, 1979 को एक प्रश्न के जवाब में तत्कालीन कृषि और सिंचाई मंत्री श्री सुरजीत सिंह बरनाला ने भी कहा कि "भारत और नेपाल राप्ती तथा पंचेश्वर परियोजनाओं के सम्बन्ध में संयुक्त अन्वेषणों को आरंभ करने और करनाली परियोजना के बारे में प्राथमिक मामलों की जांच करने के लिए एक संयुक्त भारत-नेपाल समिति पहले ही स्थापित हो गई है, पंचेश्वर परियोजना का अन्वेषण करने के लिए एक संयुक्त विशेषज्ञ दल भी गठित कर दिया गया है और राप्ती (मालूबांग) परियोजना के अन्वेषण से संबंधित कार्य एक एजेंसी को सौंपने के बारे में नेपाल सरकार के साथ समझौते किए जा रहे हैं।

श्रीमन्, उक्त दोनों सरकारों के प्रयत्नों के बाद भी आज तक कोई विशेष प्रगति नजर नहीं आ रही है और मेरे निर्वाचन क्षेत्र सहित सभी पूर्वांचल के जिले बाढ़ से बर्बाद होते जा रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि भारत सरकार और नेपाल सरकार उक्त योजनाओं पर अविलंब विचार करके कार्य शुरू कर दे तो बाढ़ नियंत्रण सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन में दोनों देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ जाएंगे।

अतः आपके माध्यम से केन्द्रीय सिंचाई मंत्री महोदय से नम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि उत्तरप्रदेश के पूर्वी जिलों को बाढ़ के प्रकोप से स्थायी रूप से बचाने के लिए अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही करें तथा पूर्वांचल के लोगों की रक्षा करें।

केरल और असम राज्यों के संबंध में उद्घोषणा सम्बन्धी सांविधिक संकल्पों के बारे में

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रणव मुखर्जी।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : मैं व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा होता हूं। इससे पहले कि मैंने जो कुछ आपको लिखा है उसके विषय में कहूं, उस पर मैं अलग से बोलूंगा, मैं कार्य सूची के बारे में, नियम 31 के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा हुआ हूं। अब हम गृह मंत्री द्वारा पेश किये जाने वाले केरल और बाद में असम के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा सम्बन्धी सांविधिक संकल्प की स्वीकृति या अस्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा करेंगे—'स्वीकृति या अस्वीकृति' शब्दों पर मैं जोर देना चाहता हूं।

यह सदन बजट की समग्र प्रक्रिया में कैसे अन्तर्ग्रस्त हो गया ? केवल इसलिए कि यह राष्ट्रपति की उद्घोषणा है। हमें कुछ शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं क्योंकि राष्ट्रपति

महोदय ने अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उद्घोषणा जारी की है और अनुच्छेद 356 (3) में कहा गया है कि कानून बनाने की शक्तियों का प्रयोग संसद के प्राधिकार के तहत किया जाएगा इसलिए हम सब इस समग्र प्रक्रिया से सम्बन्धित हो जाते हैं। अब, इसे यह शक्ति राष्ट्रपति की उद्घोषणा के कारण ही प्राप्त हुई है मैं यह कहूंगा कि यह संसद पर, संसद के दोनों सदनों पर निर्भर है कि इसे स्वीकार करें या अस्वीकार करें। इसलिए, जब हम इसे स्वीकार या अस्वीकार करने की प्रक्रिया पर आते हैं, तो उसे पहले लिया जाना चाहिए और नियम को निलंबित करने सम्बन्धी सम्भावित प्रस्ताव को बाद में लिया जाना चाहिए। इसलिए, मैं बता रहा हूं कि इसे कार्य सूची में, प्रथम वरीयता, मद सं० 1, के रूप में गत्ती से रखा गया था क्योंकि यह प्रश्न तभी उठता है यदि यह स्वीकृत या अस्वीकृत हो जाता हैं। इसलिए, सांविधिक संकल्प को वरीयता मिलती है और यह सदन के निर्णय पर निर्भर है कि वह इसे स्वीकृत करें या अस्वीकृत। अस्वीकृत होने पर हमें अन्य कार्यवाही में उलझने की जरूरत नहीं है। हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं इसके वास्तविक पहलु की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, सिद्धान्त बहुत महत्वपूर्ण हैं और प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं कहता हूं कि यह प्रस्ताव, सांविधिक प्रस्ताव की स्वीकृति के प्रस्ताव पेश होने और इसका विरोध होने के बाद ही पेश किया जा सकता है। यह पहले आ ही नहीं सकता। यदि यह पहले आता है, तो यह इसे अनिवार्य रूप से संभावित प्रस्ताव हो जाता है।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मैंने आपको लिखा है कि मैं नियम के निलम्बित किए जाने का विरोध करूंगा। परन्तु इससे पहले कि मैं इस प्रश्न पर आऊं, मैं, मेरे मित्र, श्री उन्नीकृष्णन द्वारा उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न का समर्थन करूंगा। मेरे विचार से जो प्रस्ताव सदन के समक्ष है आपको उस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। संसद ने केरल में राष्ट्रपति शासन को स्वीकृति या अस्वीकृति नहीं दी है। और उससे पहले यह प्रस्ताव हमारे सामने है कि हम चर्चा करने के लिए सदन को केरल के बजट और इस उद्घोषणा से छूट देने के लिए नियम निलम्बित कर रहे हैं।

श्री अटल विहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : वित्त मंत्री को अवसर के लिए।

श्री चन्द्रजीत यादव : यह एक गम्भीर उदाहरण हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें बहुत थोड़ा समय चाहिए।

श्री चन्द्रजीत यादव : इसका अभिप्राय यह है कि संसद को अपनी ही कार्यसूची के बारे में बहुत सावधान होना होगा कि अब जब कि हम किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की स्वीकृति या अस्वीकृति जैसे महत्वपूर्ण कार्य पर चर्चा शुरू करने वाले हैं, जिस राज्य में राज्य की सरकार लोकतांत्रिक ढंग से कार्य करने में असफल हो गई है और ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो गई हैं कि राज्यपाल ने विधान सभा को भंग करने की सिफारिश की

है । ऐसे मामले पर, जब तक हमें इसे स्वीकृति नहीं देते --पता नहीं कि सदन इसे स्वीकृत करेगा या अस्वीकृत करेगा—आप पहले से ऐसा नहीं मान सकते कि संसद में इसकी अनुमति मिल ही जाएगी जैसा कि सत्तारूढ़ दल ने अपने बहुमत के आधार पर पहले से ऐसी कल्पना की है कि राष्ट्रपति शासन की स्वीकृति मिल जाएगी और इसलिए वित्त मंत्री यह प्रस्ताव लेकर आए हैं । इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि आप इस प्रश्न पर विचार-विमर्श करें ।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मेरा अनुरोध है कि राष्ट्रपति की उद्घोषणा पर संसद की स्वीकृति या अस्वीकृति के प्रश्न का बजट और लेखा अनुदान की मांगों से कोई संबंध नहीं है ।

मैं सांवैधानिक रूप से इसका स्पष्टीकरण करूंगा । राज्यपाल ने केरल विधान सभा भंग कर दी अब, मान लो, हम पहले राष्ट्रपति की उद्घोषणा और उससे संबंधित संकल्प लेते हैं । यह भी मान लिया जाये कि यह सभा राष्ट्रपति की उद्घोषणा स्वीकार करने वाले प्रस्ताव को रद्द कर देता है, उस स्थिति में भी, कोई यह नहीं कह सकता कि लेखा अनुदान इस सदन द्वारा पास नहीं किए जा सकते क्योंकि राष्ट्रपति शासन की स्वीकृति न मिलने से भी केरल की विधान सभा को पुनर्जीवित नहीं बहाल किया जा सकता । वह तो भंग रहनी ही है । विधान सभा तो नए चुनावों के बाद ही जीवित हो सकती है । अतएव, आज यदि सदन राष्ट्रपति की उद्घोषणा को अस्वीकृत कर देता है, तो इससे सरकार की निंदा हो सकती है, परन्तु केरल की विधान सभा को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता । इसलिए, जहां तक केरल के बजट का सम्बन्ध है, और लेखा अनुदानों का सम्बन्ध है, उन पर केवल इसी सदन द्वारा विचार किया जाना है और स्वीकृति दी जानी है ताकि सरकार चलती रहे । इसलिए, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं और इन पर वरीयता के किसी भी क्रम में चर्चा की जा सकती है ।

श्री राम जेठमलानी (बम्बई दक्षिण) : मैं अपने मित्र श्री उन्नीकृष्णन की हर बात का समर्थन करता हूं । परन्तु मैं दो अतिरिक्त महत्वपूर्ण मुद्दे उठाऊंगा ।

सर्वप्रथम, राज्यपाल द्वारा 17 मार्च को अनुच्छेद 174 के अन्तर्गत केरल की विधान सभा भंग कर दी गई । राज्यपाल ने तब राष्ट्रपति को सूचित किया कि सरकार को संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता था और उसके बाद राष्ट्रपति महोदय ने अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी करने का कदम उठाया । अब, इसी प्रकार की स्थिति राष्ट्रमण्डल के एक देश में पैदा हो गई है । और प्रिवी कौंसिल को सांवैधानिक विरूपता पर हावी होने का मौका मिला । वह विरूपता यह है कि राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है कि केरल विधान मण्डल की शक्तियों का प्रयोग भी संसद द्वारा किया जाएगा । केरल विधान सभा के भंग होने बाद केरल विधान सभा की क्या शक्तियां थी ? विधान सभा को उद्घोषणा जारी करने से पहले ही भंग कर दिया गया । कानून की दृष्टि विधान

सभा के पास कोई शक्तियां नहीं रहीं। इसका अस्तित्व ही नहीं रहा। इसलिए, इस उद्घोषणा से राष्ट्रपति ने सदन को कौन सी शक्ति हस्तांतरित की है ? वह केवल ऐसी शक्ति हस्तांतरित करने में सफल हुआ जो कानूनी रूप से है ही नहीं। इसे और तरीके से किया जाना चाहिए था। पहले इस आधार पर उद्घोषणा नहीं की जानी चाहिए थी कि विधान सभा भंग कर दी गई है और, अतःएव, इसे संविधान के अनुसार सक्रिय नहीं रखा जा सकता, बल्कि ऐसी उद्घोषणा किसी अन्य आधार पर की जानी चाहिए थी। विधान मण्डल की शक्तियाँ जो शक्तियाँ है ही नहीं, प्राप्त करने के बाद यह संसद किसी कार्य की जाँच करने या कार्य करने, जो केरल विधान मण्डल कर सकता था, के लिए सक्षम नहीं है। उन्होंने अपने आपको सांवैधानिक उलझन में डाल लिया है। मैं अपने माननीय मित्र श्री बनातवाला से सहमत हूं—यद्यपि वे उनका समर्थन कर रहे हैं, मैं उनका इस बात के लिए समर्थन करता हूं कि विधान मण्डल हमेशा के लिए समाप्त हो गया है और अब हमें स्वीकृति या अस्वीकृति की प्रतीक्षा नहीं करनी है।

अध्यक्ष महोदय : हमेशा के लिए नहीं, विधान मण्डल फिर बनना है।

श्री राम जेठमलानी : आपको यह मानना चाहिए कि सब कुछ हो चुका है।

हम नियम 206 के निलम्बन सम्बन्धी संकल्प पर आते हैं। आप अपनी नियमावली का अध्याय 19 देखिए। 206 (2) का राज्य के बजट से कोई मतलब नहीं है। 206 का संबंध केन्द्रीय बजट से है जब वह इस सदन में 204 के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। यदि यह सभा उद्घोषणा के कारण अब केरल विधान मण्डल का कार्य कर रही है, तो मैं अपनी पहली दलील के बिना भेदभाव के यह मानता हूं कि इसकी कुछ शक्तियां हैं, तो आपको निलम्बित करना है केरल विधान सभा का इसी प्रकार का नियम बशर्ते केरल के नियमों द्वारा की निलम्बन ऐसी शक्ति प्रदत्त की गई हो।

अध्याय 19 को देखिये (व्यवधान) यह कोई मजाक नहीं। मेरे मित्र इसे मजाक कहेंगे क्योंकि गृह मंत्री ने कहा है कि वे किसी बात के गुणावगुणों पर विश्वास नहीं करते, परन्तु वे इस तथ्य पर विश्वास करते हैं कि उनका बहुमत विवेकहीन लोगों का बहुमत है, जो उनका हर तरह से समर्थन करेंगे। कल, उन्होंने हमें बताया था।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : अब वे बहस कर रहे हैं जैसे वे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कर रहे हों।

श्री राम जेठमलानी : मैं इसे सर्वोच्च न्यायालय मानता हूं। क्या आपको इस पर कोई आपत्ति है ? (व्यवधान)

नियम 204 देखें। इसमें कहा गया है:

"भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण या अनुमानित प्रतियों और व्यय का विवरण···"

अध्यक्ष महोदय : अभी-अभी आप नियम-19 का उल्लेख कर रहे हैं।

श्री राम जेठमलानी : मैं अध्याय 19 का जिक्र कर रहा हूं। अध्याय 19 नियम 204 से शुरू होता है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : महोदय, पहले उन्हें कार्य सूची को निपटाने दीजिए। तब हम इस मामले के गुणावगुणों को लेंगे।

श्री राम जेठमलानी : यह भारत सरकार के सामान्य बजट के बारे में है। और नियम 206 (2), नियम 206 (1) की तरह और इस सारे अध्याय में समान अन्य नियम केन्द्रीय सरकार के बजट के बारे में हैं। अब, वे इस विशेष परिस्थिति से निपटने के लिए नहीं बनाये हैं जो इसलिए पैदा हुई कि केरल विधान मण्डल की शक्तियों का प्रयोग एक उद्घोषणा के कारण संसद द्वारा किया जाना है जिसे अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया है। श्री उन्नीकृष्णन की दलील के आधार पर, और इस आधार पर कि उद्घोषणा स्वीकृति हो गई है, तो भी आपको वही नियम निवलम्बित करना है जिसके अंतर्गत केरल विधान मंण्डल ने कार्य किया होता क्योंकि संसद केरल विधान मण्डल की शक्तियों का प्रयोग कर रहा है।

श्री जेवियर अराकल (एर्णाकुलम) : क्या यह वहाँ अस्तित्व में है ?

श्री राम जेठमलानी : यह दो कानूनी मुद्दे हैं। अब मैं उस तथ्य पर बात करता हूं, जिसके आधार पर भी हमें इस प्रस्ताव का विरोध करने का अधिकार है और मैं अपनी दलीलों को दोहराना नहीं चाहता हूं। आखिरकार, प्रजातन्त्र में यह व्यवस्था है कि संसद का बजट पर सम्पूर्ण वित्तीय नियंत्रण होना चाहिए। व्यय पर वैधानिक नियंत्रण आवश्यक है। इसलिए नियम 206 में इस बात की व्यवस्था है कि संसद और विधायिका के पास प्रत्येक मद के संबंध में स्पष्ट स्थिति होनी चाहिए जिसके लिए कर दाताओं के धन पर स्वीकृति देने के लिए कहा जा रहा है। हम यहां पर व्यस्त धन की बात कर रहे हैं न कि श्री प्रणव मुखर्जी अथवा श्री जैल सिंह के धन की बात कर रहे हैं। यह वह धन है जो हमारे पर न्यास के रूप में पड़ा है और जब तक हमें उस धन पर मतदान करते समय यह पता न हो कि वह धन किस पर व्यय किया जा रहा है, तो यह लोगों के साथ विश्वासघात होगा और यदि आप वित्तीय व्यय पर प्रजातांत्रिक नियंत्रण कम कर देते हैं तो मेरे विचार से लोकतंत्र को भारी नुकसान पहुंचेगा।

मैं उर्दू शायरी नहीं करता हूं। मैं इसे पसन्द करता हूं और जैलसिंह जी से सुनना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं···

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं उनसे अनुरोध करूं ?

श्री राम जेठमलानी : यहाँ पर बोलते हुए उनकी ओर देख रहा था···

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : अब वे हिटलर पर कविता रचेंगे ।

श्री राम जेठमलानी : मैंने अभी अभी उनकी ओर देखते हुए एक छोटी सी कविता लिखी है । मैं इसे उनको सुनाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : कुछ तो असर हुआ है ?

श्री राम जेठमलानी : बहुत अच्छा असर हुआ है । मैं उर्दू का शायर नहीं हूं । मेरी पहली रचना में कोई त्रुटि हो तो क्षमा करेंगे ।

सारे जहाँ से न्यारा, है जैल सिंह हमारा

लोकशाही का बलातकर्म, देखते सोचते नहीं सुधारा

अध्यक्ष महोदय : यह कुछ समझ में नहीं आया । यह तो तेली रे तेली तेरे सिर पर कोल्हू वाली बात हो गई ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : महोदय पहले प्रश्नों की कार्यसूची निपटाईए । उसके पश्चात् हम तथ्य की बात करेंगे । तब हम प्रस्ताव के सारांश पर अधिक प्रकाश डाल सकने की स्थिति में होंगे ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : महोदय, मैं व्यवस्था के प्रश्न की बात कर रहा हूं । मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मैं इस सम्बन्ध में श्री उन्नीकृष्णन का समर्थन करता हूं । सर्वप्रथम कार्य सूची में केरल पर उद्घोषणा पर स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के विषय पर विचार किया जाना चाहिए और नियम के निलम्बन पर उसके पश्चात विचार किया जाना चाहिए । यह कार्य सूची ठीक नहीं है । इसलिए मैं श्री चरनजीत यादव का भी समर्थन करता हूं कि यह कार्य अनियमित है । सर्वप्रथम आप कार्य सूची में सुधार कीजिए उसके पश्चात हम इस पर विचार करेंगे । यह व्यवस्था का प्रश्न है । मैं यह कहता हूं कि आप अभी सदन की बैठक को स्थगित कर दें, कार्य सूची में सुधार करके इसे सदस्यों में वितरित करें और उसके पश्चात् हम इस विषय पर विचार करेंगे । यह मेरा विचार है ।

श्री जगन्नाथ राव (बरहामपुर) : मेरे विचार से विपक्ष द्वारा उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न में कोई सार नहीं है । 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति की उद्घोषणा 2 मास तक प्रभावी रहती है बशर्ते उसे 2 मास से पहले सदन की सहमति प्राप्त न हो, जिसके प्राप्त होने पर वह 6 मास तक प्रभावी रहती है । राष्ट्रपति की उद्घोषणा प्रभावी है । इसलिए, वित्त मन्त्री को बजट प्रस्तुत करने का पूरा अधिकार है यह, सहमति के संकल्प के पारित होने से पूर्व अदला-बदली का प्रश्न ही नहीं है ।

जब संसद ने राष्ट्रपति की उद्घोषणा के आधार पर केरल के सम्बन्ध में अपना

निर्णय लिया है, नियम 204, 206 भी आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होता है। इसलिए उनकी आपत्ति वैध नहीं है।

प्रो० रूपचन पाल (हुगली) : जैसाकि आप जानते हैं, कि कुछ तिकड़मबाजी के कारण आसाम और केरल सहित हमारे देश के विभिन्न भागों में उत्पन्न होने वाले संवैधानिक संकट के सम्बन्ध में हमने कई बार आपसे बात की। आपने हमें इन सभी बातों पर विचार-विमर्श करने का अवसर नहीं दिया। आपने हमेशा यही कहा कि इस पर बाद में विचार किया जा सकता है। अब एक अवसर आया है। किन्तु कार्य सूची को इस प्रकार से रखा गया है कि इसे पहले से सम्पन्न मान लिया गया है और उद्घोषणा पर अपनी सहमति अथवा असहमति प्रकट किए बिना ही हम बजट पर विचार करने जा रहे हैं। नियमों के अनुसार यह अत्यन्त अनियमित कार्य है और मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाए और संशोधित कार्य सूची लाई जाए। इस प्रश्न पर हमें अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिलना चाहिए।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मदेलीकारा) : श्री उन्नीकृष्णन के व्यवस्था के प्रश्न के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति की उद्घोषणा का जो भी परिणाम हो— उसे सहमति मिले अथवा असहमति और मान लो यह रद्द हो जाता है तो भी केरल के बजट पर इस सदन द्वारा कार्रवाई करनी ही होगी क्योंकि केरल की विधान सभा अस्तित्व में नहीं है। यह कार्य पहले से ही सम्पन्न कार्य है।

प्रो० रूपचन्द पाल : यह किस प्रकार हो सकता है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : यह अस्तित्व में नहीं है। आप इस कार्रवाई पर असहमति कैसे प्रकट कर सकते हैं। यदि इस पर असहमति भी प्रकट की जाती है तो भी यह एक अलग बात है। (व्यवधान)। कृपा करके मेरी बात सब्र के साथ सुनिए। यदि यह सदन राष्ट्रपति की कार्रवाई से सहमत नहीं भी हो तो भी केरल विधान सभा भंग हो चुकी है और लोक सभा अस्तित्व में है। इसलिए हमें केरल के बजट पर कार्रवाई करनी है। राष्ट्रपति की उद्घोषणा पर निर्णय के सम्बन्ध में जो भी परिणाम सामने आए। यह कार्य तो करना ही होगा। इसलिए इन दोनों के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है। कोई भी पहले अथवा बाद में हो सकता। यदि यह अन्य प्रकार से भी हो जैसा कि श्री उन्नीकृष्णन ने कहा है तो भी उस परिणाम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा (व्यवधान)

इसलिए पुनः व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे क्या फर्क पड़ता है ? इससे कोई बड़ा अन्तर नहीं पड़ेगा (व्यवधान)। यदि आप कहते हैं कि सदन राष्ट्रपति की उद्घोषणा पर असहमति प्रकट करता है, तो क्या हुआ ? उद्घोषणा समाप्त हो जाएगी, किन्तु संसद फिर भी रहेगी।

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : यदि मुझे अनुमति दी जाए तो मैं दो बातें कहना चाहता हूं। एक बात तो यह है कि क्या दोनों सदनों द्वारा उद्घोषणा पर सहमति दिए जाने से पूर्व, जहां तक केरल और आसाम के बजट पास करने का सम्बन्ध है हम अन्य वैधानिक कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न जो उठाया गया है वह यह है कि क्या केरल के बजट से सम्बन्धित नियम 206 (2) की कोई संगति है।

महोदय, काश, श्री राम जेठमलानी 1975 में इस सदन में होते तो शायद मुझे उनकी दलील से सहायता मिलती क्योंकि इसी प्रकार की स्थिति नागालैन्ड के बजट को प्रस्तुत करते समय इसी प्रकार की समस्या उठ खड़ी हुई थी।

श्री राम जेठमलानी : क्या आप इससे बेहतर कोई पूर्व उदाहरण नहीं दे सकते ?

श्री प्रणब मुखर्जी : क्योंकि इस पर विस्तृत चर्चा हुई थी। मैं उस बात पर भी आ रहा हूं। श्री उन्नीकृष्णन भी उस मौके पर उपस्थित थे। मेरे विचार से 25 मार्च, 1975 को इस प्रकार की स्थिति उठ खड़ी हुई। प्रश्न यह था कि जब एक राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो क्या उस राज्य के सभी वित्तीय नियम रद्द माने जाते हैं और उस राज्य विशेष के वित्तीय मामलों के सम्बन्ध में कार्रवाई करते समय इस सदन के वित्तीय नियम लागू होते हैं।

जहां तक मैं समझता हूं यह सचिवालय आपकी सहायता कर सकता है। अध्यक्ष का निर्णय बिल्कुल स्पष्ट है। और विशेषकर जिस मामले का मैं उल्लेख कर रहा हूं वह नागालैण्ड के बजट के सम्बन्ध में 25 मार्च, 1975 को श्री ईरा सेझियन ने उठाया था। **कौल और शकधर** की पुस्तक में इसका उल्लेख किया गया है और उसमें वह तारीख विशेष दी गई है। हमने नियमों को निलम्बित करने के लिए अनुमति ली थी। श्री स्वैल पीठासीन थे। हमने इस पर चर्चा की थी। मैं कानूनी तकनीकियों में नहीं पड़ रहा हूं बल्कि व्यवहारिक कठिनाइयों का उल्लेख कर रहा हूं। इस बार हमें कुछ अधिक समय मिला है। जब मार्च के महीने में नागालैंड में 24 मार्च को सरकार गिरी और बजट 31 मार्च से पूर्व पास किया जाना था। अन्यथा, वास्तव में बड़ी कठिनाई हो जाती। इसलिए केवल इसी काम के लिए रविवार को बैठक हो रही है।

प्रो० सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : रविवार को नहीं, शनिवार को।

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं नहीं जानता कि हम रविवार तक खींच सकेंगे। इसलिए, शनिवार को बैठक हो रही है। मैं व्यवहारिक कठिनाइयों का उल्लेख कर रहा था। जब हमें कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना होता है तो वह हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में प्रस्तुत करना होता है। प्रत्येक राज्य अपना दस्तावेज अंग्रेजी और अपनी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत करती है। केरल की विस्तृत मांगें लगभग 900 पृष्ठ में फैली हैं। इसलिए, मेरे लिए यह संभव

नहीं था कि मैं प्रत्येक मद और उप-मद का मलयालम से अंग्रेजी में अनुवाद कर सकूं और इस दस्तावेज को सही प्रकार से प्रस्तुत कर सकूं ।

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन : अंग्रेजी प्रति का क्या हुआ ?

श्री प्रणब मुखर्जी : उस सम्बन्ध में मुझे कोई आपत्ति नहीं है । यदि मैं आपको अभी अंग्रेजी प्रतिलिपी दे दूं—और वास्तव में हमने 1975 में अंग्रेजी प्रतिलिपी ही दी थी । किन्तु मुझे बताया गया "कि आपको अंग्रेजी और हिन्दी दोनों की ही प्रतिलिपी टाईप अथवा साईक्लोस्टाईल करवा के देनी होगी । इसलिए मैंने अनुमति मांगी । मैं केवल स्पष्ट कर रहा हूं ।

श्री चन्द्रजीत यादव : आप वह भी नहीं दे रहे हैं ।

श्री प्रणव मुखर्जी : जी, नहीं । हम अंग्रेजी और हिन्दी दे रहे हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव : ब्यौरे के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री प्रणव मुखर्जी : निसन्देह, हम ब्यौरा नहीं दे रहे हैं । इसीलिए हमने अध्यक्ष महोदय की अनुमति मांगी । 1975 में, पिछले मौके पर अनुमति दी गई थी । यदि यह दी जाती है तो हमें आसानी होगी और यह आसाम और केरल दो राज्यों से सम्बन्धित है । और, महोदय, हमारे पास बजट पास करने में अलावा कोई चारा नहीं है । असली कठिनाई यही है और इसका पिछला उदाहरण भी है ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : यह सब जान-बूझकर किया गया है ।

श्री प्रणव मुखर्जी : जहाँ तक श्री राम जेठमलानी द्वारा उठाए गए कानूनी मुद्दे का सम्बन्ध है मेरे विचार से वह अध्यक्ष महोदय की हिदायत से स्पष्ट हो चुका है । जहां तक हमारा सम्बन्ध है यह समस्या नई सेवाओं के सम्बन्ध में आती है । हमारे पास इसकी व्याख्या है ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : कार्य सूची ।

श्री प्रणव मुखर्जी । मैं कार्य सूची के बारे में चर्चा करने नहीं जा रहा । कृपया समझने की कोशिश कीजिए । हमारे पास अलग-अलग व्याख्याए हैं । जहाँ तक विभिन्न राज्य सरकारों का सम्बन्ध है उनके पास नई सेवाओं के लिए विभिन्न व्याख्याएं है । जब हम किसी नई सेवा के लिए अनुदानों की पूरक मांगों को लेते हैं तो विवादग्रस्त स्थिति उठ खड़ी होती है कि किस व्याख्या को अपनाया जाए । इसलिए, 1975 में काफी कठिनाई हुई । मैं समझता हूं—इस बार भी उसी प्रकार का मामला है । मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में स्पष्ट निदेश दें ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसको देखा है । जब कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई आप भी वहाँ उपस्थित थे ।

श्री के० पी० उन्नी कृष्णन : मैंने कार्य सूची को ध्यान से नहीं देखा है। महोदय मैं इससे अनभिज्ञ हूं। हमने केवल समय के आवंटन के संबंध में ही चर्चा की थी।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास संविधान मैन्युअल है। मेरे पास कई उदाहरण हैं अर्थात् राजस्थान, उड़ीसा···(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यदि राष्ट्रपति की उद्घोषणा को पहले सदन द्वारा अनुमोदित किया जाए और बजट पर बाद में बहस की जाए।

अध्यक्ष महोदय : पहले नियम 206 के उप-नियम (2) के उल्लंघन का मामला है; उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह सांविधिक संकल्प प्रस्तुत करेंगे और तब केरल बजट की चर्चा होगी।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : आप खिचड़ी जैसी बनाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कभी-कभी खिचड़ी भी पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। अब हम इस पर कार्य मंत्रणा समिति में भी बहस की है और तदनुसार मैंने ऐसा किया है। मैंने पूर्वनिर्णय भी देख लिए हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : इस पर बहस नहीं हुई। सदन में कार्य मंत्रणा समिति में जो कुछ घटित हुआ मैं उस पर बात करना पसंद नहीं करता।

अध्यक्ष महोदय : इस पर बहस हुई थी। हमने सारी बातों पर बहस की, हमने इसके लिए भी समय दिया।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : समय देने की बात ठीक है। आपने मेरी बात को ठीक से समझा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : इसे भी तदनुसार सूची में रखा गया, इससे ऐसी विशेष बात नहीं है। अतः मैं इसे स्वीकार नहीं करता। मेरे पास ऐसे उदाहरण मौजूद है जहाँ उद्घोषणा बाद में हुई और इसमें भी वही हुआ। संविधान नियम पुस्तिका के 216 (बी) के अनुसार ऐसे बहुत से उदाहरण हैं यह उसी आपत्ति के सम्बन्ध में है जिसे आप उठा रहे हैं। ऐसे उदाहरण हैं जहाँ राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत राज्यों के बजट अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति की उद्घोषणा को लोकसभा द्वारा अनुयोजित किये जाने से पहले ही पारित कर दिया गया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरे पास कार्य मंत्रणा समिति का अठाइसवां प्रतिवेदन है। आप इस प्रतिवेदन को देखें। इसका पहला विषय है : राष्ट्रपति को अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव पर बहस।

अध्यक्ष महोदय : इसे इस प्रकार भी सूची में दिखाया गया है। पहले नियम-स्थगन है : उद्घोषणा बाद में आती है और उसके बाद केरल बजट है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नियम-स्थगन क्यों ?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : नियम-स्थगन बाद में होगा।

श्री प्रणब मुखर्जी : बहस साथ-साथ होगी।

अध्यक्ष महोदय : सभी तीन विषय साथ-साथ लिए जाएंगे। श्री प्रणव मुकर्जी प्रस्ताव पेश करेंगे।

लेखानुदानों की मांगें (केरल), १९८२–८३ के सम्बन्ध में नियम २०६ के उप-नियम (२) के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह पेश करना चाहता हूं :—

"कि वित्तीय वर्ष 1982-83 के दौरान केरल सरकार के व्यय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में, यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 206 के उप-नियम (2) के उस भाग को, जो 'प्रत्येक अनुदान के अन्तर्गत मदों में विभाजित विस्तृत अनुमान के विवरण' से सम्बन्ध रखता है, इस सभा द्वारा लेखानुदान स्वीकृत किये जाने के प्रयोजनार्थ निलम्बित करती है।"

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : महोदय, मैं वित्त मन्त्री श्री प्रणव मुकर्जी द्वारा पेश प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

जैसा कि मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं—इस सदन को अनुच्छेद 356 और 357 के अन्तर्गत इस बजट पर कानून बनाने की शक्तियां प्राप्त हैं। वित्तीय प्रक्रिया के सम्बन्ध में अनुच्छेद 113(2) से आगे, संघ और राज्यों दोनों के सम्बन्ध में कुछ सुस्पष्ट संवैधानिक उपबन्ध हैं। संघ के सम्बन्ध में एक सुस्पष्ट अध्याय रखा गया है कि संसद को वित्तीय संचालन किस तरह करना चाहिए। अनुच्छेद 113(2) में यह स्पष्ट निर्देश है कि व्यय सम्बन्धी इन अनुमानों को अनुदान मांगों के रूप में विधान सभा में प्रस्तुत किया जाय।

अब इसी नियम, नियम 206 में यह व्यवस्था है कि विवरण प्रस्तुत किए जाएं। अन्यथा हम किसकी चर्चा कर रहे हैं ? हम कुछ आँकड़ों को ही स्वीकृत या अस्वीकृत करने

जा रहे हैं, जैसा कि केरल के बजट में प्रदर्शित किया गया है, कि पुलिस पर व्यय में 12 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी हो गयी है। नियम 206 का उपनियम (2) में स्पष्ट विवरण दिये गए हैं। अतः सदन स्वयं तभी चर्चा कर सकता है जब विवरण प्रस्तुत किए जाएं। अन्यथा, हम किसकी बहस कर रहे हैं ? अगर इसमें पुलिस कर्मियों के क्वार्टरों आदि या पुलिस कर्मियों के लिए कुछ सुविधाएँ या भत्ते का कोई उपबंध है तो मैं इसे निश्चित रूप से स्वीकार करूगा। परन्तु यदि यह पुलिस बल में वृद्धि के लिये हो, तो मैं इसका विरोध करूंगा।

मैं यह कहता हूं कि जब तक विस्तृत विवरण सदन में प्रस्तुत नहीं किए जाते, सदन न तो उस पर बहस कर सकता है, न उस पर निर्णय ले सकता है। इसलिए मेरा सादर निवेदन है कि वित्त मन्त्री का यह प्रस्ताव वित्तीय मामलों पर, जो संघ और राज्यों दोनों के लिए हैं और इसकी निर्धारित प्रक्रिया पर संसद की शक्ति पर कुठाराघात करता है। संविधान निर्माताओं ने ऐसी स्थिति की कल्पना ही नहीं की, न ही उन्होंने यह कल्पना की होगी कि कुछ कुटिल बुद्धि के लोग इन उपबंधों का अपने सकीर्ण हितों के अनुकूल उपयोग कर सकते हैं। यह इस तरह का बहाना बनाकर बजट प्रस्तुत करने का असाधारण तरीका है चाहे यह लेखानुदान प्राप्त करने के बारे में हो।

मैं नियम 362 के अन्तर्गत बजट प्राक्कलन का दृढ़ विरोध करता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मेरा विचार है कि हमने पहले नियमों का स्थगन किया था क्योंकि कुछ ऐसे अविलम्बनीय विषय थे जिनके कारण नियम-स्थगन परमावश्यक हो गया। नियम बहुत कम मामलों में स्थगित किए जाते हैं। परन्तु यह बिल्कुल अलग मामला है। यह बजट प्राक्कलनों से संबंधित नियम के स्थगन का प्रश्न है। वित्त मन्त्री ने सदन को अभी-अभी सूचित किया है—मेरा तो विश्वास है कि यह कार्य मंत्रणा समिति के ध्यान में भी नहीं लाया गया है—कि केरल और आसाम का बजट प्रस्तुत करने के दिन, वित्त मंत्री इस प्रस्ताव के साथ आऐंगे कि उनके पास अनुदानों और प्राक्कलनों का विवरण तैयार नहीं है अतः वे इस सदन को इस बारे में अंधेरे में रखेंगे कि वे कितना खर्च कर रहे हैं।

मेरा मत है कि संसद या विधान सभा का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह हर पाई-पाई पर नियन्त्रण रखे। मुझे याद है कि लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति में दिए गए अपने भाषण में इस बात पर जोर देकर कहा था कि लोगों की प्रत्येक पाई की संवीक्षा, निहरानी हो और इसे संसद या उसकी समिति द्वारा विस्तृत जाँच की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह उस व्यवस्था पर प्रहार है।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं यह कह रहा हूं, वित्त मन्त्री ने यह कहा कि उनके पास विवरण नहीं हैं।

मैं इस सम्बन्ध में पायली का उद्धरण देना चाहता हूं। उन्होंने अपनी पुस्तक 'इंडियाज कान्स्टीट्यूशन' (भारत का संविधान) में वित्तीय प्रक्रिया के सम्बन्ध में लिखते हुए यह कहा है—

"किसी भी उत्तरदायी शासन-प्रणाली में यह संसद का निर्विवाद अधिकार है।"
और हमारी उत्तरदायी शासन प्रणाली है—संसदीय लोकतन्त्र···

एक माननीय सदस्य : शासन नहीं, एक उत्तरदायी प्रणाली।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं 'प्रणाली' नाम ले रहा हूं और इसलिए सरकार को भी विशेष उत्तरदायित्व की भावना के साथ बर्ताव करना चाहिए क्योंकि स्वयं प्रणाली का केवल यह निश्चित का उत्तरदायित्व नहीं कि सरकारी सहायता बढ़ाई जाए। सम्पूर्ण विश्व का संसदीय इतिहास यह रहा है, कि संसद अपने इस अधिकार के लिए हमेशा लड़ी है कि बिना जनता के प्रतिनिधित्व के, बिना जनता की सहमति और अनुमोदन के एक पाई भी नहीं बढ़ाई जा सकती "बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर-निर्धारण नहीं" यह उस समय बहुत प्रसिद्ध नारा रहा जब लोगों ने अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया था लेकिन यह इसका मात्र एक मंत्र है।

दूसरा महत्व पूर्ण अंग यह है कि यह देश के राजस्व पर सरकार द्वारा खर्च किए गये तरीके पर पूर्ण नियन्त्रण करने से सम्बद्ध है। अब हमें यह पता नहीं है कि सरकार किस तरह खर्च कर रही है क्योंकि अनुदानों और प्राक्कलनों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। उन्होंने आगे कहा है कि राष्ट्रीय वित्त के ठोस प्रशासन के लिए आवश्यक सुरक्षा के लिए संसद की अधीक्षण, संवीक्षा, परिचालन और वित्तीय व्यवस्था निश्चित करने की निर्बाध शक्ति होनी चाहिए।

अब, हम क्या व्यवस्था, संवीक्षा, अधीक्षण और परिचालन करने जा रहे हैं, जब तक इस सदन में विवरण प्रस्तुत नहीं किए जाते ? यही पर्याप्त नहीं कि आप कितनी धन-राशि की स्वीकृति पाते हैं, वरन यह भी जानना चाहिए यह धनराशि कहाँ-कहाँ खर्च की जाएगी, किस तरीके से खर्च की जाएगी। हमारा संविधान सम्पूर्ण विवरण देने के प्रति बहुत सजग रहा है। अतःएव मैं समझता हूं कि यह आपके लिए बहुत बड़ी सेवा होगी अगर आप अभी वित्त मन्त्री को इसकी अनुमति नहीं देंगे और उनसे विवरण लेकर आने के लिए कहेंगे। मुझे पता नहीं है: हम कोई तरीका निकाल सकते हैं, वे लेखानुदान या इस तरह का कुछ प्राप्त कर सकते हैं और वे बाद में सम्पूर्ण बजट सदन में ला सकते हैं।

मेरी आपत्ति केरल और आसाम दोनों के बारे में है क्योंकि दोनों के मामले में समान प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है।

मैं एक बात जानना चाहता हूं। बजट 27 फरवरी को प्रस्तुत किया गया। केरल विधान सभा लगभग 17 मार्च तक बनी रही। उस सरकार को विवरणों की जांच करने का ध्यान रखना चाहिए था। यदि उसने ऐसा नहीं किया तो हम उस पर आक्षेप है कि वह अक्षम सरकार थी, यह उत्तरदायी सरकार नहीं थीं।

अब दो सप्ताह होने को हैं इन दो सप्ताहों में केन्द्र सरकार ने क्या-क्या किया, भारत सरकार के वित्त मंत्री ने क्या किया ? उन्होंने पिछले दस दिनों में विवरणों को देखने और संसद के समक्ष उन विवरणों को प्रस्तुत करने की ओर ध्यान क्यों नहीं दिया ?

दूसरा मुद्दा यह है। वर्तमान संसद भी सभी विवरणों की जांच नहीं करती। संसद की दो महत्वपूर्ण समितियाँ—प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति—संवीक्षा करती है विवरणों की जाँच करती हैं। मैं यह कहूंगा कि उनके द्वारा सम्पूर्ण विवरण प्रस्तुत करने और बजट पारित किए जाने के पश्चात संसदीय समितियों—प्राक्कलन समिति और लोक-लेखा समिति को विवरणों की जाँच करने के लिए कहना चाहिए जैसाकि वे केन्द्रीय बजट की संवीक्षा करती हैं।

इस बारे में किसी को कुछ मालम नहीं कि चुनाव कब होंगे। कम से कम मुझे तो विश्वास है कि असम में अब चुनाव नहीं होंगे। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि आप संसद की लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को निर्देश दें कि वे इन प्रश्नों की जांच करें क्योंकि समस्त अधिकारों का प्रयोग संसद द्वारा किया जा रहा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष जी, मुझे एक निवेदन करना है। वित्त मंत्री महोदय ने कहा कि नियम को स्थगित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि केरल बजट का जो विवरण है, वह हिन्दी में उपलब्ध नहीं करा सकते। वह विवरण अंग्रेजी में उपलब्ध है। अगर विवरण अंग्रेजी में उपलब्ध है, तो उसे सदस्यों में वितरित कर दिया जाए। हम हिन्दी में विवरण उपलब्ध कराने पर जोर नहीं देंगे। आज वित्त मंत्री महोदय को हिन्दी भाषा से बड़ा प्रेम पैदा हो गया है। प्रति दिन मंत्री महोदय आपसे अनुमति मांगते हैं कि वे खाली अंग्रेजी में कागज-पत्र सदन के पटल पर रख रहे हैं और हिन्दी का अनुवाद उपलब्ध नहीं है और आप उन्हें अनुमति भी देते हैं।··· (व्यवधान)···

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : हम को तो हिन्दी का चाहिए न।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं।

अध्यक्ष महोदय : एक व्यवस्था के प्रश्न के अन्दर दूसरा व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। मैं श्री वाजपेयी को अनुमति दे चुका हूं।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं संक्षिप्त सा प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : पहले उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर कठिनाई केवल भाषा की है और अनुवाद में समय लगेगा, तो उस का रास्ता निकाला जा सकता है। जो अंग्रेजी में विवरण उपलब्ध है, उसे आप सदन को मुहय्या करवाइए। हम इस समय अंग्रेजी के अनुवाद पर जोर नहीं देंगे।

अध्यक्ष महोदय, सवाल बजट का है। केरल पुलिस के बारे में खर्चे सदन के सामने रख दिए जाएं लेकिन यह पता नहीं कि यह रुपया किन मदों पर खर्च होगा, कितना रुपया कहां पर खर्च होगा। इन के सम्बन्ध में हमें कुछ कहने का मौका मिलना चाहिए। संसद् के साथ वित्तीय मामलों में इस तरह का व्यवहार नहीं किया जा सकता।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : यह बजट नहीं, हवाला ट्रान्जैक्शन्स हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरा निवेदन है कि इस के पीछे कुछ और कारण हैं। मैं नहीं समझ सकता कि क्या कारण हैं। आखिर केरल सरकार 17 तारीख तक चलती रही, बजट तैयार हो गया था लेकिन इन्होंने जो एक कठिनाई बतलाई है, वह भाषा की कठिनाई है। उसका एक रास्ता मैंने बताया है और हमारे कांग्रेस के मेम्बर जरा हिन्दी के प्रति जरूरत से ज्यादा प्रेम न दिखाएं।

(व्यवधान)

श्री ई० बालानन्दन (मुकुन्दपुरम) : महोदय एक बात···

अध्यक्ष महोदय : आपने अपना नाम नहीं दिया है।

श्री ई० बालानन्दन : केवल एक बात

अध्यक्ष महोदय : आप एक अत्यन्त अनुभवी संसदविद् हैं। आप जानते हैं कि यदि मैं आपको अनुमति देता हूं तो मुझे औरों को भी अनुमति देनी होगी।

श्री ई० बालानन्दन : मैं केवल उनके तर्क का समर्थन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। यदि मैं आपको अनुमति देता हूं तो मुझे औरों को भी अनुमति देनी होगी। इसमें कोई भेदभाव नहीं बरता जा सकता।

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, भाषा के सम्बन्ध में भी श्री वाजपेयी ने यह प्रश्न उठाया था कि हम

अनुदान माँगें कैसे पेश करें। आप दस्तावेज के हिन्दी व अंग्रेजी दोनों संस्करण साथ-साथ रखिए। चाहे आप उन्हें सारांश रूप में रखें अथवा विस्तृत रूप में। इसलिए पद्धति लगभग समान ही है। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी की प्रतियाँ अलग हैं। ये अंग्रेजी और मलयालम भाषाओं में प्रस्तुत की गई थी। यह सम्भव नहीं था···(व्यवधान)

श्री ए० नीलालोहितादसन नाडार (त्रिवेन्द्रम) : आप हमें मलयालम संस्करण की प्रतियां दीजिए।

श्री प्रणव मुखर्जी : मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिये। यह कार्य केरल विधान सभा द्वारा किया गया था···मुझे स्थिति स्पष्ट करने दीजिये। दूसरे प्रकार के दस्तावेजों में हमने ब्यौरे दिए हैं। मैंने केवल इस दस्तावेज के लिए ही यह अनुमति माँगी है। जहाँ तक व्याख्यात्मक ज्ञापन और वार्षिक वित्तीय विवरण का संबंध है, उनमें हमने ब्यौरे दिए हैं। अनुदान माँगों के लिए हमने ब्यौरे इसलिए नहीं दिए क्योंकि यह बहुत बड़ा मुद्दा है। यह बजट बहुत भारी भरकम है और इसलिए हमने इसे इस रूप में प्रस्तुत करने की सोची। राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के बाद, हम पर उत्तरदायित्व आ गया। हमने उनके साथ विचार-विमर्श किया कि इसे कैसे किया जाये। तब पता चला कि 31 मार्च तक इसे पारित करना है। दोनों राज्य सरकारों के बजट पारित किए जाने हैं। इसलिए इस कार्य को 31 मार्च तक पूरा करना सम्भव नहीं था। परन्तु यदि आप चाहते हैं तो जो प्रतियां मुझे प्राप्त हुई हैं, मैं उन्हें ग्रंथालय में रख सकता हूं – सभापटल पर नहीं क्योंकि मुझे हर चीज को अधिप्रमाणित करना होता है···।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नियमों के निलम्बन के लिए मत कहिये।

श्री प्रणव मुखर्जी : नियमों को निलम्बित करना होगा। आपको इस दस्तावेज को अनुमोदन प्रदान करना है। आप कोई केरल बजट को अनुमोदित नहीं कर रहे हैं। यह पूरे वर्ष का बजट है। मैं एक सीमित समय के लिए लेखा अनुदान पेश कर रहा हूं। मैं समूचा बजट पेश नहीं कर रहा हूं और न ही मैं केरल विधान सभा के सभी अधिकारों का प्रयोग कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य केवल सरकार चलाने के लिए खर्च हेतु, अनुमोदन एवं स्वीकृति प्राप्त करना ही है। इसलिए मैं लेखा अनुदान प्रस्तुत कर रहा हूं। आपको इन दस्तावेजों को अनुमोदन प्रदान करना है।

श्री चन्द्रजीत यादव : पहले आपने यह दलील दी थी कि उन्होंने तैयार नहीं किया और केवल मलयालम और अंग्रेजी संस्करण ही हैं। अब वह कहते हैं कि वह एक सीमित अवधि के लिए बजट पेश कर रहे हैं। इसका यह अर्थ है कि इसे तैयार करने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की थी।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : लेखा अनुदान की कुल माँगों के अनुपात में ही

होना चाहिए। जब तक हमें कुल माँगों का नहीं पता हो जाता तब तक हम इसे कैसे पारित कर सकते हैं ?

श्री चन्द्रजीत यादव : मान लो वे पूरक माँगों के लिए इस सभा में आते हैं तो क्या वे पूरा ब्यौरा प्रस्तुत नहीं करेंगे ?

श्री प्रणव मुखर्जी : दुर्भाग्यवश, श्री चन्द्रजीत यादव मामले को समझ नहीं पाये हैं और श्री सतीश अग्रवाल भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। जब कभी भी हम किसी राज्य सरकार का बजट प्रस्तुत करते हैं, हम कभी भी पूरा बजट प्रस्तुत नहीं करते। आप कोई भी एक उदाहरण दीजिए।

श्री चन्द्रजीत यादव : क्या आप पूरक बजट इस सभा में प्रस्तुत करते हैं और क्या आप ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं या नहीं ?

श्री प्रणब मुखर्जी : हम पूरक माँगों और लेखानुदान के अन्तर को समझते हैं। पूरक मांगें गत वर्ष से संबंधित होती हैं। वर्ष 1981-82 का पूरक बजट प्रस्तुत करते समय मैंने ब्यौरे प्रस्तुत किये थे। इसलिए पूरक मांग और लेखानुदान दो भिन्न बातें हैं। यह एक मामूली बात है कि वर्ष 1982-83 की माँगों के बारे में, जिसके लिए मैं लेखानुदान की मांग कर रहा हूं, मैं ब्यौरे प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं। अन्य दस्तावेजों के सम्बन्ध में ब्यौरे प्रस्तुत किए जा रहे हैं। यदि केरल विधान सभा का सत्र हुआ होता तो वह सभा पूरक माँगों सम्बन्धी ब्यौरों का पारित कर लेती। मैं आपको वर्ष 1981-82 सम्बन्धी ब्यौरे दे रहा हूं। ऐसा नहीं है कि यदि मैं केरल के सम्बन्ध में मूल दस्तावेज आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूं तो उससे आप संतुष्ट हो जाएंगे। मैं आपकी संतुष्टि नहीं कर सकता। मैं यह कहना चाहता हूं कि एक पूर्व उदाहरण है। चूंकि चर्चा चल रही है तो इन पर भी साथ-साथ विचार किया जा सकता है। अन्यथा इन पर अलग से विचार किया जाता। सर्वप्रथम, हम उद्घोषणा के बारे में चर्चा कर सकते थे और तत्पश्चात् मैं बजट पेश करता। उसके बाद मैं एक प्रस्ताव पेश करता। हम साथ-साथ चर्चा इसलिए कर रहे हैं ताकि आज ही दोनों राज्यों के बजट पारित किए जा सकें। मुझे दूसरी सभा से भी अनुमोदन प्राप्त करना है ताकि 31 मार्च तक हम केरल और असम के व्यय के लिए कुछ धन की व्यवस्था कर सके। इसलिए हमें अब इनकी वैधता के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस विषय पर माननीय सदस्यों तथा मंत्री जी के विचार सुने। नियम 206 के उप नियम (2) के अनुसार :

> "प्रत्येक मांग में पहले समस्त प्रस्थापित अनुदान का विवरण और उसके बाद मदों में विभाजित प्रत्येक अनुदान के अन्तर्गत विस्तृत प्राक्कलन का विवरण होगा।"

चूंकि राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने, बजट तैयार करने और उन्हें सभा में प्रस्तुत किए जाने के बीच अन्तराल कम था और इन बजटों को प्रस्तुत करना था, वित्त मंत्री जी ने मुझसे इस नियम को निलम्बित करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया। मैं उद्धृत करता हूं :

"केरल सरकार ने मलयालम और अंग्रेजी में तथा असम सरकार ने असमी और अंग्रेजी भाषाओं में बजट संबंधी दस्तावेज तैयार किए हैं, इन दस्तावेजों को दिल्ली में पुनः मुद्रित कराना होगा। तथापि, ये दस्तावेज इतने भारी-भरकम हैं और इन्हें संसद में प्रस्तुत करने के लिए बहुत ही सीमित समय उपलब्ध है, इन्हें सामान्य रूप में अथवा इतने ब्यौरे सहित प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है जितने ब्यौरे सामान्यतः संसद सदस्यों को परिचालित किए जाते हैं।"

तदनुसार उन्होंने मुझसे नियम 206 के उप नियम (2) के उपबन्धों को निलम्बित करने का अनुरोध किया था। मैंने 1975 के पूर्व—उदाहरण को देखते हुए उक्त नियम को निलम्बित किए जाने के बारे में प्रस्ताव करने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी थी। मैंने देखा कि जब नागालैंड में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था उस समय भी 20 मार्च, 1975 को नियम 206 का यह उप नियम (2) निलम्बित किया गया था।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1982-83 के दौरान केरल सरकार के व्यय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में, यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 206 के उप-नियम (2) के उस भाग को, 'जो प्रत्येक अनुदान के अन्तर्गत मदों में विभाजित विस्तृत अनुमान के विवरण' से संबंध रखता है, इस सभा द्वारा लेखानुदान स्वीकृत किए जाने के प्रयोजनार्थ निलम्बित करती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1982-83 के दौरान केरल सरकार के व्यय संबंधी अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में, यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 206 के उप-नियम (2) के उस भाग को, जो 'प्रत्येक अनुदान के अन्तर्गत मदों में विभाजित विस्तृत अनुमान के विवरण' से संबंध रखता है, इस सभा द्वारा लेखानुदान स्वीकृत किए जाने के प्रयोजनार्थ निलम्बित करती है।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

पक्ष में

मत—विभाजन संख्या : 3

12.10 बजे

अहमद, बेगम आबिदा
अहमद, श्री कमालुद्दीन
अराकल, श्री जेवियर
बेरवा, श्री बनवारी लाल
बैठा, श्री डूमर लाल
वाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी
बनातवाला, श्री जी० एम०
बहेरा, श्री रास बिहारी
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल
भोई, डा० कृपासिन्धु
भोले, श्री आर० आर०
बीरबल, श्री
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी०
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चौधरी, श्री मनफूल सिंह
चव्हाण, श्री यशवन्तराव
चेन्नुपति, श्रीमती विद्या
चिंगवांग कोनयक, श्री
डागा, श्री मूलचन्द
दलबीर सिंह, श्री
दास, श्री अनादि चरण
डेनिस, श्री एन०
देव, श्री संतोष मोहन
एक्का, श्री क्रिस्टोफर
गाडगिल, श्री बी० एन०
गधावी, श्री भेरावदन के०
गोमांगो, श्री गिरिधर
हाकम सिंह, श्री
जदेजा, श्री दौलतसिंहजी
जैन, श्री भीकू राम

जैन, श्री वृद्धि चन्द
जमीलुर्रहमान, श्री
कामाक्षैया, श्री डी०
कमल नाथ, श्री
कर्मा, श्री लक्ष्मण
कैयर, भूषण श्री
खां, श्री आरिफ मोहम्मद
खां, श्री मलिक एम० एम० ए०
कुचन, श्री गंगाधर एस०
कुन्हम्बु, श्री के०
कुंवर राम, श्री
कुरियन, प्रो० पी० जे०
लक्ष्मनन्, श्री जी०
लास्कर, श्री निहार रंजन
महाबीर प्रसाद, श्री
महेन्द्र प्रसाद, श्री
मकवाना, श्री नरसिंह
मल्लिकार्जुन, श्री
मन्नी लाल, श्री
मेहता, डा० महिपतराय एम०
मिश्र, श्री रामनगीना
मिश्र, श्री हरिनाथ
मिश्र, श्री नित्यानन्द
मोतीलाल सिंह, श्री
मुरुगैयन, श्री एस०
मुथु कुमारन, श्री आर०
नायकर, श्री डी० के०
नामग्याल, श्री पी०
नेताम, श्री अरविन्द
निहालसिंहवाला, श्री जी० एस०
नीखरा, श्री रामेश्वर
पदायाची, श्री एस० एस० रामास्वामी
पांडे, श्री केदार
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि

पराशर, प्रो० नारायण चन्द
पारधी, श्री केशवराव
पार्थसारथी, श्री पी०
पटेल, श्री मोहन लाल
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पट्टाभिरामा राव, श्री एस० बी० पी०
पत्तुस्वामी, श्री डी०
पेंचालैया, श्री पसाला
फुलवारिया, श्री विरदा राम
पुजारी, श्री जनार्दन
प्रधानी, श्री के०
पुलय्या, श्री दारूर
राजू, श्री पी० वी० जी०
रंगा, प्रो० एन० जी०
राव, श्री जगन्नाथ
राव, श्री एम० एस० संजीवी
राउत, श्री भोला
रवाणी, श्री नवीन
रेड्डी, श्री के० ब्रह्मानन्द
रेड्डी, श्री के० ओबुल
साही, श्रीमती कृष्णा
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान
साठे, श्री वसन्त
सतीश प्रसाद सिंह, श्री
सत्यदेव सिंह, प्रो०
सईद, श्री पी० एम०
सिन्धिया, श्री माधवराव
शैलानी, श्री चन्द्रपाल
शंकरानन्द, श्री बी०
शर्मा, श्री काली चरण
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शास्त्री, श्री हरि कृष्ण
सिदनाल, श्री एस० बी०
सिंगारावाडीवेल, श्री एस०

सिंह, डा० बी० एन०
सिंह, देव, श्री के० पी०
सोनकर, श्री कल्पनाथ
स्टीफन, श्री सी० एम०
सुब्बुरमण्य, श्री ए० जी०
सुन्दर सिंह, श्री
सूर्यवन्शी, श्री नरसिंह
तिवारी, प्रो० के० के०
ठाकुर श्री शिवकुमार सिंह
थोरेट, श्री भाऊसाहिब
थुगोन, श्री पी० के०
त्रिपाठी, श्री कमलापति
वर्मा, श्री जय राम
वेंकटरामन, श्री आर०
वेंकटसुब्बया, श्री पी०
विजयराघवन, श्री बी० एस०
व्यास, श्री गिरधारी लाल
यादव, श्री राम सिंह
याजदानी, डा० गोलम
जैल सिंह, श्री

विपक्ष में

अग्रवाल, श्री सतीश
बालानन्दन, श्री ई०
भट्टाचार्य, श्री सुशील
चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
गिरि, श्री सुधीर
गोपालन, श्रीमती सुशीला
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र
हरिकेश बहादुर, श्री
इम्बोचोबाबा, श्री ई० के०
इन्द्रा कुमारी, श्रीमती
जेठमलानी, श्री राम

खां, श्री गयूर अली
महाटा, श्री चित्त
मेहता, प्रो० अजित कुमार
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
नाडार, श्री ए० नीलालोहिथादसन
निहाल सिंह, श्री
पाल, प्रो० रूपचन्द
राही, श्री राम लाल
राजन, श्री के०ए०
रशीद मसूद, श्री
राय०, श्री ए०के०
राय, डा० सरदीश
शाक्य, श्री दया राम
उन्नीकृष्णन्, श्री के०पी०
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी
वर्मा, श्री रवीन्द्र
वर्मा, श्री आर० एल० पी०
वर्मा, श्री शिव शरण
यादव, श्री चन्द्रजीत
यादव, श्री डी०पी०
यादव, श्री आर०पी०

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन, मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 118

विपक्ष में : 33

निर्णय हां वालों के पक्ष में हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

केरल राज्य के सम्बन्ध में उद्घोषणा के बारे में साँविधिक संकल्प और रेल बजट, १९८२-८३—सामान्य चर्चा लेखानुदानों की माँगें (केरल), १९८२—८३ तथा अनुदानों की अनुपूरक माँगें (केरल), १९८१—८२

गृह मन्त्री (श्री जैलसिंह) : मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :

"कि यह सभा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 17 मार्च, 1982 को केरल राज्य के सम्बन्ध में जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है"

अध्यक्ष महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 17 मार्च, 1982 को केरल राज्य के सम्बन्ध में जारी की गई उद्घोषण का अनुमोदन करती है।"

हमें चारों मदों पर संयुक्त चर्चा करनी है। निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया :

पक्ष में : सर्वश्री सोवेंग तेइयेंग, सैयद मुजफ्फर हुसैन, तथा राजेश पाइलट

विपक्ष में : सर्वश्री चतुर्भुज, दौलतराम सारन और बाजूबन रियान

श्री ई० बालानन्दन :

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : अब कुछ सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव के नोटिस दिए हैं। सर्वश्री के०ए० राजन व एम० रामन्ना राय अनुपस्थित हैं। अन्य दो माननीय सदस्यों सर्वश्री इ०के० इम्बीचीबावा व के०पी० उन्नीकृष्णन ने अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। अब मैं श्री ई० बालानन्दन को बोलने के लिए बुलाता हूं। श्री बालानन्दन, आपके दल को 13 मिनट का समय दिया गया है। केरल बजट के लिए कुल 3 घंटे का समय निर्धारित किया गया है।

श्री ई० बालानन्दन (मुकन्दपुरम) : इससे पहले कि मैं चर्चा में हिस्सा लूं मैं माननीय वित्त मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वे हमें बजट का मलयालम में अनुवाद उपलब्ध करवायें।

श्री प्रणब मुखर्जी : मैने बजट के हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही अनुवाद उपलब्ध करवाए हैं ।

श्री ई० बालानन्दन : श्रीमन्, हमसे अनुरोध किया गया है कि गृह मन्त्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जोकि 17 मार्च, 1982 को राष्ट्रपति महोदय द्वारा जारी उद्घोषणा को स्वीकृत करने के लिए था, को स्वीकृत किया जाय, और यह भी कहा गया है केरल राज्य के वर्ष 1982-83 के बजट के लिए 555,90,54,500 रु० की लेखानुदानों की मांगों पर मत दें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदन को सूचित चाहूंगा कि मद संख्या 4, 5, 6 और 7 पर सदन में संयुक्त रूप से चर्चा व मतदान होगा ।

श्री ई० बालानन्दन : श्रीमन्, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने से पहले, मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं केन्द्रीय सरकार को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि किन कारणों से केरल में ऐसी हालात पैदा हुई ? अचानक ही 1 मार्च को हमें बताया गया कि केरल के राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति महोदय ने केरल विधान सभा को भंग कर दिया है। ऐसी कौन-सी असाधारण स्थिति पैदा हो गई थी, जिसके फलस्वरूप वहां विधान सभा को भंग करना पड़ा ? हम सभी जानते हैं कि 17 मार्च, 1982 तक केवल 80 दिनों के लिए केरल में करुणाकरण सरकार सत्ता में थी । हम सभी यह भी जानते हैं कि जिस समय उन्हें केरल में सरकार बनाने के लिए कहा गया उस समय उन्हें केरल विधान सभा में 67 विधायकों का समर्थन प्राप्त था । कुछ समय बाद विधायकों की खरीदो-फरोख्त चलती रही और अन्त में वे 71 विधायकों का समर्थन पाने में सफल हो गए और अध्यक्ष के निर्णायक मत के फलस्वरूप सरकार 80 दिनों तक चल सकी । यह स्थिति इसलिए पैदा हुई कि सत्ता पक्ष से एक विधायक श्री नाम्बदान लोनाप्पन विपक्ष में शामिल हो गए थे । अब स्थिति बदल गई थी, विपक्ष के 71 सदस्य थे । मैं यहां यह बात कहना चाहता हूं कि विपक्ष को विधान सभा में बहुमत प्राप्त था, और राज्यपाल का यह कर्त्तव्य था कि वे विपक्षी दल को सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित करते । या कम से कम राज्यपाल यह देख ही लेते कि क्या विपक्षी दल सरकार बनाने की स्थिति में है या नहीं । राज्यपाल का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह विपक्ष को सरकार बनाने का अवसर दें। मुझे समझ नहीं आती कि कैसे उन्होंने यह समझ लिया कि विपक्ष सरकार नहीं बना सकता, इसलिए उन्होंने विधान सभा को भंग करने की सिफारिश की । श्रीमन, यह सब केन्द्र में सत्ताधारी दल के हित में किया गया है क्योंकि केरल से राज्य सभा के लिए तीन स्थानों के चुनाव के लिए पहले ही अधिसूचना जारी की जा चुकी थी और इसके निर्वाचक-मंडल विधान सभा होती है । यह स्पष्ट था कि क्योंकि विपक्षी सदस्यों की

संख्या 71 थी । इसलिए राज्य सभा के चुनाव में कम से कम दो सीटें विपक्षी दल को अवश्य प्राप्त होतीं । इस चुनाव से बचने के लिए राष्ट्रपति से यह सिफारिश की गई कि विधान सभा भंग कर दी जाए और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए । यह कदम निश्चय ही सभी लोकतांत्रिक नियमों और परिपाटियों के विरुद्ध था । यह हमारे देश के संविधान के खिलाफ है । पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं । पिछली बार मैंने कहा था कि भारत में सांविधानिक औचित्यता का पालन नहीं किया जा रहा है । मान्य लोकतांत्रिक सिद्धान्तों का पालन न करना केन्द्र में कांग्रेस-आई सत्ताधारी दल के अनुरूप है । यही कारण है कि जहां तक केरल का प्रश्न यह कदम उठाया गया है ।

इन प्रारम्भिक विचारों के साथ अब मैं श्री करुणाकरण के 80 दिनों के शासन के बारे में चर्चा करना चाहूंगा ।

श्री प्रणव मुखर्जी ने कहा है कि वे केवल 55,52,90,54,500 रु० की लेखानुदानों की मांगों के लिए स्वीकृति ही मांग रहे हैं, इसलिए उन्होंने खर्च का ब्यौरा नहीं दिया है ।

जैसे ही श्री करुणाकरण सत्ता में आए, उन्होंने केरल वासियों के लिए दो या तीन महत्वपूर्ण कार्य किये । कोई भी उन्हें भूल नहीं सकता । अगर आप बजट-पत्रों पर नजर दौड़ायें तो इसमें ब्यौरा नहीं पायेंगे । जैसे ही श्री करुणाकरण ने मुख्य मन्त्री का पद ग्रहण किया, उन्होंने कहा कि केरल के बेरोजगार नवयुवकों को बेरोजगारी भत्ते की अदायगी नहीं की जाएगी । अन्य घोषणा जो उन्होंने की वह यह कि वह खेतीहर मजदूरों को पेंशन की अदायगी रोक देंगे । अगर आप बचत-पत्रों की जांच करें तो आपको पता लगेगा कि इन मदों के लिए धन राशि रखी गई है लेकिन हम नहीं जानते कि इसमें से कितनी धन-राशि खर्च की जाएगी । लेकिन तत्कालिक मुख्य मन्त्री, श्री करुणाकरण की घोषणा, जिन्होंने इसे बन्द कर दिया था और उनके 80 दिनों के अनुभव से, कोई कुछ भी अनुमान लगाने में असमर्थ है ।

जैसाकि आप जानते हैं कि केरल राज्य में कोई भी बड़े उद्योग नहीं हैं केरल का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है नारियल जटा उद्योग, इसके ऊपर लगभग 5 लाख मजदूरों की रोजी निर्भर करती हैं । हमने 80 दिनों के शासन में ही श्री करुणाकरण ने एक और 'मजेदार' कार्य किया है; उन्होंने जल्द ही सभी नारियल जटा परियोजना अधिकारियों को बरखास्त कर दिया । उसका परिणाम क्या निकला है ? केरल राज्य की नारियल जटा उद्योग से सम्बद्ध सभी सहकारी समितियां बन्द हो गयीं । और वे कार्य नहीं कर रही हैं । केरल में करीब 15 करोड़ रु० का नारियल जटा से निर्मित माल बेकार पड़ा हुआ है ।

नारियल जटा निगम के पास करीब 8 करोड़ रुपये का नारियल जटा से बना माल और गैर सरकारी क्षेत्र में करीब 7 करोड़ का नारियल जटा से बना माल बेकार पड़ा हुआ है। लेकिन इस बारे में केरल सरकार ने कुछ नहीं किया है। उसने माल उठाने के लिए कुछ नकद सहायता भी नहीं दी, जिससे कि विवश होकर कुछ कम दाम पर माल बेचा जा सकता। केरल में नारियल जटा निगम के अध्यक्ष एक कांग्रेस (आई) के व्यक्ति हैं। उन्होंने 4 करोड़ रु० को सहायता मांगी थी, लेकिन सरकार ने यह राशि नहीं दी। इस उद्योग में लगे पांच लाख व्यक्ति निराश हैं। मैं माननीय वित्त मन्त्री को बताना चाहता हूं—शायद वे न जानते हों, कि अगर केरल में शीघ्र ही कदम न उठाए गए, तो नारियल जटा उद्योग में लगे पाँच लाख मजदूरों को काफी परेशानी उठानी पड़ेगी। उनमें से काफी संख्या में लोग भूख से मर जायेंगे। इसी अवधि में नारियल जटा उद्योग जूट में लगे मजदूरों के करीब 20 बच्चे पहले ही भूख से मर चुके हैं।

केरल में दूसरा बड़ा उद्योग, काजू उद्योग है। इस उद्योग में करीब एक लाख 25 हजार मजदूर कार्य करते हैं। पहले भी इस उद्योग में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, लेकिन इन सभी की केन्द्र ने जान-बूझकर उपेक्षा की है। मैंने इस विषय पर श्री स्टीफन से भी बातचीत की थी, जो कि काजू उद्योग के मामले में विशेषज्ञ हैं। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि केरल सरकार राज्य में उपलब्ध सभी काजू प्राप्त करने के लिए हर सम्भव कदम उठाएगी, जिससे कि काजू मजदूरों के लिए कम से कम 60-70 दिन तक कार्य सुनिश्चित हो सके। लेकिन उसका कार्य कैसा रहा ? मुझे बताया गया है कि इसी अवधि में पिछले वर्ष सरकारी क्षेत्र में स्थित काजू निगम और संघों ने, जिनको कि काजू खरीदने का काम सौंपा गया था, करीब 40 करोड़ रुपए का काजू खरीद लिया था। इस वर्ष इन्होंने इस कार्य के लिए सिर्फ चार करोड़ रु० खर्च किए हैं और काजू की कुल प्राप्त की गई मात्रा भी काफी कम है। इसी अवधि में पिछले वर्ष 35,000 टन काजू खरीदे गए थे, जबकि इस वर्ष सिर्फ 6,000 टन काजू खरीदे गए हैं। इसलिए केरल में काजू उद्योग में लगे मजदूर भी भूखे मरेंगे। आज यह हालत है।

अब मैं मछुआरों की सहकारी समितियों के बारे में चर्चा करूंगा। मछुआरों की सहकारी समितियां वहां कुछ कार्य कर रही थी।

मछुआरों की सहकारी समितियों के प्रबन्ध को देखने वाले अधिकारियों का स्थानान्तरण कर दिया गया है जिसके फलस्वरूप ये सहकारी समितियां अब न्यूनाधिक रूप से समाप्त प्रायः हो गई हैं।

इस तरह से उनके शासन के 80 दिनों के अन्दर 5 लाख नारियल जटा कामगार' 125000 काजू कामगार, लाखों मछुआरों, इन सभी कामगारों का जीवन दयनीय बन गया है और उन्हें बड़ी कठिन स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। केरल में समुद्र तटीय इलाके में यदि शीघ्र कुछ नहीं किया जाता है तो वहाँ काफी लोग भूख से मरेंगे। हमारे वित्त मंत्री, श्री प्रणव मुखर्जी, पहले वाणिज्य मंत्रालय का कार्यभार सम्भाले हुए थे। केरल योजना के बारे में चर्चा करते समय मैं उनके द्वारा कही गई बात का उल्लेख करूंगा। उन्होंने कहा था कि केन्द्रीय सरकार की इस वर्ष की वार्षिक योजना में 27 प्रतिशत की वृद्धि होगी और राज्य की योजनाओं में भी 21 प्रतिशत की वृद्धि होगी। यह वृद्धि सभी राज्यों में होगी। लेकिन महोदय, अकेले केरल में तथा यदि कोई और दूसरा राज्य है, तो वह पश्चिम बंगाल है जहां कोई वृद्धि नहीं हुई है। पिछले वर्ष 275 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई थी। इस वर्ष भी यह धनराशि 275 करोड़ रुपए है। केवल केरल के योजना आवंटन में ही वृद्धि नहीं की गई है। समग्र देश के अन्य सभी राज्यों के लिए यह वृद्धि 21 प्रतिशत है। लेकिन हमारे राज्य के लिए कोई वृद्धि नहीं की गई है।

अब मैं दूसरे विषय पर चर्चा करूंगा। महोदय, केरल नारियल का उत्पादन करने वाला प्रमुख राज्य है। भारत की नारियल के तेल की कुल आवश्यकता 2 लाख मी० टन है और इस मात्रा का देश में उत्पादन किया जा रहा है। 30 हजार मी० टन नारियल तेल औद्योगिक उद्देश्यों के लिए आवश्यक होता है और शेष मात्रा को खाने के काम में लाया जाता है। देश की कुल आवश्यकता देशी उत्पादन से पूरी की जा सकती है। लेकिन किया क्या जा रहा है, महोदय ? नारियल तेल के आयात की अनुमति दी जा रही है और आयातकर्ताओं द्वारा कोई दूसरा भ्रामक नाम—कोकोनट एसिड आयल—अपनाया गया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि नारियल के मूल्य गिर रहे हैं और केरल राज्य के करोड़ों नहीं, तो लाखों नारियल उत्पादकों पर इसका प्रभाव पड़ा है।

केरल की दूसरी प्रमुख उपज रबड़ है। इस वर्ष 30,000 मी० टन रबड़ का आयात करने की अनुमति दी जा रही है। मैं नहीं जानता वे किस लिए अधिक रबड़ का आयात करना चाहते हैं। किसी मंत्री महोदय ने यहां कोई वक्तव्य दिया है कि इस वर्ष अधिक रबड़ की आवश्यकता है। इसलिए इसका आयात किया जा रहा है। लेकिन मैं नहीं जानता कि इसका आयात क्यों किया जा रहा है, जबकि देश की कुल आवश्यकता को देशी उत्पादन से पूरा किया जा सकता है। उन्होंने 30,000 मी० टन रबड़ का आयात करने की अनुमति दी है। जायफल, लौंग इत्यादि के मामले भी ऐसा ही है, जिनका केरल में भारी मात्रा में उत्पादन किया जाता है और जिनका आयात करने के लिए अनुमति

दी जा रही है। महोदय, इससे केरल राज्य की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा।

महोदय, केरल राज्य में किसी व्यक्ति द्वारा यह दावा किया गया है कि यदि केरल में कांग्रेस (इ) की सरकार सत्ता में आती है तो केन्द्र सरकार इसकी इन सभी समस्याओं के हल को प्राथमिकता देगी। महोदय, क्या केन्द्र सरकार से ऐसे रवैये की आशा की जानी चाहिए ? क्या यह ठीक है ? केवल इतना ही नहीं, महोदय, मैं आपको एक बात और बताता हूं। हमारे नए मंत्री, श्री रहीम ने कनानूर में किसी संवाददाता से बातचीत की थी। एक संवाददाता ने उनसे पूछा था कि कनानूर जिले के येजीमालाई नामक स्थान में नौसैनिक अकादमी कब खोली जाएगी जिसकी स्थापना के बारे में पहले ही निर्णय लिया जा चुका है ? श्री रहीम का यह उत्तर था कि उन राज्यों में जहां गैर-कांग्रेस (इ) के मुख्य मंत्री हैं अथवा जहां गैर-कांग्रेस (इ) का शासन है, इस प्रकार के रक्षा संस्थान नहीं खोले जाएंगे। महोदय, क्या यह वक्तव्य सही है ?

भारत के संविधान के अनुसार किसी भी राज्य में कोई भी पार्टी सत्ता में आ सकती है। कांग्रेस (इ) सत्ता में आ सकती है अथवा डी० एम० के० सत्ता में आ सकती है। लेकिन यह कहना कि "यदि कांग्रेस (इ) सत्ता में नहीं है तो केरल में कोई रक्षा संस्थान नहीं बनेगा", बड़ी ज्यादती होगी।

मैं एक और बात माननीय वित्त मंत्री महोदय की जानकारी में लाना चाहूंगा। केरल में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या सबसे ज्यादा है और इसके साथ-साथ केरल में शिक्षित लोगों की संख्या भी सबसे अधिक है। तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त व्यक्तियों की संख्या के मामले में इसका प्रथम स्थान आता है। लेकिन जब हम सरकारी क्षेत्र में रोजगार मांगते हैं तो हमें एक फार्म भरना पड़ता है। मैं इसे पढ़कर सुनाता हूं। मैं आवेदन पत्र से पढ़ कर सुना रहा हूं। फार्म के मद 11 में यह पूछा गया है कि : "आप किस राज्य के रहने वाले हैं ?" और इसमें यह पूछा गया है कि क्या आवेदक एक वर्ष से अधिक समय तक केरल अथवा पश्चिमी बंगाल में रहा है। हैदराबाद स्थित रक्षा इलैक्ट्रानिकी प्रयोगशाला द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले प्रत्याशियों को ये कालम भरने पड़ते हैं। यह सब किस उद्देश्य के लिए पूछा जाता है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : यह एक गम्भीर मामला है।

श्री ई० बालानन्दन : यह सरकारी प्रलेख है मैं फोटोस्टेट प्रति से पढ़ रहा हूं। यदि श्री स्टीफन, जो यहां हमारे मंत्री हैं, का लड़का वहां नियुक्ति के लिए आवेदन करता है···(**व्यवधान**) तब विशेष पुलिस जांच करवाई जाएगी। केन्द्र सरकार में नियुक्ति के

लिए पुलिस द्वारा जांच की जाती है। लेकिन आजकल केरल तथा पश्चिम बंगाल के प्रत्याशियों की दोहरी जांच करवायी जाती है। यदि केरल का कोई व्यक्ति रक्षा संस्थान में नौकरी के लिए आवेदन करता है तो उसको इस प्रक्रिया से गुजरना होगा कांग्रेस (इ) द्वारा यह स्थिति पैदा कर दी गई है। आप इसकी चिन्ता क्यों करते हैं ? आप चाहते हैं कि भारत एक हो जाए। क्या इससे कुछ मदद मिलेगी यदि आप यह कहते हैं कि कम्युनिस्ट सुरक्षा को एक खतरा है···चलो मान भी लिया जाए (व्यवधान)···तब आप इसकी घोषणा कर दीजिए।

अब मैं बजट के बारे में चर्चा करूंगा, केन्द्र सरकार द्वारा केरल की, राज्य के रूप में, सोद्देश्य उपेक्षा की जा रही है। केरल को एक गम्भीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। अतएव, मेरी मांग है कि भारत सरकार को काजू तथा नारियल जटा उद्योगों को आवश्यक सहायता देने के लिए शीघ्र एक प्रस्ताव लाए। राज्य सरकार द्वारा किए गए उपायों को तुरन्त बन्द किया जाना चाहिए। आपको मछली-पालन निगम को पुनर्जीवित तथा सुदृढ़ बनाना चाहिए। योजना के सम्बन्ध में भेदभावपूर्ण रवैये को रोका जाना चाहिए। नारियल तेल के आयात पर तुरन्त प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए और रबड़ तथा अन्य वस्तुओं, जिनका मैंने उल्लेख किया है, के आयात पर भी प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। नारियल बोर्ड के चेयरमैन श्री देवासी कुट्टी ने एक जांच की मांग की है। नारियल तेल के आयात के मामले में कोई गोलमाल की घटना घट गई है। वे कांग्रेस (इ) के एक नेता हैं। मेरी भी यह मांग है कि नारियल तेल के आयात के बारे में एक जांच करवाई जाए।

बजट में यह कहा गया है कि पुलिस के लिए 12 करोड़ रुपए की और व्यवस्था की जाएगी। मैं नहीं जानता कि केरल में पुलिस के लिए अधिक व्यय करना क्यों बहुत जरूरी है। केवल यही एक ऐसी मद है जिसके लिए अतिरिक्त धनराशि दी जानी है। शायद मंत्री महोदय इसका कुछ कारण बतायेंगे।

केरल में कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी है ? इन 80 दिनों के अन्दर वहां 35 राजनीतिक कत्ल हुए हैं। सी० पी० आई० (एम०) के 25 व्यक्ति मारे गए हैं। ऐसे राज्य में जहां कांग्रेस (इ) के मुख्य मंत्री का शासन था 25 या 30 कम्युनिस्ट मारे गए हैं। (व्यवधान)

8 मार्च को त्रिवेन्द्रम जिले के कनिमापुरम में एक गम्भीर घटना घट गई, जहां कांग्रेस (इ) के युवा नेताओं द्वारा 24 दुकानें जला दी गई थी। मैं यह सब रिकार्ड में से कह रहा हूं। यह इसलिए किया गया था क्योंकि दुकानदारों ने इन कांग्रेस (इ) के युवा

नेताओं को धन नहीं दिया था। उन्होंने दुकानदारों से कुछ धन की मांग की थी जिसे देने के लिए उन्होंने मना कर दिया था। इसलिए उनकी दुकानों को आग लगा दी गई थी।

अब कांग्रेस (इ) पार्टी नए राजनीतिक समझौते के बारे में जोर जोर से कह रही है, अब उनके साथ काफी पार्टियां मिल गई हैं और काफी पार्टियां आने वाली हैं। श्री करुणाकरन हमेशा यह कहते हैं कि यदि चुनाव होते हैं तो वे वापस सत्ता में आ जाएंगे। मैं नहीं जानता कि वहां चुनाव कब होंगे। कांग्रेस (इ) पार्टी की नीतियों तथा राजनीति के कारण राज्य में एक गम्भीर स्थिति पैदा हो रही है जिनके द्वारा राज्य की साम्प्रदायिक ताकतों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और सभी साम्प्रदायिक राजनीतिक दलों को तथाकथित लोकतान्त्रिक मोर्चे में शामिल किया जा रहा है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हिन्दू लोग बहुत ही गम्भीर खतरे में हों। मैं नहीं जानता, कैसे ? मैं हिन्दू हूं और मैं यह महसूस नहीं करता कि हम खतरे में हैं। लेकिन, फिर भी, विशाल हिन्दू परिषद 4 को विशाल हिन्दू सम्मेलन करेगी तथा 2 को एरनाकुलम (दक्षिणी) में, जहां विशाल हिन्दू सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, ईसाइयों द्वारा कोई दूसरा प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। 30,000 ईसाई हाथ में क्रास लेकर एक प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस (इ) पार्टी इस प्रकार की साम्प्रदायिक ताकतों को प्रोत्साहन दे रही है ताकि वे अधिक वोट प्राप्त कर सकें और सत्ता में आ सकें।

यदि आप केरल के सन् 1957 से अब तक के इतिहास को देखें तो आप पाएंगे कि कांग्रेस (इ) पार्टी कभी भी केरल में बहुमत में नहीं आई थी। (व्यवधान)। वे केरल में एक पार्टी अथवा दूसरी पार्टी के साथ समायोजन कर के सत्ता में आते रहे थे। वे किसी को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए केंद्र की शक्ति का उपयोग करते रहे हैं। यह राजनीतिक भ्रष्टाचार है।

पिछली बार, श्री करुणाकरन ने 67 विधायकों के साथ सरकार का गठन करना प्रारम्भ किया था और एक विधायक को एक जिला तथा काफी वस्तुएं देकर उसका समर्थन प्राप्त किया गया था। मैं यहां इन बातों के बारे में नहीं कहता हूं क्योंकि मेरे पास प्रमाणिक साक्ष्य नहीं हैं। इस प्रकार साम्प्रदायिक भावना, जातिगत भावना इत्यादि पैदा करने से केरल में कांग्रेस (इ) पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। मैं यहां इसकी घोषणा करता हूं। केरल की जनता के लिए क्या अच्छे काम किए जा रहे हैं। कृषकों, को जो नारियल, रबड़ इत्यादि का उत्पादन कर रहे हैं, कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और काजू कामगार, नारियल जटा कामगार, मछुए आदि को भूखों मरना पड़ रहा है। राज्य के रूप में केरल की उपेक्षा की जा रही है। यदि सरकार द्वारा यही रुख अपनाया जाता है तो मुझे डर है कि देश की अखण्डता पर इसका गम्भीर प्रभाव पड़ेगा।

सदन में तथा सदन के बाहर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर आदि के बारे में कुछ बातें हुई हैं। मैं यहां यह घोषणा करता हूं कि राजनीति, कांग्रेस (इ) की राजनीति, जो साम्प्रदायिक पार्टियों को प्रोत्साहन दे रही है, और यह राजनीति, जिसके द्वारा केरल राज्य की पूर्णतया उपेक्षा की जा रही है, यदि केरल राज्य में चुनाव कराए जाते हैं तो केरल की जनता उन्हें अरब सागर में फेंक देगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, 3 घंटे दिए गए हैं। हमने इसे लगभग 12 बजे मध्यान्ह पश्चात् शुरू किया था। मन्त्री महोदय 2.30 बजे मध्यान्ह पश्चात् जवाब देंगे। इसलिए, मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे उतना ही समय लें जितना कि कार्य मंत्रणा समिति द्वारा निर्धारित किया गया है।

कटौती प्रस्ताव का पाठ

श्री ई० के० इम्बीचीबावा (कालीकट) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भू-राजस्व शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[समुद्र के किनारे असर्वेक्षित अधिकृत भूमि को मछुआरों को देने की आवश्यकता। (13)]

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पुलिस शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 1,00,00,000 रुपये कम किए जाएं।"

[पुलिस प्रशासन सम्बन्धी प्रभारों को जो उत्पादक स्कीमों तथा कल्याण उपायों पर परिव्यय की तुलना में बहुत अधिक है, कम करने की आवश्यकता। (14)]

श्री ई० के० इम्बीचीबावा (कालीकट) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पुलिस शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[मकानों की व्यवस्था कर के पुलिस की जीवन दशा में सुधार करने की आवश्यकता। (15)]

"कि जेल शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[जेलों में दशा सुधारने की आवश्यकता। (16)]

"कि लोक निर्माण शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[कनोली नहर पर एक पुल और पोन्नानी मोनियापट्टी में एक तरफा सड़क का निर्माण करने की आवश्यकता। (17)]

"कि लोक निर्माण शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[सी० आर० एफ० के अन्तर्गत प्रस्तावित चन्द्रगिरि पुल का निर्माण कार्य तेज करने की आवश्यकता। (18)]

"कि लोक निर्माण शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[कासरगोड तालुक में मलियार और अदकस्थला में कमजोर पुलों का पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता। (19)]

"कि पेंशन और विविध शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[वृद्ध खेतिहर मजदूरों को पेंशन का भुगतान जारी रखने की आवश्यकता। (20)]

"कि पेंशन और विविध शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[शिक्षित तथा अशिक्षित युवकों को बेकारी भत्ता देने की आवश्यकता। (21)]

"कि शिक्षा, कला और संस्कृति शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रु० कम किए जायें।"

[शिक्षा संस्थाएं खोलने के लिए एक सर्वेक्षण करने और स्थानों की प्राथमिकता तय करने की आवश्यकता। (22)]

"कि नगर विकास शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रु० कम किए जायें।"

[नगरपालिकाओं में ग्रामीण बस्तियों का विकास करने के लिए विशेष कोष बनाने की आवश्यकता। (23)]

"कि हरिजन कल्याण सहित समाज कल्याण शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की माँग में 100 रु० कम किए जायें।"

[अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए नौकरियों की व्यवस्था करने हेतु उद्योग शुरू करने की आवश्यकता। (24)]

"कि हरिजन कल्याण सहित समाज कल्याण शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की माँग में 100 रु० कम किये जायें।"

[अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए छात्रावास सुविधा बढ़ाने की आवश्यकता। (25)]

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की माँग में 100 रु० कम किए जायें।"

[किसानों को लाभप्रद मूल्य देने की आवश्यकता। (26)]

"कि मीन उद्योग शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[कासरगोड, अजीकल, बुपूर पोन्नानी और कोडुगांलोर में मछलियाँ पकड़ने के पत्तन बनाने की आवश्यकता। (27)]

"कि मीन उद्योग शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की माँग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[स्कूलों में मछेरों के बच्चों को दोपहर का भोजन देने की आवश्यकता। (28)]

"कि मीन उद्योग शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की माँग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[मीन क्षेत्र घोषित किए गए सभी गांवों में सहकारी समितियाँ बनाने की आवश्यकता। (29)

"कि मीन उद्योग शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की माँग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[मछेरों को मृत्यु, विवाह और समुद्र में फंस जाने अथवा बंद हो जाने के अवसरों

पर आसान शर्तों और मामूली ब्याज दर पर ऋण देने के लिए प्रत्येक जिले में बैंक खोलने की आवश्यकता। (30)]

"कि सामुदायिक विकास शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की माँग में 100 रु० कम किये जायें।"

[कासरगोड विकास प्राधिकरण को अधिक राशि देने की आवश्यकता। (31)]

"कि उद्योग शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की माँग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[वंजीनाड चर्म कारखाने को, जो कुप्रबंध के कारण बन्द हो गया है, पुनः चालू करने के लिए कार्यवाही करने की आवश्यकता। (32)]

"कि सिंचाई शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की माँग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[कोकाडावू परियोजना को तुरन्त आरम्भ करने की आवश्यकता। (33)]

"कि पत्तन शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की माँग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[अजीकल, कासरगोड, पोन्नानी, बुपूर और कोडुंगालोर में छोटे पत्तनों के निर्माण की आवश्वकता। (34)]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जेवियर अराकल।

एक माननीय सदस्य : मैंने चार घंटे का सुझाव दिया था। ठीक है। 1430 बजे मन्त्री उत्तर देंगे।

श्री जेवियर अराकल (खर्णाकुलम) : मैं पूरक मांगों तथा विनियोग विधेयक का समर्थन करता हूं। अनुच्छेद 174 तथा 356 के अधीन शक्तियाँ राज्याध्यक्ष की उत्कृष्ट विशेषाधिकार शक्तियाँ कही जाती हैं। केन्द्रीय सरकार को संविधान के इन उपबन्धों का सहारा क्यों लेना पड़ा यह प्रश्न उड़ीसा के राज्यपाल के 17 मार्च 1982 के संदेश से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। मैं उद्धृत करता हूं :—

"मैं व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट हूं कि कोई वैकल्पिक व्यवहार्य तता स्थायी मिनिस्ट्री बनने की कोई संभावना नहीं है।"

(व्यवधान) मैं आपके प्रश्न पर आ रहा हूं। कृपया मेरी बात सुनिए। वहाँ

वामपंथी मोर्चे द्वारा भ्रष्टाचार के सुविचारित तरीकों तथा चालबाजियों से पैदा की गई राजनैतिक अस्थिरता को बदलने के लिए यह करना पड़ा। (व्यवधान) मैं आपके प्रश्न पर आ रहा हूं।

श्री बालानन्दन को साम्प्रदायिकता तथा जातिवादपर बोलते हुए सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। इस मामले में उन्होंने क्या किया है इस सम्बन्ध में मैं श्री ई० एम० शंकरन नम्बूदिरीपाद के कथन का उद्धरण दूंगा। श्री बालानन्दन, कृपया सुनें कि श्री ई० एम० शंकरन नम्बूदिरीपाद ने साम्प्रदायिकता तथा जातिवाद के बारे में क्या कहा था। मैं साम्प्रदायिकता तथा जातिवाद के प्रश्न पर श्री ई० एम० शंकरन के कथन का उद्धरण देता हूं :—

> "लेकिन, मैं इस वास्तविकता को देख सकता हूं कि हमारा अन्तिम लक्ष्य चाहे जो भी हो, हम जाति और धर्म पर आधारित अन्तर तथा पहचान को नकार नहीं सकते। अतः जो सामाजिक-राजनैतिक संगठन निम्न जातियों के हितों की रक्षा करने तथा उच्च जातियों की भी सामाजिक और पारिवारिक प्रणालियों में सुधार करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मेरी उनके साथ सहानुभूति है।"

यह कौन कहता है ? उनका अपना नेता, भारत में साम्यवाद का पैगम्बर।

वह इससे आगे यह कहता है :—

"जब जाति पर आधारित कुछ संगठन राजनैतिक लोक तान्त्रिक आन्दोलन को सतायी गई जातियों को सामाजिक न्याय दिलाने के आन्दोलन के साथ जोड़ने लगते हैं, तो यह और भी सही बैठता है।"

अतः उन्होंने इसे शुरू किया। अब श्री बालानंदन कह सकते हैं कि जातिवाद तथा साम्प्रदायिकता का समर्थन कौन कर रहा है; कृपया उन्हें इसका उत्तर देने दीजिए (व्यवधान)।

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार (त्रिवेन्द्रम) : वह सभा को गुमराह कर रहे हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शान्त रहिए, मैं उनकी बात नहीं सुन पा रहा हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, मैं यह बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जब कोई माननीय सदस्य बोलता है और यदि वह आपकी बात नहीं मानता, तो आपको उठने और स्पष्टीकरण मांगने का कोई अधिकार नहीं है। अतः, कृपया हस्तक्षेप न करें।

कृपया हस्तक्षेप न करें। आपको बोलने का अधिकार है तथा विपक्ष को बोलने को कहा जाएगा और आप उन्हें उत्तर दे सकते हैं। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। इस तरह नहीं। (व्यवधान)

श्री जेवियर अराकल : जब कांग्रेस (एस०) निरन्तर हमारे देश में जाति घटकों को अस्वीकार कर रही है···(व्यवधान)। ऐसा होता आया है। यह इसका इतिहास है। मैं कम्युनिस्ट पार्टी पर यह आरोप लगाता हूं कि उन्होंने ऐसी बातें की हैं। मैं 'हार्स-ट्रेडिंग के बारे में श्री बालानन्दन की अभ्युक्ति की ओर ध्यान दिलाता हूं। यह किसने किया ? कांग्रेस (एस०) दल को किसने विभाजित किया ? तब वे सामूहिक रूप से जनता पार्टी को छोड़ गए और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे में जा मिले। उस जनता पार्टी को जो लोगों के समर्थन से चुनी गई थी। क्या हुआ ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपका अपना विधायक (व्यवधान)

श्री जेवियर अराकल : महोदय, श्री बालानन्दन को हार्स-ट्रेडिंग के बारे में इस सभा में बोलते हुए सुनकर कितना आश्चर्य होता है। क्या मैं उनसे यह पूछ सकता हूं कि श्री लोनाप्पन नामबदन, विधायक क्यों हमारे दल से उनके दल में मिल गए ? क्या यह शर्म की बात नहीं है कि ये उन्होंने दल-बदल में भाग लिया।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आप दोनों श्री अराकल और श्री बालानन्दन, गलत हैं क्योंकि केरल में घुड़दौड़ होती ही नहीं। यह केवल मद्रास और बंगलौर में है।

श्री जेवियर अराकल : मैं यह कहना चाहूंगा कि मार्क्सवादी दल केरल में 1957 में सत्ता में आया और उसने दो वर्ष से कम अवधि तक शासन किया। 1967 में वह फिर सत्ता में आया। उसने थोड़े से समय शासन किया। फिर 1980 में वे सत्ता में आए। यदि आप इन अवधियों के राजनैतिक परिवर्तनों का विश्लेषण करें तो आपको अच्छी तरह यकीन हो जाएगा कि उन्होंने भ्रष्ट, गैर-कानूनी, अनैतिक कार्य किए और राजनैतिक दृष्टि से गलत व्यवहार किया।

प्रो० रूपचन्द पाल (हुगली) : आपके पास डिक्शनरी अवश्य होगी।

श्री जेवियर अराकल : हमने उन्हें नहीं निकाला। अपनी अत्यधिक अनैतिक गतिविधियों के कारण वे निकलने के लिए मजबूर हुए। यह 1980 में फिर हुआ।

श्री बालानन्दन वहां अल्पमत सरकार के बारे में बोल रहे थे। उन्होंने यह प्रश्न किया कि जब उन्हें 71 विधायकों का समर्थन प्राप्त था तो उन्हें सरकार बनाने के लिए क्यों नहीं कहा गया। उन्होंने अध्यक्ष के निर्णायक मत पर भी व्यंग्य किया है। जब हमारे

पास 71 विधायक थे तो वे हमारा उपहास कर रहे थे । अब उनका कहना है कि यदि उनके पास 71 विधायक थे तो उन्हें सरकार बनाने दी जानी चाहिए थी । इसमें क्या तर्क है । क्या इस तरह का तर्क देने में आपको शर्म नहीं आती ?

श्री के०ए० राजन यहाँ उपस्थित हैं । सी०पी०आई० हमारी राजनैतिक प्रणाली का परजीवी तथा सत्ता चूसक है जिसे मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है । अतः ऐसी मांग करना व्ययपूर्ण है । श्री बालानन्दन हार्स-ट्रेडिंग जैसी राजनैतिक अनैतिकता की बात कर रहे थे । मैं उस पहलू पर अधिक नहीं बोलना चाहता ।

केरल में राजनीतिक स्थिति सदैव अस्थिर रही है । पिछले 25 वर्षों में पिछली बार केरल में 12वां मन्त्रिमण्डल गिरा । यह किसी भी जागरुक समाज के लिए गर्व की बात नहीं हो सकती । इसके क्या कारण हैं ? क्या हम इसे नहीं रोक सकते ? क्या हमें इस प्रकार के दलों और सरकारों की संख्या बढ़ने देनी चाहिए ? हमारी राजनीतिक पद्धति में इन विभाजनों और विघटनों के पीछे क्या कारण है ? क्या ऐसी पद्धति को बनाए रखना ठीक है ? क्या अन्य राज्य इसका अनुकरण कर सकते हैं ? यदि अन्य राज्यों ने भी इसका अनुकरण किया तो हमारी राजनीतिक पद्धति कैसे बचेगी ? अतः जातिगत, साम्प्रदायिक और अन्य शक्तियों द्वारा अपनाये जाने वाले तरीकों पर हर हालत में रोक लगाई जानी चाहिए । अब भारतीय जनता पार्टी वामपंथी मोर्चे के साथ बैठेगी । कल तक मार्कसवादी दल, जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग आपस में लड़ रहे थे । अब एक नई नापाक प्रवृत्ति उभर रही है । श्री वाजपेयी हमें बता सकते हैं कि क्या वे एक दूसरे का समर्थन करेंगे । राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और अन्य धार्मिक और साम्प्रदायिक शक्तियों का गठबन्धन एक खतरनाक प्रवृत्ति है । धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोगों को इस मामले पर गम्भीरता से विचार करना होगा । हम मार्कसवादी विचार-धारा को भी उतना ही नापसन्द करते हैं जितना हम धर्मान्धता को नापसंद करते हैं । लोकतंत्र को बचाने के लिए यह करना ही होगा ।

केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नामक एक राजनीतिक दल है । हम जब भी सत्ता में आए हैं वे हमारे साथ रहे हैं । हमारी मदद से वे 1969 में सत्ता में आए । 1969 में हमने केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एम०एल०ए० को मुख्य मन्त्री बनने दिया । उस समय उसका बहुमत क्या था ? (व्यवधान) । 1969 में हमने अच्युत मेनन मन्त्रिमंडल का समर्थन किया । उन्होंने क्या किया ? 1977 तक हम इकट्ठे थे । बाद में स्वार्थवश उन्होंने हमें छोड़ दिया । भारत में और केरल में राजनीतिक घटनाओं और स्थायित्व की दिशा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका क्या रही ? वे भारत में सबसे अधिक

अवसरवादी राजनीतिज्ञ हैं। हमें केरल में इन मिले जुले दलों की भूमिका पर पुनः दृष्टिपात करना होगा।

श्रीमन्, मुझे जनता के साथ पूरी हमदर्दी है। हमारे समर्थन से पाँच सदस्य केरल विधान सभा में चुने गए थे। विपक्ष की संयुक्त मोर्चे की सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या किया है? जब वामपंथी मोर्चे की सरकार सत्ता में थी तो वे जनता और कांग्रेस (एस०) में फूट डालने की साजिश कर रहे थे और इसमें वे सफल भी हो गए। जब नायनार सरकार गिरी तो इन दोनों दलों के ये ग्रुप मैदान में आ गए। वामपंथी मोर्चे की सरकार से प्रोत्साहन पाकर जब वे सत्ता में थे तो उन्होंने अपने-अपने दलों में विभाजन कर लिया। एक तो श्री पी०सी० याकोब के अन्तर्गत था और दूसरा श्री चन्द्रशेखरन के अधीन था। अब प्रश्न यह है कि इन दो ग्रुपों को इन दलों से अलग क्यों किया गया? ये दोनों ग्रुप बाहर क्यों निकल आए? ये केरल की राजनीतिक वास्तविकतायें हैं जिसमें वामपंथी मोर्चे की सरकार को एक निर्णायक भूमिका निभानी है। इसलिए मैं उन पर केरल राज्य में अस्थिरता और दुर्व्यवस्था पैदा करने का आरोप लगाता हूं।

श्री बालनन्दन केरल में नारियल जटा और काजू उद्योग के बारे में बता रहे थे। मैं उनसे पूछता हूं कि इन पारस्परिक उद्योगों का पतन किसके शासन काल में हुआ। **(व्यवधान)**

बजट में कुल 86 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है। इसके क्या कारण थे? 1980 के बाद मार्कसवादियों और अन्य लोगों ने सरकारी खजाने की लूट मचाई। इस प्रकार यह घाटा हुआ (व्यवधान)।

इन पारम्परित उद्योगों का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्कसवादी) की राजनीतिक सांठगाठ से गला घोट दिया गया। वे उन लोगों का शोषण कर रहे थे और अब वे कह रहे हैं कि करुणाकरण के पिछले 80 दिन के शासन में सभी कुछ तहस-नहस हो गया। जब वे 2 साल और 2 महीने तक सत्ता में रहे थे तो सभी कुछ ठीक था। जब श्री करुणाकरण ने 79 दिन के लिए सत्ता संभाली तो सभी कुछ ठीक नहीं था। वे लोगों को कई महीनों और वर्षों तक बेवकूफ नहीं बनाते रहे। अगले चुनाव में हम देख लेंगे कि लोग किनके साथ हैं? (व्यवधान) केन्द्रीय सरकार केरल की अर्थव्यवस्था की ओर ध्यान नहीं दे रही है जिसके कारण वहाँ की अर्थव्यवस्था बुरी तरह बिगड़ गई है। अब तो केरल की अर्थव्यवस्था को केन्द्रीय सरकार की औद्योगिक और अन्य क्षेत्रों में निवेश द्वारा ठीक कर सकती है।

इसलिए अपने बजट भाषण में मैंने योजना आवंटन की बात पर बल दिया था।

मैंने कहा था कि केन्द्रीय सरकार को औद्योगिक क्षेत्र में अधिक सहायता देनी चाहिए। यदि मैं यह कहूं कि केन्द्रीय सरकार का केरल में निवेश केवल 2.3 प्रतिशत है तो आप इस समस्या की गंभीरता का अनुमान लगा सकते हैं। यह निवेश नगण्य है। मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे केरल में औद्योगिक और अन्य क्षेत्रों में भारी धनराशि लगाएं ताकि केरल की अर्थव्यवस्था बच सके। इस समय केरल की अर्थव्यवस्था बहुत खराब है। कहा जा रहा है कि हम 1000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष विदेशी मुद्रा के रूप में अर्जित कर रहे हैं। यदि हम निवेश और उत्पादकता को देखें तो हमें पता चलेगा कि वहां कुछ सुधार नहीं हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि केन्द्रीय सरकार ही केरल की अर्थव्यवस्था को ठीक कर सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब वे भी समर्थन कर रहे हैं।

श्री जेवियर अराकल : उन्हें समर्थन करना होगा। शंकरन, नम्बूदरीपाद और बालानन्दन के सम्बन्ध आपस में ठीक नहीं हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि केरल में गम्भीर स्थिति विपक्षी दलों की चालाकी भरी चालों का परिणाम है। इसलिए मैं इस संकल्प और विधेयक का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अर्जुनन आपके दल को 8 मिनट का समय दिया गया है। आप अपना भाषण 7 मिनट में समाप्त कर दीजिए।

श्री के० अर्जुनन (धर्मापुरी) : मैं केरल राज्य के बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हूं। भारत सरकार के पास देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए केरल विधान सभा को भंग करने के अलावा और कोई चारा नहीं था।

केरल राज्य के बजट में केरल के लोगों की आशाओं और महत्वाकांक्षाओं का प्रतिबिम्ब मिलता है।

केरल में वामपंथी लोकतंत्रात्मक सरकार ने तमिलनाडु में ए०आई०ए०डी०एम०के० सरकार ने साठगांठ करके स्प्रिट की बिक्री और खरीद में भ्रष्ट तरीकों को बढ़ावा दिया। वामपंथी लोकतंत्रात्मक सरकार ने सदाशिवन आयोग नियुक्त किया और ए०आई०ए०डी० एम०के० सरकार ने एक और सदाशिवम आयोग नियुक्त किया। चूंकि इन मामलों में एक से अधिक राज्य अन्तर्ग्रस्त थे, इसलिए केन्द्र ने राय आयोग नियुक्त किया चूंकि अब ये सब मामले उच्चतम न्यायालय के समक्ष है इसलिए मैं उनके ब्यौरे के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहूंगा। सदाशिवम् आयोग को समाप्त कर दिया गया जबकि सदाशिवम आयोग अभी भी कार्य कर रहा है। इसलिए मामले की उचित ढंग से जांच करने के लिए यही समय ठीक है।

स्प्रिट कांड के जरिए कमाई गई धनराशि के कारण ही सरकार गिरी है। इस कांड के जरिए उन्होंने भारी धनराशि कमाई। इसी की वजह से करुणाकरण की सरकार का पतन हुआ। इन्हीं कारणों से तमिलनाडु से एक अभिनेत्री त्रिवेन्द्रम आई। इसलिए इस मामले की जाच की जानी चाहिए।

कम्युनिस्ट पार्टी करुणाकरण सरकार को भंग करना चाहती थी और इसलिए उसने चुनावों की मांग की। वह माँग मान ली गई है और उन्हें चुनावों का सामना करना होगा।

वामपंथी लोकतंत्री मोर्चे की हिंसा की प्रवृत्ति के कारण केरल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हिंसा देखने में आई। यह हिंसा तमिलनाडु के सुदूर दक्षिण जिले में फैल गई है। यह हिंसा पूर्व की ओर बढ़ी और अब यह कन्याकुमारी और तिरुनवेली में केन्द्रित है। केरल की कानून और व्यवस्था की यह स्थिति तमिलनाडु की ओर बढ़ी। अब कन्याकुमारी और तिरुनवेली में एक जैसी स्थिति है। हिन्दुओं और ईसाइयों के बीच हिंसा की स्थिति विद्यमान है। मेरा दल तो जाति और धर्म की भावनाओं से ऊपर है। तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में खतरा है। विपक्षी दलों ने कई बार मांग की कि तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री को कन्याकुमारी जाना चाहिए। वह वहाँ गए। वहाँ कई हत्या और आगजनी की घटनाएं हुईं। मुख्य मन्त्री कन्या कुमारी से मद्रास आए। यह स्थिति अब उत्तर की ओर फैल रही है। मुझे डर है कि जाति और धर्म के संघर्ष के कारण समस्त तमिलनाडु को खतरे की स्थिति का सामना करना पड़ेगा।

तीनों दक्षिणी जिलों रामनाथपुरम्, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी से पानी एक पहाड़ी से आता है। पानी पश्चिम से निकलकर समुद्र में मिल जाता है। यह पानी बेकार जा रहा है। यह केरल के लोगों के काम नहीं आ रहा है। केरल सरकार और केन्द्रीय सरकार को सम्बन्धित अधिकारियों से कहना चाहिए कि वे इस पानी को तमिलनाडु में भेज दें। यह वहां के लोगों के लिए ऊर्जा और उत्पादकता की दृष्टि से बहुत उपयोगी होगा।

केरल में बिजली काफी है जिसे वे 45 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बेच रहे हैं। यह बहुत मंहगा है। तमिलनाडु उचित मूल्य पर चावल दे रहा है और आप बिजली के दाम 45 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से मांग रहे हैं। यह बहुत ज्यादा है।

मैं कालीकट में एक हवाई अड्डे और कोचीन में नौसेना के अड्डे की मांग का समर्थन करता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

केरल राज्य के सम्बन्ध में उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प और रेल बजट, 1982 83—सामान्य चर्चा लेखानुदानों की मांगें (केरल), 1982-83 तथा अनुदानों की अनुपूरक मांगें (केरल), 1981-82

श्री जगन्नाथ राव (बरहामपुर) : मैं केरल सम्बन्धी राष्ट्रपति की उद्घोषणा के बारे में गृह मन्त्री के सांविधिक संकल्प का समर्थन करता हूं। राज्यपाल के पास यही विकल्प था कि वह अनुच्छेद 174(2) के अन्तर्गत विधान सभा को भंग कर दें और राष्ट्रपति को यह प्रतिवेदन दे दें कि केरल सरकार संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती।

राष्ट्रपति द्वारा 17 मार्च को उद्घोषणा जारी की गई थी क्योंकि केवल यही विकल्प था। अब विपक्ष यह दावा करता है कि उनका 71 सदस्यों का बहुमत है अत: उन्हें वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए कहा जाना चाहिए था। जब श्री करुणाकरण ने सत्ता संभाली तो उनके पास भी 71 सदस्य थे।...(व्यवधान) जब वह मुख्यमंत्री बने तो उनकी हार नहीं हुई। और तब सत्ताधारी दल के एक सदस्य ने स्वयं को स्वतंत्र सदस्य घोषित कर दिया और राज्यपाल से जाकर कहा कि मैं विपक्ष का साथ दूंगा। केरल का तो यह इतिहास है। राज्यपाल का विचार ठीक था कि वैकल्पिक सरकार सम्भव नहीं।

1956 से लेकर 12 मंत्रिमंडल बने और टूट गए। अस्थिरता तो केरल की राजनीति का अंग है। इस कारण आर्थिक स्थिरता और प्रगति नहीं की जा सकती। अत: विधान-सभा को भंग करने का राज्यपाल का निर्णय और राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए कहना उचित ही था।

विपक्ष ने करुणाकरण मंत्रीमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था लेकिन वह प्रस्ताव पास नहीं हुआ। इससे स्पष्ट पता चलता है कि विपक्ष वैकल्पिक सरकार नहीं बना सकता। किसी भी राज्य में 80 दिन या 90 दिन मंत्रिमंडल सत्ता में रहे तो वहाँ प्रगति नहीं हो सकती और केरल भारत में उसका एक उदाहरण है। वहाँ राजनैतिक स्थिरता नहीं है और कोई भी सरकार पांच वर्ष की पूरी अवधि तक नहीं रह पाई है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : श्री अच्यूत मैनन 1972 से 1977 तक रहे।

श्री जगन्नाथ राव : मैं इस बात पर आ रहा हूं वह कांग्रेस के समर्थन से सत्ता में रहे। अब कोई दल वहाँ ऐसा नहीं है यहाँ तक कि मार्क्सवादी पार्टियों को भी कांग्रेस का समर्थन नहीं है।

मुझे खुशी है कि श्री अच्यूत मैनन कांग्रेस के समर्थन से 5 वर्ष सत्ता में रहे।

कोई भी मार्क्सवादी सरकार 5 वर्ष तक नहीं रह पायी। ई० एम० एस० की

सरकार भी नहीं चल पाई। इसलिए यह कहना तर्क संगत नहीं कि मार्क्सवादी पार्टी की सरकार बननी चाहिए। श्री नयनार सरकार नहीं चला सके। उनका तो मुस्लिम लीग भी समर्थन नहीं करती थी। अतः तकनीकी आधार पर यह कहना उपयुक्त नहीं कि विपक्ष को अवसर दिया जाना चाहिए था। छूपा-छूपी का खेल कब तक चल सकता है? अतः राज्यपाल का विधान सभा भंग करना और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कराना उचित ही था। मैं 1957 से संसद का सदस्य हूं और इन वर्षों में केरल का इतिहास देखता रहा हूं। एक मंत्रिमंडल बनता है और टूट जाता है। केरल की राजनीति में तो यह नियमित बात हो गई है। अतः अब समय की राजनीतिक दल यह समझें कि राज्य में स्थिरता होनी चाहिए जिससे आर्थिक प्रगति हो सके। केरल भारत का एक प्रगतिशील राज्य है लोग पढ़े-लिखे हैं और साक्षरता का प्रतिशत बहुत अधिक है। लोग मेहनती हैं और वहाँ की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है। लेकिन राजनीतिक स्थिरता के बिना आर्थिक प्रगति सम्भव नहीं होती। मार्क्सवादी दल के सदस्यो द्वारा यह तर्क देना ठीक नहीं कि उन्हें सरकार बनाने की अनुमति मिलनी चाहिए थी। वे कार्य नही कर सकते उन्हें विधान सभा में समर्थन प्राप्त नहीं है। भारत के राजनीतिक इतिहास से पता चलता है कि कोई भी सविद सरकार, चाहे वह दो दलों की हो, ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती। उड़ीसा में पहले संविद सरकार थी लेकिन वह अधिक दिन तक नहीं चली। उसे भंग किया गया और पुनः चुनाव कराने पड़े। केरल में बहुदलीय वामपंथी सरकार में अनेक ग्रुप हैं क्या वे अधिक दिन तक टिक सकेंगे राजनीतिक विचार धारा की तो बात ही क्या है आर्थिक नीतियों पर भी क्या वे सहमत हो सकेंगे।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : आपके मित्र के साथ 12 दल थे।

श्री जगन्नाथ राव : जब मैं राज्यपाल के कार्य को उचित ठहराता हूं तो मैं कहता हूं कि बहुदलीय संविद सरकार किसी भी राज्य में सफल नहीं होगी। अतः राज्यपाल के के पास कोई विकल्प नहीं था। अतः केरल राजनीति के पिछले अनुभव के आधार पर उनका यह स्वविवेक उचित ही था। उन्होंने विपक्ष की मांग को नहीं माना।

लघु ग्रुप के एक सदस्य ने, जिसने सत्ताधारी दल से त्याग पत्र दे दिया है, पहले कहा कि वह स्वतंत्र सदस्य के रूप में बैठेगा और बाद में विपक्ष का समर्थन करने की बात कही। राज्य पाल ऐसे आचरण वाले सदस्य के कहने पर कैसे विश्वास कर सकते हैं जो अस्थिर है। उन्हें पता नहीं कि आज वह किस दल में है और कल किस दल में होगा। अतः केरल में राजनीति बहुत दूषित है और समय आ गया है कि वहाँ के लोग और राजनीतिक दल यह अनुभव करें कि वहाँ राजनीतिक स्थिरता लाई जाये। किसी राज्य में

संविद सरकार नहीं चल सकती। और केरल में तो बिल्कुल भी नहीं क्योंकि वहाँ कई घटक हैं। यह कहना ठीक नहीं कि केरल के साथ भेद-भाव हो रहा है। नारियल तेल और रबड़ का आयात किया जाता है। इससे केरल की अर्थ-व्यवस्था को हानि नहीं होगी वरन यह तो अर्थ-व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए है। हम आयात करके फिर निर्यात करते हैं। अफ्रीका से काजू आयात करते हैं और उनका परिष्करण करके निर्यात किया जाता है। यह प्रक्रिया राष्ट्र हित में ही है।

मेरा विपक्ष के नेताओं से अनुरोध है कि वे राज्यपाल की उद्घोषणा का समर्थन करें। राष्ट्रपति जी ने उचित ही यह उद्घोषणा की है और प्रशासन संभाला है ताकि केरल पर संसद का नियंत्रण रहे और लेखानुपात पास किए जा सकें।

श्री राम जेठमलानी (बम्बई उत्तर-पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान स्थिति में इस बात से हार्दिक रूप से सहमत हूं कि केरल विधान सभा भंग की जाए यह ठीक ही किया गया है। लेकिन मेरी शिकायत यह है कि विधान मंडल अक्तूबर, 1981 में ही भंग किया जाना चाहिए था। इसे किसी प्रयोजन से बनाए रखा गया। इस प्रयोजन के सम्बन्ध में औचित्य का गम्भीर प्रश्न उठ सकता है।

करुणाकरण मंत्रिमंडल 28 दिसम्बर, 1981 को गठित हुआ था। विधान सभा भंग न किए जाने से 21 अक्तूबर, 1981 से उन्हें दल-बदल करने हेतु दो मास से अधिक का समय मिल गया और उन्होंने अनैतिक बहुमत प्राप्त कर लिया। मुझे आश्चर्य होता है होता है कि सत्ता से हटने वाले नयनार मंत्रिमंडल ने राज्यपाल से विधान मंडल भंग करने की सिफारिश क्यों नहीं की। जब मैंने अपने मित्रों से पूछा तो उन्होंने कहा कि बड़ी गलती हो गई हैं। वे उचित समय पर यह सिफारिश करना भूल गए। इससे स्पष्ट है कि मन्त्री मण्डल तथा उसके सत्ता छोड़ने वाले मुख्यमन्त्री कार्य के लिए सक्षम न थे।

इस राज्य में मेरे दल की स्थिति बिल्कुल अलग है। मैं आक्षेप न करते हुए कहता कि हमारी स्थिति छछूंदर वाली हो गई है। एक ओर तो हमारे मित्र साम्यवादी दल हैं और दूसरी ओर सत्ताधारी कांग्रेस (ई) है। हम शायद कांग्रेस (ई) को अधिक बुरा समझते हैं। दोनों ही मास्को के हाथ में बिके हैं। लेकिन साम्यवादी दल कम से कम साफ-साफ कह तो देते हैं। लेकिन कांग्रेस (ई) वाले तो पश्चिम के साथ मित्रता का बहाना भी बनाते हैं। एक पर्दा डाले रखते हैं। साम्यवादियों का दृष्टिकोण हमारे समक्ष साफ तो हैं।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : क्या बढ़िया तर्क है ?

श्री राम जेठमलानी : दोनों ही लोकतंत्र के शत्रु हैं। लेकिन साम्यवादियों की एक बात साफ है कि यदि वे सत्ता में न आए तो लोकतंत्र को नष्ट करेंगे लेकिन कांग्रेस (ई) दल तो सत्ता में रहते हुए ऐसा करेगा। इसलिए मैंने छछूंदर वाली बात कही है।

प्रश्न यह है कि केरल के राज्यपाल का आचरण कैसा रहा? उनको मालूम था कि अक्तूबर, 1981 में राज्य में किस प्रकार का गठबंधन और जोड़-तोड़ था और तब भी उन्होंने बुद्धिमतापूर्ण, राजनीतिक कौशल से युक्त और नैतिक रूप से उचित दृष्टिकोण अपना कर विधान सभा भंग करने का निर्णय नहीं लिया और पुनः मतदान नहीं कराया। उन्हें राज्यपाल ने काफी जोड़-तोड़ करके विधानमण्डल भंग नहीं किया और एक मंत्रिमंडल बन गया जिसका जन्म ही बुराई से हुआ और वैसे ही समाप्त हो गया। उन्होंने अनैतिक दृष्टि से राजनीतिक दल-बदल करा कर बहुमत प्राप्त किया और अन्त में उसी प्रकार से उनका मंत्रिमण्डल टूट गया। अतः उनका जन्म और अन्त दोनों ही अनैतिक थे। उनके लिए दुःख प्रकट करने का कोई अर्थ नहीं। मुझे खुशी है कि उनका पतन हो गया। वे इसी योग्य थे।

उन्हीं राज्यपाल को, जिन्होंने तय किया कि 70/70 के मतों के विभाजन से और अध्यक्ष की सहायता से मंत्रिमंडल बन सकता है, बाद में गणना सम्बन्धी नया विचार आया। राज्यपाल के प्रतिवेदन में कहा गया है कि करुणाकरण मंत्रीमंडल में एक सदस्य के निकल जाने से, राज्य के सत्ताधारी लोकतांत्रिक मोर्चे में 69 सदस्य रह गए। अतः निश्चित रूप से दूसरी ओर 71 सदस्य रह गए होंगे। अतः अब राज्यपाल ने सोचा कि अब 71 सदस्यों वाले ग्रुप को सरकार बनाने के लिए नहीं कहना चाहिए और अल्पमत वालों को सरकार बनाने के लिए कह दिया। यह तो दोगली नीति हुई जिससे हमारे विचारानुसार जनता की नैतिकता पर ही आघात होता है। हम देश में गलत उदाहरण रख रहे हैं और हमारे राज्यपाल मशीनी पुर्जे हो गए हैं जिनकी संविधान और उसकी भावना के प्रति कोई निष्ठा नहीं। लेकिन उनकी निष्ठा अपने नियुक्त करने वाले तथा शक्तिधारी लोगों के प्रति है।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : आपको पता है कि श्रीमती ज्योति वेंकटचलम बहुत सम्मानित महिला हैं और उन्हें इस सरकार ने राज्यपाल नियुक्त किया था और उनकी प्रतिष्ठा आपको पता ही है। मुझे आशा है कि श्री जेठमलानी मुझसे सहमत होंगे कि जब हम सरकार पर बदनीयती का दोषारोपण करते हैं, राज्यपाल स्वविवेक से कार्य कर सकता है, संविधान के अनुसार चल सकता है।

श्रीमति सुशीला गोपालन : वह इसे कार्यवाही से निकालना चाहते हैं।

श्री राम जेठमलानी : मैं इस सम्मानित महिला के बारे में यह मान कर चलता हूं कि जनता सरकार उन्हें अच्छे राजनीतिक व्यक्तित्व की महिला मानती थी। हमने कभी उन्हें राजनीतिक सत्ता का दुरुपयोग करने वाली नहीं बताया। किसी वस्तु का स्वाद खा कर ही पता चलता है। उनकी कसौटी यह है कि जब नए राजनीतिक सत्ता प्राप्त व्यक्ति उन्हें अनैतिक कार्य करने को कहते हैं तो क्या वह उसका विरोध करती हैं या नहीं।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : वह बहुत सुयोग्य हैं।

श्री राम जेठमलानी : हमने उनकी इस प्रकार की कोई जाँच नहीं की। उन्होंने उनकी इस प्रकार से जाँच की थी। तथापि दो कारणों के साथ-साथ मौजूद होने से राज्यपाल ने ठोस राजनैतिक कार्यवाही की। एक कारण राज्यपाल का अपना राजनैतिक स्वार्थ है दूसरा कारण केन्द्र में मंत्रिमंडल का राजनैतिक स्वार्थ है जो उस समय शासन कर रहा है।...(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन (पवेलीकारा) : राज्यपाल के नाम का उल्लेख किया गया है और आरोप लगाए गए हैं। वह उत्तर देने के लिए यहाँ उपस्थित नहीं हैं। इन शब्दों को कार्यवाही वृत्तांत से हटा दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड देखूंगा।

श्री राम जेठमलानी : हम राज्यपाल द्वारा विधानमंडल को भंग करने के सम्बन्ध में सिफारिश करने की कार्यवाही पर विचार कर रहे हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : नहीं, नहीं, आप संविधान के सम्बन्ध में बात नहीं कर रहे हैं। मेरे विचार से आप राज्यपाल के व्यक्तित्व पर एक अनुचित आरोप लगा रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : राज्यपाल दोहरा मापदंड अपना रहे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड देखूंगा।

श्री राम जेठमलानी : रिकार्ड देखने में कुछ नहीं रखा है। मुझे यह कहने का हक है कि राज्यपाल ने अक्तूबर, 1981 में यह विश्वास दिलाया था कि 70 : 70 व्यवहार्थ है लेकिन 1982 में 69 : 71 का अनुपात व्यवहार्थ नहीं है। आप राज्यपाल की रिपोर्ट को पढ़ें। जब तक मैं अपने दस्तावेजों को पढ़ नहीं लेता मैं नहीं बोलता हूं। अब मैं यह

कहता हूं। संविधानिक कानून का छात्र होने के नाते मेरा यह विश्वास है कि सत्ता से जाने वाले प्रत्येक मुख्य मंत्री को विधान मंडल के भंग करने की सिफारिश करने का अधिकार है। जिस मुख्य मंत्री ने अपने विधान मंडल का विश्वास खो दिया है उसे भी राजनैतिक प्रधान के पास कानूनी प्रधान के विरुद्ध अपील करने का अधिकार है और विधान मंडल को भंग करने की सलाह देने का अधिकार है और राज्यपाल उसकी सलाह के अनुसार चलने के लिए बाध्य है। मेरे, श्री करुणाकरण की सरकार से कुछ भी भेदभाव हो सकते हैं और इसके अनैतिक रूप बनने अथवा इसके अनैतिक रूप से समाप्त होने के सम्बन्ध में कुछ भी विचार हो सकते हैं, तथापि मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है कि राज्यपाल विधान मंडल को भंग करने के लिए बाध्य था तथा भंग करने के सम्बन्ध में उसे सलाह देने का संविधानिक अधिकार है। तथा राज्यपाल ने उस सलाह को मानकर कोई गलत कार्य नहीं किया।

यह कार्यवाही करने का एक और अन्य कारण बताया है जिससे यह बात उनके हाथ से निकल गयी है। यदि राज्यपाल ने कहा होता कि पहला कारण यह था कि श्री करुणाकरण उनसे आज मिले और उन्होंने मुझे मंत्रिपरिषद की यह सिफारिश भी दी कि राज्य विधान मंडल को भंग कर दिया जाए और इसलिए मैं उनके त्याग पत्र को स्वीकार कर रही हूं और विधान मंडल को भंग करने की आगे कार्यवाही कर रही हूं।" मुझे उनकी (राज्यपाल) की कार्यवाही से कोई आपत्ति नहीं होती क्योंकि श्री करुणाकरण मुख्य मंत्री थे और वे संविधानिक रूप से विधान मंडल को भंग करने की सलाह देने के लिए सक्षम थे। लेकिन उन्होंने इससे भी आगे कार्यवाही की है। मैं इससे व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट हूं कि कोई वैकल्पिक, व्यवहार्य तथा स्थिर सरकार बनाने की कोई सम्भावना नहीं है। अब यह वक्तव्य तथ्यात्मक रूप से गलत है। वास्तविकता यह है कि यह वक्तव्य इतना गलत है कि मैं यही कहूंगा कि यह राजनैतिक औचित्य तथा ईमानदारी से दूर भागना है। केवल इस कारण कि 15 तारीख को उन्हें एक सदस्य के दल बदलने का पता लगा जिसके परिणामस्वरूप बहुमत 70 से घटकर 69 हो गया तब उन्होंने यह बताया कि 17 तारीख को करुणाकरण आये और उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया। उन्होंने उन्हें बुलाने का कोई प्रयास कब किया था जिनके पास 71 सदस्यों का बहुमत था और वे सरकार बना सकते थे। तथा उन्होंने नयी सरकार की व्यवहार्यता, स्थिरता या शक्ति का कब परीक्षण किया था। अतः यह वक्तव्य किसी के कहने पर दिया गया है। उन्हें पहले कारण से ही संतुष्ट हो जाना चाहिए था लेकिन उसने जो दूसरा कारण बताया है उससे अनैतिक राजनीति का भंडाफोड़ होता है और उससे केवल केन्द्रीय सरकार के दृष्टिकोण का पता लगता है।

अब इससे एक अन्य गम्भीर प्रश्न उठता है। अब कांग्रेस (आई) विधान मंडल को

भंग करने के लिए उत्सुक क्यों है जिसके लिए कांग्रेस (आई) केवल कुछ महीने पहले सहमत नहीं थी। कुछ महीने पहले राज्यपाल को विधान मंडल को भंग करने के सम्बन्ध में इस प्रकार की सलाह कभी नहीं प्राप्त हुई थी। लेकिन हमारा यह संदेह है और यह संदेह ठीक भी है कि आजकल आप राज्य सभा के संगठन के बारे में बुरी तरह चिंतित हैं आप राज्य सभा में सत्ताधारी पार्टी के बहुमत के बारे में चिंतित हैं, कि आप नहीं चाहते हैं कि··· (व्यवधान)

आपको प्रत्येक सीट के बारे में चिन्ता है क्योंकि आप राज्य सभा में अपना दो तिहाई बहुमत बढ़ाना चाहती हैं ताकि आप संविधान में कुछ जघन्य संविधानिक परिवर्तन तथा संशोधन कर सकें। हमने अपने संदेह को व्यक्त कर दिया है। हमने अपनी इस आशंका को व्यक्त कर दिया है और दुर्भाग्यवश उस भ्रम को दूर करने के लिए कुछ नहीं किया गया है अतः उस भ्रम में कोई कमी नहीं हुई है और वह भ्रम जैसे का तैसा बना हुआ है और अब वह संदेह अपनी पराकाष्ठा पर है।

जब राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के प्रस्ताव पर इस सदन में वाद विवाद चल रहा था उस समय, प्रो० एन० जी० रंगा तथा श्री हरि किशन लाल भगत ने विपक्ष से सहयोग देने के लिए अपील की थी उस दिन विपक्ष की ओर से केवल मैं ही एक वक्ता था तथा मैंने खड़े होकर यह कहा था कि हम इस सरकार को उससे ज्यादा सहयोग देंगे जितना सहयोग यह सरकार चाहती है।

हम उन्हें इतना सहयोग देंगे वे परेशान हो जायेंगे तथापि इसकी कुछ शर्तें हैं मैंने कहा था "पहली शर्त यह थी कि "विपक्ष की सभी आशंकाओं को दूर किया जाए तथा विपक्ष को सीधे, स्पष्ट तथा निश्चित शब्दों में यह बताया जाए कि आपका संविधान में अनुचित संशोधन करने तथा संसदीय प्रणाली की सरकार की जगह अन्य प्रकार की सरकार बनाने का कोई इरादा नहीं है। तथा सरकार की इस संसदीय प्रणाली को जिसे महीम राज्यनीतिज्ञों ने हमें दिया था, उन राज्यनीतिज्ञों ने जिनके हम चरणों में भी बैठने लायक नहीं हैं। इस संविधान तथा इस प्रकार की सरकार को महान बुद्धिजीवियों द्वारा बनाया गया था आज इस देश में छोटे तथा बौने लोग उन महापुरुषों के चिरस्थायी कार्य को अपने कार्य से खराब करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वे अपने भ्रष्टाचार तथा असक्षमता के परिणामों को इससे छिपाना चाहते हैं। आप दूसरी किस्म की सरकार चाहते हैं जिसमें कम छानबीन हो, कम प्रश्न पूछे जायें आपके धोखों और आपके गलत कार्यों का कम भंडाफोड़ हो प्रधान मंत्री अपने उत्तर में केवल यह कह सकी कि विपक्ष ने अब हमें सहयोग देने का वायदा किया है। वस्तु स्थिति यह थी कि एक सदस्य ने शर्त रखी थी। मुझे इस बात की खुशी है कि उसने यह नहीं कहा था कि उसके सहयोग देने से पहले उसके मित्रों को मंत्रिमंडल में लिया जाए।

यदि प्रधान मंत्री अपनी प्रशंसा स्वयं करना चाहती है, इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। प्रधान मंत्री को अपनी प्रशंसा स्वयं करने का अधिकार है कि मैं वहाँ अन्य कुछ लोगों की तरह जाने को तैयार हूं जो यहां से गए हैं। मैं ऐसा इसलिए कह सकता हू कि यदि मेरी पार्टी सत्ता में भी आती है, तो भी मैं मंत्री अथवा प्रधान मंत्री नही बनूंगा क्योंकि मुझे जीवन में कुछ अच्छे कार्य करने हैं।

लेकिन यदि प्रधान मंत्री इस बात पर फूल रही हैं कि विपक्ष सहयोग देने को तैयार है और वह प्रधान मंत्री के मंत्रिमंडल में अपने कुछ मंत्री चाहते हैं। प्रधान मंत्री को यह बात समझ लेनी चाहिए कि हम केवल इसलिए सहयोग दे रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि देश को समस्याएं आपके सहयोगियों से नहीं सुलझने वाली हैं तथा हम राष्ट्रीय प्रगति तथा देश के हितों को ध्यान में रखकर आपके सहयोग देने को तैयार हैं, और आपके साथ बैठने को तैयार हैं तथा आपकी समस्याओं को सुलझाने में आपकी मदद करने को तैयार है जो विपक्ष का एक सामान्य कार्य नहीं है।

विपक्ष का कार्य केवल आपकी असक्षता तथा गलत कार्यों को बताना है।

सरदार जैलसिंह ने गृह मंत्रालय के अनुदान के सम्बन्ध में तारीख 24 को हुए वाद-विवाद के उत्तर में दूसरे दिन हमें यह बताने का प्रयास किया था कि जो व्यक्ति देश में संविधानिक परिवर्तनों की आशंका कर रहे हैं वे भ्रम की दुनियां में रह रहे हैं। उसने यह कहा था कि उनके दिमाग में कुछ भ्रम है और उन्होंने इस भ्रम को दूर करना चाहा। मैं चाहता हूं कि मैं सरदार जैल सिंह की बात को गम्भीरता से लूं क्योंकि उन्हें बेतुके वक्तव्य देने की आदत है।

जब हम असम पर वाद-विवाद करेंगे तब मैं यह बताऊंगा कि गत वर्ष मई के महीने में एक निश्चित दिन उन्होंने राजस्थान में किसी जगह यह कहा था कि असम समस्या हल हो गयी है। मुझे 3,10,000 गैर-कानूनी प्रवासी नागरिकों का पता लगा है और मैं उन्हें हटाने के लिए कार्यवाही कर रहा हूं। "सात दिनों के भीतर वह उसी राज्य में दूसरे शहर में गये और उन्होंने यह कहा कि "असम समस्या अब पूरी तरह हल हो गयी है। सभी 3,10,000 प्रवासी नागरिकों को देश से बाहर भेज दिया गया है और अब कोई समस्या नहीं है।" और ऐसी कोई समस्या भी नहीं है। उनका बयान गैर-जिम्मेदारी वाला है और इसलिए, मैं चाहता हूं कि उनके बयानों में कुछ तो विश्वसनीयता जोड़ दूं। लेकिन प्रधान मंत्री इस प्रकार की बातों को सुलझाने के लिए दूसरों का सहारा क्यों लेती हैं, वह इन्हें सुलझाने के लिए सरदार ज्ञानी जैल सिंह पर क्यों छोड़ती हैं? वह एक सीधा साधा बयान क्यों नहीं दे देतीं, वह यहां बयान देना नहीं चाहतीं तो कम से कम इंगलैंड में ही सही जहां से उन्होंने लोकतंत्र का व्रत लिया है?

उपाध्यक्ष महोदय : वह लौट चुकी हैं।

श्री राम जेठमलानी : वह वहां थीं। मैंने उनका अंतिम बयान आज सुबह ही पढ़ा है। उन्हें वहां कम से कम यह तो कहना ही चाहिए था कि किसी भी तरह के राष्ट्रपति बनने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाने के बारे में हम सुनते रहते हैं। एक दिन किसी ने यह प्रश्न पूछा—कि क्या आप राष्ट्रपतीय प्रणाली की सरकार को लोकतांत्रिक मानती हैं? यदि श्रीमती गांधी यह घोषणा करती हैं कि "मैं रीगन प्रणाली की सरकार चाहती हूं।" हो सकता है कि इस देश के बुद्धिजीवी इस बारे में विचार करें। लेकिन मुझे यह हमेशा संदेह रहा है कि वह ईदी अमीन किस्म की सरकार बनाने के बारे में सोच रही है, और वह सरकार ऐसी है जिसका हममें से कोई समर्थन नहीं कर सकता।

आप जो अनुदान लाये हैं उन पर हमारी स्वीकृति चाहते हैं। मैंने पहले भी कहा है और फिर यही कहूंगा कि यह ससद के वित्तीय नियंत्रण के नाम पर एक जालसाजी है। यह लोकतंत्र के नाम पर धोखा है। यह संविधान के उन उपबंधों का मजाक उड़ाना है जिन्हें संविधान में कार्यपालिका के खर्चों पर ससद द्वारा वित्तीय नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया है। सही मायनो में तो हमसे यह कहा जाता है कि हम जनता के धन के साथ विश्वासघात करें। उदाहरण के लिए, यदि आप यह कहें कि पुलिस शीर्ष के अंतर्गत हमें एक करोड़ रुपया पुलिस के लिए चाहिए तो हम यह जानना चाहेंगे कि यह रुपया उन्हें अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए दिया जा रहा है या उनकी शिक्षा अथवा जीवन-स्तर सम्बन्धी परिस्थितियों में सुधार करने के लिए दिया जा रहा है या आप पुलिस बल में वृद्धि करना चाहते हैं और लोगों को मारने के लिए उन्हें और बन्दूकें देना चाहते हैं। इसलिए इन मुद्दों पर पूर्ण जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी है और बिना इस किस्म की सम्पूर्ण जानकारी के हमारा इस अनुदान को स्वीकार करना एकदम असम्भव है। इसलिए, हम जानते है कि आपने हमें ऐसी स्थिति में डाल दिया है जिसमें लेखानुदान का पारित किया जाना आवश्यक है; अन्यथा एक समस्या खड़ी हो जायेगी। आप इसे अपने बहुमत से पास कर देंगे, लेकिन हम विपक्षी लोग इससे असंतुष्ट रहेंगे, निराश रहेंगे और क्रोधित होकर यह कहेंगे जो कुछ करना है करो भगवान आपको सद्बुद्धि दे, लेकिन हम आपको अपना समर्थन नहीं देंगे।

***श्री वी० एस० विजयराघवन (पालघाट) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति की उद्घोषणा का तथा केरल के लेखानुदान का पूर्णतया समर्थन करता हूं। यदि आप

*मलयालम में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

स्वतंत्रता के बाद से केरल के इतिहास को देखें तो आपको पता लगेगा कि मेरे विपक्षी मित्रों को केरल में शासन चलाने का तीन बार अवसर मिला है। लेकिन इन तीनों ही अवसरों पर वह अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर सके। 1956 मे केरल के पुनर्गठन के बाद, 1957 में राज्य की विधान सभा के लिए चुनाव हुए थे जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ था और श्री ई० एम० एस० नम्बूद्रीपाद के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ था। परन्तु जन असन्तोष के कारण उस सरकार को अपने कार्यकाल पूरा होने से बहुत पहले ही हटना पड़ा था। उनका कहना है कि इसे केन्द्रीय सरकार ने बर्खास्त किया था। वास्तव में हुआ यह था कि वे स्वर्गीय पंडित नेहरू जी से आकर मिले और उनसे अनुरोध किया कि वह सरकार को बर्खास्त कर दें क्योंकि वे लोग जन असंतोष का सामना नहीं कर सकते। उन्हें फिर 1967 में सरकार बनाने का अवसर मिला। उन्होंने संयुक्त मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ा था और भारी बहुमत से उनकी विजय हुई थी। लेकिन संयुक्त मोर्चा भी बहुत दिन तक नहीं चल सका। अनेकों मुद्दों पर मोर्चे के घटकों में भारी मतभेद पैदा हो गए। आपसी खींचतान ने संघर्ष का रूप धारण कर लिया। विधान सभा और विधान सभा के बाहर दोनों ही जगह खुले तौर से आरोप और प्रत्यारोप लगाए जाते रहे। अंततः संयुक्त मोर्चे की सरकार का भी 1969 में पतन हो गया। इसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के श्री अच्युत मेनन कांग्रेस पार्टी के समर्थन में मुख्य मन्त्री बने।

श्री अच्युत मेनन केरल विधान सभा के सदस्य नहीं थे। यद्यपि उन्होंने शुरू में यह कहा था कि केरल में कांग्रेस के समर्थन से कोई सरकार नहीं बनेगी, फिर भी उन्हें सरकार का गठन करने के लिए कांग्रेसी नेता श्री के० करुणाकरण का समर्थन लेना पड़ा। वह सरकार 1970 तक चली। 1970 में हुए चुनाव में संयुक्त मोर्चे ने, जिसमें कांग्रेस पार्टी एक प्रमुख सहयोगी के रूप में शामिल थी, बड़ी सुगमता से बहुमत प्राप्त कर लिया। श्री अच्युत मेनन के नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि उस संयुक्त मोर्चे ने न केवल पांच वर्ष का सम्पूर्ण कार्यकाल ही पूरा किया बल्कि उसके बाद भी, सत्ता में बना रहा।

बाद के चुनाव में भी संयुक्त मोर्चा, जिसमें कांग्रेस एक प्रमुख सहयोगी थी, पर्याप्त बहुमत से जीता था और श्री के० करुणाकरण के नेतृत्व में सत्ता में आया था। दुर्भाग्यवश वह मुख्यमंत्री के रूप में ज्यादा दिन नहीं रह सके और न्यायालय के समक्ष अपने आपको निर्दोष सिद्ध करने के लिए उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। अब हम जानते ही हैं कि 1980 में क्या हुआ। वामपंथी मोर्चा सत्ता में आया और श्री ई० के० नयनार उसके मुख्यमंत्री बने। वामपंथी मोर्चे को विधानसभा की 140 सीटों में से 93 सीटें मिली

थीं। फिर भी वे ज्यादा दिन सरकार नहीं चला सके। सारा संसार जानता है कि वे सत्ता में क्यों नहीं रह सके और अपना कार्यकाल क्यों नहीं पूरा कर सके। केन्द्रीय सरकार ने इसमें कतई कोई हस्तक्षेप नहीं किया था। न ही कांग्रेस की ओर से इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया गया था। परन्तु फिर भी वामपंथी मोर्चे की सरकार का पतन हो गया क्योंकि मुख्यमंत्री श्री नयनार, अपने मंत्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं रख सके और न ही संयुक्त मोर्चे के घटक दलों पर उनका कोई नियंत्रण रहा। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि श्री अच्युत मेनन जैसे व्यक्ति को, जो वामपंथी संयुक्त मोर्चे के घटकों में से एक थे, यह कहना पड़ा था कि नयनार मंत्रालय के 17 मंत्रिगण 17 अलग-अलग मंत्रि-मण्डल हैं। यह ऐसी सरकार थी जिसने सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को तिलांजलि दे दी थी। मार्क्सवादियों के साथ मिलकर चलने में घटक दलों ने अपने आपको असुरक्षित महसूस किया। उनमें गम्भीर मतभेद पैदा हो गए थे। अंततः कांग्रेस (एस०) और केरल कांग्रेस को सरकार से अलग हटना पड़ा। वह समय राजनीतिक हत्याओं का समय था ...(व्यवधान)। इस तथ्य के बावजूद कि वामपंथी मोर्चा भारी बहुमत में था, वह सरकार नहीं चला सका। कानून और व्यवस्था भंग हो गई और राजनीतिक हत्यायें आये दिन की बात हो गईं। स्थिति इतनी गम्भीर हो गई कि तलीचेरी निर्वाचन क्षेत्र से चुने गये मार्क्सवादी पार्टी के एक विधायक तक भी अपने आपको इतना असुरक्षित समझने लगे कि उन्हें खुलेआम सड़क पर चलने में भी डर लगने लगा। संयुक्त मोर्चे के सहयोगी लोग हिंसा के आतंक से सदैव भयभीत रहने लगे। अनेकों राजनीतिक हत्यायें हुईं। तब श्री एन्थोनी के नेतृत्व में कांग्रेस और श्री के० एम० मणि थी केरल कांग्रेस संयुक्त मोर्चे से अलग हो गए।...(व्यवधान), जब आपकी बारी आयेगी, आप उस समय बोल लीजिए। आप मुझे बीच में क्यों ठोकते हैं ? या तो आप मुझे बोलने दें या फिर जब तक आप बोलेंगे मैं चुप रहूंगा। महोदय, मैं यह कह रहा था कि राजनीतिक हत्यायें एक आम बात हो गई थीं। मैं उनके आंकड़े नहीं देना चाहता। चर्च और मन्दिरों तक को लूटा जाता रहा था। इस प्रकार से कानून और व्यवस्था का तन्त्र पूर्णतया भंग हो चुका था। हर व्यक्ति इस बात को मानेगा कि नयनार और टी० के० रामाकृष्णन के समय में केरल में मानव जीवन का कोई मूल्य ही नहीं था। उनके सत्ता से हटने के बाद श्री के० करुणाकरण के नेतृत्व में जनप्रिय सरकार ने सत्ता सम्भाली। फिर भी मेरे विपक्षी मित्रों ने यही रट लगाए रखी कि करुणाकरण की सरकार को विधानसभा में बहुमत प्राप्त नहीं था। परन्तु बहुमत तो विधानसभा में ही सिद्ध किया जा सकता था न कि सड़कों पर और विधान सभा में बहुमत सिद्ध कर दिया गया। विपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष के प्रति एक अविश्वास प्रस्ताव रखा और वह भी रद्द कर दिया गया। सभी मोर्चों पर असफल रहने के बाद वे इतने हताश हो गए कि आखिरकार उन्होंने विधायकों की खरीद-फरोख्त करनी शुरू कर दी। पर मेरे मित्र श्री इम्बिचीबावा यहाँ बैठे हैं, उन्होंने

यह कहा था कि केरल में केन्द्र ने हस्तक्षेप किया है। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह उन्हीं की पार्टी नहीं थी जिसने विधायकों की खरीद-फरोख्त शुरू की थी और इस तरह से श्री नाम्बादान को अपनी ओर मिलाया था (व्यवधान)। मार्क्सवादी पार्टी निर्णायक मत के बारे में बात कर रही थी। परन्तु, नाम्बदान के दल बदलने के बाद उन्होंने निर्णायक मत के बारे में क्यों नहीं सोचा। आज वे केरल की सड़कों पर हुड़दंग मचा रहे हैं क्योंकि उन्हें सरकार बनाने के लिये आमंत्रित नहीं किया गया है। वास्तव में वे लोग हताश हैं क्योंकि वे सरकार नहीं चला सके और उन्हें त्याग-पत्र देकर सत्ता से हाथ धोना पड़ा। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए महोदय, विधानसभा भंग करने सम्बन्धी सरकारी कार्यवाही का मैं पूरी तरह समर्थन करता हूं। सरकार ने विधायकों की खरीद फरोख्त को प्रोत्साहन नहीं दिया। सरकार ने पूरी तरह से संवैधानिक कार्य किया है। इस प्रकार गलत आलोचना करने का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि एक बार बहुमत मिल जाने के बाद भी वह सरकार नहीं चला सके। मैं उनसे यह पूछता हूं कि वे सरकार क्यों नहीं चला सके। विधानसभा की बैठक कुछ ही दिनों के बाद होने वाली थी, वे विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव ला सकते थे। वे विधानसभा में बजट का विरोध कर सकते थे। मेरे मित्र यह कह रहे हैं कि राज्यसभा के चुनावों से ठीक पहले ही विधानसभा को भंग कर दिया गया। चुनावों तक प्रतीक्षा क्यों नहीं की ? यदि आपका बहुमत था तो आप दोनों ही सीटें जीत क्यों नहीं गए। लेकिन आपने उस समय तक प्रतीक्षा नहीं की। इसका कारण यह है कि आपको यह अनुमान था कि जब भी विधानसभा की बैठक होगी विपक्ष के तीन सदस्य सत्ता में शामिल हो जायेंगे। इसीलिए आप विधायकों की खरीद-फरोख्त में जल्दी कर रहे थे। राज्यपाल की कार्यवाही से आपकी सारी योजनायें धरी रह गईं। मैं राज्यपाल की कार्यवाही का पूरी तरह समर्थन करता हूं।

इतिहास ने यह सिद्ध कर दिया है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने भारी बहुमत प्राप्त करने के बाद भी केरल को कभी स्थायी सरकार नहीं प्रदान की। जहाँ तक राजनीतिक स्थिरता का सम्बन्ध है यह तभी सम्भव सका है जबकि वहाँ कांग्रेस पार्टी के सहयोग से सरकारें बनी हैं और तभी केरल में स्थिरता आई है तथा वहाँ की प्रगति हुई है। केवल कांग्रेस कांग्रेस समर्थित मोर्चे की सरकार ने ही अपना कार्यकाल पूरा किया है। सबसे पहले तो स्वर्गीय श्री आर० शंकर और उनकी मंत्रिमंडल ने 1960 के पूर्व दशक में साढ़े चार वर्ष का कार्यकाल पूरा किया था। इस अवधि के दौरान अनेकों महत्वपूर्ण जन-कल्याण के कार्य किये गये थे। विधवाओं, बेसहारा, लोगों तथा विकलांगों को पेंशन देने का कार्य सबसे पहली बार उन्होंने शुरू किया था। इसी अवधि में ही केरल में कृषक-सम्बन्धों के बारे में कानून भी बनाए गए थे। श्री अच्युत मेनन के नेतृत्व वाली सरकार ने, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक प्रमुख सहयोगी के रूप में शामिल थी, बाद में महत्वपूर्ण भूमि सुधारों

को लागू किया था। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति जो केरल के स्वतंत्रता पश्चात के राजनीतिक इतिहास से जरा भी परिचित है, यह पता लगा सकता है कि यह केवल कांग्रेस समर्थित सरकारें ही थीं जिन्होंने केरल में महत्वपूर्ण एवं प्रगतिशील जन कल्याण के कार्य शुरू किये थे। कोई भी व्यक्ति इससे इन्कार नहीं कर सकता। इसलिए भविष्य में भी केवल वही सरकार केरल में स्थायित्व प्रदान कर सकती है जिसमें कांग्रेस पार्टी की प्रमुख भूमिका होगी। मैं अपने विदेशी मित्रों को यह चुनौती देता हूं कि वे राजनीतिक रणभूमि में आयें और मुकाबला करें। तब पता लगेगा कि किसकी जीत होती है और किसकी हार। मैं पुरजोर घोषणा करता हूं कि आगामी चुनावों में संयुक्त प्रजातांत्रिक मोर्चा ही केरल में भारी बहुमत से सत्ता में आएगा। किसी के भी मन में इस बात के लिए किसी भी शक की गुंजायश नहीं होनी चाहिये।

महोदय, मैं केरल के बजट के सम्बन्ध में एक-दो शब्द कहना चाहता हूं। हालांकि केरल में इस वर्ष जितनी योजनागत परिव्यय की आवश्यकता है, उसे उतना नहीं दिया गया है। उन्होंने 305 करोड़ रु० की माँग की थी, परन्तु केवल 275 करोड़ रुपए ही उन्हें दिया गया है, इतनी ही राशि पिछले वर्ष भी उसे दी गई थी। यह राशि केरल की योजनागत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसीलिए, मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस योजनागत परिव्यय में और वृद्धि करें। केरल एक ऐसा राज्य है जो विदेशी मुद्रा के अर्जन में हमें बहुत अधिक योगदान दे रहा है। केरल में शिक्षित पुरुषों और महिलाओं में बेरोजगारो की समस्या बहुत भयंकर है। उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिये, वहाँ और अधिक उद्योग स्थापित किए जायें। इसके लिए और अधिक केन्द्रीय निवेश की आवश्यकता है। मेरा अनुरोध है कि इस समस्या पर गम्भीरता से विचार किया जाए। इसी प्रकार, रेलवे के क्षेत्र में भी केरल काफी पिछड़ा हुआ है। रेलवे लाइनों के विषय में हमारा राष्ट्रीय औसत एक लाख जनसंख्या पर 10 किलोमीटर है जबकि यही औसत केरल में एक लाख जनसंख्या पर केवल 4 किलोमीटर है। यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं जारी रहने देनी चाहिए। मैं मन्त्री महोदय को पुनः याद दिलाता हूं कि वह पालघाट में एक कोच फैक्टरी की स्थापना करने की आवश्यकता पर विचार करें। मैं यह भी चाहता हूं कि पालघाट को पिछड़ा हुआ जिला घोषित किया जाए। इसी प्रकार, मेरी यह भी मांग है कि ऐजीमाला में एक नौ सैनिक अकादमी थी स्थापना की जाए।

श्री नयनार के शासन काल में औद्योगिक वातावरण औद्योगिक विकास के अनुरूप नहीं था। अब यह वातावरण बदल गया है, इसलिए वहाँ नए उद्योग स्थापित किए जाने चाहियें।

मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता। वस्तुतः मैं विपक्ष को अधिक मौका देना चाहता हूं। केरल में चावल की मांग की पूर्ति की जानी चाहिए।...(व्यवधान) हाँ, केरल भारत का ही एक अंग है। अन्यथा, श्री बालानंदन और मैं यहां कैसे बैठे होते...(व्यवधान)। हाँ मैं जानता हूं कि आप अपने देश के प्रति वफादार नहीं हैं। इसीलिए आप ऐसा सोच रहे हैं। मेरा यही अनुरोध है कि आपको अपनी मातृभूमि के प्रकि वफादार होना चाहिए न कि किसी और देश के प्रति। आपको यह अवश्य ध्यान रखना होगा कि केरल भारत का ही एक भाग है मैं इस पर अधिक नहीं कहना चाहता केरल की आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए...(व्यवधान) मैं अपने मित्र श्री उन्नीकृष्णन को चुनौती देता हूं, देख लेंगे कि अगले चुनाव के बाद उनकी पार्टी विधान सभा में आती भी है या नहीं...(व्यवधान)। हाँ, नीलम की पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि विधानसभा में नहीं आया मैं उनको चुनौती देता हूं कि वे राजनीति के कुरुक्षेत्र में आएं।

श्रीमन्, मैं एक बार फिर उद्घोषणा और बजट का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री के० ए० राजन ! आपकी पार्टी के लिए पांच मिनट का समय नियत है...(व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : समय नियत है। इसकी मुझे घोषणा करनी पड़ती है।

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन : उन्होंने बजट पर कुछ नहीं कहा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उनका समय क्यों नष्ट करते हैं ? मुझे पता है वे हमेशा पीठासीन अधिकारी की आज्ञा मानकर चलेंगे। श्री के०ए० राजन कृपया संक्षेप में कहें।

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : श्रीमन्, मैं इस संकल्प का घोर विरोध करता हूं। सभी तरह से यह अनैतिक, गैर-कानूनी और असंवैधानिक है। इसका विरोध करते हुए मुझे खुशी है कि करुणाकरण मंत्री मंडल की सरकार जो अल्पमत में रहते हुए घुसपैठ करके सत्ता में आई थी, स्वाभाविक समय से पूर्व समाप्त हुई है। जिस दिन उन्हें राज्य का मुख्य मंत्री बनाया गया था तब उनसे कहा गया था कि आप सरकार बनाए रखें और लेखानुदान पास हो जाने तक सत्ता में बने रहें और राज्य में नए चुनाव करवाएं। परन्तु दुर्भाग्य से यह खेल जमा नहीं। यही कारण है कि लोग बहुत अधिक क्षुब्ध और चिन्तित है अथवा इस बात से गिर रहे हैं जो हम यहाँ कर रहे हैं। करुणाकरण मन्त्री मण्डल को 17 मार्च को त्याग पत्र देना पड़ा। सदस्यों की संख्या को देखते हुए विधान सभा में क्या स्थिति थी ? यह काफी स्पष्ट था कि उन्हें इसलिए त्याग पत्र देना पड़ा कि वे अल्पमत में

रह गए थे । यदि आप देश में जनतंत्री प्रक्रिया के संपूर्ण इतिहास को देखें रखें आप पायेंगे कि इस देश में कभी भी लोकतांत्रिक मानदंडों का विचलन नहीं किया गया है । दुर्भाग्य से जब नयनार मंत्री मण्डल ने त्याग पत्र दिया, क्योंकि उसका बहुमत नहीं रह गया था, तब क्या हुआ ? राज्यपाल ने जो कदम उठाया वह क्या था ? उस समय यह स्पष्ट था कि विपक्ष में सदस्यों की संख्या 67 थी । परन्तु जब नयनार ने त्याग-पत्र दिया तब विधान सभा की स्थगन अवस्था में रखा गया । यदि आप इस देश में विभिन्न परिस्थितियों या घटनाओं को देखें तो, जहाँ गैर-कांग्रेस-ई की सरकार ने सत्ता छोड़ दी या त्याग पत्र दे दिया, आप जान जाएगे कि उस समय राज्यपाल ने क्या कदम उठाया था । विधान सभा को कुछ समय के लिए स्थगन अवस्था में रखा गया था । लेकिन अब जब कांग्रेस-इ की सरकार के त्याग पत्र देने का मामला आया तो केन्द्र ने क्या कदम उठाया ? उन्होंने विधान सभा को भंगकर दिया । कई उदाहरण हैं । वे अलग-अलग मापदंड क्यों अपनाते हैं ? मुझे इसकी कतई चिन्ता नहीं है कि केरल में चुनावों के बाद क्या होगा ? हमें विधान सभा के भंग किए जाने की भी चिन्ता नहीं है । बात यह है कि जब पहली बार नयनार की सरकार ने सत्ता छोड़ी थी तब उसने राज्य में विधान सभा को भंग किये जाने तथा नए चुनाव कराने की मांग की थी । लेकिन वह नहीं मानी गई । मुख्य समस्या यह नहीं है कुछ और है । प्रश्न यह नहीं है हम एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं । प्रश्न यह है कि इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे में एक मूलभूत सिद्धान्त अन्तर्ग्रस्त है । शासक की पार्टी की ओर से किसी प्रकार का मतिभ्रम नहीं होना चाहिए । समय बदल गया है कोई भी एक पार्टी किसी एक राज्य पर किसी निश्चित अवधि तक शासन नहीं कर सकती । वह समय चला गया है । केरल विधान सभा के विघटन से ठीक पहले आपने एक मिली जुली सरकार बनाई थी हम आपको यह कह रहे हैं कि नए लोकतंत्री ढांचे में आपकी लोकतंत्री सिद्धान्तों और मानदंडों को मानकर चलना होगा और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी उलट प्रतिक्रिया कुछ समय बाद आप पर हो सकती है । दूसरे राज्यों में ऐसा ही हो रहा है । जिन राज्यों में कांग्रेस-इ की सरकार है उनमें क्या हो रहा है ? आंध्र प्रदेश में क्या हो रहा है ? आपकी पार्टी में भी ऐसे लोग हैं जो आपके ही सदस्यों का विरोध कर रहे हैं । एक दूसरे पर छींटाकशी करने के बजाय आपको दूसरी पार्टियों के बारे में कुछ कहने से पहले दो बार यह सोचना चाहिए कि आपकी अपनी पार्टी में क्या हो रहा है ।

श्रीमन्, हमारी मांग थी कि नयनार ने सरकार छोड़ी तब विधान सभा भंग की जानी चाहिए थी । उन्होंने राज्य सभा से भी विधान सभा भंग करने की सलाह दी थी । लेकिन उन्होंने क्या किया ? इसे स्थगन अवस्था में रखा गया था और सौदेबाजी के

लिए काफी समय दिया गया था तो अब यह कहा जाना उचित नहीं होगा कि इससे सौदेबाजी होगी। आप 80 दिन तक सत्ता में रहे लेकिन आप टिक नहीं सके। देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि पीठासीन अध्यक्ष महोदय को ट्रैफिक पुलिस के हैड कांस्टेबल का काम इसलिए करना पड़ा हो कि वह ट्रैफिक को नियंत्रित करने का काम करें ताकि सरकार बच जाए। केरल में हमें यह दयनीय स्थिति देखनी पड़ी।

श्रीमन्, अब मैं एक बात से सहमत हूं कि इन सभी बातों के लिए स्वीकृत सिद्धांत और मापदण्ड होने चाहिए। केन्द्र में सत्ताधारी पार्टी को स्वीकृत लोकतांत्रिक सिद्धान्तों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और राज्यपाल को केन्द्र में सत्ताधारी पार्टी के हाथों का खिलौना नहीं बना देना चाहिए। केवल केरल के सम्बन्ध में ही नहीं बल्कि आसाम में भी ऐसा हुआ है। केरल में आपने विरोधी पक्ष को सरकार बनाने की कोशिश करने का मौका भी नहीं दिया है इसीलिए हम इस संकल्प का विरोध कर रहे हैं। इसीलिए हमें इन घटनाओं के प्रति बहुत चिन्ता है। हमें चुनाव के परिणामों की चिन्ता नहीं है। आपने देश में कुछ राजनीतिक दलों पर आरोप लगाए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं एक दो बातें सभा में कहना चाहता हूं। मुझे इसकी बहुत चिन्ता नहीं है कि केरल में राष्ट्रपति शासन होता है या कोई और पार्टी सत्ता संभालती है मुझे केवल यही कहना है कि केरल के जो पारम्परिक उद्योग हैं वे इस समय खराब हालत में हैं। केरल का सबसे बड़ा पारम्परिक उद्योग नारियल जटा का है जिसमें हजारों लोग काम करते हैं उसे वास्तव में संकट का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बड़ी मात्रा में तैयार माल का स्टाक जमा हो गया है और मेरा अनुरोध है कि वित्त मन्त्री जी इस बात को देखें कि जमा हुए इस स्टाक को उठाने के लिए तुरन्त कदम उठाए जाएं ताकि यह उद्योग चलता रहे और इसके कर्मकार बाधा के बिना काम में लगे रहें। काजू उद्योग के सम्बन्ध में, जिसमें लगभग डेढ़ लाख कर्मकार काम करते हैं, सरकार ने सरकारी माध्यम से माल बेचने की जो नीति अपनाई है इससे हमारा मतभेद है और इस नीति से उद्योग को भारी नुकसान हुआ है और अधिकांश कर्मकारों को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उन्हें कुछ राहत दी जाए ताकि काजू उद्योग की रक्षा हो सके।

श्रीमन्, केरल की अर्थव्यवस्था की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आप जानते हैं कि केरल मुख्यतः कृषि पर निर्भर है। केरल में मुख्यतः नारियल, रबड़, कोको, काजू आदि कृषि उत्पादन हैं। वर्तमान आयात नीति केरल राज्य के हितों के विरुद्ध जाती है। सरकार की यह विरोध नीति प्रधान मन्त्री द्वारा इस सभा में दिए गए आश्वासनों के विरुद्ध जाती है। इस समय नारियल का तेल, रबड़ और कोको बाहर से मंगाए जा

रहे हैं इससे राज्य की अर्थव्यवस्था का और केरल की जनता का अहित होता है। मै वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जब तक कर्मकारों की परिस्थितियों में सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठाए जाते और जब तक वर्तमान आयात नीति को, जो केरल के हितों के विरुद्ध जाती है, रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जाते तो राज्य की सारी अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी और कर्मकार बेरोजगार हो जाएंगे। वर्तमान व्यवस्था से वास्तव में राज्य की सारी जनता को नुकसान हो रहा है। मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय और सरकार इस बात को देखेगी कि केरल की गरीब जनता की स्थिति में सुधार के लिए तुरन्त कदम उठाए जाएं और केरल राज्य के हित में वर्तमान आयात नीति को समाप्त किया जाए।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केरल राज्य से संबंधित राष्ट्रपति की घोषणा के अनुमोदन के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और उन सभी प्रस्तावों का भी विरोध करता हूं जिन्हें तथाकथित बजट में किया गया बताया है, जिसे मेरे मित्र श्री प्रणव मुखर्जी ने सभा पटल पर रखा है। मैं इस बहस में राष्ट्रपति की घोषणा के बारे में उठाये गए प्रश्नों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

श्रीमन्, यह महत्वपूर्ण बात है कि सत्ताधारी दल के जिन दो सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया है उन्होंने अपनी करुणाकरण सरकार के समय-पूर्व गिर जाने पर शोक प्रकट नहीं किया। मैं जानता हूं कि उनमें से कुछ ने इसे महसूस किया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसा कि मेरे मित्र श्री राम जेठमलानी ने कहा है, कि यह सारी सरकार, जो केरल के संसदीय इतिहास में लज्जाजनक घटना है, न केवल गलत ढंग से बनी थी बल्कि राजनीतिक परिवर्तन के परिणामस्वरूप बनी थी जिसका मैंने यहाँ जिक्र किया है। मुझे इस बात की कतई कल्पना भी नहीं थी कि मुझे इसके बारे में कहना पड़ेगा और किसी भी समय इसके बारे में कुछ भी कहना पड़ेगा क्योंकि इसमें मेरे एक प्रिय मित्र भी शामिल हैं—श्री एंटनी—मैं उन्हें जीवन में अपना सबसे घनिष्ट मित्र मानता हूं। इनके तथा इनके ग्रुप के दल बदलने से 'आया राम' 'गया राम' के सिद्धान्त में एक नया अध्याय जुड़ गया और वे स्वयं 'एंटनी राम' बन गए और इस काया पलट से सरकार बदल गई और जो वचन जो उस समय दिया गया था जब हम लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट में शामिल हुए थे उससे पीछे हटना पड़ा।

मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता···

प्रो० के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं विचलित नहीं हो रहा हूं···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इनकी बातें नोट कर लीजिए और जब आप बोलें तब उनके उत्तर दे दें।

प्रो० पी० जे० कुरियन : वे औचित्य के सामने भी नहीं झुकते । मैं इसमें क्या कर सकता हूं ?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : उनके अनुसार औचित्य ! क्या यह औचित्यपूर्ण है कि सत्ता में बने रहा जाए या सत्ता में हिस्सा लिया जाए ? मैं मानता हूं कि यह महत्वपूर्ण तर्क है । यदि यह आपका तर्क है मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है । आप सत्ता में अवश्य हिस्सा लें मुझे कोई आपत्ति नहीं है । यदि श्री एंटनी ऐसा ही चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । मैं केरल विधान सभा में आपके मित्रों या आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूं । वे ऐसा कहें तो सही । यह बहुत अच्छा होगा ।

1980 में केरल की जो छवि थी उसे आयाराम, गयाराम और एंटनी राम की प्रक्रिया ने पूर्णतः बदल दिया है । यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 1980 का यह चुनाव उस समय हुआ जब श्रीमती इंदिरा गांधी यहाँ भारी बहुमत से सत्ता में आ गई थीं और उन्होंने हमारे 70-80 चुनाव क्षेत्रों का तूफानी दौरा किया था लेकिन फिर भी वहाँ के मतदाताओं ने उन्हें अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे विश्वास करते थे कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ही कामयाब हो सकेगा ।

चुनाव के समय एक महत्वपूर्ण आश्वासन यह दिया गया था कि न केवल वे मिलकर चुनाव लड़ेंगे, बल्कि वे कुछ बातों का समर्थन भी करेंगे । मुझे इसका पता नहीं कि आप उस कार्यक्रम का कहाँ तक समर्थन करते हैं, और उस सिद्धांत का कहाँ तक समर्थन करते हैं जिसके बारे में सार्वजनिक सभाओं में इस बात की व्यापक चर्चा की थी कि श्रीमती गांधी अधिनायकवाद का प्रतीक हैं । क्या आप अब भी इसमें विश्वास करते हैं ? क्या वे अब भी उसका समर्थन करते हैं ? मेरा आपसे कोई झगड़ा नहीं है यदि आप उसका समर्थन न भी करें । अब, विधायकों को खरीदने की शुरूआत हुई । मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता चूंकि मेरे पास इतना समय नहीं है ।

यह याद कराना जरूरी है कि 1978 के अर्नाकुलम सम्मेलन में हमने वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चे के नारे को केरल में हमने स्वीकार किया था । तब श्रीमती गांधी प्रतिपक्ष में थीं, वे सत्ता में नहीं थीं । यदि वे 1978 में लोकतंत्र के लिए खतरा थीं, जब वे प्रतिपक्ष में थीं, अब जबकि वे प्रधानमंत्री बन गई हैं और केन्द्र और राज्यों की एकाधिकार ताकत उनके पास है, क्या वे अब लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं रहीं, जिसकी आपने कुछ दिन पहले शपथ ली थी ? इसलिए, मुझे यह बताते हुए खेद हो रहा कि इसी कारण ही दल-बदल हो रहा है । जब से यह दल-बदल शुरू हुआ यह उसी दल बदल का ही परिणाम है । इसके बावजूद भी उनको बहुमत नहीं मिला । करुणाकरण प्रत्येक व्यक्ति को यह बात कहते रहे कि उनका बहुमत था । हम में से किसी ने उनसे पूछा : "आपके साथी कहां हैं ?

क्या आप उनकी संख्या बताने का कष्ट करेंगे ? परन्तु राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 164 के अन्तर्गत संतुष्ट थे । राज्यपाल की संतुष्टि व्यक्तिपरक है, परन्तु इसे आम संतुष्टि होनी चाहिए । जो व्यक्ति गणित नहीं जानता, केवल राजनीति को रहने दीजिए, वे भी जानते थे कि उनका बहुमत था । जैसा कि श्री जेठमलानी ने कहा कि यह सरकार अनैतिकता से बनी और बिना किसी बहुमत के सरकार स्थापित की गई जैसा कि बाद की घटनाओं और जनता पार्टी के भाषणों से पता चला कि उनका बहुमत नहीं था । यह एक ऐसे हथकंडे अपनाकर सत्ता में रहे जिस का उपयोग मेरे एक अन्य मित्र श्री जोसे ने, अध्यक्ष होने के नाते किया, वह है निर्णायक मत - जिसके द्वारा, दुर्भाग्यवश, वह ससदीय इतिहास में पादटिप्पणी बन कर रह गया । यह सरकार अल्पकाल तक तब तक चली जब तक कि श्री नाम्बदन ने पासा ही नहीं पलट दिया ।

इसके बाद फिर राज्यपाल की संतुष्टि की बात है । क्या राज्यपाल ने विचार किया था कि उस समय जब करुणाकरन ने उन्हें कहा था कि उसका बहुमत है और क्या विधान सभा भंग करने की उसकी सलाह वैध थी ? मैं यही प्रश्न पूछना चाहता हूं । क्या राज्यपाल के लिए यह उचित नहीं था कि वे उसकी सलाह मानें ? यदि यह उचित था, तो यह स्पष्ट किया जाये कि राज्यपाल ने उनकी सलाह कैसे मानी ? यह निश्चित सी पद्धति का स्पष्ट उदाहरण है, चाहे वह असम में हो या केरल में, असम पर बाद में चर्चा होगी कि राज्यों में केवल केन्द्र की मर्जी की सरकार होगी । बहुमत या अल्पमत का कोई मतलब नहीं और राज्यपालों को, प्राधिकार और शक्ति तथा सांवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करने का निर्जीव साधन मात्र बना दिया गया है । हमने केरल में ऐसा ही देखा है । प्रश्न यह था कि क्या राज्यपाल ने प्रतिपक्ष से विचार-विमर्श किया था ? मैं किसी के सरकार बनाने के दावे के बारे में नहीं कह रहा, परन्तु आम लोकतांत्रिक पद्धति यह है कि उसे श्री नयनार को बुलाना चाहिए था और उनकी राय जाननी चाहिए थी । मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वही एक ऐसे सज्जन हैं जिन्होंने दल बदला और स्पष्ट कह दिया था कि वह प्रतिपक्ष के साथ बैठेंगे; और इसी कारण ही यह राजनैतिक समीकरण बदला था ।

अब, इससे पहले कि मैं बजट पर आऊं एक और प्रश्न जो मैं उठाना चाहता हूं कि राज्य सभा के संबंध में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन 17 मार्च को एक अधिसूचना तब जारी की गई थी जबकि नामांकन दायर किये जा चुके थे···

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (मंजेरी) : दायर नहीं किए गए थे ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : हां, श्री सेट, नामांकन दायर किए गए थे । और उनकी जाँच भी की गई थी ।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : नहीं, नहीं ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : नहीं, नहीं, क्या ? कृपया व्यवधान न डालें । तथ्य देखिए । राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 174 के अन्तर्गत उद्घोषणा जारी करने से पहले केरल विधान सभा के सचिवालय में 17 तारीख को सुबह जांच की गई थी । 17 मार्च की सुबह, जांच के बाद भी, राज्य सभा के लिए वैध उम्मीदवार थे । और शाम को, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और संविधान में उल्लिखित समग्र चुनाव प्रक्रिया को उलटने के लिए, क्योंकि यदि घोषणा कर दी गई होती, तो वे वह सीट हार जाते ।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : दूसरी बात गलत है ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : गलत क्या है ? सच बोल रहा हूं । यदि यह बात गलत साबित हो जाए तो मैं अपनी सीट से त्याग पत्र दे दूंगा । इसे सभा पटल पर रखिए । आप क्या बात कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि इससे न केवल राज्यपाल के आचरण सम्बन्धी मानदण्डों का उल्लंघन होता है, बल्कि यह राज्य सभा में प्रतिनिधित्व संबंधी जरूरत का भी उल्लंघन करती है जिसके चुनाव पहले हो चुके थे । अधिसूचना, नामांकनों को स्वीकार करना और उनकी जांच, ये तीनों ही प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी थीं, उसी शाम को राज्यपाल महोदय अनुच्छेद 174 के अन्तर्गत उद्घोषणा जारी करते हैं, स्पष्ट रूप से केन्द्रीय गृह मंत्री ज्ञानी जैलसिंह के कहने पर । इसलिए, मैं गृह मंत्री को दोष देता हूं । चाहे वे शिष्टाचार की छोटी-छोटी बातों में निर्दोष हैं या नहीं, जैसाकि मैंने उन्हें स्वर्गीय नाजी, तानाशाह, के बारे में पाया था, वह अलग बात है । वह बहुत सी बातों के बारे में निर्दोष हो सकते हैं । कोई हमें हस्ताक्षर करने के लिए कह सकता है, ठीक है, यह हमारे लिए दल के लिए जरूरी है । परन्तु यह इस प्रकार हुआ है । इसलिए, महोदय, यह न केवल विशेषताओं और संवैधानिक उपबन्धों का स्पष्ट उल्लंघन है बल्कि अन्य उपबन्धों का भी उल्लंघन है ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : महोदय, अभी बहुत समय है ।

उपाध्यक्ष महोदय : समय केवल 12 बजे तक का है । परन्तु प्रत्येक सदस्य प्रश्न कर रहा है । आपको भी सहयोग देना चाहिए ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : इसलिए, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

और जैसाकि किसी सदस्य ने कहा है हम इसे चुनाव के मैदान में देखेंगे। निश्चय ही उन्हें देखना होगा। इसके अलावा कोई चारा भी नहीं। निस्संदेह, हम चुनाव लड़ेंगे और मतदाताओं का फैसला स्वीकार करेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि केरल में दो स्पष्ट मोर्चे हैं। एक बड़ा मोर्चा 12 दलों का संयुक्त मोर्चा है। इस मोर्चे का आधार कोई कार्यक्रम नहीं है। नौकरियों के आरक्षण के प्रश्न पर एन० डी० पी० और एस० आर० पी० में क्या कार्यक्रम की कोई तालमेल हो सकती है? क्या वे किसी कार्यक्रम को स्वीकार करेंगे? जोसेफ ग्रुप, मणि ग्रुप और केरल कांग्रेस में क्या किसी प्रकार की एकता हो सकती है? आरक्षणों के प्रश्न पर मेरे मित्र, श्री सुलेमान सेट के दल और एन० डी० पी० में क्या एकता हो सकती है? यदि कोई समझौता हो गया है, तो हम उसे जानना चाहेंगे: हमें भी उसकी जानकारी होनी चाहिए।

एक माननीय सदस्य: आपके मोर्चे का क्या हुआ?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन: निस्संदेह, हम तभी मिलेंगे यदि हम (क) आचरण संहिता स्वीकार कर लेंगे (ख) या किसी कार्यक्रम को स्वीकार कर लेंगे। इसका तो कोई प्रश्न ही नहीं है। दुर्भाग्यवश सारे राज्य को राजनैतिक दावपेचों से गुजरना पड़ेगा। मुझे एक बार भूतपूर्व प्रधान मन्त्री, श्री मोरारजी देसाई से बातचीत करने का मौका मिला। उन्होंने यह दलील दी थी कि केरल में गरीबी कहां है? आप वहां की गरीबी के बारे में क्या कह रहे हो? क्या केरल में किसी प्रकार की गरीबी है? मैं चाहता हूं कि अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार की गरीबी हो? भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने ऐसा कहा। यद्यपि वर्तमान प्रधान मन्त्री ने इस प्रकार की बातें तो नहीं कहीं, तथापि केन्द्र का केरल के प्रति वही रवैया है, चाहे वह उद्योगों के सम्बन्ध में हो या विद्युत या अन्य विभिन्न चीजों के बारे में हो। रवैया वही है।

अब, मैं सदन का ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर दिलाना चाहता हूं। यह कहा जा रहा है कि केरल के लोग औसत मध्यम श्रेणी के स्तर से ऊपर पहुंच गए हैं, इसलिए इस राज्य की ओर और अधिक ध्यान देने की जरूरत नहीं है। महोदय, अब आप योजना आयोग के आंकड़ों के अनुसार 1961 से 1981 के बीच की अवधि को देखिए। 1961 में, केरल में एक लाख बहत्तर हजार लोग कारखानों में लगे हुए थे, और कर्नाटक में, यह संख्या एक लाख पिचहत्तर हजार थी और मध्य प्रदेश में यह संख्या एक लाख उनहत्तर हजार थी, केवल एक या दो हजार का अन्तर है। 1980-81 में, केरल में कारखानों में रोजगार की संख्या दो लाख छियानवे हजार ही रही, जबकि कर्नाटक में यह संख्या बढ़कर पांच लाख सैंतालीस हजार—तीन गुना हो गई और मध्य प्रदेश में यह संख्या बढ़कर तीन लाख बत्तीस हजार तक हो गई। इसे और अधिक स्पष्ट नहीं किया जा

सकता। कर्नाटक और मध्य प्रदेश में यह बढ़कर क्रमशः दुगनी और तिगुनी कैसे हो गई, जबकि केरल में यह स्थिर रही ? हमने जो प्रगति की है यह उसका सूचक है, महाराष्ट्र, तमिल-नाडु या गुजरात से इसकी तुलना करने की तो बात ही नहीं है। इसका सम्बन्ध इस बात से है कि उच्च योजना परिव्यय सम्बन्धी मांग पर महत्व देने की जरूरत है। श्री विजयराघवन ने कहा कि हमने 310 करोड़ रुपए की मांग की थी और यह 275 करोड़ रुपये रह गया। मुझे मालूम है कि आपने यह राशि बढ़ाकर 294 करोड़ रुपए कर दी है। 275 करोड़ रुपया या 294 करोड़ रुपया इसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता। यदि हमें इसका गहराई से अध्ययन करने का मौका मिला होता जैसी कि सुबह मांग की थी, इससे सारे मामले का पर्दाफाश हो जाता और इससे केन्द्र का केरल के प्रति रवैये का भी पता चल जाता।

उदाहरण के लिए आप कृषि को ही ले लीजिए। केरल की भूमि के केवल 10.4 प्रतिशत भाग में ही सिंचाई की जाती है। और वर्ष 1981-82 के लिए केरल में सिंचाई के लिए आवंटित राशि 20 करोड़ रुपये 1982-83 में कम करके 18 करोड़ रुपये कर दिए गए हैं। हमारी कृषि की एक विशेषता है। मैं इस बात को मानता हूं कि हमारे यहां अनाज की पैदावार बहुत अधिक नहीं होती, क्योंकि यहां भूमि का सघन उपयोग नकदी और बागान फसलों के लिए किया जाता है।

मैं वित्त मंत्री, जो पहले वाणिज्य मंत्री थे, का ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं। मुझे मालूम है वे तथ्य जानते हैं। केरल में, प्रत्येक दल, जिसमें उनका दल भी शामिल है, इस बात की मांग कर रहा है कि नारियल के तेल का आयात बन्द कर दिया जाए।

पिछले दो वर्षों से वे बयान दे रहे हैं—यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने भी पहले कहा था कि आयात नहीं किया जा रहा। वह कभी-कभी पूछती हैं कि "क्या आयात हो रहा है ?" बड़ी मासूमियत से कुछ कह दिया जाता है। परन्तु वह जानती हैं कि आर० ए० पी० लाइसेंस के अन्तर्गत आयात हुआ है। इस आयात का क्या परिणाम हुआ ? इसका परिणाम यह निकला कि 1980 में "अलेपी" में नारियल के तेल का मूल्य 1840 रु० था और नारियल का 1800 रुपये। और जब दो वर्षों बाद नारियल का मूल्य 900 रु० है और नारियल के तेल का मूल्य 1000 रु० है।

अब न केवल इतिहास में केरल और नारियल परस्पर पर्याय बन चुके हैं, न केवल इसलिए कि वहां नारियल की अधिकतम खेती की जाती है बल्कि इस बात को सब जानते हैं कि केरल स्वयं केरा लोगों की भूमि है। नारियल उगाने वाले किसानों को करोड़ों रु०

की हानि हुई हैं। परन्तु भूमि सुधार अभियान के परिणामस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति के पास थोड़ी-बहुत जमीन है। प्रत्येक व्यक्ति इसी नगदी फसल पर निर्भर करता है। अब इस बारे में केन्द्र की प्रतिक्रिया क्या है ? केन्द्र की प्रतिक्रिया है आयात जारी रखना। उनका कहना है कि इस बारे में विचार हो रहा है—हमेशा ही विचार होता रहा है—पहले भी विचार किया गया था। यहाँ तक कि उनकी अपनी केरल कृषक कांग्रेस ने भी इसकी जांच कराने के लिए कहा था। मैं एक अधिकारी को जानता हूं—मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता—जिन्होंने सेवा निवृत्त होने से एक दिन पूर्व लाइसेंस जारी करने के बारे में आदेश दे दिए थे।

कोको का भी यही हाल है। हाल ही में जब मैं केरल में था तो मैंने देखा कि लोग कोको के बागान काटकर कुछ दूसरी फसल उगाने के बारे में सोच रहे थ। मैंने सुना है कि बुल्गारिया की सरकार ने उन्हें एक पेशकश भेजी है परन्तु इस पेशकश पर केन्द्र ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई।

संसद के लिए यह जानना नितान्त आवश्यक है कि केरल देश के लिए बहुत अधिक धन अर्जित करता है—उनके पास अधिक उपयुक्त आंकड़े, उपलब्ध होंगे—कॉफी और चाय से यह राज्य 100 करोड़ रुपए से अधिक प्राप्त करता है, काली मिर्च से 30 से 40 करोड़ रुपये, मछलियों से लगभग 00 करोड़ रुपये से अधिक—शायद यह राज्य इससे भी अधिक आय काजू तथा नारियल जटा आदि से करता है। परन्तु केरल के परिश्रमी कृषकों को केन्द्र से क्या मिलता है ? उन्हें मिलता है—नारियल के तेल का आयात कोको तथा दूसरी फसलों की पूर्णतया उपेक्षा और योजना परिव्यय में कटौती।

इस बारे में बहुत ही हल्का तर्क यह दिया जाता है : हम औद्योगिक किस्म के अखाद्य तेल का आयात कर रहे हैं।" परन्तु सीमा शुल्क विभाग और प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानता है कि क्या आयात किया जा रहा है। यह है केन्द्र सरकार का दृष्टिकोण। नारियल-जटा, काजू और हथ-करघा जैसे परम्परागत उद्योगों के प्रति भी यही दृष्टिकोण प्रदर्शित किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि वह इन प्रश्नों की जांच भी करें और राज्य को राजनैतिक मतभेदों से उभारने में मदद करें।

रेलवे या राष्ट्रीय राजमार्गों की बुनियादी संरचना की भी यही स्थिति है। केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक यातायात होता है और सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होता है, परन्तु कोई भी···

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में आप किसी चुनाव सभा में भाषण नहीं दे रहे हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : यदि बजट सम्बन्धी बहस चल रही है तो इन मुद्दों को उठाना नितान्त आवश्यक है। मैं कहता हूं कि यह कोई चुनाव भाषण नहीं है लेकिन यदि आप बार-बार यही कहते हैं कि है तो मुझे ये सभी बातें कहनी पड़तीं हैं। वहाँ पर कोई भी प्रमुख रेल परियोजना—यहां तक कि कायंगुलम-अलीपी-कोचीन लाइन—शुरू नहीं की गई है।

मैं एक या दो छोटी-छोटी बात कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा। बिजली को ही लीजिए। इस बजट में बिजली पर, योजनागत या योजनेत्तर, कितने धन की व्यवस्था की गई है ? एक झूठी अफवाह फैलाई जा रही है कि हमारे पास फालतू बिजली है। तकनीकी या आंकड़ों की दृष्टि से, मान लो यह बात सही हो परन्तु यह सच नहीं है। आप जब बिजली उत्पादन बढ़ाने पर बल देते हैं तो केन्द्रीय बजट में उसके लिए बहुत अधिक धन की व्यवस्था की जाती है। आप हमें क्या दे रहे हैं ? इदिक्क, चरण-दो या प्युथनकुट्टी या किसी अन्य परियोजना के लिए आप क्या अंशदान दे रहे हैं ? छः परियोजनाएं स्वीकृति के लिए विचाराधीन पड़ी हैं इसलिए मुझे इस बजट को एक पुलिसमैन का बजट कहना पड़ रहा है। पुलिस का व्यय बढ़ा दिया गया है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्यों है—इसमें 12 करोड़ रु० की वृद्धि क्यों की गई है; और इसी प्रकार जेलों के व्यय में वृद्धि की गई है। मुझे किसी से कोई झगड़ा नहीं करना। मुझे इस बात से दुख भी नहीं है। जेलों में सुविधायें उपलब्ध होनी चाहिए। पुलिस और जेलों के व्यय में की गई वृद्धि समानुपातिक नहीं है। कृषि तथा कल्याण कार्यों के व्यय में कमी की गई है।

प्रधानमंत्री तथा भूतपूर्व वित्त मन्त्री ने कहा था कि उन्होंने कृषि मजदूरों को पेंशन तथा बेरोजगारों को भत्ते देकर धन का वितरण किया है। इसी प्रकार वामपंथी लोकतन्त्र सरकार ने किया है।

निष्कर्षतः मेरा कहना है कि चुनाव के परिणाम चाहे कुछ भी हों, केन्द्रीय वित्त मंत्री का यह कर्त्तव्य है कि वह इन जटिल समस्याओं पर ध्यान दें। यदि इन पर ध्यान न दिया गया तो ये समस्याएं न केवल केरल में बल्कि देश भर में विस्फोटक स्थिति पैदा कर देंगी।

श्री ए० नीलालोहितादसन नाडार (त्रिवेन्द्रम) : केरल की राजधानी के प्रतिनिधि तथा इस सभा के सदस्य के रूप में मुझे केरल में ऐसे समय पर राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने पर दुख है जबकि वहां के वार्षिक बजट पर चर्चा की जानी थी और उसे पारित किया जाना था। केरल में राष्ट्रपति शासन लागू करने का पूरा दोष मैं कांग्रेस (ई) पार्टी तथा केन्द्र सरकार को देता हूं।

जैसाकि श्री उन्नीकृष्णन ने ठीक ही कहा कि केरल विधानसभा के चुनाव लोक सभा

चुनावों के तुरन्त बाद हुए थे । इन्दिरा लहर के दोबारा आने से, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, श्रीमती गांधी पुनः सत्ता में आईं ।'''(व्यवधान)

प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के पश्चात् सर्वप्रथम श्रीमती गांधी ने केरल जाकर कांग्रेस (ई) और अपने गठबन्धन के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करने का कार्य किया था । जैसा कि श्री उन्नीकृष्णन कह रहे थे कि श्रीमती गांधी ने लगभग 100 निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा किया था; लेकिन मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि जब उन्होंने इन उम्मीदवारों के लिए केरल का दौरा किया था । उस समय वे पद्मनभा स्वामी मन्दिर से गुरुवैश्र मन्दिर तक सभी मन्दिरों में गईं वे गिरिजाघरों तथा मस्जिदों के सभी प्रमुखों से मिली और वहां पर अराधना की । इतना कुछ करने के बाद भी, उनकी पार्टी 140 में से केवल 17 सीटें जीत सकी । जैसा कि श्री उन्नीकृष्णन ने कहा है कि जिस दिन वामपंथी लोकतन्त्री मोर्चे की सरकार ने शपथ ली थी उसी दिन कांग्रेसी नेता श्री करुणाकरण ने त्रिवेन्द्रम में घोषणा की थी : 'हम इस सरकार को ज्यादा दिन नहीं चलने देंगे ।" कैबिनेट मन्त्री श्री सी० एम० स्टीफन और राज्य गृहमन्त्री श्री मक्वाणा को नायनर सरकार को गिराने का काम सौंपा गया था । यदि मैं वास्तविकता का बयान करूं तो यहां तक कि गृह मंत्रालय के सतर्कता विभाग और केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों को राज्य में दल-बदल द्वारा नायनर सरकार को गिराने का कार्य सौंपा गया था । और वही हुआ । सरकार के पतन के बाद, जब केरल के राज्यपाल ने श्री करुणाकरण को सरकार बनाने के लिए निमन्त्रित किया था उस समय उन्हें 141 सदस्यों के सदन में केवल 67 विधायकों का समर्थन प्राप्त था । श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में काफी समय तक विधायकों की खरोद फरोक्त करके दल बदल अभियान के बाद वे केवल 69 निर्वाचित सदस्यों का समर्थन जुटा पाये और उन्होंने एक नामनिर्दिष्ट सदस्य की सहायता से इस संख्या को 70 पहुंचा दिया और वे केवल अध्यक्ष के निर्णायक मत से ही सरकार को बचा पाये ।

श्री जेठमलानी ने कहा कि इस सरकार ने बनते ही पाप करने शुरू कर दिए । किसी ने भी इस पर आंसू नहीं बहाये, सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने भी नहीं । जिस राज्यपाल ने श्री करुणाकरण को उस समय सरकार बनाने का निमन्त्रण दिया था जिस समय उन्हें केवल 67 विधायकों का समर्थन प्राप्त था, उन्होंने इस बात का पता नहीं लगाया कि क्या विपक्ष जिसे 71 विधायकों का स्पष्ट बहुमत प्राप्त है, वैकल्पिक सरकार नहीं बना सकता । इससे पता लगता है कि कांग्रेस (ई) दल और केन्द्र सरकार ने अपने राजनैतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किस प्रकार केरल के राज्यपाल का एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया ।

नारियल और रबड़ की समस्या भी सभा के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। नारियल और रबड़ का आयात इस सरकार की अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष नीति के अनुसार ही किया जाता है।

केरल का चाय उद्योग भी संकट में हैं। केन्द्र सरकार ने घोषणा की है कि चाय बागानों से सीधे निर्यात किए जाने वाले अमिश्रित (अन-बलेंडिड) चाय पर उत्पादन शुल्क से पूर्ण छूट दी जायेगी। परन्तु इस राहत से केरल चाय उद्योग लाभान्वित नहीं होगा क्योंकि केरल की चाय अधिकांशत: मिश्रण प्रयोजन के लिए ही इस्तेमाल में लाई जाती है। यदि यह रियायत चाय बागानों में उत्पन्न समस्त चाय को दी जाये तभी केवल केरल चाय उद्योग को लाभ मिल सकता है। मैं इस परिवर्तन की माँग करता हूं।

केरल की प्रमुख समस्या है बेरोजगारी। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि केरल के युवक एवं युवतियाँ रोजगार की तलाश में न केवल भारत भर में बल्कि विश्व भर में जा रहे हैं। बेरोजगारी की समस्या का समाधान है उद्योगीकरण। परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से ही उद्योगीकरण के मामले में केरल की उपेक्षा की जाती रही है। यदि ऐसी स्थिति बनी रही तो बिना किसी दल विशेष के हस्तक्षेप के ही केरल की जनता में यह आम धारणा बन जाएगी कि केन्द्र केरल राज्य की उपेक्षा कर रहा है। इसके बाद हम असम के बजट पर विचार करेंगे।

श्री ए० नीला लोहिथादसन नाडार : आप जानते हैं आसाम में क्या हो रहा है। अगर मामला ऐसे ही चलता रहा और केन्द्र सरकार का ऐसा ही रुख रहा तो मुझे भय है कि आसाम में भी किसी दूसरे ढ़ंग से केरल वाला हाल होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हाँ, अब आप कृपया अपनी बात खत्म करें।

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : केरल के परम्परागत उद्योगों नारियल, काजू और हथकरघा—की दशा बहुत खराब है। नारियल उद्योग के मामले को श्री बालानन्दन ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। केन्द्र लरकार को फरवरी 1979 में प्रेषित काजू विकास योजना अभी तक खटाई में पड़ी है। मुझे बताया गया है कि नारियल उद्योग के 28 व्यक्ति पहले ही भूख के कारण मर गए। हमें अपरिशोधित काजू की आवश्यकता है। उस समय श्री नयनार के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ही काजू की खेती के लिए पहल की थी। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह काजू की खेती के लिए वित्तीय सहायता दे। हथकरघा उद्योग के बारे में 24 अगस्त 1981 को केरल के सर्व-दलीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमन्त्री को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था। केरल से संसद सदस्य और केरल राज्य-सरकार ने यह मामला उठाया परन्तु इस सम्बन्ध में अब तक कुछ भी नहीं किया गया है। मुझे इस सदन के ध्यान में यह बात लाते हुए प्रसन्नता हुई है कि श्री नयनार के नेतृत्व वाले वामपंथी

मोर्चा, लोकतंत्री मोर्चा सरकार ने कृषि मजदूरों को पेंशन देने जैसे समाज कल्याण के कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है ।

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : यह करुणाकरण की अल्पसंख्यक सरकार द्वारा बन्द कर दिया गया । मैं चाहता हूं कि इसे यदि जरूरी हो तो केन्द्रीय बजट से ही जारी रखा जाना चाहिए ।

हमारी एक सुस्पष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली है । आपको याद ही होगा कि जब पूरे देश में मुद्रास्फीति और मूल्यों में वृद्धि हो रही थी, ओनम जैसे त्यौहार के समय के दौरान नयनार सरकार उचित दर दुकानों और भंडारों से केरल के लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं की सभी उपभोक्ता वस्तुओं को उचिम दामों पर वितरित करने में सक्षम रही । इसी प्रकार···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : किसी अन्य अवसर पर मैं आपको और समय दूंगा ।

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : मेरे लिए यही सबसे महत्वपूर्ण अवसर है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आसाम का मामला भी सामने आ रहा है ।

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : आसाम के बजट में अधिक समय नही लगेगा । महोदय, इसी तरह,···(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हम भी अधिक समय की मांग करेंगे ।

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : आसाम पर कई बार बहस हो चुकी है ।

एक माननीय सदस्य : यहाँ कोई पक्षपात नहीं चलेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : केरल के बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं ।

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : लोकतंत्री मोर्चे के मंत्रालय के समय मत्स्य निगम ने मत्स्य पालकों के लिए बहुत से कल्याण कार्यक्रम क्रियान्वित किए थे जैसे—मत्स्य पालमों को नौका और पतवार प्राप्त करने के लिए सहायता योजना, देशी नौकाओं को यंत्रचालित करना, आर्थिक सहायता से मकान निर्माण योजनाऐं, मत्स्य पालकों के पुनर्वास, कोवलम और विजियम मत्स्य बन्दरगाह क्षेत्र का विकास, डीजल-बंकों की स्थापना, मत्स्यपालकों की महिलाओं के लिए बस सेवा, मत्स्यपालकों के लिए बीमा और ग्रेच्युटी योजना···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप यह कहाँ से पढ़ रहे हैं ? क्या यह चुनाव घोषणा पत्र है या और कुछ ?

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : मत्स्य-प्रदान केन्द्रों का निर्माण आदि। यही वे कार्यक्रम हैं जो केरल में वामपंथी लोकतन्त्री मोर्चा सरकार द्वारा क्रियान्वित किए गए।

उपाध्यक्ष महोदय अब आप अपनी बात खत्म करें··· (व्यवधान)

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : मैं इन कार्यक्रमों को जारी रखने और इन कार्यक्रमों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दिए जाने की मांग करता हूं। और हमने उस समय मत्स्य पालकों के कल्याण के लिए सुझाव दिए थे और मत्स्य-प्रदान केन्द्रों को खोलने के लिए सहायता योजना, साइकिल से मछली बेचने के लिए मत्स्यपालकों को सहायता-योजना, मत्स्यपालकों के मकानों के विद्युतीकरण, मत्स्यपालकों को शौचालय उपलब्ध कराने की योजना और सामुदायिक सुविधाएं प्रदान करने की योजना के सुझाव दिए थे, मैं इन योजनाओं के क्रियान्वयन की भी मांग करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अगले सदस्य को बुला रहा हूं। मैंने बहुत प्रतीक्षा कर ली है।

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : केरल में एक शिल्पकार विकास निगम बनाया गया है। पहले यह करोड़ों रुपयों की योजना थी। परन्तु मुझे पता लगा है कि इस उद्देश्य से केवल एक या दो लाख रुपये आवंटित किए जा रहे हैं। ऐसे ही कल्याणकारी उपाय खजूर तोड़ने वालों और रस निकालने वालों के लिए क्रियान्वित किए जाने चाहिए। मैं केरल की कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं जैसे—विजिंगम मत्स्य-पालन बन्दरगाह विकास के दूसरे और तीसरे चरण, वामनपुरम सिंचाई परियोजना और त्रिवेन्द्रम का राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान—को पूरा करने की मांग करता हूं।

जहां तक बजट का सम्बन्ध है—एक महत्वपूर्ण मामला परिव्यय में की गई कटौती का है। त्रिवेन्द्रम में केरल उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने की मांग की गई है।

उच्च न्यायालय में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य सरकार के जो अधिकारी एर्नाकुलम जाते हैं उनको दिए गए यात्रा भत्ते के रूप में हजारों रुपया बेकार व्यय किया जा रहा है। इस स्थिति को रोका जा सकता है यदि त्रिवेन्द्रम में मामला दायर करने की शक्ति प्राप्त केरल उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित कर दी जाए।

श्री अराकल और अन्य सदस्यों ने यह कहा कि जब भी साम्यवादी दल या मार्कसवादी दल सत्ता में आया तो मन्त्रालय गिर गया। यह इतिहास को झुटलाने वाली बात है। 1948 में ओल्ड ट्रावनकोर के पट्टम थानु पिल्लई के नेतृत्व वाला पहला मंत्रालय

तब गिरा जब विधान सभा में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत था···

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप अपनी बात खत्म करें।

श्री बनातवाला ((व्यवधान)

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मैं राष्ट्रपति के उद्घोषणा के अनुमोदन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले यह घोषणा की थी कि मन्त्री महोदय करीब 2.30 बजे उत्तर देंगे। चूंकि अभी एक या दो वक्ताओं को बोलना बाकी है, वे 3 बजे उत्तर देंगे।

श्री जी०एम० बनातवाला : उपाध्यक्ष महोदय, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना और उस राज्य की विधान सभा भंग करना निश्चित रूप से कोई अच्छी स्थिति नहीं है। यह खुश होने वाली स्थिति नहीं वरन् ऐसी गम्भीर वास्तविक स्थिति है जिसके अलावा कोई चारा नहीं रहता। केरल में उत्पन्न स्थिति के वास्तविक मूल्यांकन और वहाँ के सदस्यों की निष्ठा परिवर्तन के परिणामस्वरूप एक ही निष्कर्ष, एक ऐसा अनिवार्य निष्कर्ष रह गया कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने और विधान सभा भंग करने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। मेरा नम्र निवेदन है कि इस सही कार्रवाई की आलोचना के पीछे अधिकांश खतरनाक और निकृष्ट आकांक्षाओं पर आधारित स्वार्थसिद्धि की राजनीति है।

महोदय, यह तर्क दिया गया है कि राज्यपाल को वैकल्पिक सरकार बनाने की संभावनाओं का पता लगाना चाहिए था। पहली बात तो यह है कि किसी भी दल ने वैकल्पिक सरकार बनाने का ठोस दावा प्रस्तुत नहीं किया। इसके अलावा केवल यही पर्याप्त नहीं कि वैकल्पिक सरकार बने, बल्कि एक स्थिर और सक्षम सरकार भी होनी चाहिए और यह बात हमारे संविधान के जन्मदाताओं के विचाराधीन भी थी।

महोदय, मैं संविधान सभा वाद-विवाद संख्या 9 और पृष्ठ 153 का उल्लेख करना चाहता हूं कि माननीय श्री के० संथानम ने बहुत सी परिस्थितियों की सूची दी जिनमें किसी राज्य की संविधानिक ढाँचा चरमरा सकता है। एक स्थान पर उन्होंने इसका उल्लेख कर कहा है, जिसे मैं उद्धृत कर रहा हूं :

"राजनीतिक विघटन हो सकता है। इस मुद्दे के विश्लेषण की आवश्यकता है। राजनीतिक विघटन तब हो सकता है जब कोई मन्त्रालय वहीं बनाया जा सकता

या जो मन्त्रालय बनाए जा सकते हैं वे इतने अस्थिर हैं कि सरकार वास्तविक रूप से गिर जाती है।"

अतः केरल के राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन लागू करने का जो सुझाव दिया वह संविधान की आत्मा के बिल्कुल अनुरूप है।

महोदय, राज्य सभा के चुनाव की चर्चा चल रही है और इसलिए यह तर्क दिया गया कि केरल विधान सभा भंग नहीं की जानी चाहिए। मैं यह बता देना चाहता हूं कि किसी राज्य विधान सभा के अपने ही चुनाव के अवसर पर राज्य सभा के चुनाव नहीं हो सकते। जब यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि कोई स्थिर मन्त्रालय नहीं बन सकता और जब यह एकदम स्पष्ट हो गया कि चुनाव आवश्यक है तो मेरा यह कहना है कि मात्र राज्य सभा के चुनावों के लिए विधान सभा को बनाए रखना केरल के मतदाताओं के प्रति छल होता और यह केरल के लोगों को उनके आदेश पर गठित विधान सभा के माध्यम से राज्य सभा में अपने वांछित प्रतिनिधियों को भेजने के सुअवसर को धोखे से वंचित करना होता। यह बहुत आश्चर्यजनक है कि जब नयनार सरकार का पतन हुआ, हमारे मार्कसवादी मिलों और उनके सहयोगियों ने यह तर्क दिया कि केरल विधान सभा के प्रति विश्वास न रहने से, केरल विधान सभा ने अपना शासनाधिकार खो दिया, वे अब इस तर्क के साथ आगे आए हैं कि उनके अनुसार जिसने शासनाधिकार खो दिया था उसी विधान सभा को अपने प्रतिनिधियों को राज्य सभा में भेजने की अनुमति दी जानी चाहिए। महोदय मैं यह कहना चाहता हूं कि यह और कुछ नहीं हमारे देश में पाया जाने वाला राजनीतिक अनैतिकता के प्रदर्शन का एक ढंग है।

महोदय, मैं सदन के तथा सारे देश के विचारार्थ दो प्रमुख बातें रखता हूं राज्य सभा चुनावों के लिए अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात् भी भंग करने का पूर्व उदाहरण उपलब्ध है। दिल्ली के मामले में राज्य सभा चुनावों की अधिसूचना 11 मार्च, 1980 को जारी की गई थी। परन्तु इस अधिसूचना के बावजूद भी दिल्ली महानगर परिषद 21 मार्च, 1980 को भंग की गई थी। साथ ही मैं आपका ध्यान लोकप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की ओर दिलाना चाहता हूं जिसका सम्बन्ध राज्य सभा चुनाव की अधिसूचना से है। इसकी धारा 12 में जो परन्तुक है वह बहुत महत्वपूर्ण है :

"परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी अधिसूचना उस तारीख से तीन मास से अधिक पूर्व न निकाली जाएगी जिस तारीख से निवृत होने वाले सदस्यों की पदावधि का अवसान होना है।"

इस प्रावधान से हमारे संविधान का तथा चुनाव का सही अभिप्राय मालूम होता

है अर्थात् राज्य सभा के लिए किसी भी राज्य विधान सभा को अपना कार्यकाल समाप्त होने से तीन माह की अवधि तक चुनाव नहीं कराने चाहिए । दूसरे शब्दों में यदि राज्य विधान सभा के लिए चुनाव होने वाले हों तो राज्य सभा के चुनाव नहीं होंगे अथवा किसी राज्य में आम चुनाव होने के समय राज्य सभा के लिए चुनाव नहीं कराए जाएंगे । यही संविधान का सही तात्पर्य है, परन्तु मार्क्सवादी व उनके अन्य सहयोगी दल इस बात को नहीं समझ सकते । मैं केरल के राज्यपाल को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने केरल की जनता के हित में कार्य किया और संविधान का सही अर्थों में अनुपालन किया ।

बजट के विषय में भी मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं ।

केरल के वर्ष 1981-82 के बजट में 84.52 करोड़ रु० से घाटे की व्यवस्था है । वर्ष 1982-83 के लिए जो अनुमान अब लगाए जा रहे हैं उसके अनुसार इस वर्ष में कुल 1.28 करोड़ रुपए की राशि के घाटे की व्यवस्था रखी गई है । वर्ष 1982-83 के 1.28 करोड़ रु० के इस अनुमानित घाटे की तुलना 1981-82 के 84.52 करोड़ रु० से की जाए तो यह स्पष्ट है कि केरल सरकार जो अत्यधिक व्यय किए जा रही थी उसका कुछ मकसद था । जिस दिन नयनार सरकार असफल हुई थी वह दिन केरल की जनता के लिए एक प्रकार से मुक्ति का दिन था । मुझे विश्वास है कि मार्कसवादी दल तथा उनके सहयोगी जो वापस सत्ता में आने की सोच रहे उनका सोचना वास्तविकता से परे की बात है ।

एक और महत्वपूर्ण मुद्रा जो मैं उठाना चाहता हूं वह कालीकट हवाई अड्डे से सम्बन्धित है । पिछले 60 वर्षों से इस परियोजना पर कुछ कार्यवाही नहीं की गई है । प्रधान मन्त्री ने कालीकट में यह घोषणा की थी कि यह कार्य 1981 में प्रारम्भ हो जाएगा । इस सदन में मैंने एक प्रश्न उठाया था और मेरे अतारांकित प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया कि अब यह परियोजना तैयार है और केवल मन्त्रिमण्डल की ही स्वीकृति चाहिए । इसके लिए शायद वित्त मंत्रालय की भी स्वीकृति चाहिए । मुझे आशा है कि वित्त मन्त्री यह कहेंगे कि इसे स्वीकृति दे दी गई है और अप्रैल 1982 से इस पर कार्य शुरू हो जाएगा ।

इस समय अनुदान की मांगों तथा लेखानुदान पर चर्चा चल रही है । यहां मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि लेखानुदान वित्तीय वर्ष 1982-83 के प्रथम छः महीनों के लिए मांगा जा रहा है । मेरा निवेदन है कि यह लेखानुदान यदि चार माह के लिए होता तो अधिक उपयुक्त होता । यह उचित होता तथा पहले से चल रही प्रणाली के अनुसार होता । मेरे विचार से विधान सभा छः माह के लिए लेखानुदान मांगना निकट भविष्य में नई चुनी जाने वाली के अधिकारों का अतिक्रमण होगा । मैं यह भी कहना

चाहूंगा कि सरकार चुनाव आयोग पर जोर दे कि केरल में चुनाव जल्दी से जल्दी कराए जाएं।

महोदय, केरल की सबसे महत्वपूर्ण समस्या समुद्र द्वारा भूमि का कटाव है। पिछले दस वर्षों में केरल में 3460 हैक्टेयर भूमि का समुद्र द्वारा कटाव हुआ है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि जिस तरह भू सीमाओं की सुरक्षा जरूरी है समुद्र द्वारा भूमि कटाव की समस्या भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यह समस्या 70 लाख जनता की है जो सबसे निर्धन भी है। छठी पंचवर्षीय योजना में केरल के लिए कुल 45 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई परन्तु केवल 11.40 करोड़ रु० की राशि ही योजना के प्रथम दो वर्षों में परिव्यय के लिए आवंटित की गई है। इसलिए, इस ओर अधिक ध्यान देने और अधिक आवंटन करने की आवश्यकता है।

महोदय, इस ऊर्जा संकट के समय विद्युत परियोजनाओं पर भी अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य से मैं तीन मुद्दों का विवरण देकर समाप्त करना चाहूंगा। सबसे पहले तो सभी लम्बित परियोजनाओं को शीघ्र ही स्वीकृति दी जानी चाहिए। सात परियोजनाएं लम्बित पड़ी हैं और इनमें से कुछ तो 1972 में प्रस्तुत की गई थीं। दूसरे, राज्य की जल-विद्युत परियोजनाओं को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के क्षेत्राधिकार से अलग रखा जाना चाहिए जिससे कि इनमें बाधा पहुंच रही है खास तौर से जबकि राज्य की जल विद्युत परियोजनाएं पहाड़ियों में घनी वनस्पति के बीच स्थित है। अन्त में, राज्य की विद्युत परियोजनाओं के लिए अधिक सहायता और अधिक आवंटन की आवश्यकता है। परियोजनाओं के शुरू करने के लिए जो वर्तमान आवंटन 15 से 20 करोड़ रुपए है तथा वितरण और पारेषण के लिए 30 करोड़ रुपए रखा गया है वह अपर्याप्त है।

इन शब्दों के और लेखानुदान के बारे में मैंने जो टिप्पणी की है उसी के साथ मैं बजट और लेखानुदान का समर्थन करता हूं। राष्ट्रपति की उद्घोषणा की स्वीकृति के लिए जो प्रस्ताव पेश किया गया था उसका भी मैं समर्थन करता हूं। आपके माध्यम से मैं राज्य के राज्यपाल को भी बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने राजनैतिक दूरदर्शिता से केरल के जनहित के पक्ष में कार्यवाही की है।

श्री गिरधारी लाल व्यास: हमारी पार्टी की तरफ से नाम भेजा हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं पहले ही घोषणा कर चुका हूं। (व्यवधान)

मैं पहले केरल के सदस्यों को मौका दे रहा हूं। कृपया बैठ जाएं। हरेक विधेयक पर आप बोलना चाहते हैं। मुझे खेद है आपकी बारी नहीं आएगी। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता।

केरल राज्य के सम्बन्ध में उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प और रेल बजट, 1982-83 — सामान्य चर्चा लेखानुदानों की माँगें (केरल), 1982-83 तथा अनुदानों की अनुपूरक मांगें (केरल), 1981-82

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति की घोषणा और बजट के विरोध करने के क्रम में मैं आपका और सदन का ध्यान इतिहास के 25 वर्ष पहले ले जाना चाहता हूं।

1957 में केरल में आम-चुनाव हुए और सरकार बनी। लेकिन सरकार कुछ ही महीनों के अन्दर 1957 में ही बर्खास्त कर दी गई। इसका इनिशिएटिव हमारी वर्तमान प्रधानमंत्री, जो कि उस समय कांग्रेस की प्रेजीडेंट थी, ने लिया।

एक माननीय सदस्य : यह गलत बात है।

प्रो० अजित कुमार मेहता : सही बात है, आप इतिहास देखिए। यह गन्दा काम किससे करवाया गया, आज जिनको फादर आफ माड्रर्न इण्डिया कहते हैं, पंडित जवाहर लाल नेहरू जैसे व्यक्तियों से। हमारी प्रधान मंत्री इंग्लैंड में हो रहे फैस्टीवल आफ इण्डिया की पैटरन हैं, वहाँ इतिहास को झुठलाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। वहाँ फादर आफ दि नेशन का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन फादर आफ माडर्न इण्डिया के नाम से पं० जवाहर लाल नेहरू का उल्लेख किया गया है।··· (व्यवधान)···

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, ये केरल के बजट पर भाषण दे रहे हैं या किस चीज पर भाषण दे रहे हैं ?

प्रो० अजित कुमार मेहता : मैं उसी रेफ्रेन्स में कह रहा हूं—इतना गन्दा काम उस समय स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू के हाथों करवाया गया। यह चरित्र है—हमारे प्रधान मन्त्री का कि उन्होंने जो संवैधानिक ढंग से चुनी हुई सरकार थी उसे असंवैधानिक माध्यम से भंग कराकर प्रजातन्त्र का राजा छांटा···

श्री पी० वेंकटसुब्बया : शायद माननीय सदस्य को मालूम नहीं है कि वहां एक विमोचन संग्राम समिति है। केरल की सारी जनता ने विद्रोह किया था और ई० एम० एस० मंत्रिमंडल को हटना पड़ा। मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वह इस प्रकार की भर्त्सना न करें।

प्रो० अजित कुमार मेहता : यह सही नहीं है। यह आप कह रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप प्रस्ताव और बजट पर अपना वक्तव्य जारी करिए।

प्रो० अजित कुमार मेहता : मैं राष्ट्रपति जी की उद्घोषणा का विरोध करते हुए उसी सन्दर्भ में बोल रहा हूं। अब मैं वहाँ की राज्यपाल के दोहरे मानदण्ड पर

अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूं । वहां के राज्यपाल ने अपने प्रतिवेदन में लिखा है—

"मैं स्वयं इस बात से सन्तुष्ट हूं कि किसी व्यावहारिक, स्थायी या स्थिर सरकार बनने की कोई सम्भावना नहीं है । इन परिस्थितियों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि राज्य के सर्वोच्च हित में राज्य विधान मंडल को भंग कर दिया जाय और लोगों को फिर अपनी राय जाहिर करने के लिए चुनाव कराये जाएं ।"

राज्यपाल की यह सन्तुष्टि कुछ महीने पहले कहां थी ? दोनों पक्षों में 70-70 विधायक थे, अध्यक्ष को लेकर 71 हुए, तब उनको यह विश्वास हो गया कि वह सरकार स्थायी होगी । उन्होंने उनको सरकार बनाने के लिए निमन्त्रण दे दिया, लेकिन जब एक विधायक के टूटने से विपक्ष में 71 लोग हो गये, तब उनको यह बात समझ में आई कि अब स्थायी सरकार नहीं बन सकती । बलिहारी है—इस समझ की ।

अब मैं राजनीतिक अनैतिकता के ऊपर कुछ कहना चाहूंगा—श्री बनातवाला जी ने उसकी चर्चा की है और भी काफी चर्चा हो चुकी है । श्री बनातवाला एक गलत बात के लिए सफल पैरवीकार हो सकते हैं, लेकिन सफल पैरवी से कोई गलत बात सही नहीं हो जायगी । उन्होंने उदाहरण दिया है राज्य सभा के चुनाव का । उन्होंने उदाहरण दिया है दिल्ली का 19 मार्च, 1980 का । मैं पूछना चाहता हूं—1980 में यहां कौन सी सरकार थी ? आप अपनी ही बात का उदाहरण देना चाहते हैं और उससे सिद्ध करना चाहते हैं कि आप जो गलत काम करेंगे वह सही होगा ।

राजनीतिक अनैतिकता का एक दूसरा उदाहरण देखिए—मैं जानना चाहता हूं—क्या यह सही नहीं है कि प्रधान मंत्री के प्रिंसिपल सैक्रेटरी** ने केरल की बहुत सारी यात्रायें की और बहुत से लोगों से मिले···

(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : आप इसका नोटिस दीजिए । वह बिना नोटिस दिए ही नाम क्यों ले रहे हैं । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी आज्ञा नहीं देता । आप प्रधान मंत्री की आलोचना कर सकते हैं···(व्यवधान)

प्रो० अजित कुमार मेहता : ठीक है मैं नाम वापस लेता हूं । (व्यवधान)

प्रो० अजित कुमार मेहता : परन्तु यह सच है ।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी स्वीकृति नहीं दूंगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : वह इसका जिक्र कर सकते हैं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी स्वीकृति नहीं दूंगा। **(व्यवधान)**

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : किस नियम के अधीन ? **(व्यवधान)**

* * *

उपाध्यक्ष महोदय : आप नियमों की बात न करें। नाम मत लीजिए।

प्रश्न***

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा। जो भी इन्होंने कहा है उसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न करें।

मुझे चुनौती न दें। पीठाध्यक्ष को चुनौती न दें। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं पीठाध्यक्ष को चुनौती न दें। यह ठीक है इसकी एक सीमा है। मुझे मालूम है कि उन्हें अपनी सीमाएं पता हैं। उन्हें अपनी सीमाएं मालूम होनी चाहिए।

प्रो० अजित कुमार मेहता : मैं दावा करता हूं कि मैंने जो कहा है आप इसको गलत सिद्ध कीजिए। क्या प्रधान मंत्री जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बार बार केरल की यात्रा की या नहीं। वे इस मंशा से वहां गये थे कि केरल की सरकार को अनैतिक ढंग से तुड़वाया जाए और उन्होंने सरकार को तुड़वाने का गलत काम किया और उस में वे सफल हुए। यह राजनीतिक अनैतिकता है।...**(व्यवधान)**...

अब मैं संचार मंत्री श्री स्टीफन की इस सारे काम में भूमिका की चर्चा करूंगा। इन को डिप्यूट किया गया था केरल की सरकार को गिराने के लिए। श्री स्टीफन केरल से आते हैं और उन को वहां पर पांव रखने की भी जगह नहीं मिली और उन्होंने दिल्ली में आ कर शरण ली लेकिन दिल्ली वालों ने उनको वापस भेज दिया। फिर कर्नाटक में कुछ गलत वायदे कर के वे संसद् में पहुचे हैं और यहां संसद में पहुचने पर टेलीफोन में असफल होकर इन्होंने केरल में होर्स-ट्रेडिंग का काम किया। होर्स ट्रेडिंग का अगर मैं हिन्दी में अनुवाद करूं, तो इसका मतलब होगा घोड़ों का व्यापार। इन्होंने केरल में राजनीतिक घोड़ों का व्यापार किया है।...**(व्यवधान)**...

एक माननीय सदस्य : घोड़े का ही किया न, गधे का तो नहीं।

***कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो० अजित कुमार मेहता : क्या पता गधे का ही किया हो ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना वक्तव्य समाप्त करके मेरी मदद करें ।

प्रो० अजित कुमार मेहता : मेरा बहुत सा समय ऐसे ही चला गया है। मैं फ्री प्रेस जनरल, बम्बई, जोकि 7 फरवरी, 1982 का है, उस का एक वाक्य यहाँ उद्धृत करना चाहूंगा :

"**फ्री प्रेस जनरल :** 7 जनवरी

कोचीन, फरवरी 6—"श्री राजीव गाँधी, संसद सदस्य ने आज यहाँ कहा कि केरल का करुणाकरन सरकार यदि बहुमत से और अध्यक्ष द्वारा विधान सभा में सरकार के पक्ष में डाले गये मत से यदि सत्ता में रहती है तो यह गलत नहीं है ।

संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वह इससे सहमत नहीं है कि सरकार का सत्तारूढ़ रहना कोई लोकतांत्रिक नहीं है । उन्होंने बताया कि संविधान में इसकी इजाजत है ।"

मैं पूछना चाहता हूं कि केन्द्र जो दल सत्तारूढ़ है, उस के पक्ष में अगर अध्यक्ष को लेकर 71 विधायक हैं, तो वह सरकार बनाना संवैधानिक है और जब विपक्ष में 71 विधायक हो जाएं, तो पता नहीं उस में कौन सी असंवैधानिक बात हो गई । गवर्नर की रिपोर्ट वहाँ से मंगवा ली और सरकार को भंग कर दिया । ऐसा लगता है कि संविधान किसी रानी के एक रोब की तरह से है, जिसको पीछे से उठा कर लोग चले, तो वह संवैधानिक है और अगर उस रोब को पीछे से उठा कर चलने से इन्कार कर दें, तो वह सारा काम असंवैधानिक हो जाएगा । इसमें आगे लिखा है : "श्री गांधी ने कहा कि श्री करुणाकरन राज्य में एक ईमानदार और स्थिर सरकार बनाए हुए हैं । इसलिए राजनैतिक अस्थिरता की संभावना है ही नहीं ।"

अब देखिये, उतने ही मेम्बर सत्तारूढ़ दल की तरफ हैं तब तो वहाँ स्टेबल गवर्नमेंट हुई । फिर माननीय सांसद् श्री राजीव गांधी के अनुसार जब उतने ही विधायक विपक्ष में चले आए तो वह सरकार स्थायी नहीं हो सकती । वाह रे न्याय !

"एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि केरल में तुरन्त चुनाव करवाए जाने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि वर्तमान सरकार को विधान सभा में बहुमत प्राप्त है । श्री गांधी ने कहा कि यह वह चुनाव चाहते भी होंगे तो भी इस समय कुछ नहीं कहेंगे । श्री गांधी ने कहा कि कांग्रेस (आई) श्री ए० के० एंथनी के कांग्रेस (एस) दल का सहयोगी के रूप में स्वागत करेगी ।" आदि

यहां मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सांसद् ने किस संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए कहा—यदि उनके दिमाग में था कि निकट भविष्य में चुनाव होने जा रहे हैं—तो यह वे बतायेंगे नहीं वह कौन होते हैं चुनाव कराने वाले। यह एक्स्ट्रा कांस्टीच्युशनल अथारिटी है।

इसकी चर्चा बहुत लोगों ने की है कि राज्य सभा के चुनावों से पहले राज्य विधान मंडल को बरखास्त करना ठीक नहीं था। यह ठीक है।

अब मैं बजट की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। इसमें कहा गया है कि पुलिस की मद में 1981-82 के मुकाबले 1982-83 में 12 करोड़ रुपए ऊपर चला गया है और जेल की मद में 22 लाख रुपये ऊपर चला गया है। यानी इन दोनों मदों के लिए इतना अधिक प्रावधान किया गया है। क्या आप सारे राज्या को पुलिस स्टेट में बदलना चाहते हैं जबकि जल और विकास की मद में प्रावधान तीन करोड़ रुपये कम कर दिया गया है। इस बजट के बारे में और तो कुछ कहा नहीं जा सकता, जैसा कि श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने कहा कि यह हवाला बजट है।

मैं केरल का नहीं हूं, इसलिए विस्तृत विवरण के अभाव में इस पर अधिक न कह राष्ट्रपति की घोषणा और बजट का विरोध करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री रतनसिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, केरल राज्य में अनेक राजनैतिक परिवर्तन हुए हैं लेकिन हाल ही के परिवर्तन ने यह दिखा दिया है कि यदि कोई राज्य है जहाँ केन्द्र की ओर से, सत्ताधारी दल द्वारा राजनैतिक अनैतिकता की गई है तो वह केरल राज्य है। प्रारम्भ से ही, जिस तरह घटना-चक्र चला है, यह एक घृणित कहानी बन गई है; हमारे देश में लोकतान्त्रिक मानदण्डों के सम्बन्ध में यह एक अत्यधिक दुखद स्थिति है।

मैं नहीं जानता कि क्या हुआ। श्रीमती गांधी वहाँ गईं और जब केरल के लोगों पर अल्पमत सरकार थोपी गई तो संवाददाताओं ने प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछे कि 'राज्यपाल ने यह निर्णय क्यों लिया है ?' उन्होंने उत्तर दिया 'ऐसे मामलों में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए राज्यपालों के अपने ढंग होते हैं' (व्यवधान)। श्री अराकल, अब मैं केरल के मुख्यमंत्री के पद के लिए आपका नाम प्रस्तावित करने जा रहा हूं।

महोदय, मैं कतिपय मूल बातों की ओर ध्यान दिलाऊंगा जो घटित हुई हैं। मेरे विचार से यह केरल राज्य के लोकतान्त्रिक मानदण्डों का गला घोंटा गया है। मुख्य

घटनाएं क्या हैं ? मैं अल्पमत सरकार स्थापित करने की ओर ध्यान दिलाऊंगा, किस ढंग से केरल राज्य के लोगों पर सरकार थोपी गई—वह लोकतान्त्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से नहीं था। उन्होंने कहा कि विधायक 70-70 हैं और उसके बाद ये घृणित परिवर्तन हुए।

जो कुछ हुआ वह इस प्रकार है। सरकार की अस्थिरता सम्बन्धी जो लोकोक्ति है, केरल उससे पीड़ित है। वहां तमाशा हो रहा है। 18 वर्षों में वहाँ 12 सरकारें बनी हैं तथा पिछले 5 वर्षों में 6 सरकारें बनी हैं। जब इस प्रकार की अस्थिरता हो तो केन्द्रीय सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि लोकतान्त्रिक मानदण्डों का पालन हो। लेकिन उनकी केवल एक ही बात में रुचि है कि सभी लोकतान्त्रिक मानदण्डों को पैरों तले कुचलते हुए 'किसी भी कीमत पर हम सत्ता से चिपके रहें, किसी भी कीमत पर सत्ता हथिया लें।' केरल में उन्होंने यही किया है और उसके कारण न केवल केरल के लोग बल्कि समूचा देश दुःखी है। हमारी राजनैतिक नैतिकता गिर गई है और राजनैतिक मानकों तथा नैतिक मानकों में गिरावट आती जा रही है···।

श्री जेवियर अराकल : 1977 में आपने 9 विधान सभाओं को भंग किया।

उपाध्यक्ष महोदय : उस विषय पर मत जाइए।

श्री रतनसिंह राजदा : मैं नहीं जा रहा हूं। वह मेरे बहुत अच्छे मित्र है। वह यह बात स्नेह-वश कह रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह स्थिति को समझते हैं।

श्री रतनसिंह राजदा : अल्प-मत वाली सरकार थोपे जाने के बाद यह सरकार जीवित कैसे रही ? 80 दिन या जब तक भी यह सरकार चली, एक अजीब बात हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। सरकार अध्यक्ष महोदय के निर्णायक मत से बची। मैं अध्यक्ष महोदय के निर्णायक मत की बात समझ सकता हूं। लेकिन जहाँ तक निर्णायक मत का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में मैं कुछ मानदण्ड अपनाये जाने चाहिए। मैं नहीं समझ पाता कि एक दिन में सात-सात बार अध्यक्ष महोदय का मंत्रालय को बचाने हेतु निर्णायक मत क्यों देना पड़ता है। इससे अध्यक्ष महोदय के पक्षपात रहित होने के प्रति शक पैदा होता है। अध्यक्ष महोदय पक्षपात पूर्ण रवैया नहीं अपना सकते। वह पक्षपात पूर्ण नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ स्पष्ट रूप से दीखता है कि उन्होंने मंत्रालय को बचाने के लिए पक्षपात दिखाया।

उपाध्यक्ष महोदय : यह उनका संवैधानिक कर्तव्य है। क्योंकि आपने अध्यक्ष महोदय का उल्लेख किया, इसलिए मैं आपको बता ही रहा हूं।

श्री रतनसिंह राजदा : आप उपाध्यक्ष हैं। आप यहां केन्द्र में हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्योंकि अध्यक्ष के बारे में बात की जा रही है इसलिए मैंने कहा है।

श्री रतनसिंह राजदा : संवैधानिक कर्तव्य इस हद तक नहीं जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्ष महोदय की आलोचना नहीं कर सकते। वह अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन कर सकते हैं।

श्री रतनसिंह राजदा : तकनीकी दृष्टि से, यदि बराबर की स्थिति आ जाती है तो पीठासीन अधिकारी अपना मत दे सकता है। वह निर्णायक मत होता है। अब यदि आप एक दिन में सात बार ऐसा करें और वह भी मिनिस्ट्री को बचाने के लिए, तो मैं यह कहूंगा कि यह राजनैतिक अनैतिकता है और असंवैधानिक है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस ढंग से यह किया है उससे यह पता चलता है कि इसमें कुछ निहितार्थ हैं। निहितार्थ ये हैं कि जब अध्यक्ष इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि बहुत ही कम बहुमत है और सरकार टिक नहीं सकती और उनके निर्णायक मत से ही वह जीवित रह सकती है। लेकिन लगातार सात बार ऐसा करना···।

गृह मन्त्रालय तथा संसद कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वकटसुब्बय्या) : अपने दल के सदस्यों के समर्थन पर।··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने उस विषय को छोड़ दिया है। कृपया अब लेखानुदान पर आइए।

श्री रतनसिंह राजदा : श्री वेंकट सुब्बय्या सामान्यतया बहुत शान्त रहने वाले मंत्री हैं। अब वह कुछ भिन्न नजर आ रहे हैं।

महोदय, मैं यह कहने का प्रयत्न कर रहा था कि जो भूमिका अध्यक्ष ने निभाई है वह अत्यधिक संदेहास्पद है। अब इसके अतिरिक्त, राज्यपाल द्वारा निभाई गई भूमिका को लीजिए। क्या हमारे राज्यपाल ऐसे हैं जो केन्द्रीय सरकार की रबड़ की मोहर बन जाते हैं ? यह मेरा अगला प्रश्न है। विधानसभा को भंग कर दिया गया है और राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन घोषणा कर दी गई है।

महोदय, राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 174 के अधीन विधान सभा को भंग कर दिया। यह सातवीं बार केरल राष्ट्रपति शासन के अधीन आया है।

कुछ मूल प्रश्न हैं जो मैं पूछना चाहता हूं। वे हैं :

(1) क्या राज्यपाल को केन्द्र में सत्ताधारी दल के राजनैतिक हितों की रक्षा के लिए उसकी रबड़ की मोहर के रूप में कार्य करना चाहिए ?

यदि राज्यपाल को केन्द्र में सत्ताधारी दल के राजनैतिक हितों की रक्षा करनी है तो, मेरे विचार से, राज्यपाल उस उच्च जिम्मेदारी तथा उच्च पद के साथ न्याय नहीं कर रहा है जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है।

(2) देश में यह दल बदल, जिसे सत्ताधारी दल ने प्रोत्साहित किया था, कब तक चलती रहेगी। (व्यवधान)

आप ही ने दल-बदल को बढ़ावा दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत नहीं। मैंने कुछ नहीं किया है।

श्री रतनसिंह राजदा : आपके माध्यम से मैं यह व्यक्त कर रहा हूं। श्री जैलसिंह यहां हैं। अब, महोदय, राज्य का निचले स्तरों पर राजनैतिक ढांचा लगभग टूट चुका है—सभा में इस तरह का तमाशा कि अध्यक्ष को अपना निर्णायक मत एक ही दिन में सात बार देना पड़ा।

महोदय, कम से कम भी कहा जाए तो राज्यपाल द्वारा निभाई गई भूमिका भी अत्यधिक संदिग्ध है। जिस ढंग से केन्द्र ने दल-बदल प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया उससे पता चलता है कि वे किसी भी कीमत पर सत्ता से चिपका रहना चाहते थे।

महोदय, मेरे मित्र श्री बनातवाला यहाँ नहीं हैं। लेकिन मैंने इस सभा में उनका भाषण ध्यानपूर्वक सुना था। वह उस बात की सफाई दे रहे थे जिसकी सफाई दी ही नहीं जा सकती। मैं नहीं जानता कि केरल में उनके क्या हित हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह केरल से एक सदस्य हैं।

श्री रतनसिंह राजदा : वह मैं जानता हूं। इसीलिए मैं यह कहता हूं कि वह इस सभा में उस बात की सफाई कर रहे थे जिसकी सफाई दी ही नहीं जा सकती।

जहाँ तक अनुदानों की मांगों का प्रश्न है, उनके ब्यौरे नहीं दिए गए हैं। केवल शीर्ष ही दिए गए हैं। उन्होंने सभी ब्यौरे नहीं दिए हैं। गृह मंत्रालय को एक करोड़ रु० आवंटित किया गया है। जब तक हमें सभी ब्यौरे नहीं दिए जाते, हमसे इन

सभी मांगों पर अपना मत देने की आशा कैसे की जा सकती ? यह मेरी आपत्ति है ।

इन चन्द शब्दों के साथ, मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं ।

*श्री के० कुन्हम्बु (कन्नानौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केरल के संबंध में राष्ट्रपति की घोषणा तथा केरल के 1982-83 के बजट का समर्थन करता हूं । यद्यपि विपक्ष के कुछ राजनैतिक दलों ने केरल विधान सभा को भंग करने के सम्बन्ध में कुछ विवाद उत्पन्न करने का प्रयत्न किया है, लेकिन वे सभी विवाद शीघ्र समाप्त हो गए हैं क्योंकि लोग इस बात से संतुष्ट हो गए थे कि उनके दृष्टिकोण में राजनैतिक ईमानदारी नहीं है । सामान्यतया लोगों ने राष्ट्रपति की घोषणा का समर्थन किया है ।

केरल एक राजनैतिक प्रयोगशाला है । स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद वहां अनेक महत्वपूर्ण राजनैतिक प्रयोग हुए हैं केरल में संयुक्त मोर्चे का एक इतिहास है । विभिन्न विचारधाराओं वाले विभिन्न राजनैतिक दल एक न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर एक ही मंच पर एकत्र होते हैं और लोगों के लिए कल्याण के उपाय करते हैं । वास्तव में, केरल में संयुक्त मोर्चे का यही इतिहास रहा है । वामपंथी लोकतान्त्रिक मोर्चा भी जो 1980 में सत्ता में आया, केरल के लोगों की भलाई के लिए एक न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर लोगों की शुभकामनों द्वारा ही गठित किया गया था । मैं मार्क्सवादी दल पर यह आरोप लगाना चाहूंगा कि उनकी गलत नीतियों और राजनैतिक समस्याओं के प्रति गलत दृष्टिकोण अपनाने का ही यह परिणाम था कि संयुक्त मोर्चा सत्ता से बाहर हो गया । इतना ही नहीं, मार्क्सवादियों में सहनशीलता और आपसी समझौते की प्रवृत्ति नहीं थी जो किसी भी संयुक्त मोर्चे की सरकार के लिए बहुत जरूरी होती है । उन्होंने बिना किसी दूरदर्शिता के मजदूरों के एक वर्ग को खुली छूट दे दी तथा इस प्रकार ज्यादा से ज्यादा परेशानियाँ जनता के लिए खड़ी कीं । वैसे, मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता । मार्क्सवादी दल ने संघटक दलों के कार्यालयों पर हमला करने तथा उनके कार्यकर्ताओं को पीटने जैसे घृणित कार्य किए । केरल के लोग उनसे तंग आ गए और उन्होंने सच्चे दिल से यह चाहा कि वह सरकार सत्ता से बाहर हो जाए । लोगों के विचारों का मान करते हुए कांग्रेस दल को उस सरकार से बाहर निकलना पड़ा । किसी भी दल का यह प्रमुख कर्तव्य है कि वह लोगों के विचारों को आदर दे और उनकी इच्छाओं के अनुसार कार्य करे । संयुक्त मोर्चे से बाहर निकल कर कांग्रेस दल के नेता श्री ए० के० एन्थनी का इतना अधिक राज्य व्यापी और जोरदार स्वागत हुआ जो यह दर्शाने के लिए काफी था कि उन्होंने जो कुछ किया लोगों ने उसका समर्थन किया है ।

*मलयालम में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

महोदय, केरल को अपनी प्रगति के लिए एक स्थिर सरकार की जरूरत है। वर्तमान स्थिति में केवल वही दल जो लोकतान्त्रिक मूल्यों और लोकतान्त्रिक व्यवहार में विश्वास रखतीं हैं, केरल को एक स्थिर सरकार दे सकतीं हैं। यही कारण है कि वे सभी दल जो लोकतन्त्र में विश्वास रखते हैं एक मंच पर एकत्र हो गए हैं। उन्होंने लोकतान्त्रिक प्रणाली तथा केरल के लोगों की रक्षा के लिए अपने मतभेद भुला दिए हैं। वर्तमान संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चा एक निश्चित कार्यक्रम के साथ लोगों के सामने जाएगा। मैं सभा में यह घोषणा करना चाहता हूं कि आगामी चुनाव में संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चा भारी बहुमत से सत्ता में आएगा।

बजट के सम्बन्ध में मैं अधिक नहीं बोलना चाहता क्यों कि यह लेखानुदान है और यह नैभी प्रशासनिक कार्यों को चलाने के लिए है। फिर भी, इस अवसर पर मैं सभा के सम्मुख कुछ समस्याएं रखना चाहता हूं। मैं महसूस करता हूं कि जब केरल की महत्वपूर्ण समस्याएं दिल्ली पहुंचती हैं तो वे कम महत्वपूर्ण रह जाती हैं और मैं देखता हूं कि यहां उनके प्रति सरकार का रवैया उपेक्षापूर्ण तथा उदासीनतापूर्ण होता है।

वर्ष 1982-83 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय पिछले वर्ष के वार्षिक योजना परिव्यय के बराबर ही है। इस वर्ष पड़ौसी राज्य तमिलनाडु के योजना परिव्यय में पर्याप्त वृद्धि की गई है। वास्तव में मेरी समझ में यह नहीं आता कि केन्द्र सरकार ने केरल की अधिक योजना परिव्यय की मांग पर ध्यान क्यों नहीं दिया ? अतएव, मुझे आशा है कि माननीय प्रधान मंत्री जी इस मामले पर निजी तौर पर ध्यान देंगी।

मैं कालीकट विमान पत्तन के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। यह मामला काफी लम्बे समय से अधर में लटका हुआ है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने कालीकट में एक जन सभा को सम्बोधित करते हुए लोगों को यह आश्वासन दिया था कि वहां जल्द ही एक विमान पत्तन का निर्माण किया जाएगा। लेकिन अब तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है और इस सम्बन्ध में अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। यह अफवाह थी कि कतिपय क्षेत्रों से राजनीतिक दबाव पड़ने के कारण कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अतएव, सरकार से मेरा अनुरोध है कि वे इस मामले में जल्द ही कोई निर्णय ले।

दूसरा मुद्दा नौसैनिक अकादमी के बारे में है। प्रारम्भिक प्रस्ताव यह था कि नौसैनिक अकादमी एजीमाला में स्थापित की जाए। लेकिन यह प्रस्ताव भी अनिश्चितता की स्थिति में ही रहा। स्थल चयन समिति ने यह सिफारिश की थी कि यह अकादमी एजीमाला में ही स्थापित की जानी चाहिए। अतएव, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि

नौसैनिक अकादमी एजीमाला में ही स्थापित की जाए। और राजनीतिक विचारधाराओं के कारण इसे किसी दूसरे राज्य में स्थानान्तरित न किया जाए।

दूसरा मुद्दा इन्डो नार्विजियन परियोजना के अन्तर्गत नीन्दाकाड़ा तथा कनानूर पत्तनों के विकास के बारे में है। कनानूर में यह विशेष पत्तन मोपलावे के रूप में जानी जाती है। इस पत्तन पर भारी गाद जमने के कारण यह बेकार हो गया है। ऐसी स्थिति के कारण मछुआरे इस पत्तन से अपनी किश्तियाँ नहीं चला सकते हैं। अतएव, मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार को इस मामले में कुछ रुचि लेनी चाहिए और इस पत्तन से गाद को हटाने में मछुआरों की मदद करनी चाहिए।

अन्त में, मैं केरल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री के० करुणाकरन के बारे में केवल एक बात कहना चाहता हूं। पिछले कुछ महीनों में केरल में जो कुछ हुआ है उस संदर्भ में उनके बारे में कई बातें कही गई हैं। इस सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हूं। 1977 में मुख्य मन्त्री के रूप में उन्होंने जो सेवाएं अर्पित की मैं उन्हें नहीं भुला सकता हूं। मैं सदन को यह बता देना चाहता हूं कि उन्होने 40 हरिजन युवाओं को सीधे ही पुलिस के उप-निरीक्षक के पदों पर नियुक्त कर दिया। मैं अपने मार्क्सवादी मित्रों से यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने क्या किया। मेरे मित्र श्री इम्बीचीबावा नम्बूदरीपाद सरकार में परिवहन मंत्री थे। वे हरिजनों को केवल 2 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दे सके। इसी प्रकार इस बार भी मुख्य मन्त्री बनने के तुरन्त बाद श्री करुणाकरन ने केरल में हरिजन सहकारी संघ नियुक्त किया। इसके विपरीत श्री नम्बूदरीपाद तथा उसके दल ने, जब वे सत्ता में थे, क्या किया ? 1957 में जब वे सत्ता में थे हरिजनों को उनकी भूमि से बेदखल करने के विरुद्ध मुझे आन्दोलन करना पड़ा था। महोदय उस समय मैं विधायक था। मुझे गिरफ्तार किया गया और मुझे हथकड़ी लगाकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया गया था। उन्होंने हरिजन समुदाय से सम्बन्ध रखने वाले एक सदस्य के साथ यह व्यवहार किया था। मैं और अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। मैं उद्घोषणा तथा बजट का एक बार फिर समर्थन करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : महोदय, मेरा विचार यह है कि केरल में कुछ समय के लिए राजनीतिक दलों तथा उस राज्य की जनता के लिए दोनों के लिए ही स्थिति में अब कुछ सुधार आया है। जब से यह राज्य बना है वहाँ 12 सरकारें बदल चुकी हैं। पिछले 21 वर्षों में केरल में 12 सरकारें बनी और अब केरल राज्य में पुनः राष्ट्रपति शासन लागू है। मेरे विचार से विधान सभा को भंग करने में राज्यपाल की कार्रवाई का समर्थन नहीं किया जा सकता है। मेरी राय में राज्यपाल ने केरल ने दोहरा मानदण्ड अपनाया है और विरोधी पक्ष द्वारा राज्यपाल के खिलाफ अपनी आवाज उठाना

सही है। जहां तक केरल और असम का सम्बन्ध है, वहाँ के विरोधी दल ये मांग कर रहे थे कि विधान सभाओं को भंग किया जाना चाहिए और नए चुनाव कराए जाने चाहिए। लेकिन उस समय केरल के राज्यपाल ने विधान सभा को भंग करना आवश्यक नहीं समझा और कांग्रेस (इ) सरकार को, जबकि उनका एक ही विधायक अधिक था, बहुत ही अल्प बहुमत से शासन करने की अनुमति दे दी थी। उसका क्या परिणाम हुआ? उसका यह परिणाम हुआ कि करुणाकरन की सरकार केवल 80 दिन ही चल पाई। केन्द्र सरकार तथा सत्ताधारी दल के नेता यह कह रहे थे कि राज्य में राजनीतिक स्थिरता होनी चाहिए। वे कह रहे थे कि हम बार बार चुनाव नहीं कराना चाहते और सरकार बनाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए काफी समय दिया जाना चाहिए। अतएव, सही बात यह रही होती कि राज्य की विधान सभा को भंग करने की बजाए राज्यपाल को इस संभावना का पता लगाने के लिए कुछ और समय लेना चाहिए था कि क्या सत्ताधारी कांग्रेस (इ) के गठजोड़ दल से दल बदल कर गए एक विधायक को लेकर विरोधी पक्ष फिर सरकार बना सकता है। जब असम का राज्यपाल विधान सभा को कई कई महीनों तक निलम्बित रख सकता है तो केरल के मामले में ऐसा क्यों नहीं किया गया? यह कहा गया कि राज्य सभा की 3 सीटों के लिए चुनाव नहीं होने चाहिए क्योंकि वहां कांग्रेस (इ) सरकार सत्ता में नहीं है। लेकिन जब कांग्रेस (इ)सरकार सत्ता में थी राज्य सभा के लिए सदस्यों का चुनाव करने के लिए उपयुक्त अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना जारी की जा चुकी है और चुनाव की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। यदि कांग्रेस (इ) सरकार सत्ता में रही होती तो सब ठीक था लेकिन अब कांग्रेस (इ) बहुमत में नहीं थी, मामला स्पष्ट था कि 3 सीटों में से विरोधी पक्ष दो सीट ले लेगा और कांग्रेस (इ) को केवल एक सीट मिलेगी। यही कारण था जिसकी वजह से विधान सभा को भंग करने की सिफारिश की गई थी। यह एक छोटा-सा राजनीतिक खेल है, अर्थात्, एक और सीट लेने के लिए उन्होंने प्रजातन्त्र की हत्या कर दी।

अब, असम में क्या हुआ? वहाँ विरोधी पक्ष ने बार बार यह कहा कि उनके सदस्यों की संख्या 65 है और उन्होंने 65 सदस्यों की एक सूची, जिस पर उनके हस्ताक्षर थे, प्रस्तुत की थी, लेकिन उन्हें सरकार बनाने की अनुमति नहीं दी गई लेकिन अल्पमत दल को सरकार बनाने की अनुमति दे दी गई जब विधान सभा की बैठक हुई तब मुख्य मंत्री के पास विरोध पक्ष का सामना करने की राजनीतिक हिम्मत नहीं थी और उसे त्याग पत्र देना पड़ा। इसलिए केन्द्र में सत्ताधारी दल द्वारा अपनाए गए इस प्रकार के व्यवहार से समस्त देश में यह धारणा बन गई है कि केन्द्र सरकार अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रही है और अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए राज्यपाल की शक्तियों का

भी दुरुपयोग करने का प्रयास कर रही है। मेरे विचार में यह ठीक नहीं है। मेरे साथी कहते हैं कि जनता सरकार ने भी यही काम किया था। यदि जनता पार्टी ने गलत काम किया था तो क्या आप उसकी नकल करेंगे ? मेरी राय में कांग्रेस दल की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्यों यह वह दल है जो स्वतन्त्रता के लिए लड़ा था, कम से कम स्वतन्त्रता आन्दोलन का तो नेतृत्व तो इण्डियन नेशनल कांग्रेस ने ही किया था और इण्डियन नेशनल कांग्रेस की समझ-बूझ तथा नेतृत्व के कारण ही इस देश में प्रजातन्त्र की स्थापना हो पाई थी।

श्री राजेश पायलट (भरतपुर) : जब मेरे वरिष्ठ साथी श्री चन्द्रजीत यादव ने श्री चरण सिंह को प्रधान मन्त्री बनने के लिए समर्थन दिया था उस समय श्री जगजीवन राम तथा श्री मोरार जी देसाई के लिए कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे ? क्या श्री जगजीवन राम के समर्थन में किए गए हस्ताक्षर अन्य लोगों से अधिक नहीं थे ?

श्री चन्दजीत यादव : मैं कांग्रेस तथा जनता पार्टी की सरकारों की तुलना से कभी सहमत नहीं हुआ हूं। मेरी उसमें रुचि नहीं है। हमें उन मामलों तथा समस्याओं को हल करने में अधिक रुचि लेनी चाहिए जो देश की जनता चाहती है। अतएव, इन सब बातों पर विचार किए बिना कि कौन सी पार्टी ने क्या किया हमें सही तथा संतुलित दृष्टिकोण अपनाना है।

वास्तव में एक छोटे से राजनीतिक लाभ के लिए राज्यपाल की शक्तियों का प्रयोग किया गया। राज्यपाल का कार्य ऐसा नहीं था जिसका समर्थन किया जा सके तथा उन्होंने पूर्वाग्रह से कार्य किया जिसकी कोई सफाई पेश नहीं की जा सकती।

मैं अब कुछ अन्य बातों के बारे में चर्चा करूंगा। केरल की विधान सभा पहले ही भंग की जा चुकी है, लेकिन कृपया अधिक लम्बे समय तक राष्ट्रपति शासन न चलने दीजिए। यहां तक कि भूतपूर्व कांग्रेस मुख्य मंत्री श्री करुणाकरन ने सार्वजनिक रूप से अपनी यह राय प्रकट की है कि केरल में मई के शुरू में चुनाव हो जाने चाहिए। मेरे विचार से सरकार को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए और केरल की जनता को अपनी मर्जी की सरकार चुनने का शीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कराए जाने हैं। इसमें सरकार क्या कर सकती है ?

श्री चन्द्रजीत यादव : यह मैं जानता हूं। चुनाव आयोग के अधिकारों को कम कर दिया गया था। चुनाव आयोग ने राज्य सभा के चुनाव के लिए एक अधिसूचना जारी

की थी। लेकिन तिकड़मबाजी से तथा विधान सभा को भंग करके चुनाव आयोग के समस्त अधिकारों को पूर्णतया खत्म कर दिया गया था। मैं यही कहना चाहता हूं। चुनाव आयोग की शक्तियों का आदर किया जाना चाहिए; केरल में इसका आदर नहीं किया गया।

प्राय: यहां बैठे मेरे कम्युनिस्ट साथियों के बारे में प्रश्न उठा है। मैं यह कहना चाहूंगा कि केरल, पश्चिम बंगाल तथा देश के अन्य भागों में वे सभी केवल प्रजातांत्रिक तरीकों से आए हैं। उन ताकतों पर आक्रमण करना बड़ा ही गैर प्रजातांत्रिक है जो इस सदन में आए हैं अथवा जिन्होंने प्रजातांत्रिक तरीकों के माध्यम से कतिपय राज्यों में बहुमत प्राप्त किया है। अतएव, यह कहना कि वे सभी प्रजातन्त्र के विरोधी है अथवा गैर प्रजातांत्रिक है, सही नहीं है, इस प्रकार की चालों को इस देश के लोगों द्वारा बार-बार अस्वीकृत किया गया है इन बातों का आश्रय लेने के बजाए आप अपने घर की देखभाल करें, अपनी समस्याओं को देखें। आप अपने दल को सुदृढ़ नहीं कर पाए हैं, आप आम जनता की समस्याओं को हल करने में सफल नहीं हुए हैं। इसीलिए जनता ने आपको ज्यादा समर्थन नहीं दिया है कांग्रेस दल ने खुद उस समय निर्णय लिया था और यह एक सही निर्णय था कि उसी संयुक्त मोर्चे की सरकार में कम्युनिस्टों के साथ, उन ताकतों के साथ जिसे आपने प्रजातंत्र विरोधी तथा जनता विरोधी कहा था और जिनका प्रजातंत्र में विश्वास नहीं था, हाथ मिलाया जाए। यह ठीक नहीं है।

अब मैं केवल दो बातें कहूंगा और मैं आशा करता हूं कि जब वित्त मन्त्री महोदय बोलेंगे वे उन बातों का उत्तर देंगे। केरल की जनता की एक शिकायत यह है कि जब वे कतिपय परियोजनाओं की सिफारिश करते हैं अथवा राष्ट्रपति की मन्जूरी के लिए अथवा भारत सरकार द्वारा विचार करने के लिए कतिपय विधेयकों को भेजते हैं तो उनमें जान बूझकर विलम्ब किया जाता है और जो केरल की जनता के साथ भेदभाव का परिचायक है। मुझे याद है कि वामपंथी प्रजातांत्रिक मोर्चे की सरकार द्वारा काफी समय पहले भूमि सुधार सम्बन्धी एक विधेयक सहमति हेतु भेजा गया था जिसे लम्बे समय तक भारत के राष्ट्रपति के पास निलम्बित रखा गया और सहमति नहीं दी गई। यह निश्चित रूप से उस राज्य की जनता की इच्छाओं के प्रतिकूल था।

अब, कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी हैं। एक ऐसी महत्वपूर्ण योजना है जो केरल की जनता के हित में होगी, इसका बहुत से लोगों से सम्बन्ध है और यह उस राज्य के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग हो सकता है कोको केरल की एक महत्वपूर्ण फसल है। वे महसूस करते हैं कि वे कोको से मक्खन, दूध तथा दूध जैसी कई अन्य महत्वपूर्ण

चीजें तैयार कर सकते हैं। यह परियोजना माडर्न ब्रेक्रीज के पास काफी लम्बे समय से लम्बित पड़ी हुई है। ऐसी परियोजना से काफी बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा।

केरल में लगभग 2 लाख शिक्षित लड़के तथा लड़कियां बेरोजगार हैं।

श्रीमन्, केरल सरकार उन्हें 50 रु० प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दे रही है। उन्होंने केन्द्रीय सरकार, योजना आयोग से सिफारिश की है कि इसमें 50 रु० की वृद्धि की जाए जिससे कि यह 100 रु० प्रतिमाह का एक सामान्य बेरोजगार भत्ता बन सके। लेकिन केन्द्रीय सरकार कहती है कि यह एक अनुदान है। क्या माननीय वित्त मन्त्री इस तथ्य की ओर ध्यान देंगे कि अनेक यूरोपीय देशों जिनमें फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, नार्वे और स्वीडन देश शामिल हैं बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। वे इसको अनुदान नहीं मानते। लेकिन हमारी सरकार की नीति बिल्कुल युवा-विरोधी है। न तो वह उनको रोजगार दिलाने में समर्थ है और न ही वह उन्हें बेरोजगारी भत्ता ही देती हैं। कृपया इस पर विचार करें और इसे 50 रु० से बढ़ाकर 100 रु० कर दें।

एक अन्य बात यह है कि राज्य के अन्दर केरल का नागरिक आपूर्ति निगम सबसे अच्छे संगठनों में से एक है। जहाँ तक सार्वजनिक वितरण का सवाल, सभी इस बात को मानते हैं। केरल की 90 प्रतिशत जनता, इस सार्वजनिक प्रणाली से लाभ उठाती है। समाज के गरीब वर्गों में आपूर्ति वितरण का यह एक बड़ा संगठन है। उनको बैंक से उधार मिलता है। मुझे बताया गया है कि अब यह बन्द कर दिया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए उन्हें 20 करोड़ रुपए की आवश्यकता है।

इसलिए, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन के दौरान इन मसलों के सम्बन्ध में कदम उठाए जाने चाहिए, जो कि केरल के आम लोगों के हित में है। मैं आशा करता हूं कि केन्द्रीय सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए यथा-सम्भव उपाय करेगी; लोकतन्त्र मजबूत हो और आम जनता के हित में इसको राजनीति का अखाड़ा न बनाया जाय।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : श्रीमन्, मैंने जो कुछ कहा है, उसे दुबारा नहीं कहना चाहता, लेकिन मुझे अपने कुछ मित्रों के सवालों का जवाब देना है।

अगर मुझे ठीक से याद है तो सर्वश्री जेठमलानी, नीलालोहिथादसन, उन्नीकृष्णन ने कहा कि केरल में श्री करुणाकरण के नेतृत्व में सिर्फ 69 विधायकों के सहयोग से सरकार बनाई गई।

श्री नीलालोहिथादसन नाडार : 67 ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : ठीक है, कुछ भी हो । उनका ऐसा मत है कि जब राज्यपाल ने श्री करुणाकरण को सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित किया तो श्री करुणाकरण अल्पमत में थे ।

पहले मैं इस मुद्दे पर जवाब देना चाहूंगा । पहले तो यह एक सही तथ्य नहीं है । तथ्य यह है कि श्री करुणाकरण को 141 सदस्यों की विधान सभा में 71 सदस्यों का समर्थन प्राप्त था । अब प्रश्न यह है कि बहुमत के बारे में किसको विश्वास दिलाया जाय ? यह ठीक है कि श्री नीलालोहिथादसन या श्री उन्नीकृष्णन या श्री जेठमलानी इस बहुमत से सहमत नहीं हैं । पर वे कभी भी इस बात से सन्तुष्ट नहीं होंगे । प्रश्न यह है कि बहुमत के बारे में किसको विश्वास दिलाया जाय ? मैं एक पूर्वोदाहरण देना चाहता हूं । 1970 में श्री अच्युत मेनन ने केरल में सरकार गठित की । उस समय श्री अच्युत मेनन की सरकार को मेरे दोस्त श्री उन्नीकृष्णन और श्री नीलालोहिथादसन का समर्थन प्राप्त था ।

श्री नीलालोहिथादसन नाडार : आपने भी उन्हें समर्थन दिया था ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : हाँ, मैंने भी समर्थन किया था । लेकिन राजनीतिक रूप से आपने समर्थन किया था । एक विधायक के तौर पर नहीं बल्कि राजनीतिक तौर पर ।

जब श्री अच्युत मेनन दिल्ली से त्रिवेन्द्रम वापस आये तो उन्होंने घोषणा की थी कि वे कांग्रेस नेता श्री करुणाकरण के सहयोग से सरकार गठित नहीं करेंगे । लेकिन कांग्रेस नेता श्री करुणाकरण के बिना अच्युत मेनन को बहुमत प्राप्त नहीं था । लेकिन अगर श्री करुणाकरण के चार विधायकों को भी जोड़ लिया जाता तो श्री अच्युत मेनन को एक वोट का बहुमत प्राप्त हो गया होता ।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब वे इस बात को नहीं मान रहे हैं तो इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

**(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी वे कह रहे हैं उसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

**(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : श्री अच्युत मेनन ने घोषणा की थी कि उन्हें कांग्रेस का समर्थन नहीं चाहिए । उनके अनुसार सी०पी०आई० नेता को केवल अल्पमत का समर्थन प्राप्त था । लेकिन श्री करुणाकरण ने राज्यपाल को गुप्त रूप से बता दिया था कि वे अच्युत मेनन का समर्थन करेंगे और राज्यपाल इससे सन्तुष्ट थे । (व्यवधान) क्यों ? (व्यवधान) आपको कैसे पता चला कि राज्यपाल और···(व्यवधान) मैं स्वीकार नहीं करता । वे मेरी बात में व्यवधान डाल रहे हैं । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह जो कुछ भी कहें, उसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाये ।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आपको खुशी होनी चाहिए कि प्रत्येक सदस्य को बोलने का अवसर दिया जाता है । आप क्यों कहते हैं कि उन्हें बोलने का अवसर न दिया जाय ।

(व्यवधान)**

प्रो० पी० जे० कुरियन : केरल में न तो श्री अच्युत मेनन और न ही वहाँ के लोग इससे सन्तुष्ट थे, लेकिन राज्यपाल महोदय सन्तुष्ट थे क्योंकि श्री करुणाकरण ने राज्यपाल महोदय को यह विश्वास दिया था कि वे श्री अच्युत मेनन का समर्थन करेंगे । उस समय राज्यपाल की सन्तुष्टि के आधार पर श्री नादार समेत इन दोस्तों ने इसका समर्थन किया था । ठीक यही स्थिति 1982 में भी थी । (व्यवधान)

प्रो० पी०जे० कुरियन : जनता दल के विधायक ने राज्यपाल को आश्वासन दिया था ।

(व्यवधान)

मैं जानता हूं । मैं इस बात को चुनौती दे सकता हूं । एक विधायक ने मुझे बताया था ।

(व्यवधान)

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्रीमती सुशीला गोपालन : यह बिल्कुल गलत है ।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : एक जनता विधायक ने, जिसने कांग्रेस आई० सरकार का समर्थन किया, मुझे व्यक्तिगत रूप से इसकी जानकारी दी ।

(व्यवधान)

श्रीमती सुशीला गोपालन : श्रीमती कमलम ने समर्थन दिया था । उन्होंने कहा कि "जनता दल ने इसकी सहमति दी है ।" लेकिन श्रीमती कमलम ने खुद विधान सभा में उस समय कहा था कि उन्होंने सहमति नहीं दी है । जब उनके दल ने फैसला लिया, तभी उन्होंने सहमति दी । वे ऐसा कैसे कह सकते हैं ? असल में, वे गलत हैं ।

(व्यवधान)

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । पिछले दिन जब डा० फारुक अब्दुल्ला बोल रहे थे, तो मैं कुछ मुद्दों पर सफाई देना चाहता था, जिसकी आपने अनुमति नहीं दी । आपने कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी । अब जब श्री कुरियन बोल रहे हैं आप श्री नादार को उनके भाषण में बाधा डालने की अनुमति दे रहे हैं और यह सब कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित हो रही है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने इसलिए अनुमति दी, क्योंकि श्रीमती गोपालन कमजोर वर्गों में से हैं ।

श्री पी० नामग्याल : मेरा मतलब श्री नादार से था ।

श्रीमती सुशीला गोपालन : (अलप्पी) मैं कमजोर वर्ग से नहीं हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कहना चाहता हूं कि 'आम' भाषा में ।

श्रीमती सुशीला गोपालन : मैं 'औरतों' को कमजोर वर्ग में नहीं गिनती ।

प्रो० पी०जे० कुरियन : (व्यवधान) मैंने विधायक द्वारा विधान सभा में दिए गए वक्तव्य के बारे में कुछ भी नहीं कहा । मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि···(व्यवधान)

आप कांग्रेस (आई०) के साथ सहयोग कर रहे हैं और मेरे मित्र, आप इस तरफ बैठे हैं । आप मेरे भाषण के बीच व्यवधान भी डाल रहे हैं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उनके भाषण में व्यवधान न डालें ।

प्रो० पी०जे० कुरियन : मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि एक अमुक जनता विधायक और उनके राजनीतिक नेता श्री गोपालन ने श्री करुणाकरण को समर्थन देने का आश्वासन दिया था । यह एक तथ्य है, जिससे मैं सहमत हूं । मैं इसे कह रहा हूं । हो सकता है वह इससे सन्तुष्ट न हों । मुझे इसकी परवाह नहीं है । मैं अपनी राय उन पर थोप नहीं रहा हूं । मैं तो यह आपके माध्यम से इस सदन को बता रहा हूं । यह जरूरी नहीं कि वे आपका मत भी बदलें । लेकिन मैं सन्तुष्ट हूं ।

(व्यवधान)

श्री पी० वेंकटसुब्बया : यह जनता पार्टी का एक और सिद्धान्त है ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : सिद्धान्त ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कुरियन, कृपया अपना भाषण समाप्त करें ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि राज्यपाल·····

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें बोलने दें ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : संविधान के अनुसार, अगर अधिवेशन न चल रहा हो तो, राज्यपाल को बहुमत के बारे में संतुष्ट होना पड़ता है, और जब अधिवेशन चल रहा हो तो बहुमत का फैसला सभा में ही होता है । दूसरा विवादास्पद विषय है विधान सभा भंग करने का । यहाँ भी एक बात जानना चाहता हूं । जबकि विधान सभा की बैठक बुलाई गई और विपक्ष द्वारा अविश्वास-प्रस्ताव रखा गया तो स्पष्ट था कि श्री करुणाकरण को 71 सदस्यों का समर्थन प्राप्त था । राज्यपाल की सन्तुष्टि सभा में ही सिद्ध हो गई । प्रश्न यह है । अगर सभा में यह सिद्ध नहीं हो जाता, तो राज्यपाल को सन्तुष्ट करना पड़ेगा, तब उनका आरोप सही है । अगर राज्यपाल की सन्तुष्टि सभा में ही सिद्ध हो जाती है तो·····(व्यवधान)

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन : अध्यक्ष के निर्णायक मत द्वारा ।

प्रो० पी०जे० कुरियन : नहीं, नहीं, कृपया मुझे गलत न बताएं । निर्णायक मत द्वारा नहीं । मैंने तो यह कहा था कि विधान सभा में 141 सदस्यों में से कुल 71 सदस्य

हैं ...। यह तथ्य सभा में सिद्ध हो गया था। इसके बाद क्या हुआ ? जब श्री करुणाकरण ने मुख्य मन्त्री का पद सम्भाला तो, अध्यक्ष का चुनाव हुआ, आदि।

एक माननीय सदस्य : नया अध्यक्ष।

प्रो० पी०जे० कुरियन : वे हमेशा व्यवधान डालना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया विषय पर बोलें।

प्रो० पी० जे० कुरियन : अध्यक्ष को छोड़कर, श्री करुणाकरण को 71 सदस्यों का समर्थन प्राप्त था। श्री नयनार को 69 सदस्यों का समर्थन प्राप्त था। यह सभा की बैठक में भी सिद्ध हो गया था।

एक माननीय सदस्य : वह अधिक समय ले रहे हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : क्योंकि आप व्यवधान डालते रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने उनका काफी समय नष्ट कर दिया है। कृपया और बाधा न डालें।

प्रो० पी० जे० कुरियन : दूसरा मुद्दा यह है कि जब विधान सभा की पुनः बैठक हुई तो नए अध्यक्ष का चुनाव होना था, और दोनों तरफ 70-70 सदस्य थे। यह एक संविधानिक आवश्यकता है। मैं उसका उल्लेख नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह तभी हुआ, जब एक विधायक ने दल बदल लिया।

प्रो० पी०जे० कुरियन : जैसे ही श्री करुणाकरण की सरकार बनी, सभी तत्कालीन विपक्षी दलों ने जिनमें मार्कसवादी, सी०पी०एम० उन्नीकृष्णन की कांग्रेस (एस०) पार्टी आदि के सदस्य भी शामिल थे, यह मांग की कि विधान सभा भंग कर दी जाय।

जब से श्री करुणाकरन ने मुख्य मंत्री का कार्य-भार संभाला था, उस ही क्षण से विधान सभा को भंग करने की मांग के समर्थन में हड़ताल और आम सभाएं होने लगी थीं तथा इसके अतिरिक्त कोई और काम शुरू नहीं हुआ था। यह मांग चलती रही। उसका तर्क क्या था ? तर्क यह था कि 141 विधायकों, जिसमें अध्यक्ष भी सम्मिलित थे, में से श्री करुणाकरन के साथ 71 विधायक थे और इसलिए विधान सभा भंग की जानी चाहिए। हुआ क्या ? उसके बाद एक दिन एक विधायक ने दल बदल लिया। हो सकता है कि वह

खरीदा गया हो। यह मुझे मालूम नहीं। इसके परिणामस्वरूप, श्री नयनार को 71 विधायकों का समर्थन प्राप्त हो गया। शीघ्र ही उन्होंने यह मांग की, कि उन्हें सरकार बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए···(व्यवधान)। आप आज के श्री बालानन्दन के भाषण पर ध्यान दें। उन्होंने श्री नयनार को सरकार बनाने हेतु आमन्त्रित न करने के लिए राज्यपाल की आलोचना की है···(व्यवधान)।

श्रीमती सुशीला गोपालन : क्योंकि वे भिन्न-भिन्न मानदंड अख्तियार कर रहे थे। हम मन्त्रि-परिषद बनाना नहीं चाहते थे।···(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : इसका केवल यही अर्थ था कि वे सरकार बनाना चाहते थे। क्या यह दोहरा मानदंड नहीं था कि जब श्री करुणाकरन के साथ 71 विधायक थे, तो वे सभा भंग कराना चाहते थे और जब श्री नयनार के साथ 71 विधायक हो गए, तो फिर विधान सभा भंग नहीं की जानी चाहिए थी ? (व्यवधान)

फिर श्री उन्नीकृष्णन दल-बदल की बात करते हैं। केरल में कांग्रेस (एस) के 22 विधायकों में से 6 विधायक उनके साथ थे और 16 विधायक श्री एन्टोनी के साथ थे। फिर दल-बदलू कौन हुए ?···(व्यवधान)। के० पी० सी० सी० एक्जीक्यूटिव के 62 सदस्यों में से केवल 10 सदस्यों ने उनके दृष्टिकोण का समर्थन किया और 52 सदस्यों ने श्री एन्टोनी का समर्थन किया। (व्यवधान) दल-बदलू कौन हुआ ?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : आपको इन सब बातों में नहीं जाना चाहिए।

प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या बहुमत के साथ रहना दल-बदलना है ? एक बात और।

उपाध्यक्ष महोदय : यह अन्तिम बात होनी चाहिए। (व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : उन्होंने हमें दल-बदलू क्यों कहा ? केवल इसलिए कि केरल में हमारे दल ने पूर्ण बहुमत से समर्थन वापस लेने का निर्णय किया था··· ···(व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० कुरियन, आपको अपनी पार्टी के अन्दरूनी मामलों का यहां जिक्र करने से बचना चाहिए। (व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : हमारी पार्टी ने 'लैफ्ट डेमोक्रेटिक' सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था और कांग्रेस (आई) सरकार को समर्थन देने का निर्णय लिया

था (व्यवधान)। महोदय, हमारी पार्टी ने यह निर्णय लिया था···(व्यवधान)। महोदय, यह क्या है ? आपको उन्हें नियन्त्रण में रखना चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० कुरियन, कृपया अपनी बात समाप्त करें। (व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय, यह कोई तरीका नहीं है। उन्हें बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्हें अपनी बात कहनी है और इसलिए उन्हें अनुमति दी जानी चाहिए।

श्री सन्तोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय, सदन में तनाव यह सिद्ध करता है कि केरल राज्य के लिए वित्त-मन्त्री जी द्वारा और अधिक धनराशि का आवंटन किया जाना चाहिए।

प्रो० पी० जे० कुरियन : श्री उन्नीकृष्णन ने श्री ए० के० एन्टोनी और हम सब को दल-बदलू कहा है। यही इसका कारण है (व्यवधान)। मुझे अपनी बात कह लेने दें, फिर आप उसका उत्तर दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहते हैं, तो आप मेरी सीट पर आ सकते हैं।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : अब आप उन्हें बैठने के किए कहें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको कोई छींटाकशी करने से बचना चाहिए। आपको व्यवधान नहीं डालना चाहिए। मुझे खेद है। श्री कुरियन, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

प्रो० पी० जे० कुरियन : वे मुझे बोलने क्यों नहीं देते ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० कुरियन, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : महोदय, यह बात उनके लिए उचित नहीं है। उन्हें माननीय सदस्य को बोलने देना चाहिए। यह बिल्कुल अनुचित है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब कोई सदस्य बोल रहा होता है और उस समय यदि कोई अन्य सदस्य उसमें व्यवधान डालता है, तो उसे कैसा लगता है ? यदि ऐसा ही कल

उनके साथ हो, तो क्या होगा ? इसलिए प्रत्येक सदस्य को अपना बचाव खुद करना होता है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है ।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : यह बिल्कुल अनुचित है ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें बोलने दें ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैंने बड़े आराम से सब भाषण सुने । मैंने वे टिप्पणियाँ भी सुनी, जिसमें हमें दल-बदलू कहा गया था । फिर भी मैंने उसका विरोध नहीं किया । अब आप मुझे उसका उत्तर देने दें । यदि वे मुझे बोलने नहीं देते हैं, तो वे सबसे अधिक अलोकतन्त्रवादी लोग हैं । श्री नाडार ने मुझे दल-बदलू कहा था । मैं शान्त रहा । अब मुझे उसका उत्तर देना है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या श्री नाडार दल-बदलू हैं या मैं दल-बदलू हूं ।

(व्यवधान)

डा० कृपा सिन्धु भोई : वह हमारी चोरी की सम्पत्ति हैं । कृपया उन्हें, जो वे चाहते हैं, बोलने दें ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मुझे दल-बदलू कहने का एक यही कारण है कि हमने "लैफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रन्ट" की सरकार का साथ छोड़ दिया था और श्री करुणाकरन के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन देने का निर्णय लिया था । यही कारण है । उसके लिए···(व्यवधान) ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे अफसोस है । यह कोई तरीका नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : मैं त्रिवेन्द्रम में श्रीमती गांधी के विरुद्ध थी चुनाव लड़ने को तैयार हूं । (व्यवधान) । मैं चुनौती देने को तैयार हूं···(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : कोई दल-बदलने की बात कह कर देखे । मेरी पार्टी ने बहुसंख्यक निर्णय लिया था और हम उस पर अटल हैं और यह हमारी पार्टी का निर्णय है । यही बात मुझे कहनी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० कुरियन, मैं आपको अब और अनुमति नहीं दे सकता। मुझे अब दूसरी कार्रवाई शुरू करनी है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, केवल दो मिनट। हमें आज दूसरी कार्रवाई भी करनी है, क्योंकि सब काम आज ही समाप्त होना है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : किसी को भी व्यवधान नहीं डालना चाहिए।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं अब बजट की बात करूंगा। क्योंकि मेरे पास अब केवल दो मिनट का समय बाकी है।

श्री राम जेठमलानी : उनके भाषण का अधिकांश तो अभी शेष पड़ा है।

उपाध्यक्ष महोदय : एक सहमति होनी चाहिए। क्योंकि केरल की कुछ समस्यायें हैं, अतः अब कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए।

प्रो० पी० जे० कुरियन : बजट प्रस्ताव छः महीनों के लिए हैं। लेखा-प्रस्ताव छः महीनों के लिए है। चुनाव स्थगित करने का क्या कारण हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, मुझे खेद है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : वे श्रीमती गांधी को तानाशाह क्यों कहते हैं ? मैं उनसे पूछता हूं क्यों···(व्यवधान)। जब वे संसदीय दल सचिव के रूप में गए और श्रीमती गांधी से अपनी सरकार के समर्थन के लिए भीख मांगी थी···

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : कभी नहीं। वे झूठा दोषरोपण कर रहे हैं (व्यवधान)। यह मेरा अधिकार है···(व्यवधान)।

प्रो० पी० जे० कुरियन : आप संसदीय सचिव थे। (व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : कोई बात-चीत नहीं हुई थी।

प्रो० पी० जे० कुरियन : वे उस समय पार्टी के संसदीय सचिव थे, जब श्री वाई० बी० चव्हाण उसके नेता थे (व्यवधान)। श्रीमती गांधी के समर्थन से सरकार ने शपथ ली थी (व्यवधान)। अतः यह पूर्वोदाहरण उनके साथ है कि वे समर्थन करें अथवा अन्य पार्टी का समर्थन जुटाएँ। (व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : हमारे विचार सर्वविदित हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : यदि कांग्रेस (आई०) को समर्थन देने अथवा उसका समर्थन लेने की बात है, तो वे एक नम्बर के दलबदलू हैं। (व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : यह गलत है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं गृह मन्त्री को पुकारना चाहता हूं।

(व्यवधान)

कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० कुरियन, अब आपको अपनी बात समाप्त करनी है। क्या आप अपना भाषण समाप्त करने वाले हैं?

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं क्या कर सकता हूं? (व्यवधान)। श्री नीलालोहिथादसन नाडार ने मुझे दल-बदलु कहा है?

(व्यवधान)

मेरा यह अनुरोध है कि केरल में शीघ्र से शीघ्र चुनाव करा दिए जाने चाहिए। यह एक बात मैं कहना चाहता था।

अनेक माननीय सदस्यों ने यहां केरल के योजना आवंटन के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं और अन्य राज्यों की तुलना में अभी तक आवंटनों को बढ़ाया नहीं गया है। अन्य सभी राज्यों में योजना-आवंटन में वृद्धि की गई है, लेकिन हमारे मामले में स्थिति वही है, जो पिछले वर्ष थी। मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले पर पुनर्विचार करें।

जहां तक सरकारी क्षेत्र में पूंजी-निवेश का प्रश्न है, मेरे पास कल के एक अतारांकित प्रश्न का उत्तर उपलब्ध है, जिसमें यह उल्लेख है कि देश के कुल पूंजी-निवेश का केवल 2·3 प्रतिशत भाग केरल के लिए रखा गया है। किसी हिसाब से आप देखें, यह बहुत कम है। मैं अनुरोध करता हूं कि इन मुद्दों पर विचार किया जाना चाहिए। रोजगार, सरकारी क्षेत्र में पूंजी-निवेश और योजना आवंटनों सम्बन्धी असन्तुलन को ठीक किया जाना चाहिए। यह एक गम्भीर आरोप है कि केरल की उपेक्षा हो रही है। केन्द्रीय सरकार से हमारा यह बार-बार अनुरोध है, और क्योंकि अब केरल का प्रशासन केन्द्रीय सरकार के साथ है, कि वे अब इस समय का उपयोग इन असन्तुलनों को ठीक करने तथा केरल की वैध और उचित मांगें पूरी करें।

मैं अन्य बातों को दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि उनके बारे में अनेक सदस्य पहले ही बोल चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब गृह मंत्री उत्तर देंगे।

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति की उद्घोषणा को मान्यता देने के लिए जो प्रस्ताव रखा गया है, उसके सम्बन्ध में, और बजट के सम्बन्ध में में भी मेम्बर साहबान ने अपने विचार रखे हैं। वित्त मंत्री जी मौजूद हैं और मैं समझता हूं कि मेम्बर साहबान ने उनका काम काफी हद तक कर दिया है। फिनांस के मसलों पर काफी गम्भीरता से सोचना पड़ता है और उस तरफ मेम्बरों ने कम ध्यान दिया है और ज्यादातर पोलीटिक्ल बातें कही हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केरल में राट्रपति-राज क्यों लागू किया गया और असेम्बली को भंग क्यों किया गया, और इस बारे में उन्होंने अपने-अपने विचार रखे।

मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं—खास तौर पर प्रो० कुरियन की तकरीर के बाद—कि कोई ऐसा मसला नहीं रहा, जिसको हाऊस के सामने न लाया गया हो और हर तरफ से न लाया गया हो। आज का दिन तो इतना मुबारक है कि सब ने अपने-अपने इरादे के मुताबिक बातें कहीं हैं और इसमें पार्टी का ख्याल नहीं किया है। विरोधी दल के बेंचों से ही हमारे विरोधियों को जवाब मिल गया है, लेकिन फिर भी मेरा कर्त्तव्य है कि जो शंकाएं यहाँ पर रखी गई हैं, मैं उनके बारे में कुछ बातें कहूं।

इस तरह की बातें कही गई हैं कि वहाँ पर डेमोक्रेटिक सेट-अप को तोड़ दिया गया है, यह अस्सी दिन का राज एक ही वोट से चलता रहा है और वहाँ की गवर्नर रबड़-स्टैंप हैं, जो कि बिल्कुल गलत हैं। मैं समझता हूं कि गवर्नर एक ऐसी पदवी है, जिसके बारे में हमें कोई बात नहीं कहनी चाहिए। लेकिन जो फैसले हो जाते है, उन पर विचार किया जा सकता है।

केरल की गवर्नर बहुत दूर-अंदेश, निष्पक्ष और विद्वान गवर्नर हैं। केरल की सियासत में बारह के करीब पोलीटिक्ल पार्टियां हैं। उनके नाम एक ही हैं और वे उसके आगे कुछ न कुछ लगा कर गुजारा करती हैं। आपको मालूम है कि केरल सब से पहला प्रदेश है, जिसमें एक पार्टी के नाम से दो-दो पार्टियां बननी शुरू हो गई, यहाँ तक कि मुस्लिम-लीग भी दो हैं और फिर ऑल इंडिया से अलहिदा होकर केरल की कांग्रेस बन गई। उसकी भी दो पार्टियां हैं। इस तरह से जब इतिहास को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले डिफैक्शन शुरू हुआ और छोटी-छोटी पोलिटिक्ल पार्टियां बनाने की बुनियाद

केरल में रखी गई। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहता हूं, क्योंकि आज सिर्फ केरल की बात है।

गवर्नर साहब का सिलेक्शन हुए मुद्दत हुई। यह उस वक्त हुई, जब हमारे बुजुर्गों का यहाँ राज था और युवावस्था में था। श्री मोरारजी भाई, चौधरी चरणसिंह और बाबू जगजीवन राम—यह इनके वक्त का सिलेक्शन हुआ है। इतने वक्त गवर्नर रहने के बाद वे केरल के हर मामले को ठीक तरह से समझ गई हैं और उन्होंने जो फैसले किए हैं, अपनी मर्जी से किए हैं। यह गवर्नर की हस्ती को गिराने की बात है कि जो हम चाहें करवा लें, लेकिन हम कैसे करवा सकते हैं। यदि इस प्रकार की बातें आप केरल के गवर्नर के प्रति कह सकते हैं, तो फिर तो हर गवनर के प्रति कह सकते हैं। उन्होंने अपने डिस्क्रिशन से, अपने विचार से केरल के लोगों के भले के लिए, डैमोक्रेसी के हितों के लिए फैसला किया है और वहाँ की एसेम्बली भंग करने का फैसला उन्होंने लिया है।

डिप्टी स्पीकर साहब, स्पीकर के बारे में भी बहुत सी बातें कही गई कि उन्होंने वोट क्यों दिया और क्यों सरकार को बचाया। आप तो मेरे से ज्यादा जानते हैं और मेम्बर भी ज्यादा जानते होंगे। दुनिया भर में डैमोक्रेटिक सिस्टम में जब पार्लियामेंट्री सिस्टम का राज था तो स्पीकर का वोट ही ऐसा वोट होता है जो निष्पक्षता से ड्यूटी को निभाता है। वह कोशिश करता है कि अनुशासन ठीक रहे और हर मैम्बर की इज्जत रहे, लेकिन उसकी ड्यूटी यह भी होती है कि डिसरप्शन पैदा न होने दे। वह अपने वोट से कभी सरकार को नहीं गिरायेगा और उनको न गिराना चाहिए। मैम्बर गिरा सकते हैं, तो गिरा दें। जब यह समय आ जाए कि अपने वोट के बगैर फैसला नहीं हो सकता है, तो स्पीकर साहब ने यह हाई ट्रैडिशन कायम की है कि उसने अपने वोट से सरकार को गिराने की कोशिश नहीं की, क्योंकि स्पीकर का काम इन्स्टैबिलिटी लाना नहीं वह स्टैबिलिटी लाना होता है। इसलिए कोई अन-डैमोक्रेटिक बात नहीं हुई है।

मैं मैम्बरों से प्रार्थना करूंगा कि केरल के विधायकों को आपको बधाई देनी चाहिए कि हिन्दुस्तान में डैमोक्रेसी इतनी मजबूत हो गई है, यदि कई पार्टियों के फ्रन्ट भी बन जायें तो एक-एक वोट से 80-90 दिन तक राज चल सकता है। दुनिया के अन्दर यह मानी हुई बात है कि जहां डैमोक्रेसी मजबूत हो जाए, वहाँ एक-एक वोट से भी कई साल तक राज चल सकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि उनको ऐतराज नहीं करना चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहब, एक बात यहाँ पर बड़े जोर से उठाई गई कि राज्य सभा के मैम्बरों का चुनाव था, इसलिए उसको क्यों नहीं रखा गया। कान्स्टीचूशन में इसकी कोई

बाधा नहीं थी, लेकिन रवायात तौर पर देखा जाए तो गवर्नर ने बहुत ही अच्छा काम किया। जब उनको मालूम हो गया कि यहां कोई भी फ्रण्ट अकेले तो चल नहीं सकता है, हो भी नहीं सकता था, दोनों फ्रण्टों की सरकार देख ली और जो 'लैफ्ट फ्रण्ट था, वह लैफ्टिज्म को छोड़ गया, तो उनके साथ उनके साथी छोड़ गए और अब किसको डिफैक्टर कहें और किस को डिफैक्टर न कहें। दोष हम गवर्नर को देते हैं।' मेरे दोस्त माननीय कांग्रेस (एस) के नेता श्री उन्नीकृष्णन जी यहां बैठे हुए हैं। असल में तो इन्हीं की कृपा से सरकार बनी और इन्हीं की कृपा से सरकार गिरी। पहले फ्रण्ट को गिरा दिया, पहले फ्रण्ट की सरकार इन्हीं की कृपा से बनी, फिर गिरा दिया। फिर दूसरे फ्रण्ट की सरकार इन्हीं की कृपा से बनी, उसको भी गिरा दिया। आप दोष हमको क्या देते हैं, दोष तो इनको देना चाहिए, ये अपने यहाँ अनुशासन नहीं सम्भाल सके, ऐसे किस तरह से शासन चलायेंगे जब आप के यहाँ अनुशासन चला गया। इस लिए हम को दोष देना अच्छा नहीं लगता है।

मुझे श्री चन्द्रजीत यादव की आज की तकरीर सुन कर थोड़ा आश्चर्य हुआ, अफसोस तो नहीं हुआ, चूंकि वे बहुत दूरअन्दाज हैं, इन्होंने जितने पोलिटीकल मामलों को देखा है, सोचा है, समझा है, जितनी इनकी स्टडी है शायद बहुत कम आदमियों की होगी। ये सारी बातों को देख कर और पहचान कर आए हैं, हमारे साथ रह कर भी देखा है, बाहर भी देखा है और उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इसमें कुछ नहीं पड़ा है। ईश्वर की कृपा से उठ कर वहां से यहाँ आ गए, यहाँ से वहाँ चले गए, एक दिन फिर यहाँ आयेंगे, इस लिए आप को हमारे खिलाफ गुस्सा नहीं होना चाहिए···

श्री कृष्ण चन्द्र हालदर (दुर्गापुर) : वह तो आप भी चलायेंगे···

श्री जैल सिंह : आप जरा खामोश होकर बैठिए। किसी की गलत बात को सुन लेना भी हौसले की बात होती है। बहादुरी के बगैर राजनीति नहीं चलती है, वैसे राजनीति में कोमलता, कठोरता और सरलता भी चाहिए, लेकिन बहादुरी के बगैर कोई चीज काम नहीं आती है। बहादुर आदमी ही किसी की बात को दिलेरी से सुनता है, जवाब भी दे देता है जब मौका लग जाता है।

मैं यह कह रहा था कि डैमोक्रेसी को बचाने के लिए क्या करना चाहिए ? आप हम को डैमोक्रेसी का घातक कहते हैं, लेकिन हमारी कुछ रवायात हैं, हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी की कुछ नीतियाँ हैं। जब वह 11 साल पहले राज्य करती थीं, उस जमाने में हिन्दुस्तान के 9 प्रान्तों में विरोधी दलों की सरकारें थीं। कोई भी दल यह शिकायत नहीं कर सकता, कोई भी प्रान्त यह शिकायत नहीं कर सकता कि उनको फाइनेन्शल असिस्टेंस न दी गई हो, अमन और शान्ति के लिए

उनकी पूरी मदद न की गई हो, उनकी स्टेबिलिटी को कायम रखने के लिए कोआपरेशन न मिला हो और आज भी हिन्दुस्तान में वैस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तमिलनाडु और जम्मू-काश्मीर में जो सरकारें हैं वे हमारी पार्टी की नहीं हैं लेकिन वे यह शिकायत नहीं कर सकतीं, हालांकि विरोधी दलों को तो विरोध कर के फर्ज पूरा करना है, लेकिन हमारी सरकार के खिलाफ यह इल्जाम नहीं लगाया जा सकता कि हम कहीं भी उनके साथ डिस्क्रीमिनेशन करते हैं। केरल में भी हमारी पार्टी की सरकार थी और आसाम में भी हमारी पार्टी की सरकार थी, अगर हमने अपनी पार्टी की सरकारों को हटाने के लिए गवर्नर की रिपोर्ट को मन्जूर कर लिया तो इसमें आप को नाराजगी क्यों है ? मैं केरल के नेताओं से पूछता हूं—जब पहली बार सी० पी० एम० के मुख्य मंत्री माइनारिटी में आए और हम ने गवर्नर का राज्य किया तो उस वक्त उन्होंने नहीं कहा कि मौका देना चाहिए, बल्कि उन्होंने कहा सस्पेण्डेड एनिमेशन क्यों की है, इसको डिजाल्व करते। लेकिन जब दूसरे मुख्य मंत्री के जमाने में मौका आया तो कहते हैं कि आपने उसे भंग क्यों कर दिया। दो चीज़ों पर एक साथ नहीं चला जा सकता। यहाँ तो बहुत कम समय हुआ है, 80 दिन में ही बदल गई, "भगवान की कृपा है, कितना बदल गया इन्सान।" वही आर्ग्यूमेन्ट्स जो पहले उसके बरखिलाफ दिये जा रहे थे, आज उसके हक में दिए जा रहे हैं। यह काम आम तौर पर जो बड़े लायर होते हैं अपने सायल के हक में कर बैठते हैं, लेकिन पोलिटिक्स में यह बात अच्छी नहीं लगती है।

जेठमलानी जी मेरे बहुत दोस्त हैं। हम पहले पड़ौसी भी थे—सिन्ध और पंजाब में। जब देश का कौमी गाना गाया जाता है तो पंजाब और सिन्ध ये दोनों नाम पहले आते हैं। और पंजाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा दूसरे मुल्क में चला गया और सिंध तो सारा ही चला गया। वे हमारे मित्र हैं। उनकी गर्मी, सर्दी और स्वभाव मिलते हैं लेकिन एक बात नहीं मिलती और वह यह है कि वे बहुत लरनेड पर्सन हैं और मैं एक कामनमेन हूं और यह मेरे बस की बात नहीं। मैं जेलों में बैठा रहा और ये रेलों में और कालेज में रहे। यह उनकी खुशकिस्मती है कि उनको कहीं जाना नहीं पड़ा लेकिन एक बात मैं उनसे बड़े अदब से कहूंगा कि पर्सन टू पर्सन किसी को कन्डेम करना या किसी को नुकसान पहुंचाना, यह कोई ऊंचे दर्जे की बात नहीं है। कल भी आप ने कर दिया और आज भी कर दिया मगर मुझे खुशी है कि आप शायर भी बन गए। कल तक मै यह सोचता था कि आपको उर्दू जबान से नफरत है लेकिन आज आपने एक शेर कह दिया और आप कहते हैं कि खुद बनाया है और मेरा ख्याल भी यही है कि खुद इस को बना लाए हैं और मेरे लिए बगैर रुपया-पैसा लिए बहस कर दी। अदालत में दो मिनट के लिए भी बिना पैसे लिए बहस नहीं करते हैं। यहां तक तो मैं खुश हूं मगर उसके बाद दूसरी तकरीर में भी कृपा

कर के मेरा जिक्र किया और थोड़ी सी चोट लगाई। खैर चोट तो लगती रहती है पालीटिक्स में लेकिन पर्सनल नहीं लगानी चाहिए।

श्री राम जेठमलानी : मैंने आपकी निजी रूप से निन्दा नहीं की है। हम राजनीति और राजनीतिक आचरण की बात कर रहे थे।

श्री जैल सिंह : मैं पालीटीकल करैक्टर पर्सनल करैक्टर और जिसको हिन्दुस्तान के लोग समझते हैं कि करैक्टर क्या है, वह सब डिस्कस करने के लिए तैयार हूं लेकिन इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहता। मैं तो खुश हूं लेकिन फिर भी आप की मार्फत इन को कहता हूं, इनको मश्विरा देता हूं, मान लें तो मेहरबानी और न मानें तो कोई बात नहीं। मेरा कहना यह है कि भागने वाले के लिए एक जैसा ही मैदान होता है, किसी के लिए ज्यादा और किसी के लिए कम नहीं होता लेकिन कुएं के अन्दर मुंह डाल कर अगर कोई किसी को गाली दे, तो तीसरे आदमी की जरूरत नहीं, कुएं से उसकी वही आवाज आती है। मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं :

नजरे करम न सही, नजरे गजब ही सही
मगर मैं खुश हूं कि हूं तो किसी की नजर में ।।

मैं अर्ज कर रहा था कि ये तमाम मसले जो हमारे सामने आए हैं, इनके लिए एक बात और कही गई कि कांग्रेस सिर्फ अपनी सरकार बनाना चाहती है और सरकार जहाँ इनकी नहीं बनती, ये गवर्नर रूल कर देते हैं और कोई भी हो, कभी भी हो, सारे उसूलों को कुर्बान करके अपनी सरकार को रखते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, यह बहुत बड़ा इल्जाम है और यह बिल्कुल बेबुनियाद है। हम हिन्दुस्तान की हुकूमत जनता की मंजूरी से कर रहे हैं लेकिन उसूलों का प्रिंसपिलों का पालन करने के लिए और केवल राज्य करने के लिए राज्य नहीं कर रहे हैं, लोगों की सेवा करने के लिए राज्य कर रहे हैं। हमारी नेता को आज तक अपनी जिन्दगी में बड़ी से बड़ी ताकत से टक्कर लेनी पड़ी लेकिन अपने प्रिंसपिलों को कभी कुर्बान नहीं किया। हमारे विरोधी जिनको हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और जिनके लिए मेरा दिल नहीं कहता कि मैं कुछ कहूं, अपनी कुर्सी, अपनी जगह छोड कर चले जाते हैं और अभी हमारी आनरेबिल लेडी मेम्बर, श्रीमती गोपालन को डा० कुरियन के लैक्चर के दौरान जब 10 बार उठना पड़ा, तो मैं सोचता था कि एक नेता जी, जो सी० पी० एम० के नेता की कुर्सी पर बैठे हैं, वे खुद इसको संभाल लेंगे लेकिन उनको भी उनकी मदद पर आना पडा, अपनी पार्टी के लिए आना पड़ा, और कोई बात नहीं है लेकिन फिर यह कह दिया कि हमें राज की जरूरत नहीं, हम लालच

नहीं करते । शायद मैं गलती नहीं करता, यही उन्होंने कहा था । तो इस सम्बन्ध में मुझे एक बात याद आ गई इसी हाउस की ।

श्रीमती सुशीला गोपालन : आप दोहरा मानदण्ड अपना रहे हैं । यही मैंने कहा था ।

श्री जैल सिंह : लोग जानते हैं कि कौन दोहरा मानदंड अपना रहा है । आप लोगों की अदालत में आएं ।

देखिए फिर क्या होता है ? मैं लेडी मेम्बर का बहुत सम्मान करता हूं ।

मुझे याद आ गया । हमारी पार्टी के मेम्बर आपस में लड़ रहे थे । एक मेम्बर ने दूसरे की सियासत में दखल दिया । दूसरा मेम्बर आदमी जोरदार था, दिमाग से कुछ कम था, वैसे मजबूत था । उसने कहा कि तुम को यहां से कुएं में फेंक दूंगा अगर हमारे काम में दखल दिया । पहले वाले ने इस बात की जा कर ऊपर शिकायत की । उस वक्त पंडित पंत जी जिंदा थे । जब शिकायत पंत जी तक पहुंची तो उन्होंने दोनों को समझा-बुझा कर कहा कि आपस में लड़ना-झगड़ना अच्छा नहीं है । अब आगे से मत लड़ना । जो जरा मजबूत था उसको डांट भी दिया गया । जब दोनों बाहर आये, वे आज भी जिंदा हैं, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, तो वे दोनों ढीले थे । उनसे पूछा गया कि सुनाओ जी क्या हाल है ? इस पर दोनों ने जवाब दिया कि अब हमने फैसला कर लिया हैं कि हम किसी के काम में दखल नहीं देंगे ।

इसलिए मैं अपने सी० पी० एम० वालों से कहता हूं कि आप अब यह कहना चाहते हो कि हम राज़ नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आपको अब राज करने का मौका नहीं मिलेगा । वे दिन गए ।

एक दोस्त ने तकरीर करते हुए कहा कि कांग्रेस को समुद्र में फेंक दिया जाए । मैं कहना चाहता हूं कि हमारी समुद्र में भी जत्थेबन्दी बन गयी है, आसमान पर भी बन गयी है । अगर कभी आप चन्द्रमा पर जाओगे तो वहां पर भी आपको कांग्रेस के जत्थे मिलेंगे ।

मुझे भी कहा गया कि किसी न किसी तरह से सोचते रहते हैं कि कहां प्रेजीडेंट रूल हो, इसी बात पर हम ध्यान रखते हैं । उन्होंने कुछ और भी हवाला दिया । मैं इतना ही कहता हूं कि यह जो फैसला किया गया है वह भारतीय संविधान के अनुसार किया गया है और वहां के लोगों के हित में किया गया है और डैमोक्रेसी की शानदार रवायतों को कायम रखने के लिए किया गया है । डैमोक्रेसी

वहां बदनाम हो रही थी। अगर हम यह कदम नहीं उठाते तो डैमोक्रेसी और बदनाम होती।

हमारे दोस्त ने कहा कि घोड़ों का व्यापार शुरू हो गया है। घोड़ों का व्यापार कह देना अच्छी बात नहीं है। मैं सब पार्टियों से कहता हूं कि आप अगर गिनती करने लगें तो पता लगेगा कि सब की पार्टी में खरीदे गये हैं। उनकी गिनती कहां तक की जाए, यह उनकी हतक है। वे लोगों से चुन कर आए हैं इसलिए लोगों के प्रतिनिधि हैं। किसी प्रतिनिधि को कैसे हम ऐसी बात कह सकते हैं। जब हमारे पास लोग आते थे तो कह दिया कि हम खरीदते थे। अब आपके पास कोई गया तो आप कहते हैं कि आप को खरीदने का मौका नहीं दिया।

आखिर में मैं हाउस से प्रार्थना करता हूं कि यह प्रस्ताव मंजूर किया जाए।

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : माननीय सदस्यों ने अधिकतर जो प्रेक्षण किए हैं, वे समस्या के राजनैतिक पहलू से सम्बन्धित हैं, इसलिए कुछ सामान्य प्रेक्षणों, जो वाद-विवाद के दौरान किए गए हैं, का उत्तर देना मेरे लिए सरल हो गया है।

पहला मुद्दा केरल के योजना आकार के बारे में है जो 1981-82 के राज्य योजना के लिए 275 करोड़ रु० का है। अन्य बातों के साथ इस तथ्य को भी सदन में स्पष्ट कर दिया गया था। जैसाकि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, ओवर ड्राफ्ट के समायोजन के बारे में यह निर्णय किया गया था कि ओवर ड्राफ्ट का एक अंश 1797-83 के योजना परिव्यय की ओर समायोजित किया जायगा। किसी बात का भेद भाव रखे बिना कि किसी राज्य का राजनैतिक स्वरूप क्या है, यह फार्मूला प्रत्येक राज्य पर लागू किया गया था। किन्तु जब मैंने देखा कि तीन राज्यों के सम्बन्ध में इस फार्मूले के लागू करने से उनकी वास्तविक योजना 1981-82 के योजना परिव्यय की तुलना में बहुत कम हो जायगा, इन तीन राज्यों में एक है केरल, दूसरा है राजस्थान और तीसरा है पश्चिम बंगाल—पश्चिम बंगाल के योजना परिव्यय को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है—तो इस कारणवश अर्थात् गत वर्ष के स्तर तक राज्य के योजना परिव्यय को बनाए रखने के लिए, हमने यह निर्णय लिया था कि इन तीन राज्यों के ओवर ड्राफ्ट में समायोजन किया जाए। यदि हम वही फार्मूला इन राज्यों पर भी लागू करते जो अन्य राज्यों के सम्बन्ध में लागू किया गया है, तो केरल का वास्तविक योजना परिव्यय बहुत ही कम हो जाता। इसलिए इस बात की ओर संकेत करने का कोई लाभ नहीं है कि योजना आकार को क्यों नहीं बढ़ाया गया है।

जहाँ तक केन्द्रीय सहायता का प्रश्न है, इसके लिए एक निर्धारित फार्मूला है।

आज हम केरल के बजट पर चर्चा कर रहे हैं। आप कह सकते थे कि आपको केरल की अधिक राशि आवंटित की जानी चाहिए थी। तब, अन्य राज्य भी ऐसा करने को कहते। वे कह सकते हैं कि एक राज्य को अधिक तथा दूसरे राज्य को कम दे रहे हैं। इसलिए मानव प्रक्रिया के अनुरूप, केन्द्रीय सहायता प्रत्येक राज्य के सम्बन्ध में दस प्रतिशत बढ़ा दी गई है। वही दस प्रतिशत की वृद्धि केरल के लिए भी की गई थी। चालू वर्ष के स्तर तक योजना आकार को बनाये रखने के अलावा उसमें भारी वृद्धि करना हमारे लिए संभव नहीं था।

दूसरा आम मुद्दा जिसका उल्लेख किया गया है, वह यह था। सरकार द्वारा जिस आयात नीति का पालन किया जा रहा है, उससे केरल राज्य के आर्थिक पहलू पर प्रभाव पड़ रहा है। गत दो वर्ष अथवा इससे कुछ अधिक समय पूर्व जब मैं वाणिज्य मन्त्रालय में था तब लगभग छः बार मैं इनमें से कुछ प्रश्नों का उत्तर दे चुका हूं। उदाहरण के तौर पर रबर के मामले को लीजिये। इसका कुल उत्पादन लगभग 150 से 155 हजार टन होता है। किन्तु हमारे उद्योगों के लिए इसकी आवश्यकता लगभग 1,75000 टन है। यदि हम 20,000 टन आयात करते हैं तो इससे केरल की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कृपया मुझे बतायें। हम जो प्राकृतिक रबर प्राप्त कर रहे हैं ये सब उनके मूल्य की तुलना की गई है। आप इस बात की तुलना करते हैं कि मलेशिया अथवा कोई भी अन्य बड़े उत्पादक देश की अपेक्षा केरल को अपने रबर का अधिक मूल्य मिल रहा है अथवा कम। यदि हम आवश्यकता से अधिक रबर का आयात करते तो ऐसा होता। यही कारण है कि 1980 में सदन में मैंने जो आश्वासन दिया था उसे मैंने केवल सारणीबद्ध किया था। मैं उसे नियमित करना चाहता था और यह सुनिश्चित करना चाहता था कि किसी विशेष अवसर पर ऐसी स्थिति न बन जाये···(व्यवधान)। आप ही कहें। मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। मेरी बात काटने का कोई लाभ नहीं है। यदि आप मेरे विचार सुनना चाहते हैं; तो सुनिए। अन्यथा, मैं बोलूंगा और मैं आपके किसी भी मुद्दे का उत्तर नहीं दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : जो मुद्दे उठाए गए हैं उनका उन्हें उत्तर देने दीजिए। वह आपके ही मुद्दे का उत्तर दे रहे हैं। कृपया बैठ जाइए। श्री नाडार, कृपया बैठ जाइए।

श्री प्रणब मुखर्जी : जैसा मैं समझता हूं, मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। महाशय, कुल मांग 25 से 30 हजार टन की थी। प्राकृतिक रबर के इस मूल्य के कारण, वास्तव में विरोधी दल के लोग मेरी आलोचना कर रहे हैं कि मैं लघु उद्योगों को संरक्षण नहीं दे रहा हूं। यहां से अनेकों लघु उद्योग केरल में फ्री जोन में स्थानान्तरित किए जा रहे हैं। यह भी शिकायत सुनने में आ रही है। वह भी विरोधी दल की ओर से आई है।

इसीलिए मैं कहता हूं कि यह सच नहीं है कि रबर की आयात नीति से केरल की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

नारियल के तेल के बारे में, जब मैं वाणिज्य मन्त्री था, तब 1980 में आयात नीति के बारे में साफ-तौर पर स्पष्ट कर दिया था। उस समय एक बाधा थी और वह बाधा यह थी। कुछ आयात कर्त्ता का विचार था कि नारियल का तेल उद्योगों के लिए प्रयोग में आता है और इसलिए उसे आपने जनरल लायसेंस (ओ०जी०एल०) के अधीन आयात किया जा सकता है। किन्तु जब मैंने आयात नीति संशोधित की जिसे मैंने गत अप्रैल में घोषित किया था, तब मैंने इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था। वर्तमान आयात नीति के अधीन उद्योग के प्रयोजन के लिए अथवा खाने के प्रयोजन के लिए कोई भी खाद्य तेल ओ०जी०एल० के अधीन आयात किया जा सकता है। इस आयात सूचीवद्ध एजेंट के माध्यम से ही किया जा सकता है और हमने नारियल तेल आयात नहीं किया है, कुछ पाइप लाइन में था वह आ रहा है और वह भी बहुत सीमित मात्रा में। जब प्रधान मन्त्री फिलीपीन गई थीं तब विभिन्न देशों द्वारा किए गए व्यापारिक करारों अथवा वाणिज्यिक शर्तों के बारे में हमने चर्चा की थी। स्वाभाविक रूप से फिलीपीन अपना नारियल का तेल बेचने को इच्छुक था और उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा तथा पूछा कि क्या हम इसे खरीदने की स्थिति में हैं। यह ठीक ऐसे ही था जैसे हम अपने सामान प्रस्तुत करते हैं। यह विचारों में आदान प्रदान करने के समान ही है। नारियल के तेल के आयात करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मैं इस बात से सहमत हूं कि कुछ तेल आयात किया जा रहा है किन्तु इसके आने का कारण भी मैं बता चुका हूं। मुझे कुछ भी करने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि माननीय सदस्यों को इस बात की पूरी जानकारी है कि खाद्य तेलों के मामलों के सम्बन्ध में अनेकों रिट-याचिकायें दर्ज की गई हैं। न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि यदि वे डाक रसीदें भी प्रस्तुत कर दें (कि उन्होंने सी०सी० आई०ई० के संगठन को कुछ पत्र भेजे हैं) तो यह माना जायगा कि निर्देश दिए जाने से पहले उन्होंने आवेदन भेजे हैं और उसे आश्वासन दिए जाने से पूर्व का माना जायगा। किन्तु यह तो दूसरा ही मामला है।

हम लोग उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। केवल उसी के कारण नारियल के तेल की कुछ मात्रा आयात की जा रही है। किन्तु 1981-82 की नीति के सम्बन्ध में मैं उसे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है और मैंने स्पष्टीकरण दे दिया है। कोको के साथ भी यही मामला है। कुछ सदस्यों के सुझाव प्राप्त हुए हैं और उन्होंने कहा है कि आप उसे नियन्त्रण वाली सूची में रखें। पहले यह ओ०जी०एल० की सूची में था। मैंने इसे नियन्त्रण वाली सूची में रख दिया है। सम्मिश्रण के लिए तथा क्षारीय तत्व को कम करने के लिए बहुत कम मात्रा

में कोकोआ पाउडर के आयात करने की अनुमति दी गई थी। इससे पहले जो सरकार वहाँ थी—मैं करुणाकरण की सरकार की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि उससे पहले की सरकार की—हमने इस विषय पर विचार-विमर्श कर लिया है। मैंने उनसे कहा कि वाणिज्य मन्त्री के रूप में मैं अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में आपके कोका को निर्यात करने के लिए नकद सहायता देने को तैयार हूं, आप कुछ इकाइयाँ स्थापित कीजिए जो कुछ रसायनिक प्रक्रिया करके कोका के क्षारीय तत्व को कम कर सके। किन्तु कुछ भी नहीं किया गया। जो सामान देशी और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में न बिक पाये तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए यह कोई आयात नीति नहीं है। हमने आयात नीति नियमित कर दी है। हम विशेषकर उन क्षेत्रों को ध्यान में रख रहे हैं और हम अधिक अर्जित कर रहे हैं। मैं श्री उन्नीकृष्णन की इस बात से सहमत हूं कि यही वे क्षेत्र हैं जहां हम बहुत सारी विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं और हमारा हित इसमें नहीं है कि उन पर कुप्रभाव पड़े।

तीसरी बात यह है कि बोलते समय कुछ सदस्यों ने कुछ सुझाव दिये हैं और दो योजनाओं की ओर ध्यान दिलाया है एक कृषि मजदूरों की पेंशन देने की तथा दूसरी योजना बेरोजगारों को पेंशन देने की। इनमें से कोई भी योजना नहीं छोड़ी गई है। आप इसे राजनैतिक चर्चा का विषय क्यों बना रहे हैं? यदि आपने संघनित प्रलेख को पढ़ा होता तो आप इसे पाते। आपने जो राशि आबटित की थी वही राशि अब आबटित की जाती है; आप इसकी ओर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? हमारी कुछ सीमायें हैं क्योंकि योजना को किसी एक राज्य पर लाद नहीं सकते। इसे पूरा करने के लिए राज्यों के साधन कम हैं। यह एक आदर्श योजना है। इस सच्चाई को हम नकार नहीं रहे हैं। जैसा श्री चन्द्रजीत यादव ने कहा है यदि हम ऐसे कर सकें तो यह एक आदर्श स्थिति होगी। किन्तु प्रश्न यह है कि क्या वर्तमान आर्थिक स्थिति में हम सभी राज्यों में इसे लागू कर सकते हैं। करुणानिधि सरकार ने केवल इसे चालू रखा बल्कि वे इसे बढ़ाना चाहते थे। इसलिये, इसमें उनका दोष नहीं है। और उन्होंने इसे स्वयं आरम्भ किया था शामिल किया था और वर्तमान बजट में भी इसे शामिल किया गया है। इसलिये इन दो योजनाओं को छोड़ने का कोई प्रश्न नहीं है। हम लोग इसे चालू रख रहे हैं और हमने इसे बजट में भी बढ़ा लिया है। अपना प्रेक्षण देते समय श्री उन्नीकृष्णन ने सिंचाई की गैर-योजना परिव्यय की ओर ध्यान दिलाया है। यह तो केवल सांख्यकीय जाल भाग है। आप केवल सिंचाई की गैर योजना परिव्यय की बात क्यों कर रहे हैं। यदि आप जालों की ओर ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि यह घटा नहीं है। यदि आप आंकड़े जानना चाहते हों तो मैं दे सकता हूं। 1981-82 के बजट प्राक्कलन में यह 51·82 करोड़ का था और 1982-83 के बजट प्राक्कलन में भी यह 51·82 करोड़ का था। और आपने जिस सरकार को समर्थन

दिया है उसी सरकार को इसका उत्तरदायित्व लेना होगा क्योंकि श्री करुणाकरन की सरकार केवल आठ दिन चली थी। शेष वित्तीय वर्ष के दौरान या तो आपकी सरकार थी अथवा कुछ समय के लिये वहाँ राष्ट्रपति शासन रहा। गैर योजना व्यय से योजना आवंटन अधिक महत्त्वपूर्ण है।

अब मैं अन्य आम मुद्दों पर आता हूं जो श्री बनातवाला और प्रो० कुरीयन द्वारा उठाए गये हैं। वे लोग छः महीने के लेखे पर मतदान क्यों ले रहे हैं ? सामान्य तौर पर चार महीने के लिये हम लेखे पर मत लेते हैं, विशेष कर उस समय जब हम मानसून सत्र में बजट प्रस्तुत करते हैं। कभी-कभी दो सत्रों के बीच अन्तराल भी होता है, क्योंकि यह बहुत लम्बी अवधि का सत्र है। जैसा कि गृह मंत्री ने बताया है, चुनाव में देरी करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हम लोग यथा शीघ्र चुनाव कराना चाहते हैं। वहां राष्ट्रपति शासन को लम्बी अवधि तक लगाये रखने का कोई इरादा नहीं है। तकनीकी दृष्टि से, यदि हम चार महीने के लिए लेखानुदान लें तो वह अवधि जुलाई में पूरी हो जायेगी और यदि जुलाई में मानसून सत्र नहीं होता है तो हम बड़ी कठिन स्थिति में पड़ जायेंगे। कभी-कभी हमारा यह सत्र जुलाई के तीसरे सप्ताह में होता है और कभी अगस्त के पहले सप्ताह में। उस स्थिति से बचने के लिए मैं छः मास के लिए लेखानुदान पर मत प्राप्त किया है। इसके पीछे यह इरादा नहीं है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन को लम्बे समय तक रखा जाये।

माननीय सदस्यों ने अंत में आम बात दो परियोजनाओं के बारे में कही है जिनके बारे में वे बहुत ही नाराज हैं। एक है कालीकट हवाई अड्डा ! मुझे सभा को यह बताते हुए खुशी होती है कि जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैंने तो इसे मंजूरी दे दी है जल्दी ही इसे मंत्री मण्डल के पास भेजा जायेगा और जल्दी ही वहां से भी शायद स्वीकृति मिल जायेगी। यदि ऐसा नहीं हुआ है तो हो जायेगा।

दूसरी बात दो रेल परियोजनाओं के बारे में है। मैं कोई वायदा नहीं कर रहा हूं क्योंकि हम इनके लिए कोई नियतन नहीं कर पाए हैं। परन्तु मैं उनके बारे में योजना आयोग तथा रेल मंत्रालय दोनों को ही सुझाव दिए हैं, बेशक इन दोनों परियोजनाओं को शुरू करना संभव नहीं होगा। इन में से जो भी एक आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभप्रद होगी तथा उस दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण होगी, वह मेरे विचार से एलप्पी जाने वाली लाइन होगी। एक लाइन गुरुवापुर जाती है तो दूसरी एलप्पी। मैंने सुझाव दिया है कि जो लाइन एलप्पी जायेगी उसकी पुनः जांच की जाए और इसकी फिर से समीक्षा की जाए। हमारी ओर से हम यह देखेंगे। कि हम क्या कुछ कर सकते हैं, इसके लिए कितने संसाधन जुटा सकते हैं।

केवल एक मुद्दा शेष है और वह है पुलिस बजट में 12 करोड़ रुपये। इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। परन्तु आप इस बारे में मुझसे सहमत होंगे कि इसमें अधिकतर वृद्धि तो महंगाई भत्ते के कारण हुई है। प्रति दिन ही आप सीमिति अंश, बकाया राशि के बारे में चिल्ला रहे हैं जो कि मैंने कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा करने को कहा है, इसके लिए आप सरकार की आलोचना करते आ रहे हैं। और जब पुलिस व्यय पद में कुछ वृद्धि की जाती है, जिसमें एक अंश तो महंगाई भत्ते का ही है, तब आप क्यों बुरा मानते है ? मैं मानता हूं कि यदि मैंने आपको सारे आंकड़े दिये होते तो आप इस पर आपत्ति न करते। परन्तु मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि मैं आपको उनका ब्यौरा क्यों नहीं दे सकता। 12 करोड़ रुपये की इस राशि को तक मात्र अर्थात 2·36 करोड़ रुपये, महंगाई भत्ते का है; 2·75 करोड़ रुपए पुराने वाहनों की जगह नये वाहन लाने के लिए तथा कुछ और नये वाहन खरीदने के लिए है। मेरे पास उनके आंकड़े भी हैं। यही कारण है कि पुलिस बजट में बारह करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। यह बजट न तो पुलिस बल रोबदान के बढ़ाया गया है और न ही दमन की कार्यवाही करने हेतु। मैं बस यही कहना चाहता था।

श्रीमती सुशीला गोपालन : परम्परागत उद्योगों के बारे में आपका क्या रवैया है ?

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं तो माननीय सदस्या से यही अनुरोध करूंगा कि वह इन भारी भारी प्रश्न को पढ़ जाए। मेरे सहयोगी—श्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा दिए गए ये सभी विस्तृत उत्तर मैं यहाँ लाया हूं। यदि मेरे पास समय होता तो मैं प्रत्येक को पढ़ देता। यह संसदीय पत्र हैं अतः इन्हें सभापटल पर रखने की जरूरत नहीं हैं। कृपया घर पर कुछ पढ़ कर आया करें और देखें नारियल जटा उद्योग की रक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्री ई० बालानन्दन : महोदय, एक बात के बारे में नहीं कहा गया है। इसका उत्तर गृह मंत्री ने देना है। डिफंस इलेक्ट्रोनिक्स रिसर्च लेबोरेटरी हैदराबाद में आवेदकों द्वारा कालम संख्या 11 में दिए गए विवरण में पूछा गया है कि क्या आवेदक एक वर्ष से अधिक समय तक पश्चिम बंगाल या केरल में रहा है। इस बारे में गृह मंत्री ने क्या कहना है ? क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं ? मैं आपसे उत्तर चाहता हूं। क्या यह न्याय है ?

उपाध्यक्ष महोदय : अब ज्ञानी जैल सिंह द्वारा सभा में मतदान हेतु रखे गए केरल राज्य में उद्घोषणा का अनुमोदन करने संबंधी सांविधिक संकल्प को सभा में प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न यह है :

"कि यह सभा संविधान के अनुच्छेद आठ के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 17 मार्च, 1982 को केरल राज्य के संबंध में जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं केरल राज्य के वर्ष 1982-83 के बजट की लेखा-अनुदानों की माँगों पर प्रस्तुत किए गए सभी कटौती प्रस्तावों को सभा में एक साथ रखूंगा।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : हम सभी के लिए आग्रह नहीं कर रहे हैं। कुछ पर आग्रह करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या कोई सदस्य चाहता है कि उसका कटौती प्रस्ताव अलग से रखा जाए ?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं चाहता हूं कि मेरा कटौती प्रस्ताव अलग से मतदान के लिए रखा जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री के० पी० उन्नीकृष्णन द्वारा रखा कटौती प्रस्ताव संख्या 14 को सभा में मतदान के लिए रखता हू। प्रश्न यह है :

14. "कि पुलिस शीर्ष (पृष्ठ-2) के अंतर्गत लेखानुदान मांग में 1,00,00,000 रुपए की कटौती की जाए।

(पुलिस प्रणाम के अधिकारों में कमी करने की जरूरत है क्योंकि वह उत्पादक योजनाओं तथा कल्याणकारी उपायों संबंधी परिव्यय के बिल्कुल ही सानुपात नहीं है) (14)

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

मत—विभाजन संख्या : 4

पक्ष में

16·45 बजे

बालानन्दन, श्री ई०
चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
दास, श्री रेणुपद

घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा
गिरि, श्री सुधीर
गोपालन, श्रीमती सुशीला
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र
इम्बीचीबावा, श्री ई० के०
जेठमलानी, श्री राम
लारेंस, श्री एम० एम०
महाटा, श्री चित्त
मेहता, प्रो० अजित कुमार
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मोहम्मद इस्माईल, श्री
नाडार, श्री ए० नीलालोहिथादसन
पाल, प्रो० रूप चन्द
राजन, श्री के० ए०
शमन्ना, श्री टी० आर०
सिंह, श्री बी० डी०
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी०
वर्मा, श्री रवीन्द्र
वर्मा, श्री रीत लाल प्रसाद
यादव, श्री चन्द्रजीत
जायनल अबेदिन, श्री

विपक्ष में

अहमद, श्री मोहम्मद असरार
अहमद, श्री कमालुद्दीन
अराकल, श्री जेवियर
अर्जुनन, श्री के०
आजाद, श्री गुलाम नबी
बैठा, श्री डूमर लाल
वाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी
बनातवाला, श्री जी० एम०
बन्सी लाल, श्री

बहेरा, श्री रास बिहारी
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल
भीखाभाई, श्री
भोई, डा० कृपासिन्धु
भोले, श्री आर० आर०
बीरबल, श्री
ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर
बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी०
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यवती
चौधरी, श्री मनफूल सिंह
चेन्नुपति, श्रीमती विद्या
चिंगवांग कोनयक, श्री
डागा, श्री मूलचन्द
दलबीर सिंह, श्री
दास, श्री अनादि चरण
डेनिस, श्री एन०
देव, श्री संतोष मोहन
ईरा अनावारासु, श्री
फैलीरो, श्री एडुआर्डो
गाडगिल, श्री बी० एन०
गधावी, श्री भेरावदन के०
गांधी, श्री राजीव
गहलोत, श्री अशोक
गोंमांगो, श्री गिरिधर
गौजगिन, श्री एन०
हाकम सिंह, श्री
जदेजा, श्री दौलतसिंहजी
जाफर शरीफ, श्री सी० के०
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
जमीलुर्रहमान, श्री
जेना, श्री चिन्तामणि

कर्मा, श्री लक्ष्मण
कुचन, श्री गंगाधर एस०
कुन्हम्बु, श्री के०
कुंवर राम, श्री
लास्कर, श्री निहार रंजन
माधुरी सिंह, श्रीमती
महाबीर प्रसाद, श्री
महाजन, श्री विक्रम
महेन्द्र प्रसाद, श्री
मकवाना, श्री नरसिंह
मल्लिकार्जुन, श्री
मेहता, डा० महिपतराय एम०
मिश्र, श्री रामनगीना
मिश्र, श्री हरिनाथ
मिश्र, श्री नित्यानन्द
मोहसिन, श्री एफ० एच०
मुथु कुमारन, श्री आर०
मुत्तेमवार, श्री विलास
मुजफ्फर हुसैन, श्री सेयद
नगीना राय, श्री
नायक, श्री जी० देवराय
नायकर, श्री डी० के०
नामग्याल, श्री पी०
नेताम, श्री अरविन्द
नीखरा, श्री रामेश्वर
पांडे, श्री केदार
पांडे, श्री कृष्णचन्द्र
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पनिका, श्री राम प्यारे
पराशर, प्रो० नारायण चन्द
पारधी, श्री केशवराव
पार्थसारथी, श्री पी०

पटनायक, श्रीमती जयन्ती
पुत्तुस्वामी, श्री डी०
फुलवारिया, श्री विरदा राम
पुजारी, श्री जनार्दन
प्रधानी श्री के०
राजू, श्री पी० वी० जी०
राममूर्ति श्री, के०
रंगा, प्रो० एन० जी०
राव, श्री जगन्नाथ
राव, श्री पी०वी० नरसिंह
राठौर, श्री उत्तम
राउत, श्री भोला
रवाणी, श्री नवीन
रावत, श्री हरीश
रेड्डी, श्री के० ब्रह्मानन्द
साही, श्रीमती कृष्णा
सज्जन कुमार, श्री
समीनुद्दीन, श्री
साठे, श्री वसन्त
सत्यदेव सिंह, प्रो०
सईद, श्री पी० एम०
सिंधिया, श्री माधवराव
शैलानी, श्री चन्द्रपाल
शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी
शंकरानन्द, श्री बी०
शर्मा, श्री काली चरण
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शास्त्री, श्री हरि कृष्ण
सिदनाल, श्री एस०बी०
सिंगारावाडीवेल, श्री एस०
सिंह, डा० बी०एन०
सिंह, देव, श्री के०पी०

सुब्रमण्यम श्री ए०जी०
सुन्दर सिंह, श्री
सूर्यवंशी, श्री नरसिंह
स्वामीनाथन, श्री आर०बी०
तारिक अनवर, श्री
तेडयेंग, श्री सोवेंग
तैयब हुसन, श्री
तिवारी, प्रो० के०के०
त्रिपाठी, श्री कमलापति
वर्मा, श्री जय राम
वेंकटरामन, श्री आर०
वेंकटसुब्बया, श्री पी०
विजयराघवन, श्री वी०एस०
वीरभद्र सिंह, श्री
व्यास, श्री गिरधारी लाल
यादव, श्री राम सिंह
यादव, श्री सुभाष चन्द्र
याजदानी, डा० गोलम

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अधीन मत विभाजन का *परिणाम निम्नलिखित है :

पक्ष में : 25
विपक्ष में : 123

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

* निम्नलिखित सदस्यों ने भी मत-विभाजन में भाग लिया :

पक्ष में ; श्री डी०पी० यादव तथा
श्री धनिक लाल मण्डल

विपक्ष में : श्री जैल सिंह तथा
श्री राजेश पाइलट

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सभी कटौती प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखता हूं :

सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई माँग संख्या 1 से 44 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा राशियों से अनधिक राशियाँ केरल राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदानों की मांगें (केरल), 1982-83

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1.	राज्य विधान मंडल	43,69,000	...
2.	राजयाध्यक्ष, मंत्री और मुख्यालय के कर्मचारी	3,32,67,300	...
3.	न्याय प्रशासन	3,29,94,400	...
4.	निर्वाचन	24,32,100	...
5.	कृषि आय कर और बिक्री कर	2,38,45,300	...
6.	भू-राजस्व	6,01,02,500	...
7.	स्टाम्प और पंजीकरण	2,01,86,800	...
8.	उत्पाद शुल्क	1,69,08,400	...
9.	गाडियों पर कर	51,80,000	...
10.	राजकोष और लेखे	1,74,90,400	...
11.	जिला प्रशासन और विविध	2,66,90,400	...
12.	पुलिस	22,39,16,600	...
13.	जेलें	90,57,900	...
14.	लेखन सामग्री और मुद्रण तथा अन्य प्रशासनिक सेवाएं	3,05,81,900	...

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की माँग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
15.	लोक निर्माण	19,51,06,600	8,28,53,000
16.	पेंशनें और विविध	21,76,57,400	...
17.	शिक्षा, कला और संस्कृति	1,35,03,32,500	2,34,45,500
18.	चिकित्सा	28,98,82,800	1,84,07,500
19.	परिवार कल्याण	3,96,47,800	25,00,000
20.	लोक स्वास्थ्य	4,07,65,000	...
21.	लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी	7,12,10,700	9,38,99,200
22.	आवास	1,87,60,600	1,87,77,500
23.	नगर विकास	1,45,05,800	36,37,500
24.	सूचना और प्रचार	48,37,500	...
25.	श्रम और रोजगार	8,86,97,700	4,50,000
26.	हरिजन कल्याण सहित समाज सुरक्षा	26,66,56,500	50,79,600
27.	दैवी विपत्तियों के लिए सहायता	1,59,00,000	...
28.	सहकारिता	3,39,88,300	6,76,63,900
29.	विविध आर्थिक सेवाएं	3,47,70,000	40,00,000
30.	कृषि	22,70,84,600	5,28,18,300
31.	खाद्य	2,04,40,400	3,47,92,000
32.	पशु-पालन	4,81,14,300	18,90,000
33.	डेरी	84,65,600	32,75,000
34.	मीन-उद्योग	1,81,98,100	1,60,24,700
35.	वन	6,21,25,300	75,50,000

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदानों की माँग की राशि	
		राजस्व	पूंजी
		रुपए	रुपए
36.	सामुदायिक-विकास	17,75,33,200	12,50,100
37.	उद्योग	5,06,93,500	11,15,40,500
38.	सिंचाई	9,31,07,700	25 38,48,500
39.	विद्युत	13,00,000	20,00,000
40.	पत्तन	51,70,400	44,69,000
41.	परिवहन	75,20,100	1,44,00,000
42.	पर्यटन	66,66,700	54,50,000
43.	मुआवजा और समनुदिष्ट राशियां	46,16,500	...
44.	विविध ऋण और अग्रिम	...	4,32,92,100

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा राशियों से अनधिक अनुपूरक राशियां केरल राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये।"

मांग संख्या 1 से 3, 5 से 11, 13 से 30, 32, 35 से 42।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों की अनुपूरक मांगें (केरल), 1981-82

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा द्वारा स्वीकृत मांग की राशि	
		राजस्व	पूंजी
		रुपए	रुपए
1.	राज्य विधानमंडल	11,50,000	...
2.	राज्याध्यक्ष, मन्त्री और मुख्यालय के कर्मचारी	63,95,000	...
3.	न्याय प्रशासन	50,20,500	...

6 चैत्र 1904 (शक)

केरल राज्य के सम्बन्ध में उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प और रेल बजट, 1982-83—सामान्य चर्चा लेखानुदानों की माँगें (केरल), 1982-83 तथा अनुदानों की अनुपूरक मांगें (केरल), 1981-82

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा द्वारा स्वीकृत मांग की राशि	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०
5.	कृषि आय कर और बिक्री कर	36,85,400	...
6.	भू-राजस्व	1,52,79,000	...
7.	स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	2,00,00	...
8.	उत्पाद शुल्क	100	...
9.	वाहनों पर कर	3,34,300	...
10.	राजकोष और लेखे	25,34,000	...
11.	जिला अशासन और विविध	67,04,700	...
13.	जेलें	11,03,400	...
14.	लेखन सामग्री और मुद्रण तथा अन्य प्रशासनिक सेवाएं	32,89,900	...
15.	लोक निर्माण	4,86,84,100	2,09,35,900
16.	पेंशनें और विविध	6,49,21,400	...
17.	शिक्षा, कला और संस्कृति	1,09,63,000	3,24,50,300
18.	चिकित्सा	2,25,21,000	26,86,500
19.	परिवार कल्याण	...	4,00,000
20.	लोक स्वास्थ्य	18,00,000	...
21.	लोक स्वास्थ्य इन्जीनियरी	1,16,57,900	2,51,25,000
22.	आवास	65,00,000	1,17,77,100
23.	नगर विकास	7,12,500	...
24.	सूचना और प्रचार	44,89,200	...
25.	श्रम और रोजगार	44,72,000	....
26.	हरिजन कल्याण समेत समाज कल्याण	4,54,78,100	1,02,36,900
27.	दुर्भिक्ष	19,86,800	...
28.	सहकारिता	26,00,100	2,82,54,400
29.	विविध आर्थिक सेवाएं	5,18,400	...
30.	कृषि	500	97,00,000
32.	पशु-पालन	70,20,000	...
35.	वन	1,92,88,500	50,00,000

माँग संख्या	माँग का नाम	सभा द्वारा स्वीकृत मांग की राशि	
		राजस्व	पूंजी
		रु०	रु०
36.	सामुदायिक विकास	80,98,700	...
37.	उद्योग	84,01,200	91,85,500
38.	सिंचाई	3,41,12,200	2,66,500
39.	विद्युत	...	51,54,000
40.	पत्तन	1,26,100	25,00,000
41.	परिवहन	23,75,000	3,00,000
42.	पर्यटन	13,08,200	22,,0,000

केरल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९८२

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"वित्तीय वर्ष 1982-83 के एक भाग की सेवाओं के लिए केरल राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों को निकालने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1982-83 के एक भाग की सेवाओं के लिए केरल राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों को निकालने का उपबन्ध करने वाले बिधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1981-82 की सेवाओं के लिए केरल राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1981-82 की सेवाओं के लिए केरल राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार करेंगे। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 तथा 3 और अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 तथा 3 और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1 अधिनियन सूत्र तथा विधेय का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 1 अधिनियमन सूत्र तथा प्रस्ताव का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि विधेय को पारित कर दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित कर दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

केरल विनियोजन विधेयक, १९८२

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1981-82 की सेवाओं के लिए केरल राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1981-82 की सेवाओं के लिए केरल राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं :

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1981-82 की सेवाओं के लिए केरल राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1981-82 की सेवाओं के लिए केरल राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार चर्चा आरम्भ करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

लेखानुदानों की मांगें (असम), १९८२–८३ के सम्बन्ध में नियम २०६ के उप–नियम (२) के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1982-83 के दौरान असम सरकार के व्यय सम्बन्धी अनुदानों की माँगों के सम्बन्ध में, यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 206 के उप-नियम (2) के उस भाग को, जो 'प्रत्येक अनुदान के अन्तर्गत मदों में विभाजित विस्तृत अनुमान के विवरण' से सम्बन्ध रखता है, इस सभा द्वारा लेखानुदान स्वीकृत किए जाने के प्रयोजनार्थ निलम्बित करती है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1982-83 के दौरान असम सरकार के व्यय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में, यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 206 के उप-नियम (2) के उस भाग को, जो प्रत्येक अनुदान के अन्तर्गत मदों में विभाजित विस्तृत अनुमान के विवरण' से सम्बन्ध रखता है, इस सभा द्वारा लेखानुदान स्वीकृत किए जाने के प्रयोजनार्थ निलम्बित करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

असम राज्य के सम्बन्ध में उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प

असम बजट, १९८२–८३—सामान्य चर्चा

लेखानुदानों की माँगें (असम), १९८२-८३

और

अनुदानों की अनुपूरक माँगें (असम), १९८१-८२

गृह मन्त्री (श्री जैलसिंह) : मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

"कि यह सभा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 19 मार्च, 1982 को असम राज्य के सम्बन्ध में जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 19 मार्च 1982 को असम राज्य के सम्बन्ध में जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

इसके लिए 3.1/2 घण्टे का समय निर्धारित किया गया है। मद संख्या 13, 14, 15 और 16 पर एक साथ चर्चा की जाएगी।

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वस्तुतः प्रसन्न नहीं हूं क्योंकि इस सभा को असम के बजट और उद्घोषणा पर भी चर्चा करनी है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, अनुच्छेद 356 पर संविधान सभा में काफी वाद-विवाद हुआ था और संविधान के संस्थापकों, विशेषकर डा० अम्बेडकर ने वादविवाद के दौरान आश्वासन दिया था कि इस अनुच्छेद का उपयोग बहुत कम किया जाएगा और वह भी जब बाहर से कोई खतरा होगा अथवा किसी राज्य की संवैधानिक व्यवस्था बिल्कुल ठप्प हो जाएगी। परन्तु हमें इस स्थिति से बहुत निराशा होती है जब हम देखते हैं कि शासक दल द्वारा इस अनुच्छेद का उपयोग निसंकोच किया जाता है जिससे भारत सरकार अधिनियम 1935 की बू आती है और जिसका विरोध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी किया था।

मैं इस लिए भी नाखुश हूं कि मेरे मित्रों श्री संतोष मोहन देव और श्री लास्कर को छोड़कर असम के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हैं, अतः हम कह सकते हैं कि इस सहभागी लोकतन्त्र में असम की जनता का योगदान नहीं है क्योंकि दो को छोड़कर उनके प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित नहीं हैं। मैं इसलिए भी असंतुष्ट हूं कि हमें राज्य के बजट पर चर्चा करनी है जिस पर राज्य की जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चर्चा की जाती थी। हमारे देश में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस सभा में इतने लम्बे समय किसी राज्य के प्रतिनिधि न रहे हों। हमारे देश में यह भी कभी नहीं हुआ कि इतने लम्बे समय से चल रहा आन्दोलन ऐसी स्थिति पैदा करने में सफल हो गया हो कि वहां चुनाव करवाना असम्भव हो जाए। यह गम्भीर बात है। हमारे मतभेद हो सकते हैं। हमारे गृह मंत्री हमारे कार्यक्रम की आलोचना कर सकते हैं, हम उनके कार्यक्रम की आलोचना कर सकते हैं। हमें इस बात को सुनिश्चित करने के लिए मिलजुल कर काम करना चाहिए कि संविधान की मूल बातों की रक्षा की जा सके, लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधि भेजे जाने के अधिकार की गारंटी हो और हमारे देश में संसदीय लोकतन्त्र सुचारु रूप से कार्य कर सके। इसके लिए कौन जिम्मेदार है। निश्चय ही असम में आन्दोलनकारी। वे ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं कि वहां शान्तिपूर्वक चुनाव कराना असम्भव हो गया है। केन्द्रीय सरकार व कांग्रेस (इ) का क्या

दृष्टिकोण है ? इस सभा में शासक कांग्रेस (इ) हमें और आम जनता को यह बताती है कि वे पृथकतावादियों के विरुद्ध है और वे अलगाव के विरुद्ध है। परन्तु मैं इस दल के नेताओं से पूछना चाहूंगा : "क्या आपने असम में कोई आम सभा आयोजित की है ? क्या आपने उस ओर ध्यान दिया है कि आपके लोग असम में क्या कर रहे हैं। आप यहाँ पर लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा, ईमानदारी और आसाम में पृथकतावादियों के विरुद्ध संघर्ष पर जोर देते रहते हैं परन्तु वहां पर लोग और आपके नेता क्या कर रहे हैं ? आप जनता के पास क्यों नहीं जाते, ऐसे लोगों के विरुद्ध जनमत क्यों नहीं तैयार करते जो असम की जनता के मित्र होने का दावा करते हैं परन्तु वास्तव में असम की जनता के हितों के विरुद्ध काम करते हैं ? महोदय, इतना ही नहीं। सभी दलों ने सहमति व्यक्त की थी कि वर्ष 1971 को निर्णायक वर्ष माना जाएगा। अब आन्दोलनकारियों ने 15 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया है और अब वह कह रहे हैं कि 1961 से 1971 तक की अवधि के बारे में चर्चा की जा सकती है। सरकार इस दबाव में क्यों आ रही है ? इस बारे में वह क्यों चर्चा करना चाहते हैं ? इस बारे में सभी दलों की सहमति हो चुकी है। परन्तु इन नेताओं ने क्या कहा है ? उन्होंने कहा है कि राजनीतिक दल असम्बद्ध है। क्या वे इस बात को मानने के लिए तैयार है ? और तब, आप क्या करने जा रहे हैं ? अब वहां विधान सभा भी नहीं है। यह राष्ट्रपति-घोषणा कब तक चलेगी ? ठीक है, यह एक साल तक चल सकती है। एक वर्ष के पश्चात् आप क्या करने जा रहे हैं ? एक वर्ष बाद किस तरह आप राज्य चलायेंगे ? इस बीच, वहां वे क्या करने जा रहे हैं ? हमारे गृह मंत्री को इसकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए और मुझे विश्वास है कि उन्हें इसकी जानकारी है। पृथकतावादी ताकतों द्वारा समर्पित आन्दोलनकारी कर्फ्यू लगवा रहे हैं। क्या आपने कभी ऐसी बात सुनी है ? आप यहाँ दिल्ली में बैठे हैं और कहते हैं कि आपके पास सरकार है और एक सक्षम और गतिशील नेता है लेकिन आसाम में वे क्या कर रहे हैं ? वे कर्फ्यू लगा रहे हैं। केवल इतना ही नहीं। आपको इस तथ्य की जानकारी भी अवश्य होनी चाहिए कि वे कहते हैं कि 'हमारे पास अपनी स्वयं की जेलें हैं।' यह क्या है ? क्या यह एक समांतर सरकार है कि उनके पास अपनी जेलें हैं और वे कर्फ्यू लगा सकते हैं ? केवल इतना ही नहीं। इस सदन में मैंने अनेक बार यह बात कही है और आपसे भी अनुरोध करूंगा कि उस बात को याद करें। वह यह है कि आसाम का सारा प्रशासन पीछे पीछे इस आंदोलन के साथ है। आज जनता आंदोलन के पीछे नहीं है। क्या आपकी राज्य सरकार के अधिकारियों सहित यह राज्य सरकार है जो आन्दोलन की पीठ थपथपा रही है और उसे बढ़ावा दे रही है। आप इसे कैसे सहन कर रहे हैं ? आपका उद्देश्य क्या है ? क्या यह देश की अखण्डता है ? उसमें आपका क्या ध्येय है ? क्या आपकी सचमुच ही पृथकतावादी ताकतों से संघर्ष करने की रुचि है ? नहीं। आप आन्दोलनकारियों के साथ

समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आसाम में आपके दल का कोई आधार नहीं है। आप किसी न किसी प्रकार कुर्सी पर कब्जा किए रखना चाहते हैं। आप सत्ता चाहते हैं। इसके लिए कोई भी साधन आपके लिए बुरा नहीं है। आप रियायतें देकर समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं, आप भाषायी और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों का बलिदान करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनके अधिकारों की बलि देने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों ? क्योंकि आप किसी तरह सरकार बनाने के लिए आन्दोलनकारियों के साथ समझौता करना चाहते हैं। अन्यथा आपका क्या मकसद है ? आपने इस आशा में विधान सभा को स्थगित किए रखा कि आप सरकार बना सकेंगे। आपकी आशाएं छिन्न-भिन्न हो गई हैं। संयुक्त विपक्ष का वहाँ बहुमत हो गया। मैं गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि राज्यपाल की शक्तियां क्या हैं ? क्या संविधान के अन्तर्गत राज्यपाल को कोई विवेकाधिकार प्राप्त हैं ? उत्तर है 'नहीं'। आप कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय देखिए। आप राज्यपालों की बैठक के निर्णय को पढ़िए कि जन जाति विषयक प्रश्न के बारे में आसाम के राज्यपाल के अलावा, राज्यपालों को कोई विवेकाधिकार प्राप्त नहीं है। हमारे संविधान में सरकार के मंत्रिमंडलीय स्वरूप में न तो राज्यपाल को और न राष्ट्रपति को कोई विवेकाधिकार मिल सकता है। इंगलैंड में राजा अथवा रानी को राजसी प्रतीक माना जाता है। वे केवल संवैधानिक प्रमुख हैं। इंगलैंड की महारानी का क्या अधिकार है ? उसे, परामर्श किए जाने का और चेतावनी देने का अधिकार है, अन्यथा उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। केन्द्र में आपके यहां राष्ट्रपति हैं। हमने संविधान में संशोधन किया है। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह माननी होती है। इससे पहले ऐसी बात इसलिए नहीं हुई कि वहाँ यह समझ थी कि परिपाटी का आदर किया जाएगा। एक लोकतान्त्रिक प्रणाली में, मंत्रिपरिषद प्रणाली में राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रमुख है। उसे मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह अवश्य माननी चाहिए। लेकिन, तब केन्द्र में आपने संविधान संशोधित कर लिया है। यह अच्छी बात है कि आपने ऐसा कर लिया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। लेकिन ऐसा क्यों है कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए ? यह कैसे हुआ कि आसाम में गवर्नर जाता है और विपक्षी दल से यह प्रश्न पूछता हैं कि मैं जानना चाहता हूं कि कौन मंत्रिमंडल में रहेगा और कौन मंत्रालय में रहेगा ? मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब श्रीमती गांधी को बहुमत मिल गया तो क्या राष्ट्रपति ने उनसे पूछा था कि—आपके मंत्री कौन कौन होने वाले हैं ? जब आपने केरल में मंत्रिमंडल बनाया तो—सत्ता से अलग कौन हुआ, क्या यह आपने पूछा ? जब आपने गोगई सरकार को प्रोत्साहित किया तो क्या आपने, तब आपने क्या यह पूछा था ? नहीं। आपने दो मानदण्ड अपनाए हैं—एक

शासक दल के लिए और दूसरा मानदण्ड विपक्षी दल के लिए। राज्यपाल के सामने प्रश्न यह पता लगाने का है कि विभिन्न दलों का गठबंधन अथवा कोई दल विशेष बहुमत में है या अथवा नहीं। परिपाटी यह है कि यदि इनमें से किसी को भी बहुमत प्राप्त नहीं है तो सबसे बड़ी संख्या वाले दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। नेता को अनुमति दी जाती है। ट्रावनकोर कोचीन में आपने यही किया। अल्पमत वाले पी० एस० पी० दल को जिसके केवल 17 सदस्य थे। सरकार बनाने की अनुमति दी गई। लेकिन आसाम के मामले में आप ऐसा क्यों नहीं करते ? आप आसाम में बहुमत वाली सरकार का गठन नहीं करवाना चाहते। इसलिए, राज्यपाल को केन्द्र के एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाना है। संविधान में इसकी तो व्यवस्था नहीं की गई थी। स्टीफेन साहेब, विधान सभा वाद-विवाद में जो हुआ उसे क्या आप जानते हैं ? आपके दल के कुछ सदस्य यह चाहते थे कि राज्यपाल को जनता द्वारा चुना जाना चाहिए जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। लेकिन, तब आप कहते हैं कि राज्यपाल और मंत्रिपरिषद की दोनों की निर्वाचित सत्ता नहीं हो सकती। उसमें इस बात की गारंटी है कि राज्यपाल इस प्रकार की शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। आप सारे मामले को देखिए। अब, आप क्या कर रहे हैं ? आप परिपाटी को और संविधान की भावना को भी तिलांजलि दे रहे हैं।

महोदय, क्या मैं उनसे यह नहीं पूछ सकता कि क्या लोकतन्त्र का क्या यह अर्थ है कि ईश्वर ने इस बात का विधान बना दिया है कि श्रीमती गांधी के ही गतिशील नेतृत्व में कांग्रेस (आई) शासन करेगी ? क्या आप ऐसा कहना चाहते हैं ?

संचार मंत्री श्री सी० एम० स्टीफन : आसाम की जनता ऐसा कहती है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आसाम के लोगों ने अपना निर्णय दे दिया है। केरल की जनता ने अपना निर्णय दे दिया है। हां, वहां निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकारें थीं। जब लोगों ने वोट दिया, उन्होंने केवल कुछ पार्टियों को वोट नहीं दिया अपितु उन्होंने कुछ कार्यक्रमों के लिए वोट दिया। जब दूसरा मंत्रिमंडल बन जाता है तो क्या आप लोगों की बात का समादर करते हैं। आपके राजनीतिक वैज्ञानिक और आपके राजनीतिक दार्शनिक कहते हैं कि लोगों की आवाज भगवान की आवाज है। केरल के लोगों ने कांग्रेस (आई) को वोट नहीं दिया। उनका निर्णय कांग्रेस आई के खिलाफ था। अब, जनता की राय लिए बिना यदि आप कांग्रेस (आई) के नेतृत्व में सरकार बनाते हैं तो क्या आप वास्तव में जनमत का सम्मान कर रहे हैं ? मुझे इसकी चिन्ता नहीं यदि जनता किसी अन्य दल को ठुकरा देती है। लोकतन्त्र में लोगों को यह अधिकार है। लेकिन आपको केन्द्र में

अपनी शक्ति का उपयोग करने का अधिकार है, क्या आपको धन का उपयोग करके लोगों को प्रलोभन देने और अपना पार्टी में शामिल होने हेतु बुलाने का अधिकार है ? क्या यही आपकी राजनीतिक नैतिकता है ? क्या यह औचित्य का प्रश्न नहीं है ? आप दल बदल की बात कर रहे हैं। हम भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। क्या यह अच्छा है कि आप अन्य पार्टियों के सदस्यों को प्रलोभन देते रहेंगे कि वे आएं और आप के दल में शामिल हों यह कह कर कि मैं आपको मंत्री बनाऊंगा ? क्या यह अच्छी बात है ? जब आप हवा को बो रहे हैं तो आपको तूफान की फसल काटनी होगी। आप दल बदल कराते हैं और अब आप स्वयं दल बदल के शिकार हो गए हैं क्योंकि, इस प्रकार के राजनीतिज्ञों का कोई आधार नहीं होता। उनके कोई सिद्धान्त नहीं होते। जहां पैसा होगा, वे वहां जाएंगे। जो कोई मंत्रिमंडल बनाएगा, वे वहां जाएंगे। अच्छी बात है, अवसरवादियों से लोकतंत्र जीवित नहीं रहेगा। हम संविधान बनाते हैं और हम सस्थानों की स्थापना करते हैं। उन्हें व्यक्तियों द्वारा चलाया जाना होता है। संस्थाएं और संविधान उन व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं जो इनके साथ कार्य करते हैं। यदि इस प्रकार दल बदल कराया जाता है तो संविधान कार्य नहीं कर सकता।

आसाम में, आप चाहते हैं कि मुख्य मंत्री सत्ता में बना रहे। ऐसे व्यक्ति कौन हैं ? आज, आप एक महिला को मुख्यमंत्री बनाते हैं। वह अपने पद पर बनी नहीं रह सकतीं। विपक्ष का यह कार्य नहीं है। यदि आपके दल के कुछ व्यक्ति किसी एक व्यक्ति का समर्थन करते हैं और अन्य लोग किसी दूसरे व्यक्ति को मुख्य मंत्री बनाते हैं तो वह व्यक्ति अपने पद पर नहीं रह सकता। वहां अस्थिरता है। क्यों ? क्योंकि वे अब जानते हैं कि मुख्य मंत्री बनने के लिए केन्द्र का समर्थन होना आवश्यक है और जनता के पास जाना आवश्यक नहीं है। उन्हें केन्द्र के आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। इससे मुझे मुगलकाल के दिनों की याद आ जाती है जब प्रान्तों के सूबेदार बादशाह के पास दिल्ली आया करते थे और बादशाह की दुआ लेने के बाद वे वापस जाया करते थे। वहाँ लोगों से परामर्श लिए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं था। क्या आप इतिहास की प्रक्रिया को उलटना चाहते हैं ? क्या आप वैसा ही करना चाहते हैं ?

मुझे इस बात की चिन्ता नहीं यदि वहां आपका मुख्य मंत्री होता है। लेकिन किस प्रकार के लोग आगे आ रहे हैं ? क्या वे राजनीतिक भविष्य की तलाश करने वाले नहीं हैं ? क्यों वे जल्दी से धनी हो जाने की प्रवृति वाले लोग नहीं हैं ? क्या ये वे लोग नहीं हैं जो सत्ता के लिए कार्य कर रहे हैं ? क्या ये वे लोग नहीं हैं जिनके दिल में राष्ट्रहित के लिए कोई स्थान नहीं है ? मैं यह प्रश्न पूछता हूं। इसका उत्तर देना आपका कार्य है।

6 चैत्र 1904 (शक)

असम राज्य के सम्बन्ध में उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प असम बजट 1982-83—सामान्य चर्चा
लेखानुदानों की माँगें (असम) 1982-83 और अनुदानों की अनुपूरक माँगें (असम), 1981-82

अब, मैं यह प्रश्न करना चाहता हूं कि एक वर्ष के पश्चात् आप क्या करने जा रहे है ? आपके एक ओर कुआँ है तो दूसरी ओर खाई। संविधान को स्थगित करके, बहुमत वाले गठबंधन को मंत्रिमंडल बनाने की अनुमति न देकर अब आपको अलगाववादियों सहित आन्दोलनकारियों के साथ उनकी शर्तों पर समझौता करना होगा क्योंकि आपको सरकार बनानी है और इस बात के लिए आप कृतसंकल्प हैं कि कोई दूसरा सरकार न बनाए। ठीक है, चुनाव कराए जा सकते हैं। वहाँ चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं ? वे मतदाता सूची को चुनौती दे रहे हैं। वे सारे कार्य को चुनौती दे रहे हैं। वे उन साधारण लोगों को जो भारत के नागरिक हैं अपने मत देने के अधिकार का प्रयोग न करने देने की कोशिश कर रहे हैं।

ठीक है, एक निर्णय लिया जाना है, इसे लम्बे समय तक जारी नहीं रखा जा सकता। अनेक बार इस सदन में मैंने कहा है कि आसाम के लोगों की वाजिब मांगों के प्रति मेरी सहानुभूति है। लेकिन उन लोगों के साथ मेरी कोई सहानुभूति नहीं है जो आसाम के लोगों के नाम पर लोगों को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोगों के एक वर्ग को मताधिकार का प्रयोग न करने देने की कोशिश कर रहे हैं और जो लाखों लोगों के उखाड़ फेंकने और उन्हें अस्थिर कर देश भर के लिए समस्याएं पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ?

इसके दूसरे ही दिन माननीय मंत्री श्री लास्कर ने कहा कि आसामी लोगों के अल्पसंख्यक होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, तब ये सब बातें किसलिए ? आप कब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे ? केवल इतना ही नहीं। आप जानते हैं मेरा दल—आप आलोचना कर सकते हैं, इसकी मुझे चिंता नहीं, लोकतन्त्र में मैं आपकी आलोचना करता हूं और आप हमारी आलोचना करते हैं—इस एक प्रश्न पर दृढ़ है और वह है भारत की एकता, भारत की अखंडता और लोगों की एकता क्योंकि हम विशाल जनता की एकता के लिए लड़ते हैं और हम जानते हैं कि यदि हमारी यह विशाल जनता विभाजित हो जाए तो तेजी से उसका शोषण होगा और उसकी संघर्ष करने की शक्ति कम हो जाएगी। हम जनता के हितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

हमारे लोगों पर हमले किए जाते हैं। नाम रूप में हमारे एक मजदूर नेता की हत्या कर दी गई है। हमारे बहुत से लोग मारे गए हैं। वे बंगाली नहीं हैं और न वे अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। हमारे असमी नेताओं पर हमले किए जाते हैं। 'इंटक' के लोग भी उसमें भाग लेते हैं। आप किन पर हमला कर रहे हैं और किनकी आप रक्षा कर रहे हैं ? हममें मतभेद हो सकते हैं क्या आप इस बात से असहमत हो सकते हैं कि इतने मतभेदों के बावजूद हमारी पार्टी असमी लोगों की एकता के लिए लड़ रही है उनकी कोई

सुरक्षा नहीं है। मैं उनसे कहूंगा कि वे इस प्रश्न पर विचार करें और जो कुछ वे कर सकते हैं, करें। मैं कहूंगा हम जिस सर्वसम्मति पर पहुंचे हैं, उसका पालन करें। केन्द्रीय सरकार स्थिति को दृढ़ता से निपटाए और इसका एक राजनीतिक समाधान भी होना चाहिए।

अब मैं बजट पर आता हूं। आप पूर्वी क्षेत्र की समस्यायें जानते हैं। मेरे पास समय नहीं है लेकिन मैं यह प्रमाणित करने के लिए आंकड़े दे सकता हूं कि पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र की उपेक्षा की गई है। मैं चाहता हूं कि भारत के सभी भाग फलें-फूलें; सभी राज्य आगे बढ़ें और सभी भाइयों और बहिनों को हुई प्रगति का सिस्सा मिले। लेकिन केन्द्र से धन, बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामले में सुस्पष्ट भेदभाव है। उनकी आधारभूत ढांचे के विकास संबंधी समस्यायें हैं। असम वन संसाधनों और खनिजों के मामले में भी समृद्ध है। अतः वहां पर कृषि पर आधारित कुछ उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। उनके पास पेट्रोलियम उत्पाद हैं। वहां पर एक पोलिएस्टर उद्योग शुरू किया जा सकता है। रेलवे का विस्तार किया जाना चाहिए। अब यह केन्द्रीय सरकार का कर्तव्य है। इसके अतिरिक्त असम में लगभग 26 करोड़ टन का कोयले का रिजर्व है। वहां पर कोयले पर आधारित कुछ उद्योगों को शुरू किया जा सकता है। असम में समस्या यह है कि रोजगार के कोई अवसर न होने पर वहां के शिक्षित युवक किसी आन्दोलन में शामिल हो जाते हैं और तब उन्हें आसानी से भटकाया जा सकता है। यह बेरोजगारी और आर्थिक विकास का मामला भी है।

इस बजट में मैं असम की समस्याओं की पर्याप्त झलक नहीं देखता हूं। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे उन पर विचार करें। क्योंकि लोगों में अत्यधिक असंतोष है, अतः आप यह सुनिश्चित करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करें कि उनकी शिकायतें दूर हों ताकि अलगाववादी लोगों, जो वास्तविक देशभक्तों के रूप में नकाब पहने हुए हैं लेकिन वास्तव में जो हमारे देश को विभाजित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, को अलग किया जा सके, लोगों की वास्तविक शिकायतें दूर की जा सकें और आर्थिक विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके।

इस बारे में मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि मैं धर्म के विरुद्ध नहीं हूं। ईसाइयों को अपना अधिकार है कि वे अपने धर्म का प्रचार करें और इसकी शिक्षा दें। लेकिन इसका क्या कारण है कि इसके लिए विदेशी मुद्रा आ रही है? क्या आपने इसकी जांच की है? हमने यहां पर कई बार कहा है कि बाहर से धनराशि आ रही है और त्रिपुरा के मुख्य मंत्री ने यह दिखाने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं कि धनराशि कहां से आ रही थी। मैं चर्च के विरुद्ध नहीं हूं लेकिन मैं निश्चित रूप से चर्च के एक वर्ग के खिलाफ हूं।

वे धर्म और चर्च का एक ऐसे प्रयोजन के लिए उपयोग कर रहे हैं जो न तो पवित्र है और न ही नैतिक है। मैं इसके इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं कि किस प्रकार ब्रिटिश काल में इस चर्च ने अपने में क्षेत्रों को विभाजित किया था तथा किस प्रकार यह चर्च कार्य करती थी लेकिन मैं उनसे पूछूंगा कि वे किस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं। यदि आप शिक्षा को चर्च के लोगों पर छोड़ दें और चर्च के वे लोग, भारतीय लोगों की गरीबी का लाभ उठाते हुए, भारतीयों को कहें कि भारत अच्छा नहीं है तो हमारे लोग इन विचारों को अपनाना शुरू कर देंगे। आप यह कब तक सहन करते रहेंगे ? यदि आप धर्म-निरपेक्ष और मजबूत भारत चाहते हैं तो इन प्रवृत्तियों से लड़ना पड़ेगा और अब समय आ गया है कि हम कुछ उपाय करें, कम से कम इस मामले की जांच तो करें।

अन्त में मैं गृह मन्त्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वहाँ पर परिवारों को उजाड़ने का काम शुरू हो चुका है। मेरे पास यहाँ पर एक याचिका है और यह गृह मंत्री श्री जैलसिंह को भी भेजी गई थी। यह 63 परिवारों की याचिका है जो अनुसूचित जातियों के हैं। वे विस्थापित हैं। वे बसे हुए थे लेकिन उन्हें पूरी तरह से उजाड़ दिया गया है और राष्ट्रपति तथा गृह मंत्री को अपनी याचिका में उन्होंने कहा है "हम कहाँ जायें" ? हमारे सिर के ऊपर केवल खुला आसमान है। हमारे पास कोई जगह नहीं है और हम भारतीय हैं। हमें उजाड़ दिया गया है और मैं कहूंगा कि वे लोगों को उजाड़ने के इस कार्य को शुरू कर चुके हैं। "असम से बाहर जाओ" वे उन लोगों को जाकर कहते हैं जो पूरी तरह से भारतीय हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इसे नोट करे और गृह मन्त्री, जिनको इन 63 परिवारों की याचिका की एक प्रति मिल चुकी है, आजकल वहां जायें और इन परिवारों को शीघ्र बसाने के लिए प्रशासन को अनुदेश दें।

(श्री चन्द्रजीत यादव पीठासीन हुए)

मैं यह कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा कि असम की समस्या एक गंभीर समस्या है। स्वाधीनता के बाद भारत में हमें कभी भी ऐसे संकट और इस प्रकार की एक जटिल समस्या की चुनौती नहीं मिली है। जब देश की एकता का मामला सम्बन्धित हो तो उसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। जब अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि का मामला सम्बन्धित हो तो उसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। नागरिकता के मामले पर कोई दुविधा नहीं होना चाहिए। इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए क्योंकि राष्ट्रीय नेताओं ने लोगों को आश्वासन दिया था कि "पूर्व पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी आप रह रहे हैं, जब कभी भी खतरा हो आप भारत में आ सकते हैं, आपका पुनर्वास करना हमारा नैतिक दायित्व है।" किन्हीं परिस्थितियों में इन मामलों पर दुविधा नहीं होनी चाहिए। वास्तव में एक राष्ट्र महान तब महान बनता है यदि वह कुछ मूल सिद्धांतों पर मजबूती से टिका रहे। जब इन

सिद्धांतों को, जो जोड़ने वाले हैं, तिलांजलि दे दी जाती है तो उस राष्ट्र की नियति संकट में पड़ जाती है। मैं सभी राजनीतिक विचारधाराओं वाले समस्त लोगों को यह अनुरोध करता हूं : हमारे मतभेद हैं; लोकतन्त्र में मतभेद होंगे; हमारा कुछ मामलों पर थोड़ा सा आक्रमणशील रवैया हो सकता है लेकिन राष्ट्रीय एकता और लोकतन्त्र के मामले पर तथा अपने लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करने और इन्हें गारंटी प्रदान करने के मामले पर हमें एक होना चाहिए। मैं अनुरोध करता हूं और कांग्रेस (आई०) से आग्रह करता हूं कि यह एक ऐसा मामला नहीं है जिसमें संकुचित पक्षपात के हित में हानि न हो अपितु यह एक ऐसा मामला है जहां राष्ट्रीय हित और भारत की एकता की विजय हो।

सभापति महोदय : श्री राम जेठमलानी ने पहले भाषण देने के लिए अनुरोध किया गया है। उन्हें सायं 6 बजकर 20 मिनट पर अपनी विमान उड़ान लेनी है। अतः अब मैं उन्हें बुला रहा हूं। उसके बाद मैं इस पक्ष के कुछ सदस्यों को बुलाऊंगा।

श्री राम जेठमलानी : महोदय, मैं आपका तथा अपने सहयोगियों का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे बिना पारी के कुछ मिनट बोलने की अनुमति दी है।

जैसा कि प्रायः होता है बहुत से अन्य वाद-विवाद की भांति यह वाद-विवाद निरर्थक और इस पक्ष की ओर से कुछ निष्प्रभाविता के वातावरण में हुआ है लेकिन उस सामान्य बाधा के अतिरिक्त, जिससे हम इस सदन की इस पक्ष की ओर से सदैव पीड़ित रहे हैं, दो अथवा तीन अन्य बाधायें हैं जिसका मैं आज के वाद-विवाद में विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं।

सर्वप्रथम ज्ञानी जैलसिंह, जो दुर्भाग्यवश इस सभा में मौजूद नहीं हैं, की एक राजनीतिज्ञ के निजी और सार्वजनिक स्वरूप के प्रति अत्यन्त असामान्य और पूरी तरह से भ्रामक धारणा दिखाई देती है। किसी अन्य दिन मैंने कहा था कि सरकार कानून प्रवर्तन के मामले में असंवेदी थी और मैंने इस आरोप का साक्ष्य दिया था और उस आरोप को प्रस्तुत करने के बाद मैंने कहा था कि ज्ञानी जैलसिंह को त्याग-पत्र दे देना चाहिए। मैंने पाया था कि ज्ञानी जैलसिंह ने इसका विरोध किया था कि मैंने उन पर व्यक्तिगत हमला किया था।

आज प्रातः मैंने कहा था कि केरल के राज्यपाल, चाहे वह महिला कितनी भी विशिष्ट हो और क्या वह जनता सरकार द्वारा इस पद पर लाई गई थी अथवा नहीं, मंत्रालयों को बनाए रखने के मामले में उनके कार्य-निष्पादन का सार्वजनिक रिकार्ड, स्थगित संजीवता की स्थिति में विधानमंडल को रखना और वास्तव में इसे भंग करना, के दोहरे राजनीतिक मानदण्डों का पता लगता था। स्पष्ट रूप से मैं राजनीतिक स्वरूप की बात

कह रहा था और मैं किसी व्यक्ति के निजी स्वरूप की बात नहीं कर रहा था। मैं यहां पर इस समय स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं स्वयं को अपराधी मानता हूं और मुझे किसी बड़े अथवा छोटे राजनीतिज्ञ के निजी स्वरूप के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है अथवा इसके लिए मैं सक्षम नहीं हूं। राजनीतिज्ञों की बात तो छोड़ दीजिए मैं इस देश के गैर-राजनीतिज्ञ यहां तक कि छोटे नागरिकों के निजी स्वरूप पर टिप्पणी नहीं करूंगा। अपने निजी जीवन में अन्ततः हम ईश्वर के प्रति उत्तरदायी हैं और हम उस सर्वशक्तिमान और न कि अपने समकालिक व्यक्तियों, के निर्णय पर टिके हैं।

एक अन्य बाधा, जिसे मैं मानता हूं, विपक्ष के विचित्र स्वरूप द्वारा प्रस्तुत हुई है। ज्ञानी जैलसिंह और उनकी पार्टी हमारे पक्ष के लोगों को तोड़ने में बहुत प्रभावी ढंग से सफल हुए हैं जो वास्तव में सत्तारूढ़ दल की नीतियों का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। वे केवल तकनीकी रूप से विपक्ष में हैं लेकिन मूल रूप से उनका स्थान उस पक्ष में है। यही कारण है कि कभी कुछ सत्तारूढ़ दल के सदस्य हमारे पक्ष में हो जाते हैं और कभी विपक्ष के सदस्य सत्तारूढ़ दल में शामिल हो जाते हैं और यह हमेशा चलता रहता है। मेरे माननीय मित्र, श्री बनातवाला, यद्यपि उनका इस पक्ष में बैठने के लिए सदैव स्वागत है, तकनीकी रूप से केवल उस पक्ष की ओर हैं क्योंकि मैंने कभी नहीं पाया है कि उन्होंने सरकार की किसी कार्यवाही का विरोध किया हो। असम और केरल के मामले पर विशेष रूप से सत्तारूढ़ दल से मेरा अनुरोध है कि यदि वे देश की समस्याओं को हल करना चाहते हैं तो अपने अनैतिक संघों से अवश्य छुटकारा पायें, उन्हें प्रत्येक राजनीतिक पार्टी और इसके वास्तविक स्वरूप को समझना चाहिए और जब वे विपक्षी पार्टियों के वास्तविक स्वरूप को समझ लेंगे तो वे गम्भीर समस्याओं, जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है, का किसी प्रकार का हल ढूंढ सकेंगे।

मेरे विशिष्ट मित्र, प्रो० चक्रवर्ती का सरकार द्वारा चलाई जा रही घरेलू नीतियों के तरीके पर सत्तारूढ़ दल के साथ कुछ मतभेद है। लेकिन वह विदेशी मामलों के प्रश्न पर सत्तारूढ़ दल के भारी समर्थक हैं और जब विदेशी मामलों को समर्थन देना होता है तो वह प्रायः असम को विदेशी मामला मानते हैं और इसलिये अपनी सामान्य रूपरेखा के अनुरूप वह सत्तारूढ़ दल का समर्थन करते हैं···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : असम के विदेशियों का मामला।

श्री राम जेठमलानी : मैं उनसे और सत्तारूढ़ दल से अनुरोध करता हूं कि आप दोनों इन आसामी युवकों, इन युवा देश भक्तों आन्दोलनकर्ताओं और अलगाववादी के नाम से पुकारने की इस प्रवृत्ति को छोड़ दें। समस्या को हल करने का यह तरीका

नहीं है। इतिहास का मूल तथ्य यह है कि गत 30 वर्षों में इस देश के कानून और सविधान के विपरीत आपने सीमाओं को खुला छोड़ रखा है। कोई भी व्यक्ति इंकार नहीं कर सकता कि इस सरकार का प्राथमिक कर्तव्य था कि वह सीमाओं को बद कर दे और हमारे देश में गैर-कानूनी आप्रवासियों के आने को रोक दें। संविधान और कानून का उल्लंघन किया गया था। सीमा-क्षेत्र को असुरक्षित छोड़ दिया गया था। अतः सरकार गत 30 वर्षों में अपनी प्राथमिक ड्यूटी में असफल रही थी और आजकल सरकार का रवैया घमण्ड का नहीं होना चाहिए। इन युवकों के प्रति सरकार का रवैया विनम्रता का होना चाहिए क्योंकि उन्होंने आपकी मूर्खता—मैं इसे यही कहूंगा—से अवगत कराया है जो गत 30 वर्षों की अपराधिक मूर्खता है। उनके साथ आपको नम्रता से पेश आना चाहिए और उनके साथ न्याय करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि हमें खेद है कि ऐसा हो गया है। आओ अब हम साथ मिलकर बैठें, विचार करें और गत तीस वर्षों में जो गलतियां हो गई हैं, उन्हें ठीक करने के लिए कार्य करें।' लेकिन उनको भला-बुरा कहने से समस्या को आप वास्तविक रूप में नहीं समझ सकेंगे बल्कि वह समस्या के स्रोत को गलत ढंग से समझना होगा, इस समस्या की जिम्मेदारी वास्तव में जिस पर है, उस बात को गलत समझना होगा। जब तक इन बातों पर ठीक से विचार नहीं किया जाता तब तक ये समस्यायें सुलझने वाली नहीं हैं। इन समस्याओं का गत तीस सालों से समाधान नहीं किया गया है और मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान सरकार के कर्णधारों के जीवन-काल के दौरान इन समस्याओं का समाधान होगा भी नहीं।

कभी-कभी भावुकतापूर्ण अपीलें की जाती हैं। प्रोफेसर चक्रवर्ती ने कहा है 'आह, यह तो लोगों को उजाड़ना होगा।' महोदय यह एक तर्क मात्र है जो मैं वकील होने के नाते प्रायः अदालतों में सुनता रहता हूं। जब किसी आदमी को किसी गंभीर अपराध के लिए जेल भेज दिया जाता है तो उसकी ओर से प्रायः अपील की जाती है "आप उसके परिवार को उजाड़ रहे हैं और वह परिवार में अकेला ही कमाने वाला आदमी है" आदि, आदि। परन्तु देश में संविधान और कानूनों को लागू करते समय और देश की सीमाओं की रक्षा करते समय ऐसे भावुकतापूर्ण तर्कों का कोई महत्व नहीं होता। संविधान और कानूनों को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। जब संविधान और कानून के उल्लंघन का खतरा हो तब आप केवल उतनी ही दया दिखा सकते हैं जितनी की स्वयं संविधान या कानूनों में अनुमत है। हमारा कानून पहले से ही उदार है। हमारे कानूनों पर अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों का विशेष प्रभाव है। हमारा देश एक सभ्य देश है और हमने हाल ही में कुछ अन्तर्राष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन संधियों के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिस पर अपने देश में अत्याचार किया जा रहा हो, वास्तव में शरणार्थी होकर हमारे यहाँ

आकर शरण ले सकता है और उसे हम समर्थन और निर्वाह की सुविधा देंगे । हमारा कानून तो ऐसा है । लेकिन जिस दया की बात आप कर रहे हैं वह कानून की सीमाओं के अंतर्गत ही दिया जाना चाहिए । देश के कानूनों से बाहर जाकर नहीं । यदि संविधान और कानून लागू करते समय कुछ निर्दोष लोगों पर मुसीबत आती भी है तो उसे बर्दाश्त करना होगा । क्योंकि हम भावुकता के आधार पर देश के हितों की अवहेलना नहीं कर सकते और आसाम के मूल निवासियों के दीर्घावधि और अल्पावधि हितों को उन लोगों की खातिर बलि की वेदी पर नहीं चढ़ा सकते, जो लोग आसाम में राजनीतिक शरारत के कारण घुस आए हैं. जिनके आने से कुछ राजनीतिज्ञों और राजनीतिक दलों की चुनाव में संभावनायें बढ़ गई हैं, या जो स्वत: ही हमारे राज्य क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं । हमारे कानून तो इतने उदार हैं कि हमारे नागरिकता अधिनियम में यह व्यवस्था है कि जो व्यक्ति अपराध करके भी हमारे देश में घुस आए हैं, भारत-भूमि पर पैदा होने वाले उनके बच्चों को भारतीय नागरिकता स्वत: ही मिल जाती है । अत: इन लोगों की जो हमारे देश में इस प्रकार से घुस आए हैं उनके बच्चों को तो हमारे उदार और सभ्य कानूनों के अन्तर्गत बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी । मानवीयता के कुछ और सिद्धान्त भी हैं जिनका सहारा लिया जा सकता है । लेकिन इन सिद्धान्तों का सहारा उस समय लेना होगा जबकि आप इन लोगों की समस्याओं को, जिन्होंने नम्रतापूर्वक आपको आपके अपराधों से अवगत करा दिया है पहले सुलझा देंगे । पहले हम उन समस्याओं का समाधान निकालें जो हमारी बेवकूफी के कारण उत्पन्न हो गई हैं । यही एक तरीका है जिससे इस देश की समस्या, विशेष रूप से आसाम की समस्या को सुलझाया जा सकता है ।

जहाँ तक असम की वर्तमान स्थिति का सवाल है, राज्यपाल की सिफारिश से जिस पर राष्ट्रपति की उद्घोषणा आधारित होती है, सत्ताधारी दल और कुछ हद तक स्वयं राज्यपाल में चरित्र की कमी का आभास होता है । मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं यहाँ पर राजनैतिक चरित्र की बात कर रहा हूं किसी व्यक्ति विशेष के निजी चरित्र की बात नहीं । मैं तो श्री प्रकाश महरोत्रा को जानता तक नहीं हूं जो असम के राज्यपाल हैं । मैं तो उनके नाम का ठीक से उच्चारण भी नहीं कर पाता हूं । उनकी सिफारिश में लिखा है कि गत 4 वर्षों में अधिकांश विधान सभा सदस्यों ने कई बार अपने-अपने दल बदल लिए हैं। इस सम्बन्ध में मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं दल बदलने की यह एक बहुत ही अधम और अनैतिक प्रवृत्ति है । दल बदलने की इस प्रवृति का लाभ किसने उठाया है ? जैसाकि सिफारिश में कहा गया है सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के सदस्यों की संख्या लगभग बराबर है । चूंकि कुछ सदस्यों की दलगत निष्ठा स्थिर नहीं है इसलिए आप वहाँ पर अस्थिरता की यह स्थिति पाते हैं । ऐसी स्थिति में विधान सभा को तुरन्त ही भंग कर दिया जाना चाहिए । ऐसी स्थिति में आपको अस्थिरता के वातावरण का यथासम्भव

अधिक लाभ उठाने का प्रयास नहीं करना चाहिए । जब तक आपको इस प्रकार से दल-बदलु मिलते रहते हैं तब तक तो आप यह कहते रहते हैं कि राज्य सरकार संविधान के अनुरूप चल रही है परन्तु जैसे ही आपको दल बदलु मिलने बन्द हो जाते हैं या आपको आशंका होती है कि आपकी ओर से दल बदलकर दूसरे दलों में लोग मिलने वाले हैं तब आप यह कहना शुरू कर देते हैं कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही है । वस्तुतः बात यह है कि दल बदलुओं को खरीदना सत्ताधारी दल के खून और मांस में मिल गया है । केरल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, असम में इस रोग के लक्षण नजर आ रहे हैं यह आपकी अन्तर्रात्मा में रम गया है । जब राज्यपाल यह कहता है कि संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो उसका मतलब यह नहीं होता कि भारत का महान और उत्तम संविधान विफल हो गया है बल्कि उसका मतलब यह होता है कि आपके दल और आपके राजनीतिज्ञों का संगठन टूट गया है, जिनमें दल बदलुओं को खरीदने की प्रवृति ने बहुत गहरी जड़ जमा दी है ।

महोदय, मैं यह चाहता था कि श्री जैलसिंह इस समय यहाँ उपस्थित होते । पहले दिन उन्होंने मेरे पर एक व्यक्तिगत आक्षेप किया था । वह आक्षेप न केवल मुझ पर था बल्कि मेरे दल के कुछ अन्य नेताओं पर भी था । यह कहा गया था कि 1977 में जब जनता दल सत्ता में आया था तब कुछ साम्प्रदायिकतावादियों और साम्प्रदायिक ताकतों को देश में कुछ सम्मान मिल गया था । मैं इस आरोप का पूर्णतः खण्डन करता हूं । और मुझे आशा है कि कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति भविष्य में सभा में ऐसा आरोप नहीं लगाएगा । भारतीय जनता पार्टी जिसका मैं सदस्य हूं, अप्रैल 1980 में अस्थित्व में आई थी । मैं तो सोच रहा था कि कोई व्यक्ति इस दल के चुनाव घोषणा पत्र की चर्चा करेगा या इस बात की चर्चा करेगा कि 1980 से बाद के अपने अल्प-जीवन में इस दल ने क्या सफलता प्राप्त की है । क्या यह कहना बुद्धिमत्तापूर्ण है "आपके दल में कुछ लोग ऐसे हैं जो 25-30 साल पहले किसी ऐसे दल के सदस्य थे, जिसने एक, दो, तीन या चार लोगों ने कोई गलत कार्य किए थे' । क्या 40-50 साल पहले का इतिहास दोहराना उचित है ? मेरा तो विश्वास है कि हमें भविष्य की ओर देखना चाहिए । यह एकदम अनुचित है कि हम किसी राजनीतिक दल और उसकी उपलब्धियों का मूल्यांकन करते हुए उसके अतीत के इतिहास में झांके । क्या हमें ईसाई समुदाय, जिससे श्री स्टीफन सम्बन्धित हैं, का मूल्यांकन मध्य युग की घटनाओं के आधार पर करना चाहिए ? क्या इस देश में मुस्लिम भाइयों का मूल्यांकन हमें मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी और औरंगजेब के कारनामों के आधार पर करना चाहिए ? इन मामलों में हमें इतिहास में नहीं घुसना चाहिए । हमें तो प्रत्येक व्यक्ति का मूल्यांकन उसके वर्तमान चरित्र और कार्यों के आधार पर करना चाहिए । हम में और उन व्यक्तियों में जो अतीत काल में हमारे साथ थे उस समय एकता की भावना

थी । गांधी जी भी भारत की एकता और अखंडता में विश्वास रखते थे । उन लोगों ने भारत के विभाजन का विरोध किया था । यह दुर्भाग्य की बात है कि सत्ताधारी दल की विचारधारा अब ऐसी बन गई है कि उन्होंने उन लोगों को, जिन्होंने भारत मां का विभाजन किया और जो उसके बाद भी असम और अन्य स्थानों पर कुकृत्य करते रहे हैं, अपने दल के साथ मिला लिया है । सत्ताधारी दल के लिए वे सम्मानित व्यक्ति बन गए हैं । गैर-साम्प्रदायवादी बन गए हैं और धर्म निरपेक्ष बन गए हैं । दूसरी ओर जो लोग गांधी जी के विचारों से सहमत हैं और जो भारत की एकता और अखंडता में विश्वास रखते हैं तथा जिन्होंने भारत के विभाजन का कड़ा विरोध किया था उन्हें सत्ताधारी दल आज साम्प्रदायवादी बताकर प्रचार कर रहा है । यह एक झूठी धर्म-निरपेक्षता है । जिसकी वे अब तक चर्चा करते आ रहे हैं । जब तक आप इस नकली धर्म-निरपेक्षता को समाप्त नहीं करेंगे तब तक स्थिति में सुधार नहीं होगा । पहले किसी दिन प्रो० तिवारी ने सभी दलों के इतिहासिक, सामाजिक और राजनैतिक गतिविधियों का उल्लेख किया था । ऐतिहासिक तथ्य तो यह है कि सत्ताधारी दल ने सभी राष्ट्रवादी मुसलमानों को अपने दल से निकाल दिया था । मुस्लिम लीग का विभाजन हो गया था उसका एक भाग कांग्रेस से अलग हो गया और दूसरा उसमें रह गया था । वे सम्प्रदायवादी लोग ही आज धर्म निरपेक्ष कहलाए जा रहे हैं और वे आज भी अपने उसी लहजे में बात करते हैं क्योंकि वे भारत का पुन: विभाजन करना चाहते हैं । आज स्थिति यह है । मेरी पार्टी से आप घृणा करते हैं इसका कारण यह है कि हमारे दल से एक भी दल-बदलू आपकी ओर नहीं आया है । आप मेरे दल को इसलिए भी घृणा करते हैं कि वह आपकी नीतियों और कार्यों से सहमत नहीं होता है । कुछ आपके साथ 50 प्रतिशत या 75 प्रतिशत या 80 प्रतिशत हैं और कुछ 100 प्रतिशत भी हैं । चूंकि वे आपके साथ हैं इसलिए आपकी सहानुभूति उनकी ओर है । आप हमारे दल का विरोध पूरे जोर शोर से और अपनी पूरी शक्ति के साथ इसलिए करते हैं और इसलिए हमें बदनाम करते हैं कि आप जानते हैं कि भविष्य में यदि परिस्थिति ऐसी ही चलती रही तो हमारा दल ही आप लोगों से सत्ता अपने हाथ में लेगा ।

सभापति महोदय : मैं समझता था कि शेष मिनटों में आप असम के बारे में कुछ कहेंगे ।

श्री राम जेठमलानी : असम के बारे में मैं कह चुका हूं । असम की समस्या को हल करने का एक ही उपाय है और वह है संविधान और कानून को लागू करना । मैं गृह मन्त्री से जानना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में उन्होंने क्या किया है ? क्या उन्होंने सीमा को सील कर दिया है ? मेरी जानकारी के अनुसार (मेरी जानकारी विश्वसनीय है) आज

भी सीमा पर घुसपैठ जारी है। कुछ ऐसे सीमा क्षेत्र हैं जहाँ पाकिस्तान का झंडा आज भी फहरा रहा है। ये बातें ऐसी संस्थाओं ने बताई हैं जो जिम्मेदार हैं, निष्पक्ष हैं और गैर-राजनैतिक हैं। मैं जानता हूं कि मेरे मित्र इस बात से इन्कार करेंगे परन्तु इस संबंध में निजी, सीधा और विश्वसनीय साक्ष्य कौन देगा ? आप वहाँ जाइए और उन देश भक्तों के साथ बैठकर बातचीत कीजिए यह किसी व्यक्ति को उखाड़ फेंकने की बात नहीं है। यह कोई हिन्दू मुस्लिम समस्या नहीं है। यह तो वहाँ के अल्पसंख्यकों में से कुछ लोग हैं जिन्होंने असम समस्या को हिन्दू मुस्लिम समस्या में बदल दिया है हालांकि वह हिन्दू मुस्लिम समस्या न कभी थी और न है। यह तो एक ओर कानून और व्यवस्था की समस्या है तथा दूसरी ओर अराजकता की। किन्तु महोदय, श्री जैल सिंह की अन्य नीतियों और कार्यवाहियो से असम में अभी भी अव्यवस्था की स्थिति बनी हुई है तथा जब तक आप असम में अव्यवस्था की स्थिति को दूर करने का निश्चय नहीं करते तब तक असम का मसला हमारे लिए कैंसर की तरह दुखदायी साबत होता रहेगा। धन्यवाद !

श्री सन्तोष मोहन देव (सिल्चर) : मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं उनसे एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

सभापति महोदय : आपको उनका ध्यान आकर्षित करना होगा। वह जा रहे हैं। श्री पराशर।

श्री सन्तोष मोहन देव : उनके जाने से पूर्व मै उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं उनसे एक बात जानना चाहता हूं। वह मुझे छोड़ रहे हैं। मेरा एक प्रश्न है।

श्री राम जेठमलानी : मैं एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं।

सभापति महोदय : श्री जेठमलानी जी, मैंने श्री पराशर को बुलाया है।

श्री सन्तोष मोहन देव : आप उनको ऐसे ही क्यों संरक्षण दे रहे हैं। वह एक योग्य व्यक्ति हैं।

सभापति महोदय : श्री पराशर।

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : महोदय, मेरा ख्याल था कि अधम, असम के बजट और असम के लोगों के सम्बन्ध में वाद-विवाद हो रहा है। किन्तु यह वाद-विवाद एक राजनीतिक बहस बन सी गई है जो नहीं बननी चाहिए।

सबसे पहली बात तो यह है कि माननीय गृह मंत्री द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव के बारे में भिन्न-भिन्न राय व्यक्त की गई है। इसमें शक नहीं कि इससे पूर्व जिन दो सज्जनों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं वे हर प्रश्न से सहमत नहीं थे किन्तु वे इस बात से सहमत थे

कि यह प्रस्ताव यहाँ पर नहीं लाया जाना चाहिए था। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं लाया जाना चाहिए था ? जब राज्यपाल ने यह समझ लिया था कि सरकार नहीं चल सकती है तथा अन्य दल भी कोई मोर्चा तैयार करके स्थायी सरकार नहीं बना सकते हैं तो यह बात राज्यपाल के लिए संवैधानिक दृष्टि से अनिवार्य हो जाती है कि वह केन्द्रीय सरकार से राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करें। चाहे यह सुखद कार्य न हो किन्तु राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 356 के अनार्गत इसे करना जरूरी होता है। अतः राज्यपाल के लिए इसके अलावा कोई और चारा नहीं रह गया था।

मेरे मित्र राजनैतिकता की बात कर रहे थे। किन्तु मैं जानना चाहता हूं कि हजारिका सरकार को किस ने बनाया था ? जनता पार्टी की सरकार खत्म हुई तो लोकदल की सरकार सत्ता में आयी श्री हजारिका मुख्य मन्त्री बने। क्या यह लोकतन्त्र के लिए पहला धक्का नहीं था ? आप इधर-उधर की बात कैसे करते हैं ? आपको तो इस बात का स्वागत करना चाहिए कि अन्ततोगत्वा असम के राज्यपाल श्री प्रकाश महरौत्रा ने विधान सभा के विघान की सिफारिश कर दी। अब लोग विधान सभा के लिए अपने नुमायन्दे चुन सकते हैं।

ऐसा डर है कि शायद चुनाव न कराए जाएं। लेकिन तब की तब देखी जाएगी। आपको असम के लोगों और उनकी सूझबूझ पर सन्देह प्रतीत हो रहा है। मुझे तो कोई सन्देह नहीं है कि वचनबद्ध अवधि के भीतर चुनाव नहीं कराए जाएंगे। चुनाव अवश्य कराए जाएंगे, लोकतंत्र को फिर से बहाल किया जाएगा तथा राज्य विधान सभा के चुनाव अवश्य होंगे।

मैं असम के आन्दोलन के बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि मैं समझता हूं कि हमारी सरकार, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी कहती कि यह बहुत नरम सरकार है और सी० पी० एस० वाले कहते हैं कि यह बहुत सख्त सरकार है, मनमाने ढंग से तो कार्य कर नहीं रही है। हमारी सरकार ने सदा बातचीत करने का रास्ता अपनाया है। अब तक असम के नेताओं के साथ 18 बैठकें हो चुकी है तथा सरकार ने, श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा गृह मंत्री के नेतृत्व में, वहाँ के नेताओं के साथ आमने सामने बैठ कर बातचीत करने का तरीका अपनाया है। किन्तु फिर भी असम का आन्दोलन लम्बा खिचता जा रहा है। सरकार को मालूम है कि वह उनकी जिन मांगों को एक बैठक में मान लेती हैं वे दूसरी बैठक में उन्हें और कड़ी करके पेश कर देते हैं। हमें यह मालूम है कि इस आन्दोलन के दौरान 239 लोगों को जीवन से हाथ धोना पड़ा तथा 200 से अधिक बम विस्फोट की वारदातें हो चुकी हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी, ऊपर असम के कमिश्नर, श्री पार्थसाथी भी मारे गए हैं। ये सब बातें रिकार्ड में हैं। हम जानते हैं कि कितनी

परेशानी हो रही है किन्तु इसके बावजूद भी सरकार लोक मत जानने केलिए अवसर प्रदान कर रही हैं। वह चाहती है कि असम के लोग अपना भला बुरा समझें। असम के लोगों को समझना चाहिए कि उनका कौन मित्र है तथा कौन शत्रु। एक ओर तो कहा जाता है कि सरकार नरमी से काम लेती है तथा दूसरी ओर आप्रवास और घुसपैठ की बात उठाई जाती है। सरकार को ऐसे सभी रक्षा उपाय करने होते हैं जिनका आप्रवास अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत किया जाना अपेक्षित होता है। उनके लिए अधिनियम के अन्तर्गत देश की सीमा से पार लोगों को उपद्रव के भय या वास्तविक उपद्रव के कारण देश में आने वाले लोगों को बसाना अपेक्षित है। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की बात भी कही गई है। 1971 को आधार वर्ष मानने का फैसला हो चुका है। किन्तु उस फैसले से कौन पीछे हटा है ? भारत सरकार उस फैसले से पीछे नहीं हटी है किन्तु लोग अब आन्दोलन कर रहे हैं कि आधार वर्ष 1961 होना चाहिए या उससे भी पूर्व 1951 होना चाहिए। किन्तु उस स्थिति में क्या किया जाए। जब वर्ष 1951-52 की 22 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से 18 की निर्वाचन सूचियां ही उपलब्ध नहीं है ? अतः हम कैसे और किस रिकार्ड से इसकी जांच करें। अनेकानेक कठिनाइयां हैं तथा मैं हैरान हूं कि असम के साथ समझौता वार्ता कितने धैर्य और नम्रता से चलाई जा रही है। क्योंकि समझौता वार्ता चल रही है तथा प्रतिपक्षी दलों ने समझौता वार्ता को सफल बनाने के लिए अपना सहयोग देने का हाथ बढ़ाया है इस लिए मैं इस सम्बन्ध में कोई और कटु बात नहीं कहना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि यह मामला नम्रतापूर्वक सुलझ जाए। मैं चाहता हूं कि इस सदन के सभी दलों के लोग मिल कर बैठें तथा ऐसा रास्ता निकाले जिससे असम में लोकतांत्रिक ढंग से काम शुरू हो जाए और वहां पर विधान सभा के चुनाव कराए जाएं जिससे संसद का भी वहाँ के बजट को पास करने के अप्रिय कार्य से छुटकारा हो जाए।

एक यह भी आरोप लगाया गया है कि केन्द्रीय सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र की अवहेलना करती है। मैं इस आरोप का खण्डन करता हूं। यह बात मैं आंकड़े प्रस्तुत करके साबत करना चाहता हूं। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आरोप लगाने वालों ने आरोप को आंकड़े देकर सिद्ध करने का कष्ट नहीं किया है। यह बात केवल इसलिए कह दी गई है ताकि इस विषय पर चर्चा की जा सके। महोदय, छठी पंचवर्षीय योजना के लिए 1,115 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया हैं। इसके अलावा पहली बार श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रधान मन्त्री काल में केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों की एक समिति असम की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की जांच करने तथा वहां के अन्य मसलों को हल करने के लिए बनायी गयी है। यह देखने के लिए कि कहां पर तुरन्त सहायता की आवश्यकता है मन्त्री-मण्डलीय सचिव के सभापतित्व में अधिकारियों की एक समिति भी बनायी गयी है। मैं यह भी

बताना चाहूंगा कि पहाड़ी क्षेत्रों, आदिवासी क्षेत्रों, अनुसूचित जातियों आदि के लिए योजना में विशेष रूप से उपबन्ध किया गया है।

एक यह भी शिकायत की गई है कि आधारभूत ढांचे का अभाव है। किन्तु मैं बताना चाहता हूं कि सरकार इस दिशा में हर संभव उपाय कर रही है। गोहाटी और बोनगोइगांव के बीच 157 किलोमीटर रेल मार्ग को मीटर गेज में बदलने का कार्य शुरू हो गया है जिससे गोहाटी को दिल्ली से सीधा रेल द्वारा मिलाया जाएगा। यह कार्य 1982 में पूरा हो जाएगा। इसके अलावा योजना आयोग ने छह नई रेल लाइनों की मंजूरी और स्वीकृति दे दी है जिनमें से एक असम के विभिन्न क्षेत्रों को मिलायेगी तथा दूसरी डिब्रूगढ़ को गोहाटी से मिलायेंगी, जिस पर 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे। ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण से संबंधित एक और रेल परियोजना को भी मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। सरकार पर आरोप लगाने से पूर्व आरोप लगाने वालों को इन आधारभूत ढांचों की ओर ध्यान देना चाहिए था। आप देखें कि नई लाइनों के लिए कुल योजना परिव्यय तो 747 करोड़ रुपए का है जिसमें से असम की एक परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं जिसके अलावा उस क्षेत्र की और परियोजनाएं भी हैं तथा असम को नई दिल्ली से मिलाने वाली योजना भी है।

एक शिकायत यह भी की गई थी कि असम को विशेष सहायता नहीं दी गई है। यह बात मेरी समझ में नहीं आयी है कि शिकायत है कैसी ? असम आठ विशेष वर्ग के राज्यों में से एक है। दूसरे सात राज्य पहाड़ी राज्य हैं। असम ऐसा राज्य है जिसके कुल 7,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से अधिकांश क्षेत्र मैदानी हैं। इसके बावजूद भी असम को विशेष वर्ग के राज्य में शामिल कर लिया गया है और उसे विशेष सहायता दी गई है। 1982-83 की वार्षिक योजना में वार्षिक परिव्यय 238 करोड़ रुपए हैं जबकि गत वर्ष यह 210 करोड़ रुपए था। अतः इस वर्ष 28 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। वार्षिक योजना में 1981-82 में 159·10 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता को 1982-83 में बढ़ा कर 225·83 करोड़ रुपए कर दिया गया है। क्या फिर भी यह कहा जा सकता है कि असम से अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है ? क्या शेष देश के मुकाबले असम को नियमों का उल्लंघन करके सहायता नहीं प्रदान की जा रही है ? यह सिर्फ असम को विकास के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए किया जा रहा है।

इसी तरह से एक आरोप यह भी लगाया गया है कि असम में कच्चा माल सड़ रहा है। हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन ने जिन दो प्रमुख कागजों मिलों की स्वीकृति प्रदान की है वे दोनों असम में खोली जानी हैं। एक जोगी रोड में तथा दूसरी पंच ग्राम में खोली जाएगी। 300 करोड़ रुपए की पूंजी लागत से उस क्षेत्र में उपलब्ध बांस की लकड़ी और लुगदी की देख-रेख की जाएगी।

अब मैं पीने के पानी की समस्या के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस वर्ष अर्थात 1981-82 में आसाम में 4,500 गांवों, जिन्हें समस्याग्रस्त गांव समझा जाता है, पयजल की व्यवस्था की गई, जबकि गत 3,200 गांवों में पयजल की व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार इस वर्ष 5,900 गांवों में बिजली उपलब्ध की गई, जब गत वर्ष 4,500 गांवों में बिजली उपलब्ध की गई थी। मैं आंकड़ों के आधार पर यह सिद्ध कर सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार, पूर्वोत्तर परिषद जिसे योजना आयोग ने वहां के लिए गठित किया है, गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय ने आसाम की ओर अत्यधिक ध्यान दिया है। इसका यह अर्थ नहीं है कि हम उन पर एहसान कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र की सहायता करना हमारा कर्त्तव्य है और मैं आसाम बजट की सराहना करता हूं। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि केवल आंकड़ों में प्रावधान रखने से कुछ नहीं बनता। हमारा उद्देश्य वास्तविक कार्यान्वियन होना चाहिए ताकि हम वस्तुतः अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें।

स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्र कहा करते कि उनका स्वप्न है कि एक समय ऐसा होगा जब कोई व्यक्ति कोहिमा से रेलगाड़ी में बैठकर बिना किसी रुकावट के सीधा दिल्ली पहुंच सकेगा। वह कहा करते थे कि कोहिमा से दिल्ली तक सीधी बड़ी लाइन होगी। हम उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जबकि समूचा भारत दिल्ली से मिला हुआ होगा और हमारे आर्थिक विकास का लाभ, हमारी वित्तीय नीतियों का लाभ और हमारे प्रगतिवादी उपायों का लाभ न केवल आसाम को बल्कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों, उत्तर-पश्चिम के राज्यों और दक्षिण के राज्यों के दूर दराज गांवों तक पहुंचेगा।

समाज के सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के समय किसी भी सीमावर्ती राज्य की अवहेलना नहीं की जा सकती तथा मुझे इस बात की खुशी है कि इस बजट में न केवल आसाम के विकास की अपितु आसाम के तीव्र विकास की व्यवस्था की गई है। मैं कामना करता हूं कि केन्द्र के सभी मंत्रालय तथा राज्य और सभी सम्बन्धित अभिकरण आसाम के विकास की गति को तेज करने में सहयोग दें ताकि आसाम के लोग यह कह सकें कि हालांकि राज्य विधान सभा नहीं थी, फिर भी संसद सदस्यों ने, जो आसाम के नहीं थे, लोक सभा के सदस्यों ने, जो देश के विभिन्न भागों के थे, आसाम की सहायता की और आसाम की जनता के विकास के पक्ष में अपनी आवाज उठाई।

इन शब्दों के साथ में श्री जैलसिंह द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव का और इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री राजेश पायलट (भरतपुर) : सभापति महोदय मैंने माननीय सदस्यों के और विशेषकर उन माननीय सदस्यों के जो काफी अधिक फीस दिए जाने पर भी आसाम में किसी मामले की पैरवी करने के लिए वहां न्यायालयों में नहीं जाना चाहते भाषणों को

बड़ा ध्यानपूर्वक सुना है। परन्तु जब वे माननीय सदस्य संसद् में आते हैं तो आसाम के बारे में बढ़ चढ़कर बातें करते हैं। आप इन अधिवक्ताओं को अधिक से अधिक धन दे दीजिए फिर भी वे आसाम या वहाँ के छोटे न्यायालयों में जाने से इन्कार कर देते हैं और कहते हैं कि वे स्थान बहुत दूर हैं। परन्तु जब संसद् में आसाम का प्रश्न आता है तो आसाम के प्रति उनकी सहानुभूति उमड़ पड़ती है।

आसाम के बहादुर लोगों के बारे में बोलना मैं अपना सौभाग्य समझता हूं। आसाम के लोग समय पड़ने पर हमारे साथ रहे हैं तथा वे ऐसे समय हमारे साथ रहे हैं जबकि राष्ट्र की एकता को चुनौती दी गई थी। आसाम हमेशा हमारे साथ रहा और वहां के लोगों ने बड़े से बड़े बलिदान दिये हैं। मैं 1965 से 1975 के मध्य तक 10 वर्षों तक उस राज्य में रहा हूं और महसूस करता हूं कि आसाम की, विशेषतया पिछले साढ़े चार सालों में राजनैतिक अस्थिरता के कारण, कुछ हद तक अवहेलना की गई है। यह एक कारण है तथा और भी कारण हैं परन्तु राजनैतिक स्थिरता का न होना एक मुख्य कारण है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इससे पहले वहाँ क्या हुआ ?

श्री राजेश पायलट : इससे पहले, मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि जब 1965 में मैं वहां पहुंचा तो हालात बहुत ख़राब थे। इनमें धीरे-धीरे सुधार हुआ। उस समय जहां हम विमान द्वारा जाया करते थे अब वहाँ सड़क से जा सकते हैं। ऐसे उदाहरण हैं कि दस वर्ष पहले जिन स्थानों पर पहुंचना बहुत कठिन था वहाँ अब प्रगति हुई है। यह प्रगति देश के अन्य भागों में हुई प्रगति के बराबर तो नहीं है फिर भी कुछ प्रगति हुई है तथा मैं आपके इस कथन से पूर्णतः सहमत हूं कि उस राज्य में अन्य राज्यों के बराबर प्रगति नहीं हुई है। मै इस समस्या के राजनैतिक पहलुओं का उल्लेख नहीं करना चाहता क्योंकि राजनैतिक पहलुओं के बारे में पहले ही बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि श्री गोगोई दल बदलना चाहते तो उनकी सरकार कायम रह सकती थी और एक वर्ष या इससे कुछ अधिक समय तक यह अपनी सरकार चला सकते थे। परन्तु हम दल बदल नहीं चाहते और 57 सदस्यों की सूची दल बदल नहीं है। यह वही लोग हैं जिन्हें हमारी नीतियों में विश्वास है। दल बदल क्या है ? श्री जेठमलानी कहते हैं कि असली हम हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जब उन्होंने अपना दल बनाया था तो उसका असली नाम क्या था ? कुछ वर्ष पहले उसका असली नाम क्या था और अब क्या है ? ये वही लोग हैं जिन्होंने दल ही नहीं अपना नाम भी बदल लिया है और अब कहते हैं कि हम दल बदल में विश्वास नहीं करते। यदि वे वास्तविकता जानना चाहते हैं तो उन्हें श्री बलराज मधोक की बात

सुननी चाहिए। जब यह ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो अपने आप को जन संघी कहलाने से इन्कार कर देते हैं और कहते हैं कि हमें जनसंघी मत कहिए। यह हमारा दल नहीं है। वे महात्मा गांधी की बात करते हैं परन्तु मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनमें से कुछ दलों के कार्यालयों में महात्मा गांधी की तस्वीर नहीं है। मैं इनके कार्यालयों में गया हूं और मैंने देखा है कि वहां महात्मा गांधी की तस्वीर नहीं है। फिर भी वे आज महात्मा गांधी की दुहाई दे रहे हैं (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमें यह पता लग गया है कि आप हमारे कार्यालयों में भी जाते हैं (व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप हमारे कार्यालय में आइए। यही तो असली लोकतन्त्र है।

मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं, जो इस पिछड़े क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात बड़े उद्योगों के बारे में है। आसाम में तेल शोधनशालाओं के अतिरिक्त केवल एक बड़ा उद्योग स्थापित किया गया है। हाल में ही गौहाटी में एक औद्योगिक एस्टेट बनाई गई है। परन्तु उसमें काफी प्रगति नहीं हुई है। इस बात को ध्यान में रखना होगा। हमें वहां और अधिक भारी उद्योग स्थापित करने चाहिएं, ताकि रोजगार के अवसर पैदा हो सकें और लोग खुशहाल हो सकें।

दूसरी बात सड़कों के विकास और ग्रामों के विद्युतिकरण से सम्बन्धित है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है और मैं गृह मंत्री को बताना चाहता हूं कि इन दो मामलों में आसाम पिछड़ा हुआ है। श्री लास्कर आसाम से ही हैं। वह बेहतर जानते हैं। आसाम में सड़कें विशेषकर देहाती क्षेत्रों में, नहीं के बराबर हैं। विद्युतिकरण का कार्य चल रहा है, परन्तु इसमें तेजी लाने की आवश्यकता है।

तीसरी बात मैं ब्रह्मपुत्र पुल के बारे में कहना चाहता हूं। इस समय केवल एक यही पुल है, जो आसाम के बाकी देश के साथ जोड़ता है। सेवा के लिए तथा अन्य सभी कामों के लिए केवल एक यही पुल है। बाढ़ आने पर आसाम का सारे देश से सम्बन्ध टूट जाता है। तीस वर्षों में हम दूसरा पुल नहीं बना पाये हैं। क्या इसका कोई अन्य विकल्प है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र पर दूसरा पुल बनाया जाये, ताकि देश के दूसरे हिस्सों से उसका सम्पर्क बना रहे।

वहां बाढ़ बहुत आते हैं। बाढ़ों से आसाम में हमेशा तबाही मची रहती है। गत कितने ही वर्षों से ऐसा होता आ रहा है। जब ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आती है तो

डिब्रूगढ़, गोयलपाड़ा और गौहाटी, ये तीन जिले बहुत प्रभावित होते हैं। इस समस्या पर हमें गहनता से विचार करना चाहिए और इसका हल ढूंढना चाहिए। हर दूसरे वर्ष आसाम में बाढ़ों से तबाही मच जाती है और हमें काफी धन खर्च करना पड़ता है। परन्तु हम कोई ऐसा ठोस उपाय नहीं सोच पाए हैं, जो उस राज्य को इस तबाही से बचा सके।

अब मैं कृषि के बारे में कुछ कहूंगा। यदि आप अब आजादी के इतने वर्षों के बाद देश के किन्हीं अन्य भागों में जायें, तो आप को हर गांव में और हर जिले में कुछ ट्रक्टर अवश्य दिखाई देंगे और ज्ञात होगा कि किसान प्रगति कर रहे हैं। परन्तु आसाम में ऐसा नहीं है। परन्तु आसाम मे ऐसा नहीं है। वहां आज आजादी के 30 वर्ष बाद भी किसान पानी से भरे खेत में दो बैलों के साथ हल जोतता हुआ दिखाई देगा। क्या हम इस बारे में अधिक ध्यान नहीं दे सकते ? हमें कृषि का आधुनिकीकरण करने में उनकी प्रोत्साहित करना चाहिए। इस बात पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए। वहां की भूमि बहुत उपजाऊ है। अच्छी फसलें होती हैं। परन्तु हम अधिक प्रयास नहीं कर रहे हैं। किसानों को शिक्षित करना होगा, जैसाकि अन्य राज्य में किया गया है।

अगली बात शिक्षा से सम्बन्धित है। श्री के० सी० गोगोई की सरकार ने थोड़े से समय में शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय खोले हैं। परन्तु आसाम में शिक्षा की हमेशा अवहेलना की गई है। मैं नहीं जानता कि वहां कितने डिग्री कालेज हैं, परन्तु जहां तक मैं जानता हूं, वहां केवल दो मेडिकल कालेज हैं।

एक माननीय सदस्य : तीन।

श्री राजेश पायलट : तीसरा कौन सा है ? कोई बात नहीं, आप उत्तर के दौरान बता सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : डिब्रूगढ़, गौहाटी और सिल्चर।

श्री राजेश पायलट : सिल्चर में मेडिकल कालेज खुल गया है ? बहुत अच्छी बात है। फिर भी वहां इन्जीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज और औद्योगिक संस्थान स्थापित किए जाने चाहिएं ताकि लोग उनका लाभ उठा सकें और इन व्यवसायों में आ सकें।

अगली बात मैं पर्यटन के विकास के बारे में कहना चाहता हूं। आसाम पर्यटन के लिए एक बहुत अच्छा स्थान है तथा वहां इसके विकास की बहुत गुंजाइश है। हम पर्यटन का विकास कर सकते हैं और इससे पर्यटकों को लाभ होगा, राज्य को लाभ होगा तथा

राष्ट्र को लाभ होगा। जनता को लाभ होगा और लोगों को रोजगार मिल सकेगा तथा यह राष्ट्रीय हित में होगा। इसलिए हमें पर्यटन का विकास करना चाहिए।

मैं अंतिम बात आसाम में राजनैतिक दलों की भूमिका के बारे में कहना चाहता हूं। यदि सब राजनैतिक दल यह निर्णय कर लें कि वे वास्तविक समस्याओं का समर्थन करेंगे तो आसाम में आसाम समस्या नाम की कोई समस्या नहीं होगी। परन्तु केवल समस्या यही है जैसा कि मैं श्री अटल बिहारी राजपेयी से उनके भाषण के दौरान कह रहा था···(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपकी बात ठीक नहीं थी।

श्री राजेश पायलट : मैंने गोहाटी में आपका भाषण सुना था। आप कह रहे थे कि मैं लन्दन में हूं या चण्डीगढ़ में या राजस्थान में परन्तु मेरा हृदय गोहाटी में रहता है।···(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपको इसमें क्या आपत्ति है ? (व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि उनका हृदय वहाँ नहीं हो सकता। यदि वह खालिस्तान जाते हैं और यदि वह चण्डीगढ़ जाते हैं और यदि वह कहते हैं···(व्यवधान)

कंवारा होने के कारण उनके इतने हृदय हो सकते हैं, मैं इस बात से इन्कार नहीं कर सकता···(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप सोच-समझ कर अपनी बात कहिए।

श्री राजेश पायलट : मेरा कहने का अर्थ है कि उनके इतने अधिक हृदय हो सकते हैं। जब मैं कंवारा था तो मैं भी ऐसा ही था···(व्यवधान)

परन्तु राष्ट्रीय हित में यही है कि आपका केवल एक ही हृदय होना चाहिए।

महोदय, अब बात यह है कि चाहे हम इस ओर हों या उस ओर हमारा चिन्तन राष्ट्रीय हित होना चाहिए। ये सब दल 1977 से 1979 तक या कुछ और समय तक सत्ता में रहे हैं। आप रिकॉर्ड देख लीजिए। उनके दौरों के कार्यक्रम देख लीजिए। वे कितनी बार आसाम गये हैं ? जरा उनके कार्यक्रम चैक कर लीजिए। मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूं। परन्तु आप यह देखिए कि जब वे सत्ता में थे तो कितनी बार आसाम गये थे। परन्तु जब से वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई है हर दल ने आसाम जाने और वहां सार्वजनिक सभाओं को सम्बोधित करने का नियम सा बना लिया है। उन्हें आसाम के गांवों में अवश्य जाना

चाहिए और वहाँ के लोगों से बातचीत करनी चाहिए। परन्तु हमें राष्ट्रीय हित को ही सर्वोपरि रखना चाहिए। हमें वर्तमान स्थिति से राजनैतिक लाभ नहीं उठाना चाहिए। आपके माध्यम से मैं सभा से और सभा के माध्यम से सब राजनैतिक दलों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें आसाम समस्या को एक राष्ट्रीय समस्या समझना चाहिए और इस पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। ऐसा करके ही हम इस समस्या को हल कर सकते हैं।

हाल में मैं कुछ समय के लिए आसाम में रहा हूं। मैंने वहाँ देखा कि वहाँ के लोगों की कोई समस्या नहीं है। प्रो० चक्रवर्ती ने कहा है कि समस्या वहां के सरकारी कर्मचारियों की पैदा की हुई है। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने ये तथ्य किस आधार पर निकाला है। मुझे ज्ञात हुआ है कि वहाँ न तो अधिकारी और न ही वहां की जनता कोई गड़बड़ी पैदा कर रही है। केवल हम ही हैं जो यह मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। वे यहां आते हैं और हम कुछ निष्कर्ष निकाल लेते हैं। अगले दिन कुछ नयी शर्तें पैदा हो जाती हैं। हम इन्सान हैं, और कभी-कभी गलतियाँ हो सकती हैं। इसलिए मैं सब राजनैतिक दलों से निवेदन करता हूं कि उन्हें आसाम की समस्या को राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए हल करने का प्रयास करना चाहिए और इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।

आज मैंने उस आवश्यक विषय का ज्ञान प्राप्त किया जिसके बारे में मैं पिछले दो वर्ष के संसदीय जीवन में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका। श्री जेठमलानी ने बताया कि निजी जीवन के लिए इस परमात्मा के प्रति उत्तरदायी है परन्तु राजनीतिक चरित्र का उन्होंने उल्लेख नहीं किया। जब तक हम यह नहीं समझते कि अपने राजनीतिक आचरण के लिए भी हम परमात्मा के प्रति उत्तरदायी हैं, हमारा देश कभी प्रगति नहीं कर पाएगा। यदि आप यही मानने लग जायेंगे कि व्यक्तिगत चरित्र के लिए तो हम प्रभु के प्रति उत्तरदायी हैं, परन्तु राजनीतिक आचरणों के लिए नहीं तो जनता के राजनैतिक आचरण में सुधार नहीं होगा। राजनीतिक क्रिया-कलापों के मामले में भी हमें परमात्मा को साक्षी समझना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम राष्ट्र के लिए तथा मानवता के हित में सही कार्य करें। यह एक बात है जिसका उन्होंने अत्यन्त स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है।

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती : अपने सभी आचरणों के लिए हम जनता के प्रति उत्तरदायी हैं।

श्री राजेश पाइलट : मैं परमात्मा को सर्वोच्च मानता हूं।

अंत में, मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मुझे खेद है कि असम के लोगों के लिए

यह अत्यन्त दुर्भाग्य पूर्ण बात थी कि श्री के० सी० गोगोई की सरकार स्थिर नहीं रह पाई। पिछले कुछ महीनों से वह जनता के लिए कुछ भलाई के कार्य कर रही थी। (व्यवधान)

इस समय मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूं कि जो भी बजट वे अनुमोदित करें उसमें वे मेरी कही गई बातों को ध्यान में रखें तथा असम की ओर विशेष ध्यान दें। उन्हें देश की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि वे ऐसा अनुभव करें कि वे हमारे साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं तथा यह भी समझें कि वे लोग राष्ट्र का अभिन्न अंग हैं।

सभापति महोदय : इसके लिए तीन घंटे की अवधि निर्धारित की गई है। मैं देख रहा हूं कि सदस्यगण उचित समय ही ले रहे हैं। इस प्रकार हम इसे शीघ्र समाप्त कर सकते हैं।

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती : यदि आप इसे शीघ्र पारित करना चाहते हैं, तो सदस्यों को भूखा रखिए।

श्री रवीन्द्र वर्मा (बंबई उत्तर) : यह पहला अवसर नहीं है कि मेरे मित्र गृह मंत्री महोदय असम विधान सभा से सम्बन्धित प्रस्ताव को सभा के समक्ष ला रहे हैं। यदि मुझे ठीक याद है, तो यह कार्य वह पांचवीं बार कर रहे हैं। पिछली बार उन्होंने राष्ट्रपति द्वारा विधान सभा को निलम्बित स्थिति में रख कर राज्य के प्रशासन को राष्ट्रपति के अधिकार में लिए जाने की कार्यवाही पर सभा का अनुमोदन मांगा था। आज, श्रीमान, वह राज्य विधान सभा को भंग करके उसके प्रशासन को अधिकार में लिए जाने की कार्यवाही पर सभा की स्वीकृति चाहते हैं। यह परिवर्तन स्पष्टत: असम राज्य की बदली हुई स्थिति के अनुभवों के आधार पर है। बार-बार किए गए परीक्षणों से उन्हें इस बात का विश्वास हो गया है कि इस विधान सभा के बने रहते उनकी पार्टी को बहुमत प्राप्त करने की संभावना नहीं है।

श्रीमान, मैं अपने मित्र गृह मंत्री महोदय पर यह आरोप नहीं लगा सकता कि किसी भी समय असम विधान सभा के प्रति उनका रवैया लाभदायक रहा है। वह मतदाताओं को ऐसी विधान-सभा चुनने के लिए जिसमें उनकी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं है, कभी क्षमा नहीं कर सकते। इस मौलिक अपराध के लिए वह कभी उन्हें क्षमा नहीं कर सकते, यदि उनकी चलती तो वह यही कहते कि इस विधान सभा का जन्म ही पापपूर्ण है अत: इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। फिर यदि बात को उन्हीं पर छोड़ा जाये तो वह किसी व्यक्ति को पदच्युत करने के स्थान पर उसके सुधार का यत्न करेंगे और इस मामले में भी उन्होंने इसी सिफारिश से आरम्भ किया कि विधान सभा को स्थगित रखा

जाए। परन्तु अब उन्होंने दो कारणों से विधान सभा को भंग करने की सिफारिश की है—एक तो काँफर होने का अपराध तथा दूसरे समय पर कलमा न सीखने जिसके द्वारा आत्मा को सर्वनाश से बचाया जा सकता है, के अपराध के कारण मृत्यु दण्ड दिए जाने योग्य समझा है।

ईस्ट इंडिया कम्पनी के दिनों में लार्ड डलहोजी ने "राज्य-अपहरण नीति" रूपि चातुर्य पूर्ण सिद्धान्त का आविष्कार किया। भारत में प्रभुसत्ता के नये दावेदारों ने उस सिद्धान्त को नया रूप प्रदान किया—तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नये उपकरण रचे—भारी पैमाने पर दल बदल तथा विधान सभा को भंग करने के उपकरणों का निर्माण किया। यह परस्पर पृथक-पृथक नहीं है अपितु एक दूसरे पर निर्भर हैं। दल-बदल लाने के लिए विधान सभा भंग करने की धमकी उपयोग में लायी जा सकती है, तथा दल-बदलू को अस्थिरता पैदा करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है ताकि विधान सभा को भंग किया जा सके। शासक दल के दर्शन की कहानी अब न केवल दल-बदल को मंजूरी देती है अपितु देश भर में विदित है कि यह दल-बदल पर निर्भर करती है। सभा में बोलने वाले सदस्यों ने हरियाणा का उल्लेख किया जहाँ पर भारी दल-बदल हुए। कर्नाटक में शासक दल की संख्या 45 से बढ़कर 146 हो गई और असम में जहाँ पर कि मतदाताओं ने उक्त दल को 7 स्थान दिये, परन्तु दल-बदल का उपयोग करके वे 7 से 45 बन गये।

श्रीमन्, आसाम राज्य में बहुमत को सरकार बनाने से रोकने के लिए शासक दल ने जो जोड़ तोड़ किए वे इस सरकार के इतिहास में अत्यन्त भद्दा अध्याय रहेगा तथा इस सरकार का संविधान पर सबसे बड़ा आघात है। वे अल्पमत में थे तब भी वे शासन करना चाहते थे। उनके साथ बहुमत नहीं था परन्तु वे नहीं चाहते थे कि बहुमत शासन करे। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुच्छेद 336 का दुरुपयोग किया गया, राज्यपाल के पद की पवित्रता का हनन एवं उसके अधिकार का दुरुपयोग किया गया। असम के मामले में दोहरे मानदण्ड पूर्णता विरोधी मानदण्ड अपनाए गए। मैं जानता हूं कि सभा में बहुत से सदस्य भारत के तथा अन्य देशों के संवैधानिक इतिहास के छात्र हैं। मैं समझता हूं कि यदि कोई व्यक्ति असम के उदाहरण से बेहतर उदाहरण पेश कर सके तो ऐसा व्यक्ति नोबल पुरस्कार पाने का पात्र है। राज्यपाल ने दोहरे मानदण्ड अपनाये। वास्तव में शायद शासक दल ने ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जो दोहरे मानदण्ड अपनाए। जब विपक्षी दलों का अवसर आया तब राज्यपाल ने ऐसी अस्थिर शर्तें लगाईं जिनका कि कोई अन्य उदाहरण नहीं है और जब उन शर्तों को पूरा कर दिया गया तब वह टाल मटोल एवं षड्यन्त्र की चेष्टा करने लगे तथा छोटे-छोटे हाथ के कर्तव्य दिखाने लगे, जहाँ तक कि

उन्होंने विपक्ष से मिलना तक बन्द कर दिया। नवम्बर में जब विपक्ष ने दावा किया कि उन्हें सभा में पूर्ण बहुमत का समर्थन प्राप्त है, तो उन्होने विशिष्ट शर्तें लगाईं। मैं नहीं जानता कि क्या मैं उनकी प्रशंसा करूं अथवा निन्दा करूं। उन्होंने विपक्ष के नेता को लिखे गए 30 नवम्बर के पत्र में कुछ शर्तें लगायीं जोकि वह समझते हैं कि उनके द्वारा सरकार बनाए जाने से पूर्व पूरी की जानी चाहिए। वह चाहते थे उनका एक साझा नेता हो, एक साझा कार्यक्रम हो। कुछ सीमा तक यह उचित हो सकता है—कि एक नेता हो। तब जब इन पार्टियों ने एक साझा नेता चुन लिया तथा एक साझा 12 सूत्रीय कार्यक्रम स्वीकार कर लिया तथा उसके बाद राज्यपाल को लिखा कि हमने आपके द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा कर लिया है, हमें सरकार बनाने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि गठजोड़ के सभी घटकों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र, कि उन्हें नेता चुना गया है" आवश्यक है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा हस्ताक्षरित वक्तव्य कि क्या वह सरकार में शामिल होंगे अथवा बाहर रहकर इसे समर्थन देंगे, भी आवश्यक है। इन्होंने इस तरह के साक्षी मांगे, एक-एक हस्ताक्षरित वक्तव्य जिसमें निहित हो कि नेता स्वीकार्य है। एक अन्य वक्तव्य प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से कि वह मंत्रालय में शामिल होंगे तथा तीसरे स्वतन्त्र विधायकों तथा क्षेत्रीय पार्टियों के विधायकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित वक्तव्य। जब वामपक्षीय लोकतंत्रीय गठबंधन ने इन शर्तों को पूरा कर दिया तो उन्होंने उक्त उच्च पद की प्रतिष्ठा के कतई विरुद्ध तंग करने वाली नीतियों को अपनाया। विपक्ष को सरकार बनाने में बाधा पैदा करने के लिए बहुत से हथकंडे उपयोग में लाए गए। इससे हमें उस काऊंटर क्लर्क की स्थिति की याद आती है जो कुछ नोटों को छिपा कर यह करने की चेष्टा करता है कि कुछ नोट कम हैं, तथा ऊपरी तौर पर बार-बार नोटों की गिनती करता है, वे जांच का प्रयत्न करते हैं, जांच का दावा करते हैं, परन्तु कांग्रेस (ई) को समर्थन देते हैं। वह आरोप लगाता है कि कुछ सदस्यों ने जिन्होंने वामपंथी लोकतंत्री गठबन्धन के संयुक्त पत्र पर हस्ताक्षर किए होते हैं, उन्होंने राज्यपाल को व्यक्तिगत रूप से पृथक पत्र लिखे हैं जिसमें उन्होंने अपना समर्थन वापस लिया है। विधान सभा के तीन माननीय सदस्यों को उन्हें लिखना पड़ा। समयाभाव के कारण मैं प्रत्येक के पत्र नहीं पढ़ना चाहता। एक पत्र में कहा गया है :

> "मैंने आपको गठबन्धन से समर्थन वापस लेनें के बारे में कोई पत्र नहीं लिखा।"

अब दूसरे सदस्य ने 4 जनवरी को लिखा :

> "मैं जनता पार्टी का सदस्य हूं। मैंने गठबन्धन से अपना समर्थन वापस लेने के बारे में कोई पत्र नहीं लिखा।"

एक तीसरे सदस्य श्री बोरा ने 4 जनवरी को लिखा :

"मैं गठबन्धन को दृढ़ता से अपना समर्थन देता हूं।"

यदि राज्यपाल यह आरोप लगाता है कि किसी सदस्य ने उन्हें व्यक्तिगत पत्र लिखा है तथा उक्त सदस्य उन्हें लिखता है "कि मैंने आपको कभी ऐसा नहीं कहा। तब वह नम्रता से कह देंगे कि वह मिथ्या भाषण कर रहा है। फिर भी यह एक मिथ्या वक्तव्य है, इनसे यह प्रकट हो जाता है कि राज्यपाल किन हितों को बढ़ावा दे रहे थे। दूसरे राज्यपाल ने नाम गिनने से इन्कार कर दिया। इससे पी० डी० एफ० के नेता श्री प्रेमधर बोहरा के छिछोरेपन का पता लगता है। किस आधार पर ? इसलिए कि उन्होंने राज्यपाल को लिखे पत्र में प्रगतिशील लोकतंत्री मोर्चे की ओर से हस्ताक्षर किए थे। नेता तथा कार्यक्रम को स्वीकार करते हुए उसके हस्ताक्षर पत्र में हैं। इसलिए उन्होंने पृथक रूप से व्यक्तिगत पत्र नहीं लिखा। इसलिए उसका नाम सम्मिलित नहीं किया गया। राज्यपाल ने न केवल लोगों पर अपना कांग्रेस (ई) के प्रति झुकाव प्रकट किया अपितु कांग्रेस (ई) के लिए समर्थन की मांग भी की।

विधान सभा के एक सदस्य श्री कागयुंग ने 4 जनवरी को राज्यपाल को लिखा :

"मैं आपके इस प्रश्न की क्या मैं श्री के० सी० गोगोई को समर्थन दूंगा, के दिए गये नाकारात्मक उत्तर की और पुष्टि करता हूं।"

यह माननीय सदस्य द्वारा राज्यपाल को लिखा एक पत्र है।...(**व्यवधान**) लेकिन आप इसका खण्डन क्यों नहीं करते ? राज्यपाल में सदस्य को यह पूछने का साहस होना चाहिए कि यदि श्री गोगई नेता चुने गए तो क्या आप कांग्रेस (ई) का समर्थन करेंगे। आप जानते हैं कि श्री गोगोई को एक सप्ताह बाद 11 जनवरी को चुना गया था। 4 जनवरी को, राज्यपाल ने सदस्यों, जो अभी जनता पार्टी ही में थे, से कहा कि क्या आप कांग्रेस (ई) का समर्थन करेंगे यदि जो गोगोई को नेता चुना गया ? मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री इसका खण्डन करें। यदि राज्यपाल ऐसे काम करते हैं तो राज्यपाल द्वारा किए जाने वाले कामों का प्रमाण देने की क्या कोई और आवश्यकता है। वह न केवल एक दल को सत्ता में लाना चाहते थे, वह न केवल विपक्ष को सरकार बनाने के अधिकार से वंचित करना चाहते थे, जब वह बहुमत में थे : वह न केवल एक विशेष दल का समर्थन चाहते थे, बल्कि वह उस दल के एक विशेष ग्रुप के लिए समर्थन सम्बन्धी प्रचार चाहते थे। यदि राज्यपाल इतना नीचे उतर आए और यदि वह अपने उच्च पद से सम्बद्ध जिम्मेवारियों को

भूल जाता है··· (व्यवधान), तो मैं नहीं जानता कि वे जिम्मेवारियां, संविधान द्वारा प्रदान की गयी जिम्मेवारियों से अधिक ऊंची हैं।

राज्यपाल ने दूसरा काम यह किया है। राज्यपाल को एस० यू० सी० आई० ने सूचित किया था कि वे गठबंधन के लिए अपना समर्थन सम्बन्धी निर्णय पहली दिसम्बर को लेंगे। लेकिन 30 नवम्बर को, जब पत्र का इंतजार किए बिना उन्होंने वामपंथी प्रजातांत्रिक गठबंधन को लिखा कि मैंने आपको पर्याप्त समय दिया है। उन्होंने कभी भी समय नहीं दिया है और न ही कोई चेतावनी दी है। फिर भी वह कह रहे थे कि काफी समय दिया गया और आपके सदस्यों की संख्या निर्धारित संख्या से कम थी। और पहली दिसम्बर को जैसे कि एस० यू० सी० आई० ने वचन दिया था, उसके अनुसार उसने वामपंथी प्रजातंत्रीय गठबंधन के दावे को समर्थन देने सम्बन्धी एक पत्र लिखा जब सारी मांगें पूरी की जा चुकी थी और राज्यपाल के पास यह सिद्ध करने सम्बन्धी गवाह पेश किए गए थे कि 119 में से 65 गठबंधन का समर्थन करते हैं, एक विचित्र बात हुई। वह प्रजातंत्रीय गठबंधन के नेताओं को यह कह कर गोहाटी से आए कि वे उन्हें 10 जनवरी को मिल सकते हैं। उनसे सम्पर्क स्थापित नहीं हो सकता था। उनसे सम्पर्क स्थापित नहीं हो सका। वे वहां से ओझल हो गए। मैं इस शब्द को इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि उन्होंने समाप्त होने वाली चाल चली। वे भूमिगत हुए। उनका पता नहीं लगाया जा सका। राजभवन ने कहा कि कोई नहीं जानता कि वे कहां हैं।

श्री राजेश पायलट : मेरे विचार में वे राष्ट्रपति का स्वागत करने गये होंगे।

श्री रवीन्द्र वर्मा : यदि ऐसा है तो मैं नहीं जानता। यदि ऐसा होता तो इस बारे में कोई समाचार प्रकाशित हो जाता। राष्ट्रपति असम के एक गुप्त दौरे पर नहीं गए थे। यदि वह वहां गए होते तो राजभक्त प्रजातंत्रीय गठबंधन के नेताओं को बताता कि राज्यपाल राष्ट्रपति का स्वागत करने गए हैं, किसी रात्रि मिलने के लिए नहीं क्योंकि राष्ट्रपति नहीं कोई और ऐसे रात्रि दृश्य देखते हैं (व्यवधान)। और वह 13 जनवरी को सर्कट हाउस में उस समय नेताओं से मिले जब राज्य भवन में श्री केशवचन्द्र गगोई के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां हो रही थीं। उस बारे में मेरे दिल में श्री गगोई तथा किसी अन्य के विरुद्ध कोई भी बात नहीं है। लेकिन उस दिन 62 अथवा 65 के दावे को अस्वीकार करना जब श्री गगोई को सत्तारूढ़ किया जा रहा था, ऐसी बात है जिसे नजरंदाज नहीं किया जा सकता जब 11 जनवरी को श्रीमती अनवर तैमूर ने त्याग पत्र दिया था तो उस दिन श्री गगोई को नेता चुना गया था। जब श्री गगोई को नेता चुना गया था तो कांग्रेस (ई) के 4 सदस्यों ने पार्टी से त्याग पत्र दिया जिससे पार्टी की संख्या कम हो गई।

अब मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं : ये शर्तें राज्यपाल ने कहां लगाई थीं ? क्या

उन्होंने गगोई को उन्हें यह तसल्ली दिलाने के लिए कहा था कि उनका विधान सभा में बहुमत है ? वह जानते थे कि पहले कांग्रेस (इ) ने 44 अथवा 45 का दावा किया था और जब 4 छोड़ गए तो यह संख्या घटकर 40 अथवा 41 हो गई जिसमें 34 दलबदलु थे। क्या उन्होंने श्री गगोई को अन्य सदस्यों के समर्थन सम्बन्धी बयान पेश करने के लिए कहा था ? क्या उन्होंने श्री गगोई से, जबकि उनके पास केवल 40 अथवा 41 सदस्य थे, पूछा कि अन्य 24 कहाँ से आयेंगे ? वे निर्दलीय अथवा अन्य दलों के थे। क्या उन्होंने श्री गगोई से अन्य दलों के समर्थन सम्बन्धी पत्रों तथा उन्हें नेता मानने वाले अन्य सदस्यों के बारे में कहा था ? क्या उन्होंने पूछा कि इस समूह का आम कार्यक्रम क्या होगा ? नहीं। उन्होंने नहीं पूछा। क्यों ? यदि उनका केवल एक समान मानक होता तो क्या वह इन सब बातों के बारे में न पूछते ?

जब हम इस पत्र की ओर से दोहरे मानदंड की बात करते हैं तो उस पक्ष के कुछ माननीय महानुभाव और शायद गृह मन्त्री स्वयं—उस समय वे स्वयं शायद दोहरी दृष्टि से ग्रस्त होंगे—ने कहा था कि उन्हें मालूम नहीं कि दोहरा मानदंड क्या होता है। यदि यह दोहरा मानदंड नहीं तो मैं जानना चाहता हूं कि दोहरा मानदंड क्या होता है ? न ही यह पहला अवसर हैं। ऐसा पहले भी हो चुका है। आसाम के राज्यपाल संविधान का उल्लंघन करने के आदी रहे हैं। जब श्रीमती तैमूर को सत्ता में लाया गया तो क्या हुआ था ? क्या उन्हें अन्य सदस्यों के समर्थन सम्बन्धी व्यक्तिगत पत्र पेश करने के लिए कहा गया था ? क्या उन्हें आप कार्यक्रम दिखाने के लिए कहा गया था ? नहीं। जब कभी भी कांग्रेस (ई) दावा करती है, यद्यपि वे अल्पमत में हों, यद्यपि यह धारणा पैदा करने के लिए कोई साक्ष्य न रहा हो कि उनका बहुमत है, फिर भी उन्हें सरकार बनाने के लिए कहा जाएगा क्यों ? क्योंकि वे कांग्रेस (इ) के हैं, क्योंकि वे कलम का उच्चारण नहीं कर सकते। अतः वे मन्त्रीमंडल का गठन करने के अधिकारी हैं, संविधान के कारण नहीं लोगों द्वारा चुने जाने के कारण नहीं, विधान सभा में बहुमत होने के कारण नहीं बल्कि इस कारण कि उनका यहाँ दिल्ली में कोई है जो उन्हें सहारा दे सकता है और जो उन्हें सत्ता में ला सकता है और जो अन्य लोगों को सत्ता में लाने से रोक सकता है। क्या हुआ ? राज्यपाल ने प्रजातंत्रीय गठबंधन को 30 नवम्बर को एक पत्र लिखा था, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूं :

> "25 नवम्बर को हमारी वार्ता के दौरान, मैंने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि मैं अल्प संख्यक सरकार बनाने की अनुमति नहीं दूंगा।"

उन्होंने प्रजातांत्रिक गठबंधन को यही लिखा था। अब तक प्रस्तुत पत्र के आधार पर, गठबंधन के बहुमत सम्बन्धी दावे की पुष्टि नहीं हुई है। तो फिर किस तर्क,

संविधान के प्रति की निष्ठा के आधार पर माननीय महानुभाव ने श्री गगोई को मंत्रीमंडल का गठन करने की अनुमति दी है ? क्या यह दोहरे मानदंड के आधार पर नहीं है ?

राज्यपाल के पद का दुरुपयोग, दलबदल, बहुमत को अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने, कांग्रेस (इ) के लिए बहुमत की सांठगांठ करने तथा कांग्रेस (इ) के किसी विशेष वर्ग का प्रचार करने के लिए किया जाता आ रहा है। मैं इसे निर्णय की त्रुटि नहीं कह सकता। साक्ष्य होने पर ही निर्णय में त्रुटि हो सकती है। जब साक्ष्य यह है कि यह विश्वास करने के लिए कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं कि बहुमत है और यदि आप बार-बार निर्णय की इस पुकार की त्रुटियाँ करते रहें तो यह निर्णय की त्रुटि नहीं रहती। इसी कारण मैंने उन्हें संविधान का उल्लंघन करने का आदी कहा है।

मैं जानता हूं कि कांग्रेस पार्टी राज्यपाल के पद का दुरुपयोग करने में नौसिखिया नहीं है। मैं पिछले इतिहास की चर्चा नहीं करना चाहता। राजस्थान में क्या हुआ ? वहाँ के मेरे माननीय सदस्य उस बात को याद करेंगे मैं उस समय स्वयं भी उस दल में था। लेकिन लगता है कि निर्लज्जता अब पराकाष्ठा पर पहुंच गई है।

अन्तर्रात्मा की आशंका, सावधानी तथा खेद का अब कोई मेल नहीं है। अन्तरात्मा नए दल का आधार तथा रोशनी होती थी। इसके फलस्वरूप राज्यपाल ने स्थिति का मूल्यांकन किया और श्री गगोई को हरे कमरे में परिधान पहनाया और उन्हें धक्का देकर ऐसे बीच में धकेला जहाँ से उनके हाथ समर्थन के लिए बाहर नहीं पहुंच सकते थे। और फिर आढ़नी फिर कीचड़ में गिर गई, श्री गगोई के पैरों पर, यही कुछ हुआ था। 63 विधायकों ने ऐसी परिस्थितियों में राज्यपाल को बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया था।

राज्यपाल ने विधान सभा में विश्वास प्रस्ताव से पहले त्याग पत्र देने वाले मन्त्री मण्डल की सलाह के अनुसार काम किया था। जब अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करने का प्रश्न उत्पन्न हुआ तो 119 में से 61 सदस्य, अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए खड़े हुए थे। यदि 119 में से 61 बहुमत नहीं हैं तो किसी गणित के विद्वान को कहना चाहिए कि उस सभा में बहुमत कितना होगा। यह भी पहली बार नहीं हुआ था।

अब मैं अपने मित्र श्री संतोष मोहनदेव के प्रश्न पर आता हूं। अनवर तैमूर के शासनकाल की असम विधान सभा ने लेखानुदान पारित नहीं किए। जो मंत्रीमंडल लेखानुदान पास नहीं कर सके और राज्यपाल के अभिभाषण प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सका, उसने राज्यपाल को विधान सभा का सत्रावसान करने की सलाह दी ताकि राजकोष से व्यय करने सम्बन्धी अध्यादेश जारी किया जा सके।

सरकार ने मन्त्रीमंडल की सलाह को स्वीकार किया। यह स्पष्ट है कि इस मंत्री-मंडल को सभा का विश्वास प्राप्त नहीं था और अध्यादेश जारी किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि कौन कहेगा कि यह एक शर्मनाक तथा अभूतपूर्व बात नहीं है।

श्री गगोई के मन्त्री मंडल ने दूसरी बार सिद्ध किया है कि इसे सभा का विश्वास प्राप्त नहीं है और दूसरी बार केबिनेट की सिफारिश पर, जिसे विधान सभा का विश्वास प्राप्त नहीं था, राज्यपाल ने विधान सभा को भंग करने की सिफारिश की। यह स्पष्ट है। जब तक आप कांग्रेस (इ) में न हों, उस समय तक आप मंत्रीमंडल नहीं बना सकते। आपको बहुमत में होने का कोई लाभ नहीं है। बात बहुमत होने की नहीं है।

श्री राजेश पायलट : श्री चरणसिंह भी अल्पमत में थे जब उन्होंने राष्ट्रपति से लोक सभा भंग करने की सिफारिश की थी। आपकी पार्टी की सरकार की पार्टियों में से एक थी।

एक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं, हमने इसका विरोध किया था।

श्री रवीन्द्र वर्मा : आपको हर बात का पता रहता है और मुझे खेद है कि आपने ऐसा कहा है। हमने राष्ट्रपति द्वारा इस सभा को भंग करने का विरोध एक ऐसे मंत्री-मंडल की सलाह पर किया था जिसने इस सभा का सामना नहीं किया था।

सभापति महोदय : आपकी पार्टी, एक पार्टी नहीं थी।

श्री राजेश पाइलट : आप अपनी पार्टी को नहीं बदल सकते।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैंने कभी भी अपनी पार्टी नहीं बदली। जनता पार्टी उसमें शरीक नहीं थी।

सभापति महोदय : क्या यह एक पार्टी नहीं थी ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : नहीं।

सभापति महोदय : यह ठीक है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : आप श्री चरणसिंह को सत्ता में लाये और जब आपने अपना समर्थन वापिस लिया तो श्री चरणसिंह अपना सामान बटोर कर घर चले गए।

श्री राजेश पाइलट : यह मेरे लिए एक शिक्षा है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : अतः राज्यपाल की कार्यवाही प्रजातंत्रीय सिद्धान्तों के विरुद्ध ही नहीं थी बल्कि राज्य की स्वायत्तता तथा लोगों के अपनी इच्छानुसार विधान सभा

निर्वाचित करने, अपनी इच्छा की सरकार बनाने के अधिकारों के लिए भी एक चुनौती थी।

अब मैं बजट के विषय में कुछ शब्द कहूंगा। मैं जानता हूं कि यह राज्य का नियमित बजट नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य की विधान सभा पिछले दो वर्षों में नियमित बजट पर चर्चा नहीं कर सकी। मेरे विद्वान मित्र प्रो० नारायण चन्द पराशर द्वारा इस बजट की अत्यधिक प्रशंसा किए जाने पर मैं आश्चर्यचकित हूं। मेरे अच्छे मित्र, माननीय वित्त मन्त्री, श्री प्रणब मुखर्जी इस समय यहाँ नहीं हैं। अन्यथा, मुझे विश्वास है कि वह काफी लज्जित होते क्योंकि उन्हें लेखानुदान और नियमित बजट के अन्तर की जानकारी है। परन्तु मेरे मित्र प्रो० नारायण चन्द पाराशर ने सोचा कि उन्हें लेखानुदान को एक नियमित बजट मानकर इसकी प्रशंसा करनी चाहिए।

[श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए]

उनको लेखानुदान को एक नियमित बजट मानकर प्रशंसा करते समय जो प्रसन्नता हुई है उन्हें उससे वंचित नहीं करूंगा।

महोदय, यहां पर बोलने वाले प्रत्येक सदस्य ने कहा, इस देश में असम पिछड़े हुए राज्यों में से एक राज्य है। मैं अपने युवा मित्र श्री राजेश पाइलट के विचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ था, जब उन्होंने राज्य की समस्याओं के विषय में बात की थी। उन्होंने राज्य की कुछ प्रमुख समस्याओं का उल्लेख किया जिनसे राज्य पीड़ित है—बार-बार बाढ़ आना, भूमि क्षरण समस्या की गम्भीरता उग्र ब्रह्मपुत्र की प्रकृति जिससे नदी को नियंत्रित करना बहुत कठिन है, अधिक प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, प्राकृतिक संसाधनों की पन बिजली संभाव्यता, कोयला, तेल और अन्य किस्में, परन्तु कृषि और उद्योग के विकास के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का अभाव, संचार तंत्र की कमी, यातायात के संबंध में शेष भारत से सम्पर्क रखने की कमी; श्री पायलट सहित मेरे अनेक मित्रों ने इन समस्याओं का विशेष उल्लेख किया हैं। इस समय इन सब पर विस्तार से बात करना संभव नहीं है क्योंकि बजट में इनका विस्तार से उल्लेख नहीं किया गया है। वास्तव में, यह बजट नहीं है, यह केवल लेखानुदान है। परन्तु कुछ अन्य बातें मैं कहना चाहता हूं और मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा।

मैं यह कहूंगा कि मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। यदि चुनाव एक वर्ष की अवधि के भीतर होने नहीं जा रहे हैं, तो मेरे मित्र श्री प्रणब मुखर्जी राज्य की समस्याओं की कल्पना और जानकारी के साथ और अपनी गतिशीलता के साथ सभा में असम राज्य का एक उपयुक्त बजट प्रस्तुत करें।

मैं नहीं समझता कि ऐसा संभव होगा; मैं नहीं कह सकता कि चुनाव नजदीक ही हैं। इसलिए, मैं समझता हूं कि राज्य के विकास को बढ़ाने के संदर्भ में एक उपयुक्त और भली-भांति तैयार किया गया बजट सभा में प्रस्तुत करने का दायित्व उन्हीं का है। यदि वे ऐसा करते हैं तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा।

कुछ और बातें हैं जिनका मुझे उल्लेख करना है····

सभापति महोदय: मुझे आशा है आप अपना भाषण समाप्त करने की चेष्टा करेंगे।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं दो या तीन मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दूंगा।

आंदोलन का उल्लेख किया गया था। मैं आंदोलन के विषय में कुछ नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि इस समय इस पर बातचीत चल रही है। बातचीत असफल नहीं हुई है। उन्होंने अभी बातचीत समाप्त नहीं की है। उन्होंने बातचीत को ही समस्या का समाधान ढूंढ़ने का एकमात्र साधन माना है। इसलिए, मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता हूं जिससे बातचीत में कोई उलझाव आए। मैं चाहता हूं कि यह बातचीत सफल हो। यह हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। यह हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है कि यह समस्या बातचीत के माध्यम से सुलझ जाए और शीघ्रता से सुलझ जाए।

जहां तक सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का संबंध है, मेरा सुझाव है कि अब समय आ गया है कि वे उसे ठीक करने के मार्गोपायों पर विचार करें।

यहां पर मैं चाहूंगा कि वित्त मन्त्री एक विशिष्ट समस्या पर विशेष रूप से ध्यान दें।

सरकार ने विश्वविद्यालयों और सहायता प्राप्त कालेजों को सहायतानुदान नहीं दिया है। इससे प्रोफेसरों को काफी परेशानी हो रही है, कालेज के अध्यापकों को तीन महीने से वेतन नहीं मिला है। मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा यदि वह इस पर ध्यान दें।

फिर, जैसाकि मेरे मित्र, श्री उन्नीकृष्णन ने केरल के बजट के बारे में कहा था, मैं देखता हूं कि अनुपूरक मांगों में पुलिस के लिए 8 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इसमें एक फुटनोट है कि इसमें से इन पुलिस कर्मियों को भी वेतन दिया जाएगा, जिन्हें आंदोलन के दौरान राज्य में तैनात किया गया था। लेखानुदान में, पुन: पुलिस लेखे के लिए 479 करोड़ रुपयों में से लगभग 20 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया

गया है। असम में आठ पुलिस महानिरीक्षक हैं, जो किसी भी अन्य राज्य की तुलना में अधिक हैं।

कुछ अन्य समस्याएं भी हैं, परन्तु आपके संकेत को ध्यान में रखते हुए मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं केवल इतना कहूंगा कि मुझे आशा है गृह मंत्रालय और वित्त मन्त्रालय राज्य के विकास के विषय में सोचने को अपना विशेष उत्तरदायित्व समझेंगे और उद्योग के विकास, रोजगार और बाढ़ की अधिकांश रूप से चिरस्थाई समस्या, भू-क्षरण जैसी समस्याओं, जिनका मैंने उल्लेख किया है, से निपटने के लिए आर्थिक या अन्य प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत करेंगे।

श्री सन्तोष मोहन देव : असम के निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में उद्घोषणा और बजट का समर्थन करने में मुझे खेद है। परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि हम सहायता नहीं कर सकते हैं।

उद्घोषणा और बजट पर बात करने से पहले, मैं यह कहूंगा कि श्री जेठमलानी, जो विमान का समय होने का बहाना बनाकर सभा से चले गए हैं, ने सत्तारूढ़ दल पर कतिपय गम्भीर आरोप लगाए थे और उनके दल पर प्रो० तिवारी के आरोप का उल्लेख किया था और (प्रो० तिवारी से) प्रश्न किया था कि वह दलों के इतिहास पर क्यों जाना चाहते हैं। मुझे उनसे सहानुभूति है। निसन्देह, वह दल जो पिछली शताब्दी में जनमें महानतम नेता, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मृत्यु के लिए उत्तरदायी हैं, नहीं चाहेगा कि कोई भी व्यक्ति उस दल के पिछले इतिहास के महत्व को कम करे। यदि हमारे दल का कोई सदस्य उनके दल के इतिहास के विषय में बात करने का प्रयास करता है तो नि:सन्देह आपको शर्म आएगी।

श्री वर्मा ने उस स्थिति का वर्णन कियाजि सके कारण राष्ट्रपति शासन की घोषणा करनी पड़ी और स्थिति यहाँ तक आ पहुंची। परन्तु 1977 के बाद, यदि आप असम का इतिहास देखें, एक विधान सभा बनी और श्री वर्मा आसानी से यह भूल गए कि जनता शासन काल में सरकार बनी थी और वह भी बिना पूर्व बहुमत के। वे असम में एकल बहुमत में थे। राज्यपाल श्री एल०पी० सिंह ने उन्हें वामपंथी दलों जैसे सी०पी०आई०, सी०पी०आई० (एम०), एस०यू०सी०आई० और आर०सी०पी०आई० की सहायता से असम में सरकार बनाने की अनुमति दे दी थी। उसके बाद जब यह दल अकेला पड़ गया और उनके दल में से दल बदल हो गई, तो एक नए दल का गठन किया गया, जिसका नाम असम जनता पार्टी रखा गया और फिर राज्यपाल ने एक और सरकार बनाने की अनुमति दे दी थी और श्री जे०एन० हजारिका सी०पी०आई० और सी०पी०आई० (एम०) की सहायता से मुख्य मन्त्री बन गए थे। जब श्रीमती तैमूर सत्ता में आई, तो

सी०पी०आई० और सी०पी०आई० (एम०) ने पुनः अपना समर्थन दिया। परन्तु, दुर्भाग्यवश, तीनों अवसरों पर सी०पी०आई० और सी०पी०आई० (एम०) ने किसी न किसी बहाने नाजुक स्थिति में अपना समर्थन वापस ले लिया। वामपंथी दलों की भूमिका के मुकाबले में असम की राजनीति का इतिहास यह रहा है। क्योंकि वे असम में राजनीतिक हलचल से राजनीतिक लाभ उठाना चाहते थे। इसके परिणामस्वरूप, इस बार राज्यपाल ने स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित कर लिया था कि युनाइटिड लैफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा चुने गए नेता के साथ केवल तीन विधायक श्री सरतचन्द्र सिन्हा, श्री गजन साती और श्री कलिता थे। शेष अन्य सभी सदस्य सी०पी०आई०, सी०पी०आई० (एम०), जनता और एस०यू०सी०आई० के थे। जैसाकि ठीक संकेत किया गया था, कम से कम 9 विधायकों ने मुख्य मन्त्री पद के विभिन्न दावेदारों के खाली पत्रों पर हस्ताक्षर किए थे और मुख्य मन्त्री पद के दावेदारों ने विश्वासपूर्वक अपने पत्र राज्यपाल को दे दिए थे। जब वे श्री 'क' के समर्थन में एक पत्र दे रहे हैं तो उन्हीं विधायकों का दूसरा पत्र अगले दिन श्री 'ख' के समर्थन में था। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। प्रधान मन्त्री ने भी कहा था हमारे दल के एक सदस्य पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता है, वह दल छोड़ देता है और विपक्ष में शामिल हो जाता है तो वह ईमानदार बन जाता है। जब श्री गोगोई को नेता चुना गया था तो अचानक हमारे दल के चार विधायकों ने दल बदल लिया और यूनाइटिड लेफ्ट फ्रन्ट पार्टी में शामिल हो गए, जिनमें से एक तैमूर सरकार में आपूर्ति मन्त्री था और जिसके विरुद्ध असम विधान सभा में भ्रष्टाचार का गम्भीर आरोप था और अध्यक्ष ने आरोप की जाँच करने के लिए एक समिति का गठन किया था। वह समिति सभी राजनीतिक दलों की माँग पर अध्यक्ष द्वारा गठित की गई थी। मैं गृह मन्त्री और वित्त मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि उस विशिष्ट जांच का क्या हुआ। महोदय, आरोप यह है कि काँग्रेस दल बदल को बढ़ावा देती हैं। उन चार सदस्यों ने, जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, अगले दिन उस सरकार को अपना समर्थन देते हुए राज्यपाल को पत्र लिखा था जिसका श्री वर्मा समर्थन करना चाहते थे। परन्तु श्री वर्मा यहाँ पर एक बात बड़ी आसानी से भूल गए। चालू सत्र के दौरान, विधान सभा भंग होने का कारण क्या था? 18 सदस्यों ने अपने दल के नेता को एक पत्र लिखा कि वे श्री सरतचंद्र सिन्हा को अपना नेता स्वीकार नहीं करते हैं, वे श्री गोलाब गोरबोरा को अपना नेता स्वीकार करते हैं। उस पत्र की एक प्रति अध्यक्ष महोदय को भी भेजी गई थी। इन परिस्थितियों में राज्यपाल क्या कर सकता है? वह असम में और हलचल पैदा नहीं कर सकता है। स्वाभाविक ही है, कि मेरे सहित प्रत्येक को चिन्ता है कि असम का क्या होगा। संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति शासन एक वर्ष तक लागू रह सकता है। मैं आंदोलनकारी कार्यक्रम आदि पर बात नहीं करना चाहता हूं। मैं कुछ सदस्यों की इस धारणा से सहमत नहीं हूं कि असम में कोई चुनाव नहीं हो

सकता है। हमारे दल ने कभी नहीं कहा कि उस राज्य में पृथकतावादी आन्दोलन के लिए ए०ए०एस०यू० और ए०ए०जी०एस०ए० उत्तरदायी हैं। श्री जेठमलानी और श्री वर्मा ने उन लड़कों को गतिरोध पैदा करने के लिए उकसाने का प्रयत्न किया था। हम ऐसा कभी नहीं कहते हैं। असम में कुछ वर्ग कुछ प्रकार की गड़बड़ी पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं जैसे रेलों का चलाया जाना, लोगों की हत्या करना जिनमें एक सरकारी अधिकारी—श्री पार्थसारथी, कुछ मेडीकल इन्जीनियरी के छात्र, आयल इण्डिया के वैज्ञानिक शामिल हैं। महोदय, समस्या को कैसे सुलझाया जा सकता है जबकि यहां सभी सदस्य कहते हैं कि असम में कोई चुनाव नहीं हो सकता है? मैं इस मामले पर उनसे सहमत नहीं हूं। जब वे ऐसा कहते हैं तो वे वहां के लड़कों को उकसाते हैं।

मेरा अपना एक सुझाव है। इसके विषय में मैंने अपने दल के नेता से परामर्श नहीं किया है। मैं अपना प्रस्ताव अपनी तरफ से दे रहा हूं। जब यह आंदोलन चल रहा है और इतना लम्बा चल रहा है और हमने 15 बार बातचीत की है और अगले माह की 7 तारीख को हम फिर बात करने जा रहे हैं। उस समय तक, असम के लोग ए०ए०एस०यू० और ए०ए०जी०एस०ए० के विचार जान गए होंगे और सभी राजनीतिक दलों और राष्ट्रीय दलों के विचार भी जान गए होंगे। इसके आधार पर हमारी प्रधान मन्त्री ने यह मान लिया है कि विदेशियों का पता लगाने, उन्हें बाहर निकालने के लिए 1971 को आधार वर्ष माना जाना चाहिए। गोगोई सरकार ने पहले ही कुछ काम शुरू कर दिया है। यह काम चलता रहना चाहिए और छह महीने में समाप्त हो जाना चाहिए। यदि ए०ए०एस०यू० और ए०ए०जी०एस०ए० अपने मनपसंद राजनीतिक दलों बी०जे०पी०, जनता को अपना समर्थन देते हैं तो 1971 को आधार वर्ष मानकर असम में चुनाव होने दीजिए।

हमें आसाम के लोगों के पास जाकर उनके विचार जानने दीजिए कि क्या हम ठीक हैं या वे ठीक हैं अथवा असम गण-संग्राम परिषद या अखिल आसाम छात्र संघ ठीक था। महोदय, यदि राष्ट्रपति का चुनाव 1971 की मतदाता सूची के आधार पर किया जा सकता है, जिससे कि विधान सभा के ये सदस्य निर्वाचित किए गए थे, तब उस आधार पर उनका निर्वाचन क्यों नहीं किया जा सकता।

मैं अखिल आसाम छात्र संघ तथा अखिल आसाम गणसंग्राम परिषद तथा अन्य दलों को भी यही सुझाव दूंगा। श्री वर्मा ए० ए० एस० यू० के बहुत अच्छे परामर्शदाता हैं। अपनी पिछली बैठक में उन्होंने उन लोगों को कुछ सुझाव दिए थे। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इस सुझाव को प्रस्तुत करें तथा एक गोल मेज सम्मेलन का आयोजन करें तथा हमें चुनाव कराने चाहिए और लोगों को यह

निर्णय लेने देना चाहिए कि क्या आपके विचार ठीक हैं अथवा कांग्रेस दल के विचार ठीक है।

अब मैं अपने सहयोगी श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती की बात करता हूं, उन्होंने कहा कि हमारे दल ने किसी बैठक मे भाग नहीं लिया। लेकिन, वह एकदम गलत कह रहे हैं। जिला कांग्रेस दल तथा मण्डल कांग्रेस वहाँ काम कर रहे हैं। वे विभिन्न सार्वजनिक बैठकों का आयोजन करते रहे हैं। मैंने स्वयं आसाम में कई बैठकों और विभिन्न सम्मेलनों में भाग लिया है। यूथ कांग्रेस ने भी अपना सम्मेलन किया था। अत: मैं कहता हूं कि यह कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के ही लोगों का एकाधिकार नहीं है। महोदय केवल हमारा दल ही ऐसा नहीं है जिसकी आसाम में बैठकें हो रही हैं। श्री वाजपेयी भी वहाँ गए तथा उन्होंने गोहाटी में कई बैठकें कीं। श्री वर्मा भी वहाँ गए तथा उन्होंने कई बैठकों को सम्बोधित किया। लेकिन इन बैठकों में वे क्या कह रहे हैं—मैं उसे यहाँ कहना नहीं चाहता क्योंकि उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी।

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती : आपके दल के लोग आंदोलन कर रहे हैं।

श्री संतोष मोहन देव : हमारा दल आंदोलन के पक्ष में नहीं है, वे आंदोलन का विरोध कर रहे हैं। मैं केवल इतना कह सकता हूं। आपके कई सदस्य आंदोलन में भाग ले रहे हैं। जब राज्यपाल भाषण देने के लिए आए थे, तब आपके विधान सभा के सदस्यों ने सदन में शोर किया तथा एक सीमा तक ए० ए० एस० यू० के तथा अन्य लोगों के दृष्टिकोण का समर्थन किया था। आप आसाम विधानसभा का कार्यवाही-वृत्तान्त देख सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। मैं इस पर चर्चा करना नहीं चाहता। आप इसका अत्यधिक राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। स्वाभाविक है कि इसके लिए आप प्रयत्न करेंगे। आप प्रयत्न इसलिए करते हैं क्योंकि आप् त्रिपुरा में हैं, पश्चिम बंगाल में हैं। अब आप आसाम में भी आना चाहते हैं। आप प्रयत्न कर रहे हैं। आप वहाँ केवल दंगा करके उसका कुछ लाभ उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम इसे भविष्य में देखेंगे।

जहाँ तक गोगोई मंत्रालय का संबंध है, मैं यह कहूंगा कि उन्होंने अच्छी शुरूआत की। वे आंदोलन करने वाले नेताओं तथा अन्य लोगों के प्रति एकदम ठीक रुख अपना रहे थे। उन्होंने कई कर्मचारियों को पुन: काम पर लगाया। लेकिन उन्होंने एक काम किया। उन्होंने विदेशियों की पहचान 1971 से आरम्भ की, लेकिन 1971 के लिए जो प्रपत्र दिया गया था—मैं गृह मन्त्री से निवेदन करता हूं कि वह यह जांच करें कि क्या वह प्रपत्र केन्द्रीय सरकार के विचार-विमर्श से बनाया गया था। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं आंदोलन पर विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि 7 अप्रैल को बातचीत होनी है। मैं

बजट के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करना चाहता हूं। पिछले चार अवसरों पर मैंने बजट पर भाषण दिया है। लेकिन उस समय वित्त मन्त्री कोई और थे। अब हमारे वित्त मन्त्री नए हैं जिन्हें आसाम की जानकारी है। मुझे यह देखकर बड़ा दुःख होता है कि हम जो भी सुझाव देते हैं, उसको कार्यान्वित नहीं किया जाता। जब कभी हम कहते हैं कि ये बातें आवश्यक हैं, तब केन्द्रीय सरकार कहती है कि हम वहाँ अधिकारियों तथा सलाहकारों से मिलें। लेकिन कम से कम मैं किसी प्रादेशिक समस्या की बात नहीं कर रहा हूं। फिर भी, मैं वित्त मन्त्री से एक बात जानना चाहता हूं। जब बहुत से सदस्य काफी देर तक जोर-जोर से चिल्ला ते रहे थे तब उन्होंने बड़ी सहृदयता से केरल के सदस्यों के लिए कुछ घोषणा की थी, लेकिन इस मामले में केवल मैं ही एकमात्र सदस्य हूं, मैं उस सीमा तक नहीं चिल्ला सकता। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि पेट्रोल पर हमारी रायल्टी का क्या हुआ ? कई बार इस सदन में यह कहा गया है कि गुजरात और आसाम के लिए पेट्रोल की रायल्टी बढ़ा दी जाएगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि वर्तमान स्थिति क्या है ? क्या मैं जान सकता हूं कि ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड ने अपना काम शुरू कर दिया है या नहीं ? यदि उसने काम करना शुरू नहीं किया तो वह कब और कैसे काम शुरू करने जा रहा है ? महोदय, मैं यह बात वर्तमान वित्त मन्त्री से जानना चाहता हूं जिन्होंने कि वाणिज्य मन्त्री के रूप मे अपनी हैसियत में चाय उद्योग के लोगों तथा उनके हितों के बारे में दिल्ली में एक बैठक का आयोजन किया। तथा वहाँ उन्होंने राज्य सरकारों को कार्यवाही करने का सुझाव दिया ताकि चाय उद्योग की कुछ समस्याओं का समाधान किया जा सके। अब वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू है। मैं नहीं जानता कि वहाँ चुनाव कब होंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि आसाम सरकार द्वारा इस बारे में कारवाही की जा रही है ? मैं मन्त्री महोदय से भी यह जानना चाहता हूं। पिछले बजट में आसाम में 1400 कि०मी० तक के रास्ते को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया था। लेकिन दुर्भाग्य से शिलांग से सिलचर तक का राजमार्ग बहुत खराब स्थिति में है। मैं जानना चाहता हूं कि वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसे ठीक करने में कितना समय लगेगा ? मैं मंत्री महोदय से एक बात और जानना चाहता हूं। 20 सूत्री कार्यक्रम में यह कहा गया है कि जल समस्याग्रस्त गांवों में पानी पहुचाया जाना चाहिए। तीन दिन पहले अपने अतारांकित प्रश्न में, जिसका उत्तर निर्माण और आवास मंत्री ने दिया था, मैंने कुछ सूचना मांगी थी तथा मन्त्री महोदय ने यह बताया कि आसाम के 2900 गांवों में से 2300 गांव में पानी की व्यवस्था नहीं है। यदि यह सच है, तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इन गांवों में पानी की व्यवस्था करने के लिए क्या उपाय कर रही है ? मेरे सहयोगी श्री राजेश पायलट ने बिलकुल ठीक ही कहा है कि आसाम में बहुत कम पौलीटेकनिक्स इंजीनियरिंग, मैडिकल तथा अन्य शिक्षण संस्थान है और उन्हें भी अब आंदोलन संस्थान

बना दिया गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस बजट में आसाम में शिक्षा के लिए बहुत कम राशि का प्रावधान किया गया है। इसीलिए किसी संस्थान का उचित रूप से विकास करना बहुत कठिन है।

गोहाटी विश्वविद्यालय तथा डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय बहुत खराब स्थिति में हैं, प्राथमिक विद्यालय तथा हाई स्कूल भी खराब हालत में हैं। वहाँ हायर सेकेंडरी शिक्षा की पूरी सुविधाएँ नहीं हैं। जब गोगोई मंत्रालय सत्ता में आया, उन्होंने आश्वासन दिया कि सैंकड़ों स्कूलों को हायर सेकेंडरी स्तर तक का बनाया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से, मुझे यह पता चला है कि हाल ही में, यह निर्णय लिया गया है कि उनका स्तर न बढ़ाया जाए, और उन्हें अधिकार में ले लिया जाए। यदि यह सच है तो यह बहुत बुरी बात होगी। इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

चूंकि यह केवल लेखानुदान बजट ही है, अतः मैं बहुत बातों की चर्चा नहीं करना चाहता हूं। आसाम में पांच नगरों को एक करोड़ की केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना के अधीन संमन्वित विकास कार्यक्रम में शामिल किया गया है। दो साल बीत चुकने के बाद भी आज तक राज्य सरकार द्वारा नगर बोर्डों को एक भी पैसा नहीं दिया गया है। केन्द्रीय सरकार ने उन्हें पैसा दिया है। मैं वित्त मन्त्री से यह जानना चाहता हूं, क्या इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। धन के अभाव में इन सभी नगरों का विकास नहीं किया जा सकेगा। मैं निवेदन करता हूं कि बात जांच की जानी चाहिए।

अंत में, मैं यह कहना चाहता हूं कि राज्यपाल और सलाहकारों ने लोगों के कल्याण के लिए पहले बहुत ही अच्छा काम किया है। यद्यपि, अब हमारे सलाहकार नए हैं, मुझे आशा है कि वे आसाम के लोगों के हितों पर विचार करेंगे तथा अपना कार्य करेंगे। मैं वर्तमान राज्यपाल, श्री प्रकाश महरोत्रा को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आसाम में बहुत काम किया है। और मुझे आशा है कि उनके नेतृत्व में आसाम हर तरह से आगे बढ़ेगा तथा लोग तब तक निर्वाचित सरकार की कमी को अधिक महसूस नहीं करेंगे जब तक कि वह सत्ता नहीं संभालती।

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : सभापति महोदय, आज असम में राष्ट्रपति शासन लागू है और वहां की विधान सभा को भंग कर दिया गया है। पिछले दिसम्बर में जब असम की अनुपूरक मांगों का सवाल आया था उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि असम विधान सभा को भंग कर दिया जाना चाहिए, लेकिन उस समय शासक पार्टी जोड़-तोड़ के द्वारा किसी तरह से अपना शासन वहाँ स्थापित करना चाहती थी और इन्होंने जिस प्रकार से असम के राज्यपाल की गरिमा को गिराया है-- ऐसा शायद ही कहीं हुआ हो।

राज्यपाल को क्या कहा जाय—शायद राज्य सभा की सदस्यता से इस्तीफा दिला कर वहाँ भेजने का यही अभिप्राय रहा हो, क्योंकि जिस प्रकार से गोगोई सरकार गई है उसको जाना भी इसी तरह से चाहिए था क्योंकि वह सरकार गलत तरीके से बनी थी।

सभापति महोदय, असम के राज्यपाल से जब विरोध के लोगों ने मुलाकात की थी, तो वे करीब-करीब इस बात पर सहमत थे कि श्री सरतचन्द्र सिन्हा को सभी लोग अपना नेता स्वीकार करते हैं और वह इस स्थिति में थे कि वहाँ सरकार बना सकते थे और यह भी रिपोर्ट मिली है कि एक तरह से उन्होंने बहुमत के लिये उनको बधाई तक भी दी। लेकिन जैसा अभी मान्यवर वर्मा जी ने बतलाया—उन्होंने ता० 10 को मिलने का आश्वासन दिया, लेकिन उसके बाद वह उन लोगों को उपलब्ध नहीं हुए। 118 विधान सभा सदस्यों में से 63 श्री सरतचन्द्र सिन्हा के साथ थे, लेकिन उन्हें अवसर न दे कर, जो लेफ्ट डमोक्रेटिक फ्रन्ट के नेता थे उनको इधर-उधर भुलावे में डालते हुए इस बात का अवसर देते गए कि किसी तरह से लीडरशिप का जो झगड़ा रूलिंग पार्टी का था वह तय हो जाय। और जब वह जगह तय हो गई और गगोई उसके नेता निर्वाचित हो गये, तो उन्होंने उनको सरकार बनाने का मौका दे दिया।

मान्यवर, राज्यपाल जी ने यह सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी, आश्वासन दिया था कि माइनोरिटी की सरकार वहाँ नहीं बनेगी लेकिन माइनोरिटी सरकार वहाँ पर स्थापित की गई और दूसरा आश्वासन उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह दिया था कि जो भी सरकार असम में बनेगी, उस को तुरन्त विधान सभा की बैठक बुला कर अपना बहुमत सिद्ध करना होगा लेकिन वह नहीं किया गया। दो महीने का समय गगोई सरकार को दिया गया और मैं समझता हूं कि शायद यह बजट पास करने की आवश्यकता न होती तो विधान सभा की बैठक ही न बुलाई जाती।

एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि चाहे केरल हो या आसाम हो या चाहे और कोई राज्य हो, हमारे देश की राजनीति पर दल-बदल छाया हुआ है। मैं उस तरफ के लोगों की या इस तरफ के लोगों की आलोचना की दृष्टि से यह बात नहीं कहता लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि यह हमारी लोकतांत्रिक पद्धति पर एक बहुत बड़ा कलंक है और इससे लोकतंत्र को बड़ा नुकसान हो रहा है। इसको किसी न किसी तरह से समाप्त किया जाना चाहिए। मैं चाहूंगा कि जब माननीय गृह मन्त्री जी उत्तर दें, तो यह बताएं कि निकट भविष्य में वे इस बुराई को दूर करने के लिए क्या उपाय करने जा रहे हैं। इस पर भी वे थोड़ा प्रकाश डालें।

अब क्योंकि वहाँ पर विधान सभा भंग है, इसलिए मैं चाहूंगा कि वहाँ पर चुनाव

जल्दी से जल्दी कराए जाएं क्योंकि पिछले दो वर्ष से अधिक समय हो गया है और वहाँ से हमारे इस सदन में 12 सदस्य चुन कर नहीं आए हैं। वहाँ पर 1981 की जनगणना भी नहीं हो पाई है और विधान सभा भी भंग हो गई। तो वहाँ पर चुनाव जल्दी कराए जाएं, यह मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं। सरकार की तरफ से यह कहा जा सकता है कि जब तक आन्दोलन चल रहा है, चुनाव कैसे हो सकते हैं। इसलिए मैं यह कहूंगा कि इस आन्दोलन को समाप्त करने के लिए कोई प्रभावकारी ढंग से कार्य किया जाए और ऐसी नीयत होनी चाहिए कि यह आन्दोलन जल्दी समाप्त हो और इस दिशा में प्रयास होने चाहिए। पिछले ढाई साल से अधिक समय से यह आन्दोलन चल रहा है, इतनी लम्बी अवधि से यह आन्दोलन चल रहा है और मैं कहना चाहता हूं कि प्रारम्भ में सरकार ने उन नौजवानों की जो इस आन्दोलन में लगे हुए हैं, भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की। हमारे साथी श्री संतोष मोहन देव कह रहे थे कि कुछ लोग ही हैं, जो आन्दोलन में लगे हुए हैं और इस आन्दोलन को जन-समर्थन प्राप्त नहीं है। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। इतना बड़ा आन्दोलन बगैर जन-समर्थन के नहीं चल रहा है। उन नौजवानों को इस बात की आशंका है कि भाषा के तौर पर यह जो हमारी संस्कृति है, यह समाप्त हो रही है और आर्थिक तौर पर हमारा शोषण हो रहा है। उनका कहना है कि भाषाई तौर पर ये माइनोरिटी में आ रहे हैं। ऐसी उनको आशंका है और इसलिए यह आन्दोलन छिड़ा हुआ है। असम में मेरे ख्याल से इस वक्त 2 करोड़ से अधिक जन-संख्या होगी। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि 1971 की जनगणना में जहां पूरे देश की जनसंख्या में 24.64 प्रतिशत वृद्धि हुई है, वहाँ असम में लगभग 35 प्रतिशत जनसंख्या में वृद्धि हुई है और उसके पहले 1961 में जहाँ असम में 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, वहां पूरे देश में 21.64 प्रतिशत की दर से जनसंख्या में वृद्धि हुई। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि बाहर से, बंगला देश से भारी संख्या में लोग असम में आए हैं।

एक बात और कहना चाहूंगा कि 1961 की जनगणना में असमया भाषा बोलने वाले जहाँ 62 प्रतिशत लोग थे, वहाँ 1971 में वह संख्या घट कर 60 प्रतिशत हो गई। इसलिए उनके मन में यह आशंका होना स्वाभाविक ही है। इसमें 1971 से 1979 के बीच के आठ वर्षों में मतदाताओं की संख्या बीस लाख बढ़ी है। इसलिए यह कह देना कि उसके पीछे कोई आधार नहीं है, जन समर्थन नहीं है, यह सही नहीं होगा। मैं इस सम्बन्ध में दो सुझाव देना चाहता हूं।

चूंकि जो आन्दोलनकारी हैं वे भी मानते हैं कि 1961 तक जो वहाँ आ गये हैं उनसे उन्हें कुछ नहीं कहना हैं। लेकिन 1961 के बाद जो आए हैं उनको डिटेक्ट करके हटाना है। 1971 के बाद आए लोगों को सरकार स्वयं पहचान कर हटाने पर सहमत है।

लड़ाई जो है वह 1961 और 1971 के बीच की है। पिछले राज्यपाल श्री एल० पी० सिंह जी ने सुझाव दिया था कि 1965 को आधारवर्ष मान लिया जाना चाहिए। इसको आधारवर्ष मानने में क्या कठिनाई है, इस पर गृह मंत्री जी प्रकाश डालने की कृपा करें ?

देव साहब ने कहा है कि 1971 के आधार पर चुनाव करवा लिए जाएं। मेरी राय यह है कि चूंकि 1961 और 1971 के बीच का झगड़ा है, जिस अवधि के बारे में यह माना जाता है कि बाहर से लोग आए हैं तो उस अवधि में आए लोगों को माइनस करके उस आधार पर इलेक्शन करवा लिए जाएं। उससे पता चल जाएगा कि वहाँ का जनमानस उनको निकालने के पक्ष में है या रखने के पक्ष में है। सरकार यह मानती है कि असम में आए लोग एक राष्ट्रीय समस्या है तो फिर उनका भार असम के लोग ही क्यों वहन करें, पूरे राष्ट्र को वह भार वहन करना चाहिए।

मान्यवर, जहाँ तक आर्थिक समस्याओं का सवाल हैं, मैं यह मानता हूं कि वहां के लोगों के आर्थिक विकास का औसत पिछले तीस सालों में अन्य क्षेत्रों से कम रहा है। हमारे पास इसके फिगर्स भी हैं। छठी पंचवर्षीय योजना की बात कही गयी है, जिसको मैं मानता हूं लेकिन पिछले तीस सालों में तमाम वस्तुओं के उपभोग में उनका औसत राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। इसलिए उनके आर्थिक विकास की तरफ, कृषि के विकास, उद्योगों के विकास और बेरोजगारी को दूर करने की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : माननीय सभापति जी, जो माननीय गृह मन्त्री जी ने उद्घोषणा पत्र सदन में प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। इसके साथ ही मैं केवल उन संवैधानिक प्रश्नों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिनके बारे में चर्चा चल रही है।

संविधान का जो मुख्य प्रश्न यहाँ उठाया गया, विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों ने जिसे विशेष रूप से उठाया वह यह है कि उनके कथन के अनुसार असम के राज्यपाल ने वहाँ की विधान सभा को भंग करने में भूल की है। इसके साथ-साथ उनका यह भी कथन है कि जो सरकार अल्पमत में थी, गोगाई सरकार, उसकी रिकमण्डेशन्स पर, उसकी अभिशंसा पर, उसकी सिफारिश पर विधान सभा को भंग करना न्यायोचित नहीं था, संवैधानिक नहीं था।

मान्यवर, तीसरा उनका यह भी प्रश्न रहा है कि जब लेफ्ट एलाएन्स पार्टी के पास बहुमत था तो वहाँ पर उसको सरकार बनाने का विकल्प देना चाहिए था। मान्यवर, मैं

इस सम्बन्ध में संविधान का अनुच्छेद 356 उद्धृत करना चाहूंगा, उसमें यह साफ लिखा हुआ है—

'यदि किसी राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा राष्ट्रपति का समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें कि उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो राष्ट्रपति उद्घोषण द्वारा···"

तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का और केन्द्रीय सरकार का दायित्व है कि वहाँ के बारे में इस तरह का संकल्प दे सकते हैं, आदेश दे सकते हैं और इस प्रकार का घोषणा-पत्र जारी कर सकते हैं।

दूसरा प्रश्न यह आता है कि क्या असेम्बली को भंग करना न्यायोचित था, संवैधानिक था ? इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह के बहुत से दृष्टांत हैं। संविधान में कहीं भी यह नहीं है कि मेजारिटी की गवर्नमेंट की सिफारिश पर ही विधान सभा भंग हो सकती है और माइनारिटी की गवर्नमेंट की सिफारिश पर नहीं। संविधान में केवल गवर्नमेंट लिखा है, चाहे वह मेजारिटी की हो या माइनारिटी की। इसलिए हमको संवैधानिक परम्पराओं के अनुरूप चलते हुए देखना है कि 34 साल में कौन सी संवैधानिक परम्पराएं कायम हुई हैं। इससे पूर्व कई राज्यों में और केन्द्र में भी माइनारिटी गवर्नमेंट की सिफारिश पर सभाओं को भंग किया गया है। इसलिए इसमें किसी तरह से भी संवैधानिक भूल नहीं की गई है।

तीसरी बात, जैसाकि कहा गया है कि बहुमत होते हुए भी उनको सरकार बनाने के लिए अनुमति नहीं दी गई, इसमें मेरा निवेदन है कि जहाँ इस तरह की स्थितियाँ हैं, इंटरनल डिस्टरबेंसेस हैं, ला-एंड-आर्डर की सिचुएशन इस तरह की है कि किसी भी पार्टी की सरकार नहीं चल सकती, तो ऐसी स्थिति में गवर्नर का उत्तरदायित्व है कि सही बात से राष्ट्रपति को अवगत कराएं।

1978 में इलैक्शन हुए, उस समय केन्द्र में जनता पार्टी की सरकार थी। जनता पार्टी की सरकार समाप्त होने के बाद यह आवश्यक था वहाँ के चुने हुए नुमाइन्दों के लिए कि वे इलेक्टरेट के पास फिर से जाते और पता लगाते कि उनका बहुमत है या नहीं। ऐसी स्थिति में वहां की असेम्बली को भंग किया जाना चाहिए था।

असम की इंटरनल सिचुएशन अब वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय प्रश्न है। जहाँ ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन ऐसी है कि काँग्रेस-आई की सरकार ही नहीं, बल्कि इनकी सरकार भी फेल हुई। जहाँ ऐसी स्थिति है, जहाँ आपकी सरकार के सामने

और हमारी सरकार के सामने ला एन्ड आर्डर की समस्या हो ऐसे समय में अगर गवर्नर ने यह रिपोर्ट की है कि वहाँ पर प्रजातांत्रिक तरीके से सरकार नहीं चल सकती तो क्या भूल की है ? मैं समझता हूं कि गवर्नर ने अपना उत्तरदायित्व वहन किया है ?

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय पिछले चार सालों में, 1978 से 1982 तक वहाँ पर चार सरकारें बदली हैं और उन चारों सरकारों के सामने ला एंड आर्डर की समस्या रही है। बहुत से पूर्व-वक्ताओं ने इसके बारे में कहा है और आप पिछला इतिहास देखें वहां एक साल से अन्दर 180 बम विस्फोट के केसेस हुए, जिनमें कुछ विस्फोट हुए और कुछ जीवित बम पकड़े गए। इसके अलावा एक दर्जन से अधिक आदमी बम बिस्फोटों में मारे गए हैं। कितने ही पी०ए०सी० के जवान आहत हुए हैं —तीरों से, बमों से। यही नहीं वहाँ के मजिस्ट्रेट, पुलिस इन्सपेक्टर तक को चोटें आई हैं। जहाँ पर इस तरह की भयानक स्थिति हो और राष्ट्रीय स्तर पर हल करने के प्रयत्नों के बावजूद उसमें सुधार न आया हो, ऐसी परिस्थिति में केन्द्र सरकार के सामने दूसरा विकल्प नहीं हो सकता था।

यह भी कहा गया कि असेम्बली के एक सदस्य से पूछा कि आप लिख कर दें कि आप किस पार्टी को चाहते हैं और यदि इस पार्टी की सरकार बनी तो आप इसके साथ रहेंगे या नहीं ? राज्यपाल महोदय ने स्वयं चिट्ठी लिखकर भेजी है कि आपने जो मुझसे कहा था, उस पर आरूढ़ हैं या नहीं ?

तो जहां वहां के विधान सभा के सदस्यों की यह स्थिति हो कि गवर्नर से बात कुछ करें और फिर उससे बदल जाते हैं तो गवर्नर के पास और कोई विकल्प नहीं रह जाता है सिवाय इसके कि वह सदस्यों से लिखाए कि आप कौन सी पार्टी से अलायंस रखते हैं और सपार्ट करना चाहते हैं। इसलिये उन्होंने कोई संवैधानिक गलती नहीं की।

इसी प्रकार मेरा निवेदन है कि वहाँ की आर्थिक समस्याओं के बारे में विशेष रूप से सारे सदन को गम्भीरतापूर्वक विवेचन करना चाहिए। असम में चूंकि राजस्थान के तथा देश के अन्य हिस्सों के काफी लोग रहते हैं, मैं गौहाटी तथा अन्य स्थानों पर गया हूं, और मैंने देखा है कि जो वहां के मूल निवासी हैं उनकी मम्पत्ति पर दूसरे प्रान्तों के रहने वाले लोगों ने कब्जा किया है। इसलिए ऐसा कोई कानून होना चाहिए यदि दूसरे लोगों ने उनकी सम्पत्ति ले ली है तो वह सम्पत्ति उनको वापस की जाय। जब तक ऐसा कानून नहीं होगा और आर्थिक दृष्टि से वहाँ की समस्या को हल नहीं किया जाएगा तब तक यह समस्या हल नहीं होगी।

इन शब्दों के साथ मैं गृह मंत्री के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस सभा में आसाम के मुश्किल से केवल एक या दो ही सदस्य हैं। हम यहाँ पिछले दो वर्षों से बैठ रहे हैं तथा इस सदन में कई कानूनों को अधिनियमित किया है, लेकिन आसाम का उपयुक्त प्रतिनिधित्व यहां है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस लोक सभा में आसाम के लोग, गढ़वाल के लोगों की भांति उपयुक्त प्रतिनिधित्व से वंचित है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप गढ़वाल को कैसे भूल सकते हैं ? मुझे इसी का आश्चर्य था ?

श्री हरिकेश बहादुर : आसाम के पूरे आंतरिक संकट के लिए वर्तमान सरकार पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। विदेशी राष्ट्रिकों की समस्या का अभी भी समाधान नहीं हुआ है। यह बहुत बड़ी समस्या है। यदि शीघ्र ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो मैं समझता हूं कि इससे पूरे देश के लिए बहुत कठिनाई पैदा हो जाएगी। मैं नहीं जानता कि इस सरकार को यह समस्या हल करने में कितना समय लगेगा।

जहां तक आसाम सहित विभिन्न राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की उद्घोषणा का सम्बन्ध है, इससे इस सरकार की वह प्रवृत्ति स्पष्ट हो जाती है कि उसका लोकतांत्रिक तरीकों में विश्वास नहीं है वास्तव में, लोकतन्त्र के विनाश की प्रक्रिया आरंभ हो गई हैं। सरकार नहीं चाहती कि देश में लोकतन्त्र बना रहे। यहाँ तक कि यदि कुछ राज्यों में विपक्ष का बहुमत भी है तो भी यह सरकार सर्वप्रथम यह प्रयत्न करेगी कि विपक्ष को सरकार बनाने का अवसर न मिले। केरल में जो कुछ किया गया है, वह इसका स्पष्ट उदाहरण है।

आसाम में जो कुछ किया जा रहा है उसके बारे में इस सदन के बहुत से सदस्य पहले ही बोल चुके हैं। इससे यह आभास होता है कि इस सरकार की प्रजातन्त्र में कोई आस्था नहीं है। यह सरकार जनता से बहुत भयभीत है। यदि सरकार यह महसूस करती है कि किसी चुनाव-क्षेत्र विशेष में या किसी राज्य विशेष में जनता उनको मत नहीं देगी तो वे निश्चित रूप से यह प्रयत्न करेगी कि वहाँ पर चुनाव न हों। इसको हम देख रहे हैं। यह सरकार गढ़वाल के मतदाताओं से भयभीत है। अतः वहाँ पर कोई चुनाव नहीं होंगे। यह सरकार दिल्ली के मतदाताओं से भयभीत है, अतः वहाँ पर भी चुनाव नहीं होंगे। वैसी ही स्थिति पश्चिम बंगाल में भी है। मुझे नहीं मालूम कि आसाम तथा केरल में क्या होने जा रहा है। आसाम जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है वह

एक वर्ष तक लागू रहेगा। यह सरकार निश्चित रूप से वहाँ पर एक वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लागू रखने का प्रयत्न करेगी। उसके बाद वे क्या करेंगे ? यदि उनको यह निश्चय हो जाता है कि जनता उनको मत नहीं देगी तो वे संविधान में संशोधन करने का प्रयत्न करेंगे ताकि कुछ और वर्षो तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सके; क्योंकि जब तक उनको यह निश्चय नहीं हो जाता कि जनता निश्चित रूप से उनके पक्ष में मत देगी या वे स्थिति में इस प्रकार हेर-फेर कर सकेंगे जनता उन्हीं को मत दे तथा वे सरकार बना सकेंगे, तो वे संविधान में संशोधन करेंगे। मैं उनके पिछले कार्य कलापों तथा देश के विभिन्न लोगों में वे जो कुछ कर रहे हैं उनके आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा है। अतः मैं इस संकल्प का विरोध करता है जो कि गृह मंत्री द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। परन्तु मुझे मालूम है कि मेरी आवाज का उनके लिए कोई अर्थ नहीं है। वे चाहे जो कुछ भी करना चाहें, वे प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को खत्म करके रहेंगे। ...(व्यवधान)

अब मुझे इस लेखानुदान पर आना चाहिए, मेरा तात्पर्य प्रस्ताव के बजट भाग से है। बहुत से सदस्य बाढ़ों द्वारा की गई क्षति के सम्बन्ध में बोल चुके हैं तथा इस बाढ़ से हुई क्षति से आसाम के लोगों को बहुत अधिक नुकसान हुआ है अतः बाढों के पानी पर नियन्त्रण करने के लिए उचित कदम उठाये जाने चाहिएं ताकि इसे सिंचाई सुविधाओं के लिए उचित रूप से उपयोग किया जा सके तथा ऊर्जा उत्पादन तथा अन्य उपयोग किए जा सकें। समूचे उत्तरी पूर्वी क्षेत्र का विकास बहुत आवश्यक है।

जहाँ तक इस आन्दोलन का सम्बन्ध है, हम महसूस करते हैं कि बेरोजगारी तथा बहुत थोड़ा आर्थिक विकास होने के कारण इस आन्दोलन को बल मिला है। जब तक हम उस क्षेत्र का आर्थिक विकास नहीं करते, जब तक औद्योगिक विकास नहीं किया जाता, जब तक वहाँ पर पर्याप्त रोजगार के अवसर नहीं जुटाए जाते तब तक इस स्थिति पर नियन्त्रण पाना बहुत मुश्किल होगा। (व्यवधान)

महोदय, आसाम में वन-सम्पदा बहुत अधिक है। वहाँ से कच्चा पैट्रोलियम भी निकाला जाता है। कुछ औद्योगिक विकास हो चुका है, परन्तु अभी भी हमें उस क्षेत्र को अधिक विकसित करने की आवश्यकता है ताकि वह क्षेत्र भी देश के अन्य भागों के समान ही विकसित हो जाए।

महोदय, मेरे मित्र श्री राजेश पायलेट ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाए गए पुलों के बारे में बहुत ठीक बात कही है। ब्रह्मपुत्र नदी पर केवल एक या दो पुल बने थे। यदि ये पुल नष्ट हो जायें तो हमारे पास कोई दूसरी कड़ी नहीं रह जायेगी। अतः सरकार को ब्रह्मपुत्र

नदी पर और अधिक पुल बनाने चाहिए ताकि हमारा देश उस भाग से अच्छी प्रकार से जोड़ा जा सके अन्यथा जब कोई ऐसा अवसर आयेगा जब युद्ध अथवा किसी और वजह से कठिनाई पैदा हो जाएगी तो हमारे लिए उस भाग विशेष को आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करना भी मुश्किल हो जाएगा।

अत: सरकार को इस मामले पर भी विचार करना चाहिए। परन्तु इस बजट से मुझे लगता है कि इसमें इन सब बातों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। अत: मैं इसका भी विरोध करता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प तथा बजट दोनों का विरोध करता हूं।

गृह मन्त्री (श्री जैल सिंह) : डिप्टी स्पीकर साहब, केरल के बाद असम में प्रैजीडेंट रूल के प्रोवलेमेशन का प्रस्ताव मैंने रखा। मुझे आशा थी कि कोई नई बात भी हमारे दोस्त कहेंगे, लेकिन उन्होंने कोई नई बात नहीं कही, पुरानी बोतलों में नई शराब भरकर पेश करने की कोशिश की है।

लेकिन मैं मेम्बर साहेबान का मश्कूर हैं, यह बात ठीक भी है कि असम के मामले में बहुत ज्यादा व्याख्या करना दुरुस्त नहीं है। 7 तारीख को हमारी फिर बातचीत हो रही है, उसमें अपोजिशन पार्टी के नेतागण शामिल हो रहे हैं और हमारी सबकी, सरकार की भी और अपोजिशन के नेताओं की भी यह कोशिश है कि हम इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाकर आगे कदम बढ़ायें। अब तो यह और भी जरूरी हो गया है क्योंकि एक साल का समय ही है, यह बात ध्यान में रखने वाली है। अगर प्रैजीडेंट रूल न भी होता तब भी 20 मार्च, 1983 तक इस असेम्बली की मियाद खत्म हो जाती थी। इस तरह भी एक साल का समय ज्यादा से ज्यादा मिल सकता था, उसमे पहले-पहले वहां पर मुकम्मिल डैमोक्रेटिक सैटअप रखने के लिये कोशिश करनी है।

सरकार का यह पूरा यत्न है कि जो कुछ विदेशी हैं, हम उन्हें ढूंढ़कर निकाल दें। जो हमारी बातचीत हुई, अपोजीशन के नेताओं से पहले भी बातचीत हुई, उसके कानसेन्सस के मुताबिक ही हम काम करना चाहते हैं। लेकिन इस बात के लिए हम कोई गुंजाइश नहीं रहने देना चाहते कि थोड़ा बहुत कनसेशन देकर भी इस बात को निपटाया जाए। हमने आसाम के लोगों की भावनाओं को, जो रेफ्यूजी आए थे, उनकी भावनाओं को और जिनसे हमने वादा किया था कि हम आपको भारत में रखेंगे, उनकी भावनाओं को सामने रखना है।

प्रो० चक्रवर्ती ने जो सवाल किए, वे महत्वपूर्ण सवाल हैं। मैं उनका उत्तर तो

देना चाहता था, लेकिन अगर मैं खुलासा न करूं, तो ठीक नहीं रहेगा और अगर खुलासा करूं, तो फिर बात जरा लम्बी हो जाएगी, और हो सकता है कि दुरुस्त बात कहने का असर हमारी नेगोशिएशन्ज पर कुछ इस तरह से पड़े कि उसमें कुछ बिटरनेस आ जाए। वह भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। बात तो हमारी आपस में हुई है, और वह तो ऐसी है कि

नजर ही नजर में मुलाकात हो गई,
रहे दोनों खामोश और बात हो गई।

अगर वह इस बात पर रहें, तो अच्छा है।

उनकी बहुत सी बातें रीजनेबल हैं। जो सिमिलेरिटी है विचारों और ख्यालों की, सैकुलरिज्म की, सोशलिज्म की और डेमोक्रेसी की, उसमें हमारा काफी मेल-जोल चलता है। मैं प्रो० चक्रवर्ती से इतनी ही बात कहूंगा कि वह तो प्रोफैसर हैं, सब थ्यूरियाँ उन्होंने पढ़ी होंगी और थ्यूरेटिकली जो कम्युनिस्ट पार्टी की बुनियाद है, कम्युनिस्ट पार्टी का मैनिफेस्टो है, जिसको दुनिया भर की कम्युनिस्ट पार्टियाँ मानती हैं, उस पर भी वह विचार करें और भारत में भी उसी तरह से सोचें और उसी तरह सोचकर अपने सुझाव दिया करें। यह और किसी के लिए डेमोक्रेसी हो, हमारे लिए नहीं, यह अच्छा नहीं लगता है। संसार का यह ढंग है कि जब कहीं आग लगी हो, तो कहते हैं कि वह वैश्वानर देवता है, लेकिन जब अपने घर में आग लगती है, तो वह वैश्वानर देवता नहीं रहता, तब वह आग बन जाती है। मैं उसका खुलासा नहीं करूंगा। मुझे आशा है कि प्रोफैसर साहब इसके लिए जोर भी नहीं देंगे।

यह बिल्कुल उनका भ्रम है कि हम कहीं डैमोक्रेटिक सेट-अप को अपनी इस गर्ज के लिए खत्म करते हैं कि दूसरे लोग वहां अपनी सरकार न बना लें। जब इलेक्शन हुआ, तब हम बहुत ही मिनारिटी में थे। उसके बाद सरकार बनी, वह टूट गई। फिर हजारिका की सरकार बनी, वह टूट गई। बाद में हजारिका यहाँ आए और उन्होंने कहा कि जब सब कुछ बहाल हो रहा है, तो मेरी सरकार को भी बहाल कर दो। मैने कहा कि इस तरह बहाल करना मुश्किल है, आप जोर लगाओ, आप अपनी मैजारिटी बनाओ। वह मैजारिटी नहीं बना सके। वह चाहते थे कि हमारी तो मेजोरिटी नहीं बनती है, लेकिन किसी और को भी न बनाने दें। वह हमेशा इस बात पर जोर देते थे।

जब अनवरा बेगम की रहनुमाई में सरकार बनी, तो आपोजीशन की तरफ से यह आवाज आई थी कि यह सरकार क्यों बनी है, असेम्बली को भंग क्यों नहीं कर दिया गया है। अब जब उसको भंग कर दिया गया है, तो कहते हैं कि असेम्बली को भंग क्यों

कर दिया गया है। वे बदलते रहते हैं। आज इस बारे में बहुत तकरीरें करने से नुकसान भी हो सकता है।

हमारे दोस्त श्री देव, ने कहा कि स्पीकर साहब ने एक कमेटी बनाई थी, वह एम०एल०एज० की कमेटी थी एन्क्वायरी करने के लिए एक मिनिस्टर और एक आपोजीशन के नेता के खिलाफ। यह बिल्कुल नई बात हुई है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कमेटी बनी हो, असेम्बली भंग हो जाए। उनकी जगह किसको लाएं, क्या करें, उस पर हम जरूर गौर करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि उनको बिल्कुल छोड़ दिया जाए।

हमारी पूरी कोशिश है कि हम सब सेक्शन्ज को रीजनेबली सैटिसफाई करने के बाद वहाँ इलेक्शन करवाएं। इसमें सी०पी०आई०(एम०), सी०पी०आई० और जनता पार्टी की कोआपरेशन चाहिए, जिनके वहाँ मेम्बर हैं।

लेकिन जिनका कोई भी मेम्बर नहीं है, वैसे ही चौधरी बनते हैं, उनको भी मैं वेलकम करता हूं। वह भारतीय जनता पार्टी है। आजकल पता नहीं उनकी क्या नीति है। जेठमलानी जी बहुत अच्छे वकील हैं। जो झूठे आदमी को छुड़वा सकता हो, उसको वकील बनाना चाहिए। वह तो बहुत लायक वकील है। लेकिन मेरे पीछे वे यह भी कह गए कि होम मिनिस्टर ने हम पर पहले हमला किया। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मैंने तो सिर्फ यह कहा था कि जनता सरकार बनी तो कास्टीज्म और कम्युनेलिज्म पर विश्वास रखने वालों को रेस्पेक्टेबिलिटी मिल गई। वे समझते हैं कि उनके नेताओं को कहा लेकिन मैंने यह सोचकर नहीं कहा था। मैंने तो सिर्फ यही कहा कि जो कास्टीज्म पर बुनियाद रखते हैं, जो फिरकेदारी पर बुनियाद रखते हैं उनको भी सम्मान मिला। हर जगह यह माना जाता है कि उनको सम्मान मिला और जोरावरों को बहुत ताकत मिली और गरीब, हरिजन, मजदूर या जो माइनारिटी में थे वह दबाए गए और दबाने की वजह से वह कमजोर हुए। इसी तरह से जो शस्त्र देना शुरू किया इनडिसक्रिमिनेटली एक-एक जिले में 80-80 लाइसेन्स दिए गए। ऐसे लोगों को दिए गये जो कि डिजर्व नहीं करते थे, पहले से ही ताकत वाले थे। खैर, मेरा खयाल है आइंदा के लिए जेठमलानी जी दीर्घ-दृष्टि से काम लिया करेंगे।

अब मैं इस हाउस का और ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं प्रार्थना करूंगा कि यह जो मेरा प्रस्ताव है इसको पास किया जाए।

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : महोदय, विचार प्रस्तुत करते समय माननीय सदस्य अधिकांशतः राज्य में हुई राजनैतिक घटनाओं पर ही केन्द्रित रहे हैं। जिन परिस्थितियों में सभा को बजट पारित करना है—यह बजट नहीं, यह लेखानुदान है, मैं

तकनीकी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं—वे वास्तव में ही बड़ी दुर्भाग्यशाली हैं । विशेष रूप से पिछले तीन वर्षों में, 1980, 1981 तथा 1982 में,—हालांकि बीच में आसाम विधान सभा के प्रतिनिधियों की सरकार रही —राज्य के विकास के लिए विभिन्न वित्तीय प्रावधानों पर चर्चा करने का काट इस सदन पर आ गया है । कुछ सामान्य बातों का उल्लेख किया गया है तथा विशेष समस्याओं के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न उठाये गये हैं ।

प्रथम सामान्य प्रश्न पर आते हुए जिसका प्रो० चक्रवर्ती ने भी उल्लेख किया है, मैं यह कहूंगा कि उन्होंने इस ओर ठीक से ध्यान दिलाया कि इस क्षेत्र का आर्थिक विकास अधिक महत्वपूर्ण है जिससे कि वे राष्ट्रीय गतिविधियों तथा विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित हो सके । इसका प्रभाव पृथकतावादी प्रवृत्ति पर भी पड़ेगा । वास्तव में, इस उद्देश्य तथा दृष्टिकोण से सहमत होते हुए, भारत सरकार शुरू से ही इस बात पर जोर देती रही है । शायद प्रो० चक्रवर्ती तथा अन्य माननीय सदस्यों को इसकी जानकारी है । जहाँ तक अन्य राज्यों का सम्बन्ध है, योजना सहायता के आवंटन के सम्बन्ध में गाडगिल फार्मूला लागू होता है । परन्तु आसाम तथा दूसरे उत्तर पूर्वी राज्यों को विशेष अधिकार प्राप्त हैं । अतः वहां के लिए प्रति व्यक्ति योजना आबंटन बहुत अधिक है । ऐसा केवल अभी ही नहीं हुआ है, तीसरी योजना से ही यह उन अन्य राज्यों के औसत की तुलना में ज्यादा है जिन पर गाडगिल फार्मूला लागू होता है ।

उदाहरण के लिए तीसरी योजना के दौरान आसाम का प्रति व्यक्ति आवंटन 78 था तथा दूसरे राज्यों के सम्बन्ध में औसत 55 था । छठी योजना में यह 78 से बढ़कर 565 हो गया, जबकि दूसरे राज्यों के सम्बन्ध में यह 55 से 258 ही हुआ । मैं अन्य सभी बातों के बारे में अलग-अलग आंकड़े नहीं दे रहा हूं । शायद माननीय सदस्यों ने हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को देखकर इस बात की सराहना की होगी कि अगले वर्ष आसाम के सम्बन्ध में केन्द्रीय सहायता में 40 प्रतिशत तक वृद्धि कर दी गई है । 2-8 करोड़ रु० के कुल योजना परिव्यय में से लगभग 225 करोड़ रु० विभिन्न प्रकार की केन्द्रीय सहायताओं के रूप में प्राप्त हो रहे हैं । हमने उस समस्या पर ध्यान दिया है । परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि वहाँ पर सब कुछ कर दिया गया है तथा अब सुधार के लिए कोई क्षेत्र बाकी नहीं है क्योंकि आवश्यकता बहुत अधिक है, ये आंकड़े प्रभावकारी प्रतीत हो सकते हैं परन्तु जब हम उस क्षेत्र में विद्यमान कमियों को देखते हैं तो ज्ञात होता है कि बहुत अधिक कार्य करना बाकी है और हमें इस बात की पूरी जानकारी है ।

अपने विचार प्रस्तुत करते समय मेरे माननीय मित्र श्री रवीन्द्र वर्मा ने सुझाव दिया था कि मैं क्यों न एक पूर्ण बजट प्रस्तुत करूं । मैं अभी भी यह आशा करता हूं कि यह कार्य आसाम के वित्त मंत्री द्वारा किया जाना चाहिए तथा शीघ्र ही आसाम में चुनाव

कराये जायेंगे तथा हम यह जिम्मेदारी विधान सभा के चुने गये प्रतिनिधियों पर डाल देंगे। वह अधिक अच्छा होगा। हम वैसा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि उस प्रक्रिया में विपक्षी दल भी सम्मिलित है। वार्तायें जारी हैं। और मुझे आशा है कि अपने सामूहिक प्रयत्नों से किसी समझौते पर पहुंचना सम्भव हो सकेगा। मैं नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। परन्तु हमें आशा करनी चाहिए कि यह सदन को इस कार्य की जिम्मेदारी न लेनी पड़े और यह कार्य विधान सभा द्वारा ही किया जाए।

श्री सन्तोष मोहन देव ने विशेष रूप से तेल पर दी जाने वाली रायल्टी के बारे में दो मुद्दे उठाए थे। मुझे लगता है कि मुझे उनको थोड़ा सा निराश करना पड़ेगा और वह इसलिए कि हमने इसको अप्रैल 1981 में 42 रु० से बढ़ाकर 61 रु० प्रति टन कर दिया है। कानून के अनुसार प्रत्येक चार वर्ष पश्चात एक पुनरीक्षा की जाती है और उसके बाद हम रायल्टी का निश्चय करते हैं। अत: अगली बार जब पुनरीक्षा की जाएगी—वह 1985 से लागू होगी—यह कमी 1984 के आखिर में या 1985 के प्रारम्भ में होगी—तब इस बात को उस समय लिया जायेगा।

दूसरी बात चाय की समस्या के बारे थी। शायद आपको ज्ञात होगा कि चाय पर लिया जाने वाला कृषि कर कम ही रहा है तथा यह राज्य के अपने राजस्व में दिखाया जाता है। जब हमने विभिन्न चाय उत्पादक राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ राष्ट्रीय स्तर की बैठक की थी तो मैंने उनको सुझाव दिया था कि अपनी चाय को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगी बनाने के लिए हमें जहाँ तक सम्भव हो सके लागत को कम करना चाहिए। एक सुझाव बिक्री कर को कम करने का था। कुछ राज्य सरकार इससे सहमत हो गयी थीं आसाम भी उन्हीं में से एक था। परन्तु दुर्भाग्य से इसको लागू नहीं किया जा सका। हमने सोचा था कि विधान सभा जो कि अब भंग कर दी गई है, इस कानून को पारित कर देगी। परन्तु वे उसको नहीं कर सके मैं समझता हूं कि हमें कुछ समय बाद यह कार्य करना पड़ सकता है। परन्तु यह इस अवस्था में सम्भव नहीं है।

कुछ रियायतें जो मैंने चाय के उत्पादन शुल्क के बारे में दी हैं उनमें से कुछ चाय उद्योग को भी दी जायेंगी। निर्यातकों को रियायतें देने के सम्बन्ध में मैंने बजट में जो प्रावधान किये हैं उनका कुछ भाग चाय निर्यातकों पर भी लागू होगा। ये सामान्य रियायतें हैं। मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं। मैं विभिन्न प्रस्तावों का विस्तार में उल्लेख नहीं करूंगा।

मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा। मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन दे सकता हूं कि हम भी आर्थिक स्थिति को सुधारने की आवश्यकता को महसूस करते हैं।

जो परियोजनाएं विचाराधीन हैं, उन्हें यथाशीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। लेकिन हर बात एक सीमा तक संसाधनों पर निर्भर करती है। यह बात उनको, विशेषकर आंदोलनकर्त्ताओं को भी पता होनी चाहिए कि यदि किसी राज्य में काफी समय तक लगातार कोई आंदोलन चलता है, तो विकास के वर्तमान स्तर को भी नहीं बनाए रखा जा सकता। यदि संपूर्ण शक्ति कानून और व्यवस्था की समस्याएं सुलझाने में ही खर्च हो जाती है तो गंभीर विकासात्मक प्रयास प्रारंभ नहीं किए जा सकते। यदि विकास के मामले में कोई ढील रही है तो आंदोलन भी उसका एक कारण है। मैं यह नहीं कहता कि सब कुछ उसी कारण से है। लेकिन निरंतर आंदोलन उसका एक मुख्य कारण है। यदि वस्तुएं राज्य से बाहर न ले जाई जा सकें, यदि रेलवे अथवा परिवहन में लगातार कठिनाइयां हों, यदि तेल के मामले में लगातार समस्याएं हों, इसका प्रभाव केवल असम की अर्थव्यवस्था पर ही नहीं बल्कि पूरी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर पड़ना स्वाभाविक है तथा इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि विशेषकर 1980-81 में अधिक निर्यात बिल का मुख्य कारण आसाम में लगातार तेल के क्षेत्र में होने वाला आंदोलन है।

मुझे आशा है कि अन्ततः सामूहिक प्रयासों से समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा ताकि राजनैतिक मामलों का निपटान किया जा सके तथा उस क्षेत्र का राजनैतिक विकास हो सके तथा कम से कम हम असम का बजट बनाने की जिम्मेदारी से अथवा गृह मंत्री राष्ट्रपति की उद्घोषणा का प्रस्ताव प्रस्तुत करने से मुक्त हो सकें।

धन्यवाद, महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं ज्ञानी जैलसिंह द्वारा प्रस्तुत किए गए असम राज्य सम्बन्धी उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प को सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करता हूं :

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 19 मार्च, 1982 को असम राज्य के सम्बन्ध में जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं लेखानुदानों की मांगें (असम), 1982-83 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

असम राज्य के सम्बन्ध में उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प असम बजट, 1982-83—सामान्य चर्चा लेखानुदानों की मांगें (असम), 1982-83 और अनुदानों की अनुपूरक मांगें (असम), 1981-82

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई माँग संख्या 1 से 72 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई **राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा** सम्बन्धी **राशियों से** अनधिक लेखानुदान राशियां असम राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदानों की मांगें (असम), 1982-83

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदानों की मांगों की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1.	राज्य विधान मंडल	28,96,000	...
2.	मंत्री परिषद्	11,50,000	...
3.	न्याय प्रशासन	97,43,,000	...
4.	निर्वाचन	2,49,91,000	...
5.	आय और व्यय पर कर	4,41,000	...
6.	भू-राजस्व और भूमि की अधिकतम सीमा	4,11,85,000	...
7.	स्टाम्प	5,00;0,00	...
8.	पंजीकरण	15,54,000	...
9.	राज्य उत्पाद शुल्क	39,70,000	...
10.	बिक्री कर और अन्य कर	63,88,000	...
11.	परिवहन सेवाएं	1,78,66,000	49,25,000
12.	बिजली निरीक्षणालय	3,72,000	...
13.	अल्प बचतें	1,62,000	...
14.	वित्तीय निरीक्षण	1,37,000	...
15.	सिविल सचिवालय और सम्बद्ध कार्यालय	1,94,40,000	...
16.	जिला प्रशासन	1,79,81,000	...
17.	राजकोष और लेखा प्रशासन	59,08,000	...

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की माँगकी राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
18.	पुलिस	18,73,84,000	50,000
19.	जेलें	86,68,000	...
20.	लेखन सामग्री और छपाई	73,07,000	...
21.	प्रशासनिक और कार्योपलक्षी इमारतें	3,27,21,000	6,00,48,000
22.	अग्निशमन सेवाएं	51,56,000	...
23.	सतर्कता और विशेष आयोग	6,58,000	...
24.	नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड	1,26,26,000	...
25.	अतिथि-गृह, सरकारी होस्टल आदि	16,36,000	...
26.	प्रशासनिक प्रशिक्षण	3,69,000	...
27.	जन्म-मरण के आंकड़े, आदि	5,10,000	...
28.	पेंशनें और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	1,81,60,000	...
29.	सहायता सामग्री	1,22,00,000	...
30.	राज्य लाटरियां और अन्य	24,48,000	...
31.	शिक्षा	57,23,67,000	1,00,000
32.	कला और संस्कृति	52,28,000	...
33.	राज्य अभिलेखागार	1,10,000	...
34.	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	25,62,89,000	70,25,000
35.	सफाई और मल निकासी	6,50,000	2,00,000
36.	आवास योजनाएं	1,26,72,000	19,31,000
37.	रिहायशी इमारतें	1,21,79,000	2,21,43,000
38.	नगर विकास	55,75,000	55,45,000
39.	सूचना और प्रचार	33,75,000	...
40.	श्रम और रोजगार	1,39,84,000	...
41.	नागरिक पूर्ति	66,61,000	...
42.	राहत और पुनर्वास	48,000	...
43.	अनुसूचित जातियों/जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2,50,28,000	5,00,000

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदानों की माँग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
44.	समाज कल्याण	1,55,70,000	...
45.	नशाबन्दी	25,18,000	...
46.	स्वतन्त्रता सेनानियों, राज्य सैनिक बोर्ड आदि को पेंशनें	20,36,000	14,87,000
47.	प्राकृतिक विपत्तियाँ	3,46,00,000	...
48.	सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं	2,50,000	...
49.	आयोजना बोर्ड	16,35,000	...
50.	सहकारिता	2,74,11,000	2,12,08,000
51.	उत्तर-पूर्वी परिषद् योजनाएं	81,34,000	1,89,32,000
52.	साँख्यिकी	59,18,000	...
53.	तौल और माप	18,32,000	...
54.	व्यापार सलाहकार	3,44,000	...
55.	कृषि	19,73,50,000	...
56.	सिंचाई	2,43,96,000	13,04,38,000
57.	भूमि और जल संरक्षण	1,95,74,000	60,00,000
58.	पशु-पालन और पशु चिकित्सा	4,44,91,000	...
59.	डेरी विकास	72,00,000	...
60.	मीन उद्योग	1,06,53,000	1,00,000
61.	वन	10,32,76,000	...
62.	सामुदायिक विकास	4,18,42,000	...
63.	उद्योग	21,70,000	2,64,73,000
64.	रेशम कीट पालन और बुनाई	2,32,33,000	1,22,000
65.	कुटीर उद्योग	1,09,44,000	61,30,000
66.	खानें, खनिज और विद्युत	45,23,000	29,00,00,000
67.	बाढ़ नियंत्रण	4,35,05,000	6,50,00,000
68.	सड़कें और पुल	13,71,33,000	11,95,00,000
69.	पर्यटन	18,38,000	...

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदानों की मांगों की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
70.	स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदिष्ट राशियां	1,96,35,000	...
71.	आसाम राजधानी निर्माण	...	20,63,000
72	सरकारी सेवकों को उधार और अग्रिम	...	3,12,50,000

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगें (असम), 1981-82 मतदान के लिए रखता हूं । प्रश्न यह है—

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित अनुपूरक राशियां असम राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये :—

मांग संख्या :—10, 11, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 47, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 67, 68, 71 और 72"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों की अनुपूरक मांगें (असम), 1981-82

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांगों की राशि	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०
10.	बिक्री कर और अन्य कर	15,18,000	...
11.	परिवहन सेवाएं	23,00,000	1,15,32,000

असम राज्य के सम्बन्ध में उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प असम बजट, 1982-83—सामान्य चर्चा लेखानुदानों की माँगें (असम), 1982-83 और अनुदानों की अनुपूरक मांगें (असम), 1981-82

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांगों की राशि	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०
15.	सिविल सचिवालय और सम्बन्ध कार्यालय	8,50,000	...
16.	जिला प्रशासन	15,49,000	...
18.	पुलिस	8,00,00,000	...
21.	प्रशासनिक और कार्योपलक्षी इमारतें	4,00,000	1,30,52,000
22.	अग्निशमन सेवाएं	8,00,000	...
24.	नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड	2,79,000	...
25.	आतिथि गृह, सरकारी होस्टल्स आदि	6,95,000	...
27.	जन्म मरण के आंकड़े आदि	2,73,000	...
31.	शिक्षा	52,84,000	...
32.	कला और संस्कृति	3,00,000	...
33.	राज्य अभिलेखागार	3,80,000	...
36.	आवास योजनाएं	...	16,00,000
37.	रिहायशी इमारतें	...	1,05,85,000
38.	नगर विकास	1,00 000	50,00,000
40.	श्रम और रोजगार	5,000	...
43.	अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछडे	19,00,000	...
44.	समाज सुरक्षा	71,38,000	...
47.	प्राकृतिक विपत्तियां	...	14,10,000
54.	व्यापार सलाहकार	5,000	...
55.	कृषि	15,63,000	1,50,00,000

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदानों को मांग की राशि	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०
57.	भूमि और जल संरक्षण	1,07,000	...
58.	पशु-पालन और पशु चिकित्सा	11,87,000	...
59.	डेरी विकास	1,65,000	...
61.	वन	1,19,35,000	...
63.	उद्योग	...	1,87,44,000
64.	रेशम कीट पालन और बुनाई	11,75,000	11,25,000
67.	बाढ़ नियंत्रण	...	10,00,000
38.	सड़कें और पुल	1,23,34,000	22,38,000
71.	आसाम राजधानी निर्माण	...	7,18,000
72.	सरकारी सेवकों कोउधार और अग्रिम	...	51,74,000

असम विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९८२

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1982-83 के एक भाग की सेवाओं के लिए असम राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों को निकालने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1982-83 के एक भाग की सेवाओं के लिए असम राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों को निकालने का उपबन्ध करने वाले बिधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1982-83 के एक भाग की सेवाओं के लिए असम राज्य की

संचित निधि में से कतिपय राशियों को निकालने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1982-83 के एक भाग की सेवाओं के लिए असम राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों को निकालने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार करेंगे ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 तथा 3 और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड एक अधिनियम सूत्र तथा षिधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्री प्रणब मुखर्जी महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

असम विनियोग विधेयक, १९८२

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1981-82 की सेवाओं के लिए असम राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1981-82 की सेवाओं के लिए असम राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं :

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1981-82 की सेवाओं के लिए असम राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1981-82 की सेवाओं के लिए असम राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार करेंगे ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : सभा सोमवार, 29 मार्च को पुन: समवेत होने तक के लि स्थगित होती है ।

7.42 म०प०

तत्पश्चात लोक सभा सोमवार, 29 मार्च, 1982/8 चैत्र 1904 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

ए०जे० प्रिन्टर्स नई दिल्ली 110002